NOT TO BE ISSUED

FOR REFERNCE ONLY.

प्रश्नोत्तर माला, खंड 7, अंक 34

गुरुवार, 11 मई, 2000
21 वैशाख, 1922 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

तीसरा सत्र

(तेरहवीं लोक सभा)

PARLIAMENT LIBRARY
No. 2...6
Date 8/12/24

(खण्ड 7 में अंक 31 से 38 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा० अशोक कुमार पांडेय
अपर सचिव

हरनाम सिंह
संयुक्त सचिव

प्रकाश चन्द्र भट्ट
प्रधान मुख्य सम्पादक

केवल कृष्ण
वरिष्ठ सम्पादक

जे०एस० वत्स
सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सहायक सम्पादक

उर्वशी वर्मा
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

विषय-सूची

[त्रयोदश माला, खंड 7, तीसरा सत्र, 2000/1922 (शक)]

अंक 34, गुरुवार, 11 मई, 2000/21 वैशाख, 1922 (शक)

विषय		कॉलम
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
तारांकित प्रश्न संख्या	641 और 660	5-36
अतारांकित प्रश्न संख्या	6960 से 7182	36-224
सभा पटल पर रखे गए पत्र		224-227
राज्य सभा से संदेश		227-228
सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति		
पहला प्रतिवेदन		228
पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण विधेयक के सम्बन्ध में संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने का समय बढ़ाए जाने के बारे में प्रस्ताव		228

लोक सभा वाद-विवाद (हिन्दी संस्करण)

गुरुवार, 11 मई, 2000/21 वैशाख, 1922 (शक)

का

शुद्धि - पत्र

....

कॉलम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़ें
विषय-सूची	6	और	से
12	नीचे से 14	भूतिका	भूमिका
119	नीचे से 10	शुत्र	शत्रु
130	नीचे से 4	7056	7057

लोक सभा

गुरुवार, 11 मई, 2000/21 वैशाख, 1922 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 641, श्री चिंतामन वनगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.01 बजे

(इस समय कुंवर अखिलेश सिंह और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।)

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप इस मामले को प्रश्नकाल के बाद उठा सकते हैं। कृपया अपने-अपने स्थान पर वापस जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती सोनिया गांधी, क्या आप कुछ कहना चाहती हैं ?

श्रीमती सोनिया गांधी (अमेठी) : जी हां, महोदय *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने विपक्ष के नेता को बोलने के लिए कहा है। कृपया अपने-अपने स्थान पर वापस जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप अपनी जगह पर जाइए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृतान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

*"कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

(इस समय कुंवर अखिलेश सिंह और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर वापस चले गए।)

श्रीमती सोनिया गांधी : अध्यक्ष महोदय, सत्र के आरम्भ में हमने सरकार से पुरजोर आग्रह किया था कि गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे लोगों के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित की जाने वाली आवश्यक वस्तुओं पर राजसहायता में की गई कटौती को वापस लिया जाए और पहले वाली स्थिति को यथासंभव बहाल किया जाए *...(व्यवधान)*

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर-पूर्व) : अध्यक्ष महोदय, वे प्रश्नकाल में व्यवधान क्यों डाल रहे हैं ? *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि) : अध्यक्ष जी, आप क्वेश्चन ऑवर होने दीजिए, इनको, जीरो ऑवर में उठाने दीजिए। इस मामले में बहस हो चुकी है, सदन के अन्दर व्यापक बहस हुई है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने प्रश्नकाल के निलंबन के लिए सूचना दी है। इसीलिए, मैंने विपक्ष के नेता को बोलने के लिए कहा है। कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्रीमती सोनिया गांधी : महोदय, हमने मांग की थी कि यूरिया की कीमत में 15 प्रतिशत की वृद्धि वापस ली जाए ताकि किसानों पर कम बोझ पड़े। हमने रसोई गैस और मिट्टी के तेल की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि का भी विरोध किया था। इन वस्तुओं की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि से मध्यम और निम्न मध्यम वर्ग बहुत प्रभावित हुआ है। तथापि, अध्यक्ष महोदय, आपने अपने विवेक से हमारी कई सूचनाओं को अस्वीकृत किया। हमने आपके विनिर्णय को स्वीकार कर लिया। किंतु हमने यह अपेक्षा की थी कि वित्त विधेयक पर चर्चा के दौरान सरकार लोगों की आवश्कताओं और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, किसानों, मध्यम और निम्न मध्यम वर्गों पर पड़े अत्यधिक बोझ को हल्का करने में सहायता करने के प्रति सकारात्मक रुख अपनाएगी। यह दुर्भाग्यपूर्ण है जो लाखों लोगों के दैनिक जीवन को प्रभावित कर रहे ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर सरकार का रुख संवेदनशून्य है।

चूंकि यह सत्र अब समाप्त होने वाला है अत: हमारे पास इसके सिवाए कोई विकल्प नहीं है कि हम व्याप्त स्थिति के बारे में ध्यान आकर्षित करें और राजसहायता की बहाली की मांग को फिर से उठाएं *...(व्यवधान)* इसी के अनुसरण में हमने नियम 184 के अधीन सूचनाएं दी और हमारा आपसे आग्रह है कि आप हमें इस सभा में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और किसानों की न्यायोचित मांगों को उठाने का अवसर दें *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप इस मामले को शून्यकाल में उठा सकती हैं।

(व्यवधान)

श्रीमती सोनिया गांधी : महोदय, बाहर हमारी पार्टी सहित विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इस अवसर पर मैं संसद के बाहर इस बोझ को सह रहे लाखों लोगों के साथ अपनी एकजुटता जताती हूं और आपके माध्यम से सरकार से पुन: इस मुद्दे पर सकारात्मक रुख अपनाने के लिए कहती हूं *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : महोदय, आप इन सब बातों को प्रश्नकाल के समाप्त होने के बाद उठा सकती हैं।

(व्यवधान)

श्रीमती सोनिया गांधी : इसीलिए, हम आप से अनुरोध कर रहे हैं कि आप हमारी पार्टी के सदस्यों द्वारा पेश किये गये प्रस्ताव को स्वीकार करें। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : शून्यकाल के दौरान मैं आप सभी लोगों को बोलने की अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस समय नहीं। यह प्रश्नकाल के बाद लिया जाएगा।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, मुझे दो मिनट का समय दीजिए *(व्यवधान)* आज सरकार की जनविरोधी नीतियों के विरोध में देश में "भारत बंध" का आयोजन किया जा रहा है। अत्यधिक मूल्य वृद्धि की गई है जिससे इस देश के आम लोगों का जीवन प्रभावित हो रहा है *(व्यवधान)* सरकार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से मिल रही वस्तुओं, मिट्टी का तेल और उर्वरकों की कीमतों में वृद्धि को वापस लेना चाहिए । सरकार का हर कार्य जनविरोधी है *(व्यवधान)*

वैश्वीकरण के नाम पर सरकार अधिक प्रसुविधाएं दे रही है *(व्यवधान)* आज देश की एकता और अखंडता खतरे में है *(व्यवधान)* समूचा विपक्ष मांग कर रहा है कि सरकार आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि को वापस ले *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते : माननीय अध्यक्ष जी, प्राइस राइज के ऊपर चर्चा हो सकती है, लेकिन क्वश्चन ऑवर नहीं रोकना चाहिए। प्राइज राइज पर सदन में पहले बहस हो चुकी है और फिर भी बहस हो सकती है, लेकिन क्वश्चन ऑवर को नहीं रोकना चाहिए। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, ऐसा नहीं, कृपया समझने की कोशिश कीजिए। प्रश्नकाल को समाप्त होने दीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नकाल के बाद मैं आपको बोलने की अनुमति दूंगा ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नकाल महत्वपूर्ण कार्यविधि है। कृपया यह समझें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल के दौरान मैं आपको बोलने की अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, यह कोई तरीका नहीं है। बजट पर चर्चा के दौरान भी मूल्य वृद्धि, राष्ट्रपति का अभिभाषण, वित्त विधेयक के पारित होने जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, यह कोई तरीका नहीं है।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : महोदय इस बारे में पहले ही बहुत चर्चा हो गई है *(व्यवधान)* यह ठीक नहीं है *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह कुछ भी कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शांता कुमार): इस सवाल पर 10 घंटे यह सदन चर्चा कर चुका है, पूरे 10 घंटे बहस हुई है। *(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.07 बजे

(इस समय कुंवर अखिलेश सिंह तथा अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फैर्श पर खड़े हो गये।)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने-अपने स्थान पर वापस जाइए । यह क्या है ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह कुछ भी कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने-अपने स्थान पर वापस जाइए । कार्यवाही में व्यवधान मत डालिए।

*(व्यवधान)**

---

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते : आप चाहें तो इसके ऊपर दोबारा बहस कराइए। *(व्यवधान)*

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

स्मारकों से लूट-खसोट

*641. **श्री चिंतामन वनगा** : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व वाले प्राचीन स्मारकों से योजनाबद्ध तरीके से लूट-खसोट की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान घटित ऐसे सभी मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन स्मारकों की सुरक्षा के लिए तथा वहां से अतिक्रमण हटाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) जी, नहीं। केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों का रख-रखाव भली-भांति किया जाता है तथा वे सुरक्षित हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की देखभाल में आने वाले स्मारकों के निषिद्ध तथा संरक्षित क्षेत्र में कुछ अतिक्रमणों की रिपोर्ट मिली है। अतिक्रमणों को हटाने में सहायता के लिए राज्य सरकार तथा स्थानीय प्राधिकरणों की तुरन्त मदद मांगी जाती है और उसके बाद कानूनी कार्यवाही की जाती है।

एअर इंडिया के कर्मचारियों की संख्या में कमी करना

*642. **श्री भान सिंह भौरा** :
श्री रामजी लाल सुमन :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एअर इंडिया ने वर्ष 2004-2005 तक अपने कर्मचारियों की संख्या 17,000 से घटाकर 10,000 करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो कर्मचारियों की संख्या अधिक होने के क्या कारण हैं और कर्मचारियों की संख्या में किस तरह और कितने चरणों में कमी किए जाने का प्रस्ताव है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पर्यटन केन्द्र

*643. **श्री अशोक ना० मोहोल** :
डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के उत्कृष्ट पर्यटक केन्द्रों के नाम क्या हैं जहां घरेलू व विदेशी पर्यटक गत तीन वर्षों में, वर्षवार सर्वाधिक संख्या में आए;

(ख) इन पर्यटकों से विदेशी मुद्रा व भारतीय मुद्रा में कुल कितनी आय हुई; और

(ग) इन पर्यटक केन्द्रों पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) दिसम्बर, 1999 की विदेशी पर्यटकों पर अंतर्राष्ट्रीय यात्री सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, विदेशी पर्यटकों ने भारत के जिन 10 प्रमुख स्थानों का भ्रमण किया, वे निम्नलिखित हैं :–

(i)	दिल्ली	(vi)	जयपुर
(ii)	मुम्बई	(vii)	वाराणसी
(iii)	आगरा	(viii)	बंगलौर
(iv)	चेन्नई	(ix)	पंजिम
(v)	कलकत्ता	(x)	उदयपुर

उपलब्ध अनुमानों के आधार पर, घरेलू पर्यटकों में लोकप्रिय 10 प्रमुख राज्य निम्नलिखित हैं :–

(i)	आंध्र प्रदेश	(vi)	मध्य प्रदेश
(ii)	उत्तर प्रदेश	(vii)	महाराष्ट्र
(iii)	तमिलनाडु	(viii)	राजस्थान
(iv)	कर्नाटक	(ix)	जम्मू-कश्मीर
(v)	बिहार	(x)	केरल

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय तथा विदेशी मुद्रा में पर्यटन से अनुमानित विदेशी मुद्रा आय निम्न प्रकार है :–

वर्ष	विदेशी मुद्रा आय	
	रु० करोड़ों में	मिलियन अमेरिकी डालर में
1997	10725.64	2913.54
1998	11950.78	2935.15
1999	13041.81	3035.69

(ग) देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए की गई पहल में अवसंरचनात्मक सुविधाओं में सुधार, पर्यटक आकर्षणों के विकास, प्रचार एवं संवर्धनात्मक प्रयासों के सुदृढ़ीकरण, सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग के लिए राज्य/संघ राज्य प्रशासनों को केन्द्रीय वित्तीय सहायता देने तथा कर छूट, ब्याज इमदाद, आयात पर रियायती सीमा शुल्क आदि जैसे विभिन्न वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करके होटलों सहित पर्यटन क्षेत्रों में निजी निवेश को प्रोत्साहन देना सम्मिलित है। वर्ष 1999-2000 के दौरान विभिन्न पर्यटन परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों के लिए लगभग 9427.78 लाख रुपयों की राशि की केन्द्रीय वित्तीय सहायता की 416 परियोजनाएं/योजनाएं स्वीकृत की गई।

रक्षा सौदों की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच

*644. **श्री राम मोहन गाड्डे :**
श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने, जब तक कि उसे विशेष मामले न भेजे जाएं, 1985 से रक्षा सौदों की जांच, जिसके लिए सरकार ने इस वर्ष उसे कहा है, करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सतर्कता आयोग अथवा केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा इस बारे में उठाये गये अन्य मुख्य मुद्दों का ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, नहीं।

(ख) रक्षा मंत्रालय और सेना मुख्यालयों द्वारा रक्षा खरीद प्रक्रिया संबंधी एक विस्तृत ब्यौरा केन्द्रीय सतर्कता आयोग को दिया गया था। इस संबन्ध में तौर-तरीकों के बारे में केन्द्रीय सतर्कता आयोग के साथ विचार-विमर्श करने के पश्चात् रक्षा खरीद संबंधी 63 मामलों से संबंधित फाइलों का पहला बैच उन्हें प्रस्तुत कर दिया गया है। इनमें एक माननीय संसद सदस्य द्वारा 23.12.99 को राज्य सभा में रक्षा खरीद संबंधी विषय पर अल्पकालिक चर्चा में तथा एक नौसेना अफसर द्वारा दायर रिट याचिका, जिसमें एजेंटों की मौजूदगी और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे, में उल्लिखित कुछ मामले शामिल हैं। इन मामलों से संबंधित फाइलों की इस समय केन्द्रीय सतर्कता आयोग में संवीक्षा की जा रही है। रक्षा मंत्रालय इस मामले में यथापेक्षित सहयोग दे रहा है।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने इस संबंध में रक्षा मंत्रालय के साथ कोई मुद्दा नहीं उठाया है।

विमान परिचारिकाओं की चिकित्सा जांच

*645. **श्री सुनील खां** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा विमान परिचारिकाओं को पुरुष चालक दल के समान मानते हुए उन्हें 58 वर्ष की उम्र तक सेवा करने की अनुमति प्रदान करने के लिए जारी किए गए निर्देशों का क्रियान्वयन एअर इंडिया द्वारा किया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) एअर इंडिया में सरकार के इन निर्देशों के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या एअर इंडिया में विमान परिचारिकाओं को उड़ान पदोन्नति योजना से वंचित रखा जाता है;

(ङ) इस भेदभाव को समाप्त करने के लिए किन उपायों पर विचार किया जा रहा है;

(च) क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि एअर इंडिया में 45 से 50 वर्ष की आयु वर्ग वाली केवल विमान परिचारिकाओं को ही चिकित्सा जांच करनी होती है जिसमें उनकी आंतरिक जांच भी शामिल होती है जबकि इसी आयु वर्ग के पुरुष चालक दल को ऐसी कोई चिकित्सा जांच नहीं करानी होती है; और

(छ) यदि हां, तो इस असमानता को दूर करने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ङ) सरकारी निदेश के अनुसरण में एअर इंडिया के पुरुष और महिला दोनों केबिन कर्मीदल 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत हो जाते हैं। तथापि एअर इंडिया में पुरुष और महिला केबिन कर्मीदल के कार्य और संवर्ग अलग-अलग हैं। 50 वर्ष की आयु हो जाने पर महिला केबिन कर्मीदल को उड़ान ड्यूटी से हटा दिया जाता है और सेवानिवृत्त होने तक उन्हें स्थल (ग्राउंड) ड्यूटी पर तैनात कर दिया जाता है। ऐसी स्थल की ड्यूटी में, उनके द्वारा लिए गए अंतिम वेतन का बचाव किया जाता है जिसमें उड़ान से संबंधित भत्ते शामिल नहीं होते हैं। स्थलीय ड्यूटी में विमान परिचारिकाओं की वरीयता को बचाया जाता है और उस श्रेणी के लिए लागू प्रोन्नयन नीति के अनुसार उनके प्रोन्नयन के अवसर को विनियमित किया जाता है। 58 वर्ष की आयु तक उड़ान ड्यूटी करने के लिए आयु सीमा बढ़ाने से संबंधित मामला न्यायाधीन है।

(च) और (छ) कुछ विमान परिचारिकाओं ने अपनी शिकायतों के निवारण के लिए मुंबई उच्च न्यायालय से संपर्क स्थापित किया है वार्षिक चिकित्सा परीक्षण का मामला भी मुंबई उच्च न्यायालय में लंबित हैं। जबकि मुंबई उच्च न्यायालय ने याचिका को स्वीकार कर लिया है। लेकिन इस मामले में अभी तक कोई राहत नहीं दी गई है।

रेल इंजन के पहियों की आवश्यकता

*646. **प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेलवे में रेल इंजन के पहियों की वार्षिक आवश्यकता कितनी होती है;

(ख) रेल इंजन के पहियों की आपूर्ति किन इकाइयों द्वारा की जा रही है;

(ग) क्या रेलवे बड़ी संख्या में रेल इंजन के पहियों का आयात करता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले वर्षों के दौरान इन पर देश-वार कितना खर्च हुआ;

(ङ) क्या पहियों की घटिया गुणवत्ता के कारण अनेक दुर्घटनाएं हुई हैं; और

(च) यदि हां, तो उच्च गुणवत्ता वाले पहियों की खरीद के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) : (क) भारतीय रेलों पर रेल इंजन के पहियों की वार्षिक आवश्यकता लगभग 33,000 पहिए है।

(ख) और (ग) जो इकाइयां रेल इंजन के पहियों की आपूर्ति कर रही हैं, उनकी सूची संलग्न विवरण-I में दी गई है। चूंकि भारतीय रेलों की पूरी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रेल इंजन के पहियों के निर्माण की देशी क्षमता अभी भी पर्याप्त नहीं है, इसलिए इस कमी को पूरा करने के लिए आयात करना पड़ता है। बहरलाल, रेलें देशी उत्पादन में वृद्धि करने की नीति अपना रही हैं।

(घ) ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ङ) जी, नहीं। वर्ष 1997 के दौरान पहिए की टूट-फूट के कारण मीटर लाइन के एक रेल इंजन के पटरी से उतरने का केवल एक मामला रिपोर्ट किया गया था।

(च) जिस पहिए की खराबी के कारण पटरी से उतरने की दुर्घटना हुई थी, उस पहिए के रोमानियन आपूर्तिकर्ता की निर्माण और गुणवत्ता आश्वासन संबंधी सुविधाओं की जांच की गई और फर्म को गुणवत्ता बनाए रखने के लिए आवश्यक निवारक उपाय करने की सलाह दी गई। इस फर्म से आगे की आपूर्ति उस समय तक रोक दी गई है जब कि सतत गुणवत्ता का उच्च स्तर सुनिश्चित करने के लिए इस फर्म द्वारा निवारक उपाय नहीं कर लिए जाते।

विवरण-I

रेल इंजन के पहियों की आपूर्ति करने वाली इकाइयों की सूची

क्र०सं०	इकाई का नाम और देश
1	2
1.	मैसर्स एस०एम०आर०, एस०ए०, बी०ए०एल०एस०, रोमानिया
2.	मैसर्स निजनेडेनप्रौवस्की ट्यूब रोलिंग प्लांट, यूक्रेन
3.	मैसर्स व्याक्सा स्टील वर्क्स, व्याक्सा, रूस
4.	मैसर्स माफेरसा एस०ए०, साओ पालो, ब्राजील
5.	मैसर्स लुक्चिनी एस०पी०ए०, लूवरे, इटली
6.	मैसर्स सूमीतोमो मेटल इंडस्ट्रीज लि०, ओसाका, जापान
7.	मैसर्स मांशन आयरन एंड स्टील कंपनी लि०, अन्शुई प्रौविंस, चीन
8.	मैसर्स दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर, भारत
9.	पहिया एवं धुरा संयंत्र, बैंगलूरू, भारत (रेल मंत्रालय के अधीन)

ढलवां पहिए विकसित किए जा रहे हैं

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों के दौरान रेल इंजन के पहियों के आयात का ब्यौरा

संविदा का वर्ष	निर्माण करने वाला देश	मात्रा	पोत पर्यन्त नि:शुल्क मूल्य, भारतीय करोड़ रुपयों में
1997-98	रोमानिया	29256	52.45 करोड़
	यूक्रेन	232	0.36 करोड़
	इटली	188	0.28 करोड़
	जापान	641	1.48 करोड़
1998-99	यूक्रेन	13574	25.80 करोड़
	रूस	14000	28.00 करोड़
	इटली	536	1.10 करोड़
1999-2000	रूस	8404	15.44 करोड़
	यूक्रेन	10733	19.96 करोड़
	ब्राजील	8900	17.07 करोड़
	चीन	3300	6.33 करोड़
	इटली	361	1.14 करोड़

[हिन्दी]

विमान दुर्घटनाओं के पीड़ितों को इंडियन एयरलाइंस और एअर इंडिया द्वारा मुआवजे का भुगतान

*647. श्री शिवराज सिंह चौहान : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1995-96 से 1998-99 के दौरान हुई विमान दुर्घटनाओं के पीड़ितों को एअर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस ने मुआवजे की कितनी राशि का भुगतान किया है;

(ख) विमानों को हुई क्षति के कारण इन कम्पनियों को कितना घाटा उठाना पड़ा;

(ग) इन कम्पनियों को कितनी और राशि का भुगतान हुआ तथा अभी कितनी राशि का भुगतान मिलना शेष है; और

(घ) 30 अप्रैल, 2000 की स्थिति के अनुसार मारे गए, व्यक्तियों विकलांग हुए व्यक्तियों, यात्रियों को हुई वित्तीय हानियों और असुविधाओं के संबंध में न्यायाधिकरणों और उपभोक्ताओं न्यायालयों में लम्बित पड़े मामलों का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) एअर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस द्वारा 1.4.95 से 31.3.99 तक की अवधि के दौरान विमान-दुर्घटनाओं के पीड़ितों को दी गई क्षतिपूर्ति की राशि निम्नवत् है :–

(I) एअर इंडिया	शून्य
(II) इंडियन एयरलाइंस	46.62 लाख रुपये

(ख) इंडियन एयरलाइंस तीसरे पक्ष की देयता सहित सभी जोखिम के लिए पूर्णत: बीमाकृत है। इसलिए इन दुर्घटनाओं से इंडियन एयरलाइंस को कोई घाटा नहीं हुआ।

(ग) विमान की क्षति पर इंडियन एयरलाइन्स द्वारा प्राप्त बीमा दावे की राशि तथा यात्रियों और अन्यों को इंडियन एयरलाइंस द्वारा की गई क्षतिपूर्ति में भुगतान की गई राशि निम्नवत् है :-

2 विमान की क्षति के कारण	20.75 करोड़
यात्रीगण तथा अन्य को की गई क्षतिपूर्ति का भुगतान	46.62 लाख रुपये

(घ) दिनांक 1.4.95 से 31.3.99 के दौरान इंडियन एयरलाइंस के विमानों की दुर्घटना से संबंधित सिविल/उपभोक्ता न्यायालयों में निपटान संबंधी कोई मामला नहीं है।

[अनुवाद]

पामोलिन का निर्गम मूल्य

***648. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार का पामोलिन का निर्गम मूल्य कम करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा किस तिथि से मूल्य में कमी प्रभावी होने की संभावना है;

(ग) यदि केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को पामोलिन अलग-अलग मूल्यों पर उपलब्ध करा रही है;

(घ) यही हां, तो तत्संबंधी राज्यवार पामोलिन का निर्गम मूल्य क्या है; और

(ङ) इससे गरीब लोगों को कहां तक सहायता मिलने की संभावना है ?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शांता कुमार): (क) से (ङ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आपूर्ति किए जाने वाले आयातित आर. बी. डी. पामोलीन के केन्द्रीय निर्गम मूल्य को 24.4.2000 से कम करके बल्क में अर्थात् खुले में की जाने वाली आपूर्ति के मामले में 18,000/- रुपये प्रति टन और 15 किलोग्राम के टिनों में की जाने वाली आपूर्ति के मामले में 20,000/- रुपये प्रति टन कर दिया गया है। यह कमी सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को समान रूप से लागू है। केन्द्रीय निर्गम मूल्य समान है और इसलिए जहां तक भारत सरकार का संबंध है, विभिन्न राज्यों के लिए मूल्यों में कोई अंतर नहीं है। चूंकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली स्कीम गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम का एक भाग है, इसलिए कमी से लक्षित समूहों को और राहत प्राप्त होने की आशा है।

जम्मू-कश्मीर में हवाई चौकसी

***649. श्री जी० गंगा रेड्डी :**
श्री के० येरननायडू :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डोडा जिले के बर्फ से ढके पहाड़ों में आतंकवादियों के छिपने के स्थानों पर हमला करने के लिए 24 मार्च, 2000 को मशीनगनों और राकेटों से सुसज्जित हेलीकाप्टरों को भेजा गया था;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) छत्तीसिंहपुरा में 20 मार्च, 2000 को हुए सामूहिक नरसंहार जैसी घटनाओं से बचने के लिए जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में निरंतर हवाई-चौकसी बरते जाने हेतु क्या उपाय करने का प्रस्ताव है ?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ग) सेना और वायुसेना की एक संयुक्त कार्रवाई के दौरान 25 मार्च, 2000 को डोडा जिले में हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल किया गया था। यह कार्रवाई सफल रही। जम्मू तथा कश्मीर में हेलीकाप्टरों का गनशिप की भूमिका के रूप में आगे इस्तेमाल किया जाना सामरिक आवश्यकताओं पर निर्भर करेगा।

जम्मू तथा कश्मीर में आतंकवाद से निपटने के लिए सुरक्षा बलों द्वारा समुचित कदम उठाए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

निजी कम्पनियों को हवाई पट्टियां पट्टे पर दिया जाना

***650. श्री पी०आर० खुंटे** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार निजी कंपनियों को कुछ महत्वपूर्ण हवाई पट्टियां पट्टे पर देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप सरकार को कितने धनराशि का लाभ होने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) यह निर्णय लिया गया है कि जैसे और जब भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के हवाई अड्डे दीर्घावधिक पट्टे के जरिए उपयुक्त हों उनका पुनर्गठन किया जाए। इस समय दिल्ली, मुंबई, चेन्नई तथा कलकत्ता के मौजूदा हवाई अड्डों के कार्य को इस प्रक्रिया के लिए कार्य शुरू किया जा रहा है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य पर्याप्त निजी निवेशकों को आकृष्ट करना और इन हवाई अड्डों का अन्तरराष्ट्रीय श्रेणी के अनुरूप स्तरोन्नयन करना है।

(ग) बोलियां आमंत्रित की जाने और इस प्रक्रिया को पूरा किए जाने तक कोई अनुमान नहीं बताया जा सकता है।

[अनुवाद]

महिलाओं के अधिकार

*651. **श्री अनंत गंगाराम गीते** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद ने यह जानकारी दी है कि महिलाओं के अधिकारों के मामले में भारत सर्वाधिक पिछड़े देशों में से एक है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) इस संबंध में सबसे अधिक पिछड़े राज्य कौन-कौन से हैं; और

(घ) इस स्थिति में सुधार हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

ग्रामीण विकास मंत्री और कृषि मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा): (क) से (घ) राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद की भारत ग्रामीण विकास रिपोर्ट, 1999 महिला अधिकारों से संबंधित नहीं है, बल्कि इसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान तथा मध्य प्रदेश के संदर्भ में महिला विकास तथा असमानताओं से सम्बद्ध उन मुद्दों का उल्लेख है जिनमें कि ये राज्य पिछड़ रहे हैं।

2. महिला विकास के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा किए गए उपाय इस प्रकार हैं :–

(1) विकास के लिए महिला केन्द्रित दृष्टिकोण ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में अपनायी गई एक महत्वपूर्ण नीति है।

(2) महिलाओं के आय के अस्तर में सुधार करने तथा उनको अधिकार सम्पन्न बनाने में डवाकरा के सफल अनुभवों पर यह निर्धारित कर और अधिक बल दिया गया है कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत निर्मित समूहों में से 50 प्रतिशत समूह महिलाओं के होने चाहिए।

(3) पंचायती राज संस्थाओं के सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए कम से कम 33 प्रतिशत आरक्षण।

(4) ग्रामीण विकास मंत्रालय के सभी मजदूरी रोजगार कार्यक्रमों में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत निर्धारित करना।

(5) राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की गर्भवती महिलाओं को एकमुश्त नकद सहायता प्रदान की जाती है।

भूमि संसाधन

*652. **श्री चन्द्र भूषण सिंह** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भूमि संसाधनों हेतु एक पृथक विभाग बनाने पर विचार कर रही है;

(ख) क्या सरकार को इस संबंध में कतिपय सिफारिशें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने राज्य सरकारों के पास उपलब्ध भूमि संसाधनों के संबंध में ब्यौरा देने को कहा है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है?

ग्रामीण विकास मंत्री और कृषि मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा): (क) से (ङ) भूमि संसाधन विभाग के नाम से एक अलग विभाग (केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय में) अप्रैल, 1999 में अस्तित्व में आया है। भूमि संसाधन विभाग द्वारा बंजरभूमि के संबंध में राज्य-वार सूचना प्राप्त कर ली गई है और इसे संकलित कर लिया गया है।

ले० जनरल चन्द्र शेखर समिति की रिपोर्ट

*653. **श्री सुबोध मोहिते** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के बड़े पैमाने पर निजीकरण के माध्यम से "एक आत्मनिर्भर रक्षा औद्योगिक आधार" स्थापित करने के प्रयास में कठिनाई पैदा हो गयी है, जैसा कि दिनांक 24 मार्च, 2000 के "स्टेट्समैन" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने रक्षा उद्योग को सुदृढ़ बनाने के लिए गठित ले. जनरल चन्द्र शेखर समिति की सिफारिशों की इस बीच जांच कर ली है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी, हां।

(घ) इन सिफारिशों में रक्षा और उद्योग के बीच दीर्घकालिक साझेदारी की बात कही गई है और इनमें ऐसे संबंध को बढ़ाने के लिए संभावित कार्यनीतियों; सैन्य सेवाओं की दीर्घकालिक भावी आवश्यकताओं के बारे में उद्योग की प्रत्याशाओं; निविदा प्रक्रियाओं, निरीक्षणों और प्रमाणन के लिए कार्यविधियों को सुचारू बनाए जाने; वाणिज्यिक शर्तों तथा उन उद्योगों को, विशेषकर निवेश को बढ़ावा देने वाले उद्योगों को प्रोत्साहन देने; अनुसंधान एवं विकास में शामिल होने और औद्योगिक नीति की समीक्षाओं का भी उल्लेख है। इनमें बहुत-सी सिफारिशें अन्य कार्यबलों द्वारा की गई सिफारिशों जैसी ही हैं जिन्हें पहले ही स्वीकार किया जा चुका है। इन सिफारिशों के कार्यान्वयन व प्रचालन को व्यावहारिक रूप देने के लिए सी. आई. आई. में दो कोर ग्रुपों का गठन किया गया है जो निम्नलिखित दो चुनिंदा क्षेत्रों में कार्य-योजना तैयार करेंगे :–

(1) सूचना प्रौद्योगिकी तथा संचार और

(2) संघटक व सामग्री।

हवाई अड्डों के चारों ओर बाड़ लगाना

*654. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुवाहाटी, अगरतला, रांची, पटना, अहमदाबाद, हैदराबाद, भोपाल, पोर्ट ब्लेयर, बड़ौदा तथा राजकोट हवाई अड्डों की सुरक्षा इनके चारों ओर बाड़ न लगाये जाने अथवा अपर्याप्त ढंग से लगाए जाने के कारण खतरे में है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इन हवाई अड्डों के चारों तरफ बाड़ लगाने के लिए क्या कदम उठाए गये अथवा उठाए जाने का विचार है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) इन विमानपत्तनों पर प्रत्येक पर परिधी दीवार/बाड़ मौजूद है। रांची, पटना, अहमदाबाद, पोर्ट ब्लेयर तथा बड़ोदरा विमानपत्तनों पर यद्यपि दीवार की ऊंचाई निर्धारित ऊंचाई की तुलना में सीमांतत: कम है इसलिए इन विमानपत्तनों पर परिधी दीवार की ऊंचाई बढ़ाने के लिए कार्यवाही आरंभ कर दी गई है। परिधी की निगरानी चौबीसों घंटे की जाती है।

[हिन्दी]

बड़ी कम्पनियों द्वारा गेहूं की खरीद

*655. श्री सुकदेव पासवान :
श्री नवल किशोर राय :

क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गेहूं के समर्थन मूल्य और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत गरीबी रेखा से ऊपर जीवन-यापन करने वाले व्यक्तियों के लिए इसके मूल्य में भारी अंतर होने के कारण गोदरेज, हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड, करगिल इंडिया, आई०टी०सी०, एग्रो आदि जैसी बड़ी कंपनियों ने पंजाब और हरियाणा के बाजारों/मंडियों से गेहूं की खरीद करने की व्यवस्था की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन बड़ी कम्पनियों के बाजार में प्रवेश करने के कारण भारतीय खाद्य निगम द्वारा की जाने वाली खरीद पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) यदि हां, तो भारतीय खाद्य निगम द्वारा की जाने वाली गेहूं की खरीद को प्रतिकूल रूप से प्रभावित न होने देना सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शांता कुमार): (क) और (ख) पंजाब/हरियाणा सरकार से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार गोदरेज, हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड, करगिल इंडिया, आई०टी०सी०, एग्रो आदि जैसी कोई भी बड़ी कम्पनी इन राज्यों में गेहूं की खरीदारी नहीं कर रही है। तथापि, प्राइवेट व्यापारियों ने पंजाब और हरियाणा में हुई गेहूं की कुल 82.35 लाख टन और 34.99 लाख टन की आमद में से क्रमश: 1.85 लाख टन और 0.90 लाख टन गेहूं खरीदा है।

सरकार की न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अधीन, भारतीय खाद्य निगम और राज्य वसूली एजेंसियों को गेहूं का कोई भी ऐसा स्टाक खरीदना होता है जो नामित मंडियों/क्रय केन्द्रों पर किसानों द्वारा पेशकश किया जाता है और भारत सरकार द्वारा घोषित गुणवत्ता संबंधी विनिर्दिष्टियों के अन्दर होता है। तथापि, किसान अपना उत्पाद खुले बाजार अथवा वसूली एजेंसियों, जहां भी उन्हें लाभकारी हो, को बेचने के लिए स्वतन्त्र होता है। अत: मंडियों से गेहूं की खरीदारी करने के संबंध में प्राइवेट व्यापारियों पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता। तथापि, भारतीय खाद्य निगम/राज्य सरकारें यह सुनिश्चित करती हैं कि किसानों द्वारा की जाने वाली मजबूरन बिक्री को रोकने के लिए मूल्य समर्थन प्रचालनों को लागू किया जाए।

[अनुवाद]

पायलटों के वेतन और वेतनोत्तर लाभ

*656. श्री राजैया मल्याला : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एअर इंडिया द्वारा सरकार की रियायतों और आकर्षित सुविधाओं को देने के बावजूद यात्रियों को आकर्षित करने में वह असमर्थ रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या पिछले छ: वर्षों से एअर इंडिया द्वारा लगातार घाटा उठाए जाने के कारणों की समीक्षा की गई है;

(ग) यदि हां, तो क्या पायलटों को दिया जाने वाला अधिक वेतन और वेतनोत्तर लाभ एअर इंडिया को होने वाले घाटे के कारणों में से एक कारण है;

(घ) यदि हां, तो एअर इंडिया और उसके समकक्ष अन्य अंतरराष्ट्रीय एयरलाइनों द्वारा पायलटों को दिये जा रहे परिश्रमिक और वेतनोत्तर लाभों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) मुनाफा सुनिश्चित करने हेतु एअर इंडिया को एक पेशेवर व्यापारिक संगठन के रूप में चलाने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) घाटे का कारण ब्याज तथा नए विमानों के मूल्यह्रास के कारण व्यय में वृद्धि, बाजार तथा प्रचालन लागत में वर्धित छूट देने से आय में कमी, वेतन बिल तथा अन्य स्टाफ संबंधी लागतों तथा अवतरण, हैंडलिंग एवं दिक्चालनात्मक प्रभारों में वृद्धि और रुपये के अवमूल्यन आदि हैं।

(ग) पायलट इस समय विमानन उद्योग में उच्च वेतन पाने वाले समुदाय में से हैं। वेतन बिल में उनका पर्याप्त हिस्सा होता है।

(घ) ब्यौरे संलग्न विवरण में हैं।

(ङ) एअर इंडिया ने उन्हें अधिक लाभ कमाने वाला और व्यवसायी बनाने की दिशा में निम्नलिखित मुख्य कदम उठाए हैं :-

(i) विमान-कर्मचारी अनुपात में सुधार लाना, (ii) विकसित ग्राहक सुविधा के जरिए ब्रांड लॉयल्टी में सुधार करना (iii) और अधिक लाभप्रद मार्गों पर क्षमता की पुन: तैनाती करके मार्ग युक्तिकरण (iv) विमान बेड़े का अधिकतम उपयोग करना (v) विमान-बेड़े का युक्तिकरण (vi) चयनित विमान कंपनियों के साथ मिलकर कोड शेयर सेवाओं के एक गौण नेटवर्क सहित एअर इंडिया के कोर नेटवर्क को पूरक बनाना (vii) प्रबन्धन ग्राहक सेवाओं तथा समय-अनुसूचियों को प्रभावी बनाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करना।

विवरण

काकपिट कर्मीदल की (उड़ान भत्तों सहित) वार्षिक सकल आय

कप्तान (कमांडर)

विमान कम्पनी	सुपरवाइड		वाइड		मिडियम		प्रभावी तारीख
	न्यूनतम	अधिकतम	न्यूनतम	अधिकतम	न्यूनतम	अधिकतम	
एअर इंडिया	4482279	4537333	4482279	4537333	4482279	4537333	01/12/1998
कैथे पैसिफिक	8605262	10898674	8605262	10898574	8605262	10898674	01/10/1997
यूनाइटेड एअरलाइंस	13792594	14077383	13120719	9034644	10575549	11578008	1997
लुफ्थांसा	4237401	8040648	4237401	5040648	4237401	8040648	1995
एयर कनाडा	4863742	6338592	4601766	6021782	शून्य	शून्य	1997
अमीरात	4545340	6292890	4545340	6292890	4545340	6292890	1997
क्वांटास	शून्य	शून्य	559832	591500	531206	58508	1995

फर्स्ट अफसर

विमान कम्पनी	सुपरवाइड		वाइड		मिडियम		प्रभावी तारीख
	न्यूनतम	अधिकतम	न्यूनतम	अधिकतम	न्यूनतम	अधिकतम	
एअर इंडिया	3272807	3318919	3272807	3318919	3272807	3318919	01/12/1998
कैथे पैसिफिक	6924270	7773842	6924270	7773842	6924270	7773842	01/10/1997
यूनाइटेड एअरलाइंस	4088311	10024504	3886652	9536927	3541265	8140717	1997
लुफ्थांसा	2720340	4698729	2720340	4698729	2720340	4698729	1995
एयर कनाडा	2768184	4342130	2634554	4148248	शून्य	शून्य	1997
अमीरात	3535140	4442090	3535140	4442090	3535140	4442090	1997
क्वांटास	शून्य	शून्य	370474	431522	323726	378274	1995

1.1.1998 की स्थिति के अनुसार विनिमय दर

कनाडा डालर	=	26.17 रुपये	अमीरात ए०डी०एच०	=	9.91 रुपये
हांगकांग डालर	=	4.70 रुपये	आस्ट्रेलियन ए०एल०	=	26.16 रुपये
जर्मन डी०ई०एम०	=	20.53 रुपये	अमेरिकी डालर	=	43.00 रुपये

स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों को सहायता

657. श्री सुलतान सलाहुद्दीन ओवैसी : क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय कार्यरत स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ये संगठन उपभोक्ता सुरक्षा गतिविधियों को चलाने के लिए केन्द्र सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक संगठन को सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वित्तीय वर्ष में राज्यवार और वर्षवार कुल कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई;

(घ) संघ सरकार द्वारा इन संगठनों को इस तरह प्रदान की गई राशि की लेखा परीक्षा कराने/उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त करने की कोई व्यवस्था है; और

(ङ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार की जानकारी में इन स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों के विरुद्ध कितने ऐसे मामले आए जिन्होंने उक्त अवधि के दौरान धनराशि का दुरुपयोग किया और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शान्ता कुमार): (क) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त सूचना के अनुसार इस समय देश में 1350 स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन कार्य कर रहे हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों की संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) जी, हां।

(ग) पात्र स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों को विशिष्ट परियोजना प्रस्तावों के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। वर्ष 1997-98 से स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों को दी गई वित्तीय सहायता का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। चालू वर्ष के दौरान स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों को अभी तक कोई वित्तीय सहायता नहीं दी गई है।

(घ) जी, हां। संबंधित संगठन को निर्धारित प्रपत्र में सनदी लेखापाल द्वारा विधिवत प्रमाणित उपयोग प्रमाण पत्र के साथ-साथ कार्यान्वयन रिपोर्ट और स्वीकृति पत्र में उल्लिखित मदों पर हुए खर्च का ब्यौरा प्रस्तुत करना होता है।

(ङ) ऐसा कोई मामला सरकार के ध्यान में नहीं आया है।

विवरण-I

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्य कर रहे स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों की संख्या

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	321
2.	अरुणाचल प्रदेश	1
3.	असम	8
4.	बिहार	30
5.	गुजरात	123
6.	गोवा	5
7.	हरियाणा	16
8.	हिमाचल प्रदेश	9
9.	जम्मू व कश्मीर	6
10.	कर्नाटक	78
11.	केरल	60
12.	मध्य प्रदेश	71
13.	महाराष्ट्र	70
14.	मणिपुर	3
15.	मेघालय	6
16.	मिजोरम	2
17.	नागालैण्ड	3
18.	उड़ीसा	46
19.	पंजाब	51
20.	राजस्थान	79
21.	सिक्किम	3
22.	तमिलनाडु	161
23.	त्रिपुरा	5
24.	उत्तर प्रदेश	103
25.	पश्चिमी बंगाल	36
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	1
27.	चंडीगढ प्रशासन	6
28.	दादर व नगर हवेली	शून्य
29.	दिल्ली	26
30.	दमन व दीव	1
31.	लक्षदीप	2
32.	पांडिचैरी	18
	जोड़	1350

विवरण-II

विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों को दी गई वित्तीय सहायता दर्शाने वाला विवरण

नाम	वर्ष	स्वीकृत राशि
1	2	3
आन्ध्र प्रदेश		
फ्रीडम फाइटर्स वेलफेयर एसोसिएशन, धर्माराम रूरल ग्राम : गीस् कोन्डा मन्डल	1997-98	58,500,00
सेंट पैट्रिक्स एजुकेशनल सोसायटी, मेन रोड, बोराबांदा, हैदराबाद	1997-98	63,900,00
रूरल पूअर पीपुल वेलफेयर सोसायटी, 12/269, डीआईडी, अशोक नगर, अनन्तपुर	1997-98	29,700,00
अम्माजी रूरल डेवलेपमेंट आर्गेनाइजेशन, डी नं० 14/46-1ए, कमला नगर, बैंक ऑफ बड़ौदा के पीछे	1997-98	22,500,00
ह्यूमेनिटेरियन आर्गेनाइजेशन ऑफ पीपुल्स एजुकेशन (एचओपीई), डम-डम गार्डन्स, नुजविड, जिला-कृष्णा	1997-98	27,000.00
कांचीकचेरला कन्ज्यूमर वेलफेयर कांउसिल, कांचीकचेरला, जिला : कृष्णा	1997-98	22,500.00
नेहरू युवाजन संगम, नगुलावरम, प्रशा. विनुकोन्डा	1997-98	27,000.00
सोशियो-इकोनोमिकल वॉलन्टरी एसोसिएशन, एमआईजी 3, आंध्र प्रदेश हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, तिरुपति	1997-98	18,000.00
प्रियदर्शनी रूरल वेलफेयर डेवलपमेंट ट्रस्ट, 6-685-25, श्रीनगर कालोनी	1997-98	31,500.00
रूरल एजुकेशन हैल्थ एण्ड एग्रिकल्चरल डेवलपमेंट सोसायटी (आरईएचएडीएस) हाऊस नं० 26/595, श्याम नगर, नान्द्याल	1997-98	27,000.00
वेंकटेश्वर सोशियल सर्विस एसोसिएशन, 15/44/1, मिरजालगुड मल्काजगिरि, जिला रंगा रेड्डी	1997-98	45,000.00
विशाखा कन्ज्यूमर्स कांउसिल, 13-28-6/4, अपस्टेयर्स, केजीएचयूपी रोड	1997-98	67,500.00
अकिविडु कन्ज्यूमर्स ऐसोसिएशन, अकिविडु, डब्लू जी डिस्ट्रिक्ट	1997-98	37,250.00
आंध्र सेवा समिति, ककुमनुवारी स्ट्रीट, कोठपेट गुन्टूर	1997-98	22,500.00
कम्प्रिहेन्सिव एक्शन फॉर रूरल डवलपमेंट सोसायटी, नुजविड, पथ रवीचेरला, नुजविड मण्डल, कृष्णा डिस्ट्रिक्ट	1997-98	36,000.00
कांचीकचेरल कन्ज्यूमर्स वेलफेयर कांचीकचेरल, कृष्णा डिस्ट्रिक्ट	1998-99	41,400.00
आई सी डब्लू ए, पोथुराजुमित्ता, कन्डुकुर	1997-98	45,000.00
नेशनल एजुकेशनल माइनॉरिटीज सोसायटी, 12-15-53, सूर्य हनुमान अपार्टमेंट्स, कोठपेट	1997-98	45,000.00
रूरल पुअर पीपुल्स वेलफेयर सोसायटी डी. नं. 11/292-ए2, अरविन्द नगर	1997-98	45,500.00
विजय एजुकेशन सोसायटी, चर्च कम्पाउण्ड, डोर नं. 17-3-173, नरसारसपेट	1997-98	45,000.00
अरुणोदय महिमा मण्डली, डी. नं. 4-600-ए21 सोमनाथ नगर, अनन्तपुर	1998-	36,000.00
इन्टिग्रेटिड रूरल डेवलपमेंट सोसायटी	1998-99	27,000.00
नेहरू युवक मण्डली, मगल्लू, नन्दीगम मण्डल	1998-99	22,500.00

1	2	3
श्री विनायक युवजन संगम, डोर नं. 11-321, काजी स्ट्रीट, चित्तूर	1998-99	31,500.00
अरुणा महिला मण्डली, शेड नं.-5, फेज-II, ऑटो नगर, नेल्लोर-524004	1999-2000	27,000.00
कन्ज्यूमर वेलफेयर सोसायटी, 2-160, विद्यानगर कालोनी, अदोनी-518302	1999-2000	13,500.00
गरथपुरी कन्ज्यूमर्स काउंसिल त्रिपुरमल्लवरी वीधि ओल्ड गुन्टूर	1999-2000	27,000.00
जागृति वॉलन्टरी आर्गेनाइजेशन, ऑफिम, हाऊस नं. 11-3-34/2, नेहरु नगर, खम्माम-507001, जिला खम्माम	1999-2000	22,500.00
कस्तूरीबाई महिला मण्डली, इल्चुरु सन्थमागलुरु मण्डल, जिला प्रकाशम	1999-2000	22,500.00
मछलीपटनम कन्ज्यूमर्स पोटेक्शन काउंसिल, डी नं० 18-120, सुकरलाबाद, मछलीपटनम-521001	1999-2000	31,500.00
माधुरी महिला मण्डली, भरतपेट, प्रथम लाइन, गुन्टूर-522002	1999-2000	27,000.00
श्री देवी वीकर सेक्शन महिला मण्डली, टी एस आर बिल्डिंग, द्वितीय लाइन, नल्लाचेरुवु, गुन्टूर-522003	1999-2000	22,500.00
असम		
अरुनोडे विकास समिति, पो. ओ.-जगीरोड, जिला मोरीगांव	1997-98	27,000.00
बिहार		
ग्रामीण रोजगार सेवा परिषद, ग्राम-कन्हौली दीह संस्कृत कालेज के समीप, पो०-जी०पी०ओ०	1997-98	27,000.00
जन विकास केन्द्र, हमीदगनी, डाल्टनगंज, पलामू	1997-98	18,000.00
अकडेग्वा ग्राम विकास संस्थान, ग्राम-अकडेग्वा, पो०-मुबारकपुर (अकामा)	1997-98	27,000.00
हरिजन महिला एवम बाल विकास संस्थान, ग्रा० एण्ड पो०—शाही निकेतन, पुपरी, पो० जनकपुर रोड, जिला सीतामढ़ी	1997-98	27,000.00
रूरल डेवलपमेंट सोसायटी, शास्त्री नगर, हाउस नं० 40, ग्राउन्ड फ्लोर, आजाद नगर, अपना बिहार	1997-98	36,000.00
चन्द्रिका सामाजिक उत्थान एवम ग्रामीण विकास संस्थान, जमहोर, औरंगाबाद	1997-98	31,500.00
गौतम बुद्ध मानव कल्याण एवं प्राकृतिक विकास संस्थान, ग्रा०—शियोपुर, पो०ओ०-मेरवा	1997-98	27,000.00
ग्राम विकास संस्था परसा, ग्रा०—परसा, पो०—कुल्हारिया, जिला : मधुबनी	1998-99	27,000.00
रूरल लेडीज वेलफेयर सोसायटी, ग्राम-धरमपुर, पो०-निकाशी, थाया-पिन्धारुच, जिला-दरभंगा	1998-99	
जन जागरण समिति, यारपुर, एन०सी० घोष लेन, कैलाश भवन के समीप, एम०ओ०—यारपुर, पो०—जी०पी०ओ०, पटना-800001	1998-99	8,100.00
लोक मंगलम, मोहल्ला-गुडरी, पो०-लहेरियासराय, जिला : दरभंगा	1998-99	22,500.00
सेवा संस्थान, मार्फत रामविलास राय (चांदवाडा), कन्हौली मठ रोड, पो०-रमन्ना, जिला-मुज्जफरपुर	1998-99	18,000.00
विकासयन, ग्राम पो०-शीखपुर, अखरघाट, मुज्जफरपुर	1999-2000	22,500.00
दारोगा प्रसाद रे महिला प्रशिक्षण एवम औद्योगिक केन्द्र सुतिहार, नवदाह (सरन)	1999-2000	27,000.00
महिला एवम बाल विकास केन्द्र, जयप्रकाश नगर, पटना-800001	1999-2000	12,500.00

1	2	3
उत्तरी बिहार समाज कल्याण संगठन, पैगम्बरपुर वाया-सिलौट, जिला-मुज्जफरपुर	1999-2000	22,500.00
राधिका सेवा संस्थान, ग्राम-प्रतापु, पो. ओ. - मेहसी (थाना), जिला-पूर्वी चम्पारन	1999-2000	22,500.00
दिल्ली		
कन्ज्यूमर्स फोरस, बी-24, महारानी बाग	1997-98	2,07,500.00
आल इण्डिया दलित डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टिट्यूट, 1995, डी डी ए जनता फ्लैट्स, नन्द विहार	1997-98	36,000.00
जन जागृति एजुकेशनल सोसायटी, एम-186, मंगोलपुरी	1997-98	27,000.00
कन्ज्यूमर कॉआर्डिनेशन अर्पाटमेंट्स, शहीद जीत सिंह मार्ग	1997-98	1,57,160.00
सोसायटी फॉर सिविक राइट्स जे-13, प्रसाद नगर	1997-98	2,35,000.00
वॉलंटरी आर्गेनाईजेशन इन इंटरेस्ट ऑफ कंजयूमर्स एजुकेशन, बीओ-71, (बेसमेन्ट)	1997-98	5,00,000.00
गुजरात		
कन्ज्यूमर प्रोटेक्शन एजुकेशन एण्ड रिसर्च सेन्टर, 10, अरिहन्त चैम्बर्स, जमादार स्ट्रीट भावनगर	1998-99	2,35,000.00
कन्ज्यूमर एजुकेशन एण्ड रिचर्स सेन्टर, सुरक्षा शंकुल, थलतेज, अहमदाबाद-380054	1998-99	4,20,000.00
जागृत ग्राहक, दीपक चैम्बर्स नवाबबाडा रावपुर, बड़ौदरा-390001 (गुजरात)	1998-99	36,000.00
हरियाणा		
आदर्श सरस्वती शिक्षा समिति, ककरोई रोड, सोनीपत (हरियाणा)	1999-2000	31,500.00
हरियाणा लोक कल्याण शिक्षा समिति, ब्लू जे रोड, समालखा, जिला-पानीपत, हरियाणा	1999-2000	31,500.00
हिमाचल प्रदेश		
सोशल एक्शन फॉर रूरल डेवलपमेंट ऑफ हिली एरियास (सरधा), ग्राम-[illegible], जिला-सिरमौर	1997-98	33,300.00
कर्नाटक		
कर्नाटक स्टेट फैडरेशन ऑफ कन्ज्यूमर आर्गेनाइजेशन, 93, नौवीं क्राम, प्रथम स्टेज		20,250.00
हरिहर ग्रामीणविभरुचि संघ, एटी-सिदागनहल्ली, पो०-रमापटना		13,500.00
मैसूर डिस्ट्रिक्ट फेडरेशन ऑफ कन्ज्यूमर आर्गेनाइजेशन 1183/3, नारायण शास्त्री रोड, देवराज मोहल्ला		18,000.00
रेनुका महिला समाज, मरिकम्बा टेम्पल के समीप वेदावति न हिरियुर टाऊन	1997-98	36,000.00
सोशल एक्शन फॉर दि रूरल डेवलपमेंट आर्गेनाइजेशन (एसएआडी), एल-1, 322/ए, पांचवां क्रास, शारदा देवी नगर	1997-98	36,000.00
केरल		
केरल कन्ज्यूमर वेलफेयर फेडरेशन, डोर नं. एक्स०एक्स०वी०आई०/519 (1211 न्यू), बेवरा	1997-98	27,000.00

1	2	3
नेशनल सर्विस सोसायटी ऑफ इण्डिया, बिल्डिंग नं. 711/आईवी/एनपी कदाविल् बिल० पो०-चिंगावनम	*1997-98*	*27,000.00*
अलाथुर तालुक कन्ज्यूमर्स प्रोटेक्शन फोरम, ज्योति भवन अलाथुर पोस्ट, पालाकड-678541	1997-98	27,000.00
मध्य प्रदेश		
उत्थानम समिति, 16, सिंधि कालोनी, लश्कर, ग्वालियर	1997-98	31,500.00
अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण संस्थान, हाऊस ऑफ श्री मुकेश अग्रवाल, दुर्ग अग्रवाल एस टी डी के समीप, किर्की मोहल्ला	1997-98	27,000.00
श्री बल्लभ शिक्षा प्रसार समिति, तिवारी भवन, तुलसी कालोनी, मुरैना	1997-98	36,000.00
जय प्रकाश मैमोरियल सैन्टर, 11/89, जिला-बस्तर, किरान्डुल-494556	1999-2000	27,000.00
महाराष्ट्र		
सत्यशोधक महिला विकास मण्डल, एन-9, के-79/4, हुडको, पवन नगर, न्यू औरंगाबाद	1998-99	45,000.00
बहुजन एजुकेशन सोसायटी, तेमभारी, तेमभन, पो.-सिली, तहसील-कुही, जिला-नागपुर-441202	1999-2000	18,000.00
मणिपुर		
ग्रीनलैण्ड डेवलपमेंट आर्गेनाइजेशन, सागलबन्द टैरा सपमा लिरक, टायर रोड़, इम्फाल	1997-98	58,500.00
इन्टिग्रेटिड रूरल डवलपमेंट एजेंसी, हन्गुअल, बी०पी०ओ० सन्येल, पो. ओ.-मयंग इम्फाल	1997-98	67,500.00
दि चिंगामाथक निमीराकपम माखा लेखाई डेवलपमेंट सैन्टर, चिंगामाथक	1997-98	72,000.00
नेशनल एसोसिएशन ऑफ फिशरमैन, मणिपुर स्टेट यूनिट एसेम्बली रोड	1997-98	45,000.00
रुरल डेवलपमेंट वूमेन आर्गेनाइजेशन, वांगबल, पो०-थोबल	1997-98	33,300.00
नागालैण्ड		
क्विगी केमेहाइ जी (कन्ज्यूमर वेलफेयर आर्गेनाइजेशन) तिसेमिन्यू, जिला-कोहिमा, बॉक्स नं०-197, नागालैण्ड-797001	1999-2000	27,000.00
उड़ीसा		
कन्ज्यूमर गाइडेन्स एण्ड प्रोटेक्शन फोरम, एफ/31 एलआईसी कालोनी, राजाबगीचा, बालासोर	1997-98	18,000.00
नेचुरल इन्स्टिट्यूट फॉर सोशल वेलफेयर, पो०-कलियापानी, जिला-जाजपुर	1997-98	36,000.00
पीपुल्स रूरल रिकन्स्ट्रक्शन इस्टिट्यूट फॉर यूथ एक्शन (पीआरआरआईवाईए), सानाकुमारी, पो०-बरताना	1997-98	27,000.00
राऊरकेला कन्ज्यूमर्स फ्रन्ट, ए-256, सैक्टर-7, राऊरकेला	1997-98	81,000.00
नीलकण्ठेश्वर क्लब, तिगिरिया जोराकनी पो०	1997-98	45,000.00
जटिया सेवा प्रतिष्ठान, श्री रामजी भवन, टेम्पल स्ट्रीट, बारीपडा, मयूरभंज	1997-98	45,000.00
मदर टैरेसा लेडीज मिशन, ग्रा व पो०-चिरुली महिमागढ़ी वाया जिला धेनकनाल	1997-98	27,000.00

1	2	3
नीलाचल सेवा प्रतिष्ठान, दयाविहार (कानस) जिला-पुरी	1997-98	31,500.00
उड़ीसा कन्ज्यूमर्स एसोसिएशन, विश्वनाथ लेन, कटक	1997-98	49,500.00
रिसर्च अकादमी फॉर रूरल इनारिचमेंट (आरएआरई) पो०/जिला-सोनीपुर	1997-98	27,000.00
जागृत युवा ज्योति क्लब (जेवाईजेसी), कान्तामल, पो० - उत्केला	1997-98	40,500.00
रत्नाकर रूरल एण्ड अरबन विकास इन्स्टिट्यूट, एटी० काबरा, पो० - काबरा माधपुर, वाया महिमागंज	1998-99	27,000.00
राधाकृष्ण क्लब, एटी सन बाजार, जिला एण्ड पो० जगतसिंहपुर	1998-99	36,000.00
सिटीजन्स एसोसिएशन फॉर रूरल डेवल०, बेहरामपुर	1998-99	27,000.00
जीवन रेखा परिषद्, एन 1/78, आईआरसी, ग्राम - नयापल्ली	1998-99	35,100.00
कन्ज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, सी/66, सैक्टर-2, राऊरकेला-769000	1999-2000	2,35,000.00
उड़ीसा कन्ज्यूमर्स एसोसिएशन, (पूर्व सदस्य सीसीपीसी) विश्वनाथ लेन, कटक-753002	1999-2000	45,000.00
नेशनल काउंसिल ऑफ चाइल्ड एण्ड रूरल टेक्नोलॉजी, रेंधागढ़, पी०ओ०-गोरुअल, जिला-पुरी-752002	1999-2000	22,500.00
प्रोजेक्ट स्वराज्य, मोती भवन, केशरपुर रोड, बक्शीबाजार, कटक-753001	1999-2000	31,500.00
मौसमी सोशल एण्ड चेरिटेबल आर्गेनाइजेशन, प्लाट नं०-3456, पलासुनी, रसूलगढ़, भुवनेश्वर,-751010	1999-2000	30,600.00
नव ज्योति क्लब, एटी. माधपुर, पो०-काबरा, माधपुर, जिला-धेनकनाल	1999-2000	18,000.00
पंजाब		
सोशल वर्क एण्ड रूरल डेवलपमेंट सेन्टर ग्रा० व पो०-नूरपुर बेदी, जिला-रोपड़	1997-1998	31,500.00
राजस्थान		
बांसवाड़ा सहकारी उपभोक्ता थोक भण्डार लि०, जिला-बांसवाड़ा	1997-98	67,500.00
निराश्रित महिला बाल विकास ग्रामोद्योग शिक्षा समिति, पाईबाग, भरतपुर	1997-98	27,000.00
प्राचीन कठपुतली कला संस्थान, बी-22, इन्द्रपुरी लालकोठी, योजना, जयपुर	1997-98	36,000.00
गांधी युवा मण्डल, बजमान, बडौद, तह.-गंगापुर सिटी	1998-99	27,000.00
कन्ज्यूमर यूनिटी एण्ड ट्रस्ट सोसायटी, 7-ए, जमनालाल बजाज मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर	1998-99	2,35,000.00
अजमेर जिला ग्रामीण उपभोक्ता संस्थान, मसूद, जिला - अजमेर	1999-2000	22,500.00
तमिलनाडु		
भारती इन्टिग्रेटिड रूरल डेवलपमेंट सोसायटी, अम्मापलयम, ग्रा० व पो०-ओन्नुपुरम, अर्नी तालुक	1997-98	27,000.00
सेन्टर फॉर इन्टिग्रेटिड सोशल एक्शन, 23-ओल्ड पप्पूराजा लाइन, इडामल स्ट्रीट, थेनी-625531	1997-98	45,000.00
सेन्टर फॉर रूरल डेवलपमेंट (सीआरडी), पो०-अप्पीपेट्टी, वाया चिन्नामनुर	1997-98	45,000.00

1	2	3
सेन्टर फॉर रूरल ओप्रेस्ड पीपुल (सीआरओपी), नं०-7, ग्राउण्ड स्ट्रीट, चिन्ना अल्लापुरम, वेल्लोर	1997-98	27,000.00
चेतन विकास, पारथीभनुर, जिला-रामनाड	1997-98	63,000.00
कम्युनिटी एक्शन फॉर विलेज इम्प्रूवमेंट, 62 ईस्ट पलायम, पट्टूकोटाई, तन्जौर	1997-98	36,450.00
डा० (सुश्री) सी०एम०ई० मैथ्यूज मैमोरियल डेवलपमेंट एसोसिएशन, 2/95, कोल्लाईमट्टू स्ट्रीट, कटेचेरीमंगलम	1997-98	40,500.00
फेडरेशन ऑफ कन्ज्यूमर आर्गेनाइजेशन (एफईडीसीओटी) 115/2, कामराज एवेन्यू, दूसरी स्ट्रीट, अडयार	1997.98	2,25,000.00
ज्ञानगुरू वेलफेयर एसोसिएशन, 65-ए खानपलायम, प्रथम स्ट्रीट, मादुरी	1997-98	45,000.00
गोकुल एजुकेशन एण्ड एम्पलायमेंट ट्रेनिंग सोसायटी (जीईईटीएम), नं०-5/डी ब्लॉक, पेंशनर्स लाइन	1997-98	63,000.00
नेहरू सोशल एजुकेशन सेन्टर, अय्याकरनपुलम-2, पो०-सेठी, वेदरानियम तालुक	1997-98	45,900.00
सोसाइटी फॉर एजुकेशन एण्ड इकॉनोमिक डेवलपमेंट (एसईईडी) मेलपाडुर ग्रा० व पो० चेनगाम तालुक, तिरूवन्नामलई	1997-98	36,000.00
तमिलनाडु कन्ज्यूमर प्रोटेक्शन सेन्टर, नवजीवन मेन्सन, नार्थ गेट, एस०एस० कालोनी, मदुरै	1997-98	36,000.00
विलेज प्रोग्रेस वेलफेयर सेन्टर, कुप्पम, ग्राम व पो०-कन्नामंगल, पोलुर तालुक	1997-98	22,500.00
नेशनल मदर एण्ड चाइल्ड वेलफेयर आर्गेनाइजेशन, 56, ओल्ड सेन्डीपेटाई स्ट्रीट, तिरूतुरईपुन्डी	1998-99	36,000.00
एम०एम०एन० कन्ज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, 115/2, कामराज एवेन्यू, अडयार, मद्रास	1998-99	2,35,000.00
उत्तर प्रदेश		
भारत ग्राम उद्योग विकास संस्थान, ग्रा० नीलि खेडी, पो० दिदौली	1997-98	22,500.00
भारत ज्योति 46, डायमन्ड डेयरी कबीर मार्ग	1997-98	36,000.00
कॉस्मिक सोसायटी फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एण्ड रिसर्च, 67, बालीपुर, कटरा रोड, प्रतापगढ़	1997-98	27,000.00
ग्रामीण शिक्षा एवम प्रौद्योगिकी विकास संस्थान, एल-33, इन्दिरा नगर, रायबरेली	1997-98	27,000.00
ग्रामीण युवा एवम बाल विकास परिषद कासरव, ग्रा० सेमरमनपुर, पो० फतेहपुर	1997-98	22,500.00
ग्रामीण उद्योग सेवा समिति, तुलसी कालोनी, कंकड़ खेड़ा, सरदाना रोड	1997-98	49,500.00
ग्रामीण युवा विकास समिति, ग्राम उमरगहना, पो० मालवा	1997-98	27,000.00
हिमालयन ग्रामोद्योग विकास संस्थान, जी०बी० हास्पिटल रोड बाया क्लिकतोरा पिथौरागढ़-262501	1997-98	36,000.00
जन सेवा समिति, कुटिल्य सोनदेइ, प्रतापगढ़	1997-98	36,000.00
जनप्रिय सेवा संस्थान, 198, पलटन बाजार, प्रतापगढ़	1997-98	28,800.00
लोकोद्योग सेवा संस्थान, पो०-सिकरौरा	1997-98	27,000.00
महिला जागृति समिति, बहजोई, मुरादाबाद	1997-98	43,200.00

1	2	3
पीपुल्स सोसायटी ऑफ सोशियो-इकॉनोमिक डेवलपमेंट, 266/162, सरलाकुंज, नई बस्ती बधेवान	1997-98	27,000.00
पूर्वांचल नगर एवम ग्राम्य विकास संस्थान, 519, छोटे काजीपुर, गोरखपुर	1997-98	45,000.00
सेवा कुल शिक्षण संस्थान, जट मलपुर, पो० परपटी देवरिया	1997-98	40,500.00
स्वामी सन्त दास मानव कल्याण समिति, बहराइच, ग्रा० पंचमई, पो० एण्ड जिला-फतेहपुर	1997-98	22,500.00
विश्व भारतीय समाजोत्थान संस्थान, 178, मुन्शी पूर्वा, डी-ब्लॉक, इन्दिरा नगर	1997-98	36,000.00
अभिलाषा, 77ई, बक्शी कला, दारागन्ज	1998-99	45,000.00
अमित शिक्षण संस्थान, ग्रा० व पो० महनाजगंज आजमगढ़	1998-99	18,000.00
भारतीय ग्राम विकास परिषद, ग्रा० व पो० सोन्ख	1998-99	31,500.00
भूतपूर्व सैनिक संस्था, ग्रा० कुमराला, पो० - गजरौला	1998-99	18,000.00
ग्रामीण शिक्षा एवम प्रौद्योगिकी विकास संस्थान, एल-33, इन्दिरा नगर, रायबरेली	1998-99	18,000.00
माया सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण संस्थान, ग्रा० व पो० अब्दुलई, गुन्नौर	1998-99	36,000.00
शिक्षा एवम जन कल्याण समिति, रानीपुर, पो० भरसार (शहजनवा)	1998-99	22,500.00
शिवम उद्योग शक्ति संस्थान, ग्राम फतेपुर, पो० अनूपशहर	1998-99	34,200.00
अवध ग्रामीण विकास संस्थान, ग्रा० व पो० धम्मौर, जिला-सुल्तानपुर	1999-2000	22,500.00
भारतीय उपभोक्ता संरक्षण समिति एल-124, सैक्टर-11, नोएडा, जिला-गौतम बुद्ध विहार	1999-2000	25,500.00
ग्राम विकास सेवा संस्थान, ग्रा० मन्नीपुर, पो० गोलाबाजार, गोरखपुर	1999-2000	22,500.00
इन्स्टिट्यूट फॉर सोशियो-कल्चरल एण्ड रूरल डेवलपमेंट 32, नरेन्द्र नगर, उन्नाव	1999-2000	27,000.00
जनता सेवा समिति, ग्रा० पाकरदर, पो० महामन, जिला बस्ती	1999-2000	31,500.00
कल्याण शिक्षा सेवा संस्थान, चौदहमील, पो० धुरवरा, जिला - रायबरेली	1999-2000	22,500.00
स्वर्गीय रामरख पाण्डे, जनहितकारी केन्द्र, ग्रा०-पो० मलूकबाडी, फतेहपुर-212658	1999-2000	22,500.00
महिला मण्डल सेवा संस्थान, 476, राम जानकी नगर विवेकानन्द स्कूल के समीप, बसरातपुर, गोरखपुर (उ०प्र०)	1999-2000	18,000.00
मनीषी बाल विद्या मन्दिर समिति, 402/1, शर्मा सदन, राजकालोनी, जौनपुर	1999-2000	27,000.00
रसूलपुर लतीफ नगर, परोपकारी संस्था, ग्रा० रसूलपुर, पो० भटगांव, जिला-लखनऊ	1999-2000	22,500.00
संग्राम समाई सेवा संस्थान, ग्रा० व पो० - बेटाबर कलां, जिला-गाजीपुर	1999-2000	22,500.00
शार्प डेवलपमेंट, एल-124, सैक्टर-XI, नोएडा-201301	1999-2000	27,000.00
पश्चिम बंगाल		
चिंगुरदनिया विवेकानन्द चिंगुरूदनिया, ग्रा० व पो० मिदनापुर जिला	1997-1998	38,700.00
फैडरेशन ऑफ कन्ज्यूमर एसोसिएशन पश्चिम बंगाल, 39, शेक्सपीयर सरानी, कलकत्ता	1997-1998	49,500.00
तरुण संघ, ग्रा० फकीरेहक, पो० बाराबारी	1998-1999	45,000.00
बाराछिरा मित्र संघ, ग्रा० बाराछिरा, पो० रनकिनीपुर, जिला-मिदनापुर-721659	1999-2000	22,500.00

1	2	3
फेडरेशन ऑफ कन्ज्यूमर एसोसिएशन, पश्चिम बंगाल, 39, शेक्सपीयर सरानी, कलकत्ता-700017	1999-2000	1,90,000.00
फेडरेशन ऑफ कन्ज्यूमर एसोसिएशन, पश्चिम बंगाल, 39, शेक्सपीयर सरानी, कलकत्ता-700017	1999-2000	4,41,000.00
फेडरेशन ऑफ कन्ज्यूमर एसोसिएशन, पश्चिम बंगाल, 39, शेक्सपीयर सरानी, कलकत्ता-700017	1999-2000	4,00,000.00

रक्षा बजट का उपयोग न किया जाना

*658. **डा० मन्दा जगन्नाथ :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हथियारों, गोला-बारूद और कतिपय उपस्करों के आधुनिकीकरण/उन्नयन संबंधी मांगों के लंबित पड़े रहने के बावजूद सेना वर्ष 1999-2000 के लिए निर्धारित 1000 करोड़ रुपए के बजट का उपयोग नहीं कर पायी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) रक्षा उपस्करों की खरीद में कार्यविधि संबंधी विलंब को दूर करने हेतु क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) वर्ष 1999-2000 के लिए अंतिम लेखे तैयार किए जाने में अभी समय है। तथापि, किए जा रहे व्यय से संबंधित प्रारंभिक आंकड़ों से यह पता चलता है कि सेना बजट के उपयोग में लगभग 1000/- करोड़ रुपए की कमी नहीं आई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा

*659. **श्री एस०डी०एन०आर० चाडियार :** क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए क्या कार्य योजना बनाई गई है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) सांस्कृतिक पर्यटन के विभिन्न पहलुओं यथा - तीर्थ पर्यटन, हस्तशिल्प, विरासत स्थल और स्मारक, आयुर्वेद, योग, कला और शिल्प, मेले तथा उत्सव, विभिन्न संगीत एवं नृत्य, व्यंजन आदि का संवर्धन पर्यटन मंत्रालय के सतत् क्रियाकलाप हैं।

(ग) (i) विदेशी बाजार में सांस्कृतिक पर्यटन के उपर्युक्त पहलुओं पर बल देते हुए विदेश स्थित 18 पर्यटक कार्यालयों के माध्यम से सांस्कृतिक पर्यटन का संवर्धन।

(ii) भारतीय संस्कृति को प्रतिष्ठापित करने के लिए ट्रैवल एजेंटों/टूर आपरेटरों/टी०वी० टीमों/ट्रैवल लेखकों/निर्णयकर्ताओं एवं विचारकों के लिए फेम टूर का आयोजन।

(iii) विभिन्न मेलों और उत्सवों के आयोजन के लिए राज्य सरकार को केन्द्रीय वित्तीय सहायता देना।

(iv) व्यंजन/स्मारक/नृत्य एवं संगीत/मेले और उत्सव, योग, आयुर्वेद आदि पर ब्रोशर/सूचना पुस्तिका का प्रकाशन।

[हिन्दी]

विमानन क्षमता में गिरावट

*660. **अब्दुल रशीद शाहीन :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विमानन क्षमता में गिरावट और यात्रियों की अपर्याप्त संख्या की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) जी, हां। घरेलू विमान परिवहन सैक्टर में कुल उपलब्ध क्षमता और रूझानों का विश्लेषण किया गया है। इस आंकड़े के आधार पर विभिन्न प्रचालकों के विमान बेड़े में वृद्धि करने की योजनाएं और क्षमता लगाने को अनुमोदित किया गया है ताकि विमानन क्षेत्र में अत्यधिक क्षमता तथा परिणामस्वरूप रुग्णता को दूर किया जा सके।

[अनुवाद]

परती भूमि

6960. **श्री निखिलानंद सर:** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पूर्व रेलवे के बर्धमान जिला प्राधिकरण से आसनसोल और दुर्गापुर उपखंडों में परती भूमि के विकास के संबंध में परियोजना रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो इस रिपोर्ट की विषय सूची का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस परियोजना रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) से (ग) जी, हां। जिला आयोजना समिति, बर्धमान द्वारा तैयार किया गया एक परियोजना प्रस्ताव, पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार, कलकत्ता के माध्यम से इस विभाग में दिसम्बर, 1998 में प्राप्त हुआ था। इस परियोजना प्रस्ताव में आसनसोल और दुर्गापुर के उप मंडलों में 7507.05 लाख रुपये की कुल लागत पर वर्ष 1999 से लेकर 2000 तक 10 वर्षों की अवधि में 1,87,090 हैक्टेयर बंजरभूमि को विकसित करने की परिकल्पना की गई थी। इस विभाग में इस प्रस्ताव की जांच की गई थी और यह पाया गया था कि प्रस्ताव को वाटरशेड विकास के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार तैयार नहीं किया गया है। अत: इस प्रस्ताव को जनवरी, 1999 में राज्य सरकार को इस अनुरोध के साथ वापस भेज दिया गया था कि प्रस्ताव को समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना स्कीम के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार पुन: तैयार किया जाए। संशोधित परियोजना प्रस्ताव अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

एअर इंडिया के अधिकारियों के विरुद्ध जांच

6961. श्री सुबोध राय : क्या नगर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंधिया हाउस/आत्माराम प्रॉपर्टीज घोटाले में दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेशानुसार सरकार के सचिवों की समिति द्वारा जांच कराई गई और उसने एअर इंडिया के उप-महानिदेशक, सतर्कता के निष्कर्षों की पुष्टि की;

(ख) यदि हां, तो इस घोटाले में दोषी पाए गए अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई;

(ग) क्या इस मामले में निर्दिष्ट कुछ अधिकारियों को तदुपरांत प्रोन्नति/विदेशों में तैनाती से पुरस्कृत किया गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या गलतियों के लिए दोषी पाए गए एक अधिकारी को बाद में सेवानिवृत्त होने पर परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया गया और वह अभी भी कार्यरत है; और

(ङ) यदि हां, तो इस मामले में एअर इंडिया को कितना घाटा हुआ ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) काफी संख्या में वे अधिकारी जिनके विरुद्ध आरोप लगाए गए थे, सेवा निवृत्त हो गए हैं। एअर इंडिया ने सेवा-रत एक अधिकारी के विरुद्ध 2.3.98 को विभागीय कार्यवाही आरंभ कर दी थी। इस अधिकारी को एक वर्ष के लिए, सिंगापुर में तैनात कर दिया गया है।

(घ) एअर इंडिया के एक सेवा निवृत्त कर्मचारी जिसका नाम आत्माराम मैंशन (पूर्व सिंधिया हाउस) के मामले में एअर इंडिया के मुख्य सतर्कता अधिकारी की दिनांक 21.12.98 की रिपोर्ट में दिया गया था जो कुछ आरोपित चूकों के संबंध में थी, को अक्तूबर, 1987 से एअर इंडिया में परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया गया था। 15.4.2000 को उनकी सेवा समाप्त कर दी गई थी।

(ङ) आत्माराम मैंशन के परिसर उपयोग न करने के परिणामस्वरूप एअर इंडिया का 313.95 लाख रुपए व्यय हुआ है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को कृषि योग्य भूमि

6962. श्री रामदास आठवले : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के पास गैर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों से बहुत कम कृषि योग्य भूमि है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्यों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कुछ ही समुदाय कृषि योग्य भूमि के मालिक बन पाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को कृषि योग्य भूमि देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) और (ख) कृषि संबंधी गणना 1990-91 से उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्यों के पास कृषि के अंतर्गत कुल क्षेत्र में से क्रमश: 325.43 लाख एकड़ (13.17 मिलियन हैक्टेयर), 442.56 लाख एकड़ (17.91 मिलियन हैक्टेयर) और 3321.52 लाख एकड़ (134.42 मिलियन हैक्टेयर) क्षेत्र था। यह अनुमान लगाया जाता है कि इन कृषि के अंतर्गत क्षेत्रों में से 12.84 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र अनुसूचित जातियों के स्वामित्व में था और 17.37 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र अनुसूचित जनजातियों के स्वामित्व में था। 1991 के दौरान कृषि के अंतर्गत कुल क्षेत्र में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्यों का भाग क्रमश: 8.0 प्रतिशत, 10.8 प्रतिशत और 81.2 प्रतिशत था। 1991 की जनगणना के अनुसार (जम्मू और कश्मीर को छोड़कर) देश की कुल जनसंख्या में से अनुसूचित जातियों की जनसंख्या 16.48 प्रतिशत थी और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 8.08 प्रतिशत थी। बाद में की गई कृषि संबंधी गणनाओं के आंकड़ों से पता चलता है कि कृषि के तहत कुल क्षेत्र में अनुसूचित जातियों के किसानों का भाग जो 1980-81 में 7 प्रतिशत था, 1990-91 में बढ़कर 8 प्रतिशत हो गया। इसी अवधि के दौरान अनुसूचित जनजातियों के किसानों का भाग 10.2 प्रतिशत से बढ़कर 10.8 प्रतिशत हो गया था। राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) केन्द्र सरकार द्वारा समुदाय-वार सूचना नहीं रखी जाती है।

(ङ) कृषि जोतों की अधिकतम सीमा निर्धारित करके सरकार द्वारा अर्जित की गई भूमि, सरकारी बंजरभूमि तथा भूदान भूमि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों सहित ग्रामीण गरीबों को वितरित की जाती है। इस कार्यक्रम को आरंभ किए जाने की तारीख से 52.68 लाख एकड़ भूमि अधिकतम सीमा से फालतू भूमि के तहत, 147.47 लाख एकड़ सरकारी बंजरभूमि और 21.75 लाख हैक्टेयर भूदान भूमि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों सहित ग्रामीण गरीबों में वितरित की गई है। ग्रामीण गरीबों को वितरित की गई अधिकतम सीमा से फालतू भूमि का लगभग 50 प्रतिशत भाग अनुसूचित जातियों को 36 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियों को 14 प्रतिशत के अनुपात में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को आबंटित किया गया है।

विवरण

कृषि के तहत क्षेत्र का राज्य-वार विवरण — 1990-91

(क्षेत्र हजार हैक्टेयर में)

क्रम सं०	राज्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य	सभी सामाजिक समूह
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	1082	1045	12333	14460
		(7.48)	(7.23)	(85.29)	(100.00)
2.	अरूणाचल प्रदेश	0	344	6	350
		(0.00)	(98.29)	(1.71)	(100.00)
3.	असम	131	458	2616	3205
		(4.09)	(14.29)	(81.62)	(100.00)
4.	बिहार	645	1745	8353	10743
		(6.00)	(16.24)	(77.75)	(100.00)
5.	गोवा	नगण्य	0	67	67
		(0.71)	(0 00)	(99.29)	(100.00)
6.	गुजरात	333	941	9018	10292
		(3.24)	(9.14)	(87.62)	(100.00)
7.	हरियाणा	76	0	3635	3711
		(2.05)	(0.00)	(97.95)	(100.00)
8.	हिमाचल प्रदेश	138	40	832	1010
		(13.66)	(3.96)	(82.38)	(100.00)
9.	जम्मू और कश्मीर	80	135	799	1014
		(7.89)	(13.31)	(78.80)	(100.00)
10.	कर्नाटक	995	614	10712	12321
		(8.08)	(4.98)	(86.94)	(100.00)
11.	केरल	51	33	1712	1796
		(2.84)	(1.84)	(95.32)	(100.00)
12.	मध्य प्रदेश	1796	5565	14750	22111
		(8.12)	(25.17)	(66.71)	(100.00)
13.	महाराष्ट्र	1262	1532	18131	20925
		(6.03)	(7.32)	(86.65)	(100.00)

1	2	3	4	5	6
14.	मणिपुर	5 (2.86)	77 (44.00)	93 (53.14)	175 (100.00)
15.	मेघालय	0 (0.00)	302 (100.00)	0 (0.00)	302 (100.00)
16.	मिजोरम	0 (0.00)	84 (100.00)	0 (0.00)	84 (100.00)
17.	नागालैंड	0 (0.00)	968 (100.00)	0 (0.00)	968 (100.00)
18.	उड़ीसा	454 (8.57)	1520 (28.70)	3322 (62.73)	5296 (100.00)
19.	पंजाब	95 (2.36)	0 (0.00)	3938 (97.64)	4033 (100.00)
20.	राजस्थान	2464 (11.75)	1759 (8.39)	16748 (79.87)	20971 (100.00)
21.	सिक्किम	2 (1.80)	48 (43.24)	61 (54.95)	11 (100.00)
22.	तमिलनाडु	534 (7.14)	87 (1.16)	6853 (91.69)	7474 (100.00)
23.	त्रिपुरा	31 (10.06)	138 (44.81)	139 (45.13)	308 (100.00)
24.	उत्तर प्रदेश	1885 (10.48)	57 (0.32)	16044 (89.20)	17986 (100.00)
25.	पश्चिम बंगाल	1114 (19.70)	397 (7.02)	4145 (73.29)	5656 (100.00)
26.	संघ राज क्षेत्र	2 (1.43)	21 (15.00)	117 (83.57)	140 (100.00)
	समग्र भारत	13173 (7.96)	17908 (10.82)	134426 (81.22)	165507 (100.00)

टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े प्रतिशतता के हैं।

रेलवे को निगम में परिवर्तित करना

6963. श्री महबूब जहेदी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उद्योग परिसंघ (सी०आई०आई०) ने भारतीय रेलवे को निगम में परिवर्तित करने का सुझाव दिया है;

(ख) क्या सी०आई०आई० ने सरकार को रेल सेवाओं के वाणिज्यिकीकरण करने के प्रथम कदम के रूप में यात्री किराए को बढ़ाने और यात्री किराए तथा मालभाड़े को एक समान करने का सुझाव दिया है; और

(ग) यदि हां, तो इस दिशा में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) 14.1.2000 को दिल्ली में भारतीय उद्योग संघ (सी०आई०आई०) ने रेलवे बजट 2000-01 बजट पूर्व प्रस्तावों के

संबंध में एक राष्ट्रीय सम्मेलन का प्रयोजन किया था। इस सम्मेलन के पृष्ठभूमि प्रलेख में दरों तथा किरायों को युक्तिसंगत बनाने तथा यात्री किरायों का मालभाड़ा के साथ क्रॉस सब्सीडाइजेशन के रुख के प्रतिकूलन के बारे में सुझाव शामिल थे। एक सरकारी संगठन होने के नाते भारतीय रेलों का यात्री और कतिपय पण्यों की लागत से कम दर पर ढुलाई तथा कठिन, अगम्य, अलाभप्रद, गैर अर्थक्षम मार्गों पर सेवाओं को चलाए रखने जैसे कतिपय जन सेवा दायित्वों को पूरा करने का उत्तरदायित्व है। एक वाणिज्यिक उद्यम के रूप में अपनी अर्थक्षमता सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त आमदनी भी करनी है। सेवाओं का मूल्य निर्धारित करने से पहले इन सभी पहलुओं पर ध्यान देने के लिए रेल मंत्रालय में नियमित तंत्र मौजूद हैं।

मणिपुर में नागर विमानन संबंधी कार्य

6964. श्री होलखोमांग हौकिप : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौवीं योजना के दौरान मणिपुर राज्य में विमानपत्तनों पर नागर विमानन के विकास संबंधी कार्यों के लिए कार्यान्वित की जाने वाली योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार द्वारा इसके लिए योजनावार कितनी धनराशि दी गई है तथा इसे पूरा करने हेतु क्या समय-सीमा निर्धारित है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) मणिपुर का इम्फाल विमानपत्तन भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण (भा०वि०प्रा०) का है। नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यान्वित किए जाने वाले कार्य के ब्यौरे निम्नवत् हैं :—

(i) 2.53 करोड़ रुपये की लागत से तकनीकी खंड और नियंत्रण टावर के निर्माण से संबंधित कार्य प्रगति पर है और अक्टूबर, 2000 में इसके पूरा होने की संभावना है।

(ii) 1.76 करोड़ रुपये की लागत से परिधि मार्ग के निर्माण का कार्य समाप्त होने वाला है।

(iii) 12.40 करोड़ रुपये की लागत से एप्रन लिंक टैक्सी पथ और आइसोलेशन बे के निर्माण तथा धावनपथ के पुन:- *सतहलेपन और सुदृढ़ीकरण से संबंधित कार्य शुरू करने की योजनाएं हैं। इसके समापन का समय कार्य आरंभ होने की तारीख से 24 महीने है।*

सरकार भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को 40% बजटीय सहायता दे रही है।

महाराष्ट्र में ऐतिहासिक स्मारक

6965. श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र के विभिन्न भागों में स्थानवार कुल कितने ऐतिहासिक स्मारक हैं;

(ख) इनमें से कितने स्मारक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की देखरेख में हैं;

(ग) इन स्मारकों के रख-रखाव के लिए सरकार द्वारा कितनी धनराशि मुहैया करायी गयी है; और

(घ) महाराष्ट्र की ओर से चालू वर्ष के दौरान राज्य के अन्य ऐतिहासिक स्मारकों को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की देखरेख में लेने संबंधी कितने नये प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) और (ख) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित, महाराष्ट्र में, 285 स्मारक हैं। इन स्मारकों के नाम तथा स्थान संसदीय पुस्तकालय में उपलब्ध हैं। महाराष्ट्र सरकार द्वारा संरक्षित 263 स्मारक हैं। इनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने वर्ष 2000-2001 के लिए महाराष्ट्र को स्मारकों के संरक्षण के लिए 1,38,00,000/-रुपये आबंटित किए हैं।

(घ) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को महाराष्ट्र में अपने क्षेत्रीय कार्यालय से संरक्षण के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

विवरण

राज्य सरकार (महाराष्ट्र राज्य) की संरक्षित स्मारकों की सूची

(मन्दिर)

क्रम सं०	नाम	स्थान	ताल्लुका	जिला
1	2	3	4	5
1.	अम्बा मंदिर	अम्बागांव	भोकरधान	औरंगाबाद
2.	घुश्नेश्वरा मंदिर	एलौरा	खुलताबाद	औरंगाबाद
3.	जामखेड़ महादेव मंदिर	जामखेड़	अम्बद	औरंगाबाद

1	2	3	4	5
4.	जम्बूबंद मंदिर	जामखेड़	अम्बद	औरंगाबाद
5.	कनकालेश्वर मंदिर	बीड	बीड	बीड
6.	खाडेश्वरी मंदिर	-वही-	-वही-	-वही-
7.	महादेव मंदिर	पटोडा	पटोडा	-वही-
8.	अम्लेश्वर मंदिर	अम्बेजोगी	अम्बेजोगी	-वही-
9.	खोलेश्वर मंदिर	-वही-	-वही-	-वही-
10.	महादेव मंदिर	हडगांव	हडगांव	नांदेद
11.	रेणुका देवी मंदिर	माहुर	किनवट	नांदेद
12.	अंकलेश्वर महादेव मंदिर	अंगदेव	किनवट	नांदेद
13.	त्रिविक्रम मंदिर	तेर	उस्मानाबाद	उस्मानाबाद
14.	महादेव मंदिर	मानकेश्वरा	परान्दा	-वही-
15.	भवानी मंदिर	तुल्जापुर	तुल्जापुर	-वही-
16.	हिन्दू मंदिर व शिलालेख	मुरुप	मुरुप	-वही-
17.	पंच पांडव मंदिर	हरदेश्वरा	परभनी	परभनी
18.	महादेव मंदिर	-वही-	परभनी	-वही-
19.	महादेव मंदिर	कशीकुंड	-वही-	-वही-
20.	हिन्दू मंदिर	अरालधेश्वर	बसमत	-वही-
21.	हनुमान मंदिर	वोरवाड	जिंतूर	-वही-
22.	हनुमान मंदिर	भोगांव	-वही-	-वही-
23.	हनुमान मंदिर	भीती	-वही-	-वही-
24.	हनुमान मंदिर	वीनी	-वही-	-वही-
25.	हनुमान मंदिर	चरवातुला	-वही-	-वही-
26.	नरसिम्हा महादेव	चारथाने	-वही-	-वही-
27.	गणपति मंदिर	-वही-	-वही-	-वही-
28.	गोकुलेश्वर मंदिर	-वही-	-वही-	-वही-
29.	खुरचे अले मंदिर	-वही-	-वही-	-वही-
30.	महादेव मंदिर	-वही-	-वही-	-वही-
31.	नागेश्वर मंदिर	-वही-	-वही-	-वही-
32.	तूतरेश्वरा मंदिर	-वही-	-वही-	-वही-
33.	महादेव मंदिर	-वही-	-वही-	-वही-
34.	रेनूविश्वर मंदिर	-वही-	-वही-	-वही-
35.	जैन मंदिर	-वही-	-वही-	-वही-
36.	नागनाथ मंदिर	औंधा	हिंगोली	-वही-
37.	हेमदपंथी मंदिर	वामनी	-वही-	-वही-

1	2	3	4	5
38.	हेमदपंथी मंदिर	वामनी	औंधा	परभनी
39.	मंदिर तथा विहिर	अर्नी	-वही-	-वही-
40.	हेमदपंथी मंदिर	देवलेन	टाटाना	नासिक
41.	महादेव मंदिर	धोधानवे	चांदवाड़	-वही-
42.	मुरलीधर मंदिर तथा	चिंचोंडी	वायोला	-वही-
43.	काशी-विश्वेश्वर मंदिर	संगममाहुली	सतारा	सतारा
44.	मारूति फड़नवीस (महादेव मंदिर)	भरोदा	चंदा	चन्द्रपुर
45.	कलिकादेवी मंदिर	शिरुड	धूले	धूले
46.	हेमदपंथी मंदिर	टॉडापुर	जामनेर	जलगांव
47.	सोमेश्वर मंदिर	राजुरा	राजुरा	चंद्रपुर
48.	रुद्रश्वरा मंदिर	हिंगनघाट	हिंगनघाट	वर्धा
49.	सुन्दरनारायण मंदिर	नासिक	नासिक	नासिक
50.	लक्ष्मी मंदिर	श्रीगोदरे	श्रीगोदरे	अहमदनगर
51.	राधेश्वर	कुम्भी	कोपरगांव	-वही-
52.	खंडोवा मंदिर	सतारा	औरंगाबाद	औरंगाबाद
53.	नागेश्वर मंदिर	रहीमाबाद	सिरलोड	वही
54.	जैन लेनी	चांदवार्ड	चांदवाड	नासिक
55.	क्षेत्रपाल मंदिराचे अवशेष	मनसुपरी	कंधार	नांदेद
56.	हरवा मंदिर	मेथी	सिंदाखेड़	धूले
57.	भवानी मंदिर	मेथी	-वही-	-वही
58.	विष्णु मंदिर	मेथी	-वही-	वही
59.	मुक्तेश्वर मंदिर	सिन्नार	सिन्नार	नासिक
60.	महादेव मंदिर	आरे	कारवीर	कोल्हापुर
61.	केदारेश्वरा महादेव मंदिर	धर्मपुरी	अम्बेजोगे	बीड
62.	दशरथेश्वर मंदिर	मुखेद	मुखेड	नांदेद
63.	नरसिम्हा मंदिर तथा पुरातत्वीय अवशेष	शेलगाव	देगलर	-वही-
64.	महादेव मंदिर	चेओती	विलोली	-वही-
65.	योगनसिम्हा मंदिर	राहेर	-वही-	-वही-
66.	छतरी	अम्बाला (क्र०सं० 2903)	रामटेक	नागपुर
67.	छतरी	अम्बाला (क्र०सं० 2939)	-वही-	-वही-
68.	छतरी	अम्बाला (क्र०सं० 2963)	-वही-	-वही-

1	2	3	4	5
69.	शिव मंदिर	अम्बाला (क्र०सं० 2948)	रामटेक	नागपुर
70.	महादेव मंदिर	अम्बाला (क्र०सं० 2929)	-वही-	वही
71.	हरिहर मंदिर	अम्बाला (क्र०सं० 2887)	-वही-	वही
72.	दत्ता मंदिर	अम्बाला (क्र०सं० 2896)	-वही-	वही
73.	जगन्नाथ मंदिर	अम्बाला (क्र०सं० 2918)	-वही-	-वही-
74.	पंचशिखरी मंदिर	अम्बाला (क्र०सं० 2898)	-वही-	-वही-
75.	शिव मंदिर	अम्बाला (क्र०सं० 2957)	-वही-	-वही-
76.	शिव मंदिर	अम्बाला (क्र०सं० 2936)	-वही-	-वही-
77.	वैजेश्वरा मंदिर	बावी	सिन्नार	नासिक
78.	मुक्तेश्वर मंदिर	सिन्नार	सिन्नार	नासिक
79.	महादेव मंदिर	तुलापुर	हवेली	पुणे
80.	नागेश्वर मंदिर पुणे	सोमवार पंथ पुणे	पुणे	पुणे
81.	कुकादेश्वर मंदिर	मौजपुर	जुन्नार	पुणे
82.	नीलकंठेश्वर मंदिर	सिंधाखेड़ राजा	सिंधाखेड़ राजा	बुलधाना
83.	केवलनरसिम्हा मंदिर	रामटेक	रामटेक	नागपुर
84.	रूद्रनरसिम्हा मंदिर	रामटेक	रामटेक	नागपुर
85.	भोगराम मंदिर	रामटेक	रामटेक	नागपुर
86.	वराह मंदिर	रामटेक	रामटेक	नागपुर
87.	गुप्तराम मंदिर	रामटेक	रामटेक	नागपुर
88.	महादेव मंदिर सांकुल	इटार संग कुंदाल	एस० सोलोपुर	शोलापुर
		किले		
89.	तलतम किला	जीजाला	सोनगांव	औरंगाबाद
90.	वैतुलवाड़ी किला	वैतुलवाड़ी	सोनगांव	औरंगाबाद
91.	ऐन्तूर किला	ऐन्तूर	कनाडा	औरंगाबाद
92.	कंधार किला	कंधार	कंधार	नांदेद
93.	माहुर किला	माहुर	किनवट	नांदेद
94.	नलदुर्ग किला	औसा	औसा	उस्मानाबाद

1	2	3	4	5
95.	औसा किला	परान्दा	परान्दा	उस्मानाबाद
96.	परान्दा किला	परान्दा	परान्दा	-वही-
97.	उदयगिर किला	उदयगिर	उदयगिर	-वही-
98.	पधारी किला	पधारी	पधारी	परभनी
99.	बड़गांव किला	बड़ंगाव	कलामुनरी	-वही-
100.	अमरगढ़ किला	जिन्तूर	जिन्तूर	-वही-
101.	ध्वस्त किला	अन्थाली	वासमत	-वही-
102.	सिन्हागढ़	सिन्हागढ़	हवेली	पुणे
103.	राजगढ़ किला	राजगढ़	वेल्हे	पुणे
104.	खरदा किला	खरदा	जामखेड़	अहमदनगर
105.	धारावीचा किला	धाराबी	कुरला	मुंबई
106.	काला किला	मुम्बई		
107.	संत जार्ज किला	किला	मुंबई	मुंबई
108.	सरगावंचा किला	सरंगाव	पालघट	थाणे
109.	शिवधीचा किला	शिवधी	कुरला	मुम्बई
110.	उमेरदचा किला	उमरेद	उमरेद	नागपुर
111.	मालेगांवचा किला	मालेगांव	मालेगांव	नासिक
112.	माहिम्चा किला	माहिम	अंधेरी	मुम्बई
113.	तोरना किला	वेल्हे	वेल्हे	पुणे
114.	वान्द्राचा किला	वान्द्रा	वान्द्रा	पुणे
115.	अन्काई-तनकई	येओला	येओला	नासिक
116.	पारोला किला	पारोला	पारोला	जलगांव
117.	विशालगढ़	विशालगढ़	साहुवाडी	कोल्हापुर
118.	रंगना	चिकेवाड़ी	भूथरगढ	कोल्हापुर
119.	भूथरगढ़	पेंथ – शिवापुर	-वही-	-वही-
120.	कोचारीगढ़	मौजे अम्बावाने	मुल्शी	पुणे
		गुफाएं		
121.	घटोटकच गुफाएं	जिंजला	सोंगांव	औरगांबाद
122.	भोकरधान गुफाएं	भोकरधान	भोकरधान	-वही-
123.	रूद्रेश्वर गुफाएं	वेतालवाडी	सोंगांव	-वही-
124.	जोगी सभा मंडप गुफाएं	अरबे जोगाई	अम्बे जोगाई	-वही-
125.	पांडवलेना गुफाएं	मंसुर	किनवात	नांदेड
126.	धाराशिव गुफाएं	उस्मानाबाद	उस्मानाबाद	उस्मानाबाद
127.	चामार लेनी	-वही-	-वही-	-वही-

1	2	3	4	5
128.	जैन शैव मंदिर	जिन्तूर	जिन्तूर	परभानी
129.	खडेश्वर गुफाएं	लोनाड	भिवान्डी	थाणे
130.	बौद्ध गुफाएं	खेड	खेड	रत्नागिरी
131.	जैनी लेनी	मोहिदातार्फ	हवेली	धुले
132.	हिन्दू लेनी	शिवुर	नंदगांव	नांदेड़
133.	शिव गुफाएं	वोरिवाड़े	पन्डाला	कोल्हापुर
		अन्य स्मारक		
134.	जानापाईची समाधी	गंगाखेड़	गंगाखेड़	परभानी
135.	शाहागंज मस्जिद	ए० बाद	ए० बाद	औरंगाबाद
136.	काकी मस्जिद	-वही-	-वही-	-वही-
137.	चौक मस्जिद	-वही-	-वही-	-वही-
138.	लाल मस्जिद	-वही-	-वही-	-वही-
139.	आसफजहां-जाम मस्जिद	अंजता	सिल्लोद	-वही-
140.	जामा मस्जिद (1660)	बीद	बीद	बीद
141.	जामी मस्जिद (मलिक अंबर द्वारा निर्मित)	नांदेड़	नांदेड़	नांदेड़
142.	जामी मस्जिद (कुतुबशाह द्वारा निर्मित)	-वही-	-वही-	-वही-
143.	सरफराज खानची मस्जिद	बिलोली	बिलोली	-वही-
144.	सामी मस्जिद	औसा	औसा	उस्मानाबाद
145.	सामी मस्जिद	परभानी	परभानी	परभानी
146.	काजी साहेब मस्जिद	बासमत	बासमत	-वही-
147.	जामी मस्जिद	कोनरी	जिन्तूर	-वही-
148.	जामी मस्जिद	ऑटा	हिंगोली	-वही-
149.	आसफजहान-ईची मस्जिद	खुलताबाद	खुल्ताबाद	औरंगाबाद
150.	आसफशाह ची थाडगे	-वही-	-वही-	-वही-
151.	नासिरजंग शाहिद ची थाडगे	-वही-	-वही-	-वही-
152.	अबुलहसन तुयुबशाह ची थाडगे	-वही-	-वही-	-वही
153.	अहमदशाह ची थाडगे	-वही-	-वही-	वही
154.	अहमदनगर का बुरहान निजामशाह ची थाडगे	-वही-	-वही-	वही
155.	मुहम्मदीन तुगलक का दाताची थाडगे	राजानी	बीद	बीद
156.	रोशन खान ची थाडगे	परभानी	परभानी	परभानी
157.	हजरतशाह इस्माइल ची थाडगे	कोनरी	जिन्तूर	-वही-
158.	शाहशाह वसी बी दरगाह	बीद	बीद	बीद

1	2	3	4	5
159	पीर यालाशाह ची दरगाह	बीद	बीद	बीद
160.	हजरंत मुहीन ची दरगाह	सकापुर	किन्वाट	नादेड
161.	हजरत बंदों ची दरगाह	-वही-	-वही-	-वही-
162.	शाह लुफतुल्ला तिमुरानी दुर्ग	तिमरूनी	किनवत	नान्देद
163.	सोमपिराचा दुर्ग	माहुर	किनवत	नान्देद
164.	हजरत समसुद्दीन चा दुर्ग	उस्मानाबाद	उस्मानाबाद	उस्मानाबाद
165.	लावनी पाण्ड	तुलजापुर	तुलजापुर	तुलजापुरी
166.	खाने अली चा दुर्ग	बासमत	बासमत	परभानी
167.	शाह सम्सुद्दीन चा दुर्ग	जिन्तुर	जिन्तुर	परभानी
168.	शाह मस्तान चा दुर्ग	-वही-	-वही-	-वही-
169.	शाह तंकली चा दुर्ग	औंढा	हिंगोली	-वही-
170.	इदगुआह	माहुर	किनवत	-वही-
171.	गुरूद्वारा	नान्देद	नान्देद	नान्देद
172.	नौखण्डा महल	औरंगाबाद	औरंगाबाद	औरंगाबाद
173.	सालारजंगन ची बारादरी	अजन्तागांव	सिल्लोद	औरंगाबाद
174.	खानेजहां ची बाग	खुलताबाद	खुलताबाद	-वही-
175.	मुनीमबाग	-वही-	-वही-	-वही-
176.	बानी बेगम बाग	-वही-	-वही-	-वही-
177.	बाग-ए-गुरामाग	उदगिर	उदगिर	उस्मानाबाद
178.	भड़कल दरवाजा	औरंगाबाद	औरंगाबाद	औरंगाबाद
179.	मकई दरवाजा	-वही-	-वही-	-वही-
180.	दिल्ली दरवाजा	-वही-	-वही-	-वही-
181.	राजोरा दरवाजा	बीड	बीड	बीड
182.	कोतवाल दरवाजा	-वही-	-वही-	-वही-
183.	डोड दरवाजा	-वही-	-वही-	-वही-
184.	गंज दरवाजा	-वही-	-वही-	-वही-
185.	अजन्ता सराय	अजंतागांव	सिल्लोड	औरंगाबाद
186.	मौलीतालाब (मातृतीर्थ)	माहुर	किनवर	नान्देद
187.	गोकुलेश्वर बाराव	चारथाना	जिन्तूर	परभानी
188.	पुषकरनी	-वही-	-वही-	-वही-
189.	पन्छकी	औरंगाबाद	औरंगाबाद	औरंगाबाद
190.	उन्केश्वर गरम पान्याचाजारा	अंगदेव	किन्वत	नान्देद
191.	रखखंभ (विजय स्तंभ)	बीड	बीड	बीड

1	2	3	4	5
192.	उत्कीर्ण मील पत्थर (मार्गस्तंभ)	अंकुर	कन्नड	औरंगाबाद
193.	दीपमाल	चारधाना	जिन्तूर	परभानी
194.	नरसिंह मूर्ति	पैठन	पैठन	औरंगाबाद
195.	शेशई स्टेच्यू	पैठन	पैठन	औरंगाबाद
196.	उत्कीर्ण लेख	राजकोट	नान्देद	नान्देद
197.	प्रागैतिहासिक स्थल (औरंगाबाद से 1 कि०मी० दूर)	औरंगाबाद	औरंगाबाद	औरंगाबाद
198.	प्रागैतिहासिक स्थल	खुल्ताबाद	खुल्ताबाद	-वही-
199.	प्रागैतिहासिक स्थल	भोकार्धन	भोकार्धन	औरंगाबाद
200.	प्रागैतिहासिक स्थल	अम्बाड	अम्बाड	-वही-
201.	प्रागैतिहासिक स्थल	जालना	जालना	जालना
202.	पुराना पत्थर का कब्रगाह	माहुर	किनवत	नान्देद
203.	लौहकालीन प्रस्तर वृत्त	बडगांव	तुलजापुर	उस्मानाबाद
204.	लौहकालीन प्रस्तर वृत्त	शेन्दी	पराण्डा	-वही-
205. से 215.	प्रागैतिहासिक स्थल	तेर	उस्मानाबाद	-वही-
216.	प्रागैतिहासिक स्थल	भैट	पुरना	परभानी
217.	नवपाषाण औजार	सवेरगी	-वही-	-वही-
218.	नवपाषाण औजार	हिंगोली	हिंगोली	परभानी
219.	नवपाषाण औजार	-वही-	-वही-	-वही-
220.	प्रागैतिहासिक स्थल	औंध	-वही-	-वही-
221.	प्रागैतिहासिक स्थल	खानपुर	-वही-	-वही-
222.	सम्भा जी महाराज की समाधि	कडू	कोरे गांव	पुणे
223.	विश्रामबाग वाड़ा पुणे	पुणे	पुणे	पुणे
224.	रंगमहल	चान्दवाड़	चान्दवाड	नासिक
225.	हरीनारायण मठ	बेनवाड़ी	करजत	अहमदाबाद
226.	लोकमान्य तिलक का जन्मस्थान	रत्नागिरी	रत्नागिरी	रत्नागिरी
227.	लक्ष्मी विलास महल	कोल्हापुर	करवीर	कोल्हापुर
228.	रामचन्द्र अमात्य की समाधि	पनहाला	पनहाला	कोल्हापुर
229.	बाजी प्रभु देशपाण्डे की समाधि	विशालगढ़	शाहूवाड़ी	कोल्हापुर
230.	हैजकटोर	हैजकटोरा	एलिचपुर	अमरावती
231.	सतबुडकी	मेट बुडकी	एलिचपुर	अमरावती
232.	मडकंल दरवाजा	औरंगाबाद	औरंगाबाद	औरंगाबाद

1	2	3	4	5
233.	सिटी गेट	अमलनेर	अमलनेट	जलगांव
234.	पांडव बाड़ा मस्जिद	अरण्डोल	अरण्डोल	-वही-
235.	माया बाई की समाधि	हिंगनघाट	हिंगनघाट	वर्धा
236.	महात्माफूले बाड़ा	पुणे	पुणे	पुणे
237.	तानाजी मालासरे की समाधि	सिंहगढ़	हवेली	पुणे
238.	पुराना विहिर (कुआं)	चिंचोढ़ी	चेओला	नासिक
239.	डच वखार (फैक्टरी)	वेनगुरले	वेनगुरले	सिंधुदुर्ग
240.	राघोंबादादा बाड़ा	कोपरगांव	कोपरगांव	अहमदनगर
241.	अदालत वाड़ा (नया बाड़ा)	सतारा	सतारा	सतारा
242.	भोली हडकी तेखड़ी	मन्थल	उमरेह	नागपुर
243.	राम गणेश गदकारी का निवास	सावनेट	सावनेट	नागपुर
244.	लघुजी जाधव बाड़ा (जीजा माता का जन्म स्थल)	स'' राजा	सिंधाखेदराजा	वुलधाना
245.	पुरातत्व स्थल	आदम	उमरेद	नागपुर
246.	मोती तालाब	स'' राजा	सिंधाखेदराजा	वुलधाना
247.	सौकर बाड़ा	-वही-	-वही-	-वही-
248.	रंगमहल	-वही-	-वही-	-वही-
249.	पुराना विहिर (कुआं)	रिधापुर	मोर्शी	अमरावती
250.	सैंट क्रिस्पिन गृह	पुणे	पुणे	पुणे
251.	वीर सावरकर का जन्म स्थान	भागपुर	भागपुर	नासिक
252.	हती-खाना	माहुर	किन्वट	नांदेद
253.	वराव	मेथी	सिंदा खेड़ा	धूले
254.	बंगांगा तालाब	वल्केश्वर	मुंबई	मुंबई
255.	धर्मशाला	अम्बाला (क्र०सं० 2951)	रामटेक	नागपुर
256.	गोकुल गेट	रामटेक	रामटेक	नागपुर
257.	अगस्त क्रांति मैदान	मुंबई	मुंबई	मुंबई
258.	सेनापति वामत का जन्म स्थान	पारनेर	पारनेर	अहमदनगर
259.	अहिल्याबाई होलकर बाड़ा	चोंदी	जामखेड़	-वही-
260.	मस्तानी कब्र	पावल	शिरूट	पुणे
261.	सरदार कनौजी जेठे बाड़ा	कारी	भोर	पुणे
262.	सरखेल कनौजी अंगटे का मकबरा	अलीबाग	अलीबाग	रायगढ़
263.	हुतात्मा राजगुरू का बाड़ा	राजगुरू नगर	खेद	पुणे

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में सौर ऊर्जा

6966. श्री रामानन्द सिंह : क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के सतना जिले में कौन से गांवों में सौर ऊर्जा आपूर्ति की जा रही है; और

(ख) 31 मार्च, 2000 की स्थिति के अनुसार कौन-कौन सी सौर ऊर्जा इकाइयां सौर ऊर्जा आपूर्ति कर रही थीं ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम० कन्नप्पन) : (क) वर्तमान में मध्य प्रदेश के सतना जिले में सौर ऊर्जा युक्तियों के माध्यम से किसी भी गांव को विद्युत उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। पहले, इस जिले के 15 गांवों में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत (तत्कालीन विभाग) मंत्रालय और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की सहायता से मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड (एम०पी०ई०बी०) द्वारा स्टैंडएलोन सौर सड़क रोशनी प्रणालियां संस्थापित की गई थीं। परन्तु, मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड अथवा संबंधित ग्राम पंचायतों द्वारा इन प्रणालियों का समुचित रख-रखाव नहीं किया जा सका क्योंकि ये प्रणालियां दूर-दराज के क्षेत्रों में लगाई गई थीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सौर ऊर्जा यातायात सिगनल लाइटनिंग सिस्टम

6967. श्री सी० कुप्पुसामी : क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सौर ऊर्जा से यातायात सिगनल लाइटनिंग सिस्टम अभिकल्पित तथा विकसित किया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) इस सिस्टम की प्रति यूनिट अनुमानित लागत क्या है; और

(घ) बड़े पैमाने पर उत्पादन और देश भर के बड़े शहरों/कस्बों में इन सौर ऊर्जा यातायात सिगनल लाइटनिंग सिस्टम को लगाने की योजना का ब्यौरा क्या है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम० कन्नप्पन) : (क) दो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, नामत: इलेक्ट्रोनिक्स लिमि० (बी०ई०एल०) और सैंट्रल इलेक्ट्रोनिक्स लिमि० (सी०ई० एल०) ने सौर ऊर्जा चालित यातायात सिगनल लाइटिंग प्रणालियों का डिजाइन और विकास किया है। बी०ई०एल० ने बंगलौर और हैदराबाद में ऐसी 5 प्रणालियां लगाई हैं। सी०ई०एल० द्वारा स्थापित और भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था (इरेडा) द्वारा प्रायोजित एक प्रणाली नई दिल्ली में कार्यशील है। बी०ई०एल० ने भी चेन्नई में पैदल पार पथ के लिए एक सौर ऊर्जा चालित प्रणाली लगाई है।

(ख) सी०ई०एल० द्वारा नई दिल्ली में स्थापित सौर ऊर्जा चालित यातायात सिगनल लाईटिंग प्रणाली की प्रमुख विशेषताओं में 1.92 किवा०पा० एस०पी०वी० अरे क्षमता, 500 ए०एच०/48 वोल्ट बैटरी बैंक, 48 वोल्ट/30ए चार्ज कंट्रोलर, 3.3 केवीए इनवर्टर और अन्य प्रणाली संघटक शामिल हैं। इस प्रणाली में प्रत्येक 55 वॉट के 60 हेलोजीन लैम्प हैं। यह प्रणाली ग्रिड-इंटरएक्टिव है और औसत रूप से प्रतिदिन लगभग 3 घंटे सौर विद्युत से चल सकती है।

बी०ई०एल० द्वारा विकसित प्रणाली पारंपरिक लैम्पों के स्थान पर एल०ई०डी० प्रौद्योगिकी पर आधारित है। इस प्रणाली में पारंपरिक लैम्पों द्वारा प्रयोग में लाई गई विद्युत के लगभग 10% भाग की खपत होती है और इसमें काफी कम रखरखाव की जरूरत होती है।

(ग) सी०ई०एल० द्वारा नई दिल्ली में स्थापित की गई प्रणाली की लागत 13.90 लाख रु० थी। बी०ई०एल० द्वारा एक चौराहे के लिए विकसित प्रणाली की लागत 7-8 लाख रु० के बीच है।

(घ) सैंट्रल इलेक्ट्रोनिक्स लिमि० ने सम्पूर्ण दिल्ली में ऐसी प्रणालियों को लगाने के लिए दिल्ली पुलिस से सम्पर्क किया है और यह मामला देश में अन्य महानगरों से भी उठाया जा रहा है। भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमि० भी हैदराबाद, चेन्नई और बंगलौर में ऐसी प्रणालियों की स्थापना के लिए प्रयास कर रहा है। देश में किसी भी स्थान पर ऐसी प्रणालियों की स्थापना के लिए पात्र अंतिम उपयोगकर्त्ताओं को इरेडा द्वारा उदार शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराए जा सकते हैं।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण लिमिटेड हेतु नागल देवत गांव की भूमि

6968. श्री साहिब सिंह : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नांगल देवत ग्रामवासियों को अन्यत्र बसाने और उनकी जमीन को खाली कराए जाने के संबंध में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, दिल्ली विकास प्राधिकरण और ग्रामीण के बीच क्या वार्ता हुई है तथा इस संबंध में क्या योजना तैयार की गयी है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : नांगल देवत गांव के लोगों के पुनर्वास के लिए नांगल देवत गांव की कुल 59 एकड़ के भू-क्षेत्र की तुलना में वर्ष 1987 में रंगपुरी में 63 एकड़ के भू-क्षेत्र देने की एक योजना तैयार की गई थी। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने इसके विकास संबंधी उद्देश्यों के लिए 8.11 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। वर्ष 1988 में, पुनर्वास हेतु विभिन्न साइज के प्लाट काटे गए थे जिनका क्षेत्रफल 26 वर्ग मीटर से लेकर 330 वर्ग मीटर था और 963 आवासीय ईकाइयां दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने संयुक्त सर्वेक्षण के अनुसार पुनर्वास हेतु अपेक्षित थी। अभी तक इस योजना का कार्यान्वयन करना संभव नहीं हो पाया है क्योंकि गांवों ने और आगे मांगे उठाई हैं।

कर्नाटक में सड़क उपरि पुलों का निर्माण

6969. श्री जी०एस० बसवराज : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने केन्द्र सरकार से शिमोगा और होलेहोन्नूर मार्ग और शिमोगा और होन्नाली के वर्तमान रेल समपारों पर परिवहन की अत्यधिकता के कारण उनके बीच दो उपरि पुलों के निर्माण का अनुरोध किया था; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा कदम उठाये गये हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) कर्नाटक सरकार ने भद्रावती और शिमोगा स्टेशनों के बीच शिमोगा-होन्नाली रोड पर कि०मी० 62/11/12 पर समपार के बदले केवल एक ऊपरी सड़क पुल के निर्माण की प्राथमिकता निर्धारित की है।

(ख) इस प्रस्ताव को पहले ही रेल बजट 2000-2001 में शामिल कर लिया गया है।

अहमदाबाद भुज क्षेत्र में उड़ानें

6970. श्री पी०एस० गढ़वी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में विशेषरूप से अहमदाबाद भुज क्षेत्र में उड़ान भरने वाले इंडियन एयरलाइंस/एलायंस एअर के यात्री विमानों को निर्धारित उड़ानों में बार-बार विलम्ब होने के क्या कारण हैं; और

(ख) इस स्थिति में सुधार लाने के लिए कौन से कदम उठाए जा रहे हैं ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) गुजरात में विभिन्न स्टेशनों के लिए, मार्च माह 2000 के दौरान, प्रचालनरत 30.08 प्रतिशत उड़ानों में विलंब हुआ था। जबकि 5.66 प्रतिशत उड़ानों में जो विलंब हुआ था उसकी वजह इंडियन एयरलाइंस/एलाइंस एयर के कार्यक्षेत्र के तहत व्याप्त कारण थे लेकिन शेष विलंबों का कारण प्रतिकूल मौसम, हवाई अड्डा प्रतिबंध, विविध तथा परिणामी कारण थे। अहमदाबाद-भुज सेक्टर पर इंडियन एयरलाइंस/एलाइंस एयर की कोई उड़ान प्रचालनरत नहीं है।

(ख) विलंब से हुई उड़ानों तथा रद्द की गई उड़ानों के विषय में जांच की जाती है ताकि कारण का पता लगाया जा सके। बारीकी से जांच की जा सके और इस संबंध में उन कारणों को दूर करने के लिए उपचारी कार्रवाई की जाती है जो इंडियन एयरलाइंस के कार्यक्षेत्र के तहत पाए जाते हैं।

नेदुम्बसेरी हवाई अड्डा

6971. श्री टी० गोविन्दन : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेदुम्बसेरी हवाई अड्डे पर संचालित उड़ानों में देरी हो जाती है जिसके कारण यात्रियों को भारी कठिनाइयां होती हैं और उनकी आगे जाने के लिए ली जाने वाली अन्य संबद्ध उड़ानें छूट जाती हैं;

(ख) यदि हां, तो उड़ानों में देरी होने के क्या कारण हैं; और

(ग) उड़ानों को सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

उपरि पुल मार्गों को चौड़ा करना

6972. श्री कोडीकुनील सुरेश : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे छोटी लाइन के नेदुमपेयीकुलम, मायलान, कोट्टाराकर नगर, पुनालूर-वालादी, क्विलोन शेनगोत्तारी खंड पर रेलवे ऊपरि पुलों को चौड़ा करने और उनका विस्तार करने पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक आरंभ होने की संभावना है;

(ग) इस कार्य हेतु कुल अनुमानित लागत कितनी होगी;

(घ) क्या राज्य सरकार ने इस निर्माण में सहयोग करने का कोई आश्वासन दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) प्रस्तावित बड़ी लाइन के संरेखण को अंतिम रूप दिए जाने के बाद प्रस्ताव की जांच की जाएगी जिसके लिए अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण प्रगति पर है। कार्य संरेखण, नक्शे और अनुमान को अंतिम रूप दिए जाने के बाद शुरू किया जा सकता है।

(घ) केरल राज्य सरकार ने मयलोम ऊपरी सड़क पुल के दो लेन की चौड़ाई तक पुन: निर्माण के लिए प्रस्ताव भेजा है।

(ङ) प्रस्ताव योजना स्तर पर है।

देश में पर्यटक परिसर

6973. श्री दलपत सिंह परस्ते : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 1980 के बाद से कितने पर्यटक परिसर बनाये गये;

(ख) इन पर्यटक परिसरों में स्थानवार कितने पांच सितारा होटलों का निर्माण किया गया;

(ग) क्या पारम्परिक सांस्कृतिक पर्यटन केन्द्रों को भीड़ भरे पर्यटक स्थलों में बदलना गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या पर्यटन अधिकारियों को विवरणिका केवल विदेशी पर्यटकों को ही देने के कोई अनुदेश जारी किए गए हैं;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार घरेलू पर्यटकों को भी विवरणिका देने का है; और

(च) यदि हां, तो संबंधित प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) और (ख) वर्ष 1980 से, पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार ने राज्य/संघ राज्य सरकारों की 204 पर्यटक परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की है। इन पर्यटक परिसरों में से कुछ के पास आवास की सुविधा भी है, तथापि, पर्यटन मंत्रालय इन पर्यटक परिसरों में पांच सितारा होटलों के लिए कोई केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) से (च) पर्यटक ब्रोशर, भारत और विदेश स्थित भारत सरकार पर्यटक कार्यालयों के माध्यम से भारतीयों और विदेशियों को बिना किसी भेदभाव के वितरित किए जाते हैं। अत: भाग (ङ) और (च) का प्रश्न ही नहीं उठता।

अ०जा०/अ०ज०जा०/अ०पि०व० के लिए नौकरियां

6974. श्री अमर राय प्रधान : क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अधीन कितने अ०जा०/अ०ज०जा०/अ०पि०व० के लोगों को विभाग/स्वायत्त निकायों और अधीनस्थ कार्यालयों में गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष वर्गवार नौकरियां प्रदान की;

(ख) उपरोक्त प्रत्येक कार्यालय के 31 मार्च, 2000 की स्थिति के अनुसार अ०जा०/अ०ज०जा० और अ०पि०व० के लिए आरक्षित कितने पद रिक्त थे; और

(ग) मंत्रालय द्वारा इन रिक्त पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं ?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

डी०आर०डी०ओ० द्वारा इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली का विकास

6975. डा० अशोक पटेल : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रक्षा वैज्ञानिक एक पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली के विकास हेतु प्रयास कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त प्रणाली के कब तक विकसित किए जाने की संभावना है; और

(घ) इस पर कितना व्यय होने की संभावना है ?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन प्रयोक्ताओं के साथ भागीदारी करके सेना के लिए संयुक्त और नौसेना के लिए संग्रह नामक इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियां विकसित कर रहा है। ये प्रणालियां विकास के उन्नत चरणों में हैं। रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन वायुसेना के लिए पहले ही इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली टेम्पेस्ट का विकास कर चुका है और इसे प्रचालित कर दिया गया है।

(ग) संयुक्त और संग्रह के सन् 2002 तक पूरा कर लिए जाने की योजना है।

(घ) इन प्रणालियों पर रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन, सेना और नौसेना द्वारा क्रमश: 233 करोड़, 502 करोड़ और 220 करोड़ रुपए व्यय किए जाने का अनुमान है।

रेल मार्गों का विद्युतीकरण

6976. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान विद्युतीकरण किए जा चुके रेल मार्गों के नाम राज्यवार क्या हैं; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान मार्ग-वार इन पर कितनी धनराशि खर्च की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 के दौरान विद्युतीकरण रेल मार्ग राज्य-वार निम्नानुसार है :–

क्रम सं०	राज्य	मार्ग
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	(i) सिम्हाचलम-कोट्टावालासा-पलासा-इच्छापुरम
		(ii) दुव्वडा-वाडलापुडी
2.	बिहार	(i) दनिया-गुमिया-फुसरो
		(ii) तिरुलडीह-रामगढ़
		(iii) बोकारो-नूरी-किटा एवं कर्मपाडा-किरीबुरु
		(iv) जसीडीह-झाझा-क्यिूल-मनकथा
		(v) बरैया-मोकामा-दानापुर
3.	गुजरात	(i) उध्ना-छलथन

1		3
4.	हरियाणा	(i) जगाधरी वर्कशॉप-सरसावा
		(ii) अम्बाला-धूलकोट
		(iii) झज्जर-कालका
5.	केरल	(i) वल्लातोलनगर-एर्णाकुलम
6.	उड़ीसा	(i) चांदीपोस-बिमलगढ़-बरसुआं-बिमलगढ़ कर्मपाड़ा
		(ii) तालचेर-मेरामंडोली एवं भद्रक-क्रेंद्रपाड़ा
		(iii) इच्छापुरम-बरहामपुर
7.	पंजाब	(i) सरहिंद-रूपनगर
		(ii) धूलकोट-झज्जर
8.	तमिलनाडु	(i) सेलम-सेलम बाजार
9.	उत्तर प्रदेश	(i) कानपुर-लखनऊ
		(ii) सरसावा-खानालामपुरा
		(iii) मुगलसराय-दिलदारनगर
10.	पश्चिम बंगाल	(i) आद्रा-मिदनापुर
		(ii) निश्चितपुर-करहीपुर
		(iii) पुरुलिया-कोटशिला
		(iv) पंडाग-मूरी
		(v) हिजली-बाखराबाद

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान रेल विद्युतीकरण परियोजनाओं पर किया गया व्यय निम्नानुसार है :

वर्ष	व्यय (करोड़ रुपयों में)
1997-98	320
1998-99	334
1999-2000	316

[अनुवाद]

रूसी जासूसी तकनीक को हासिल करना

6977. **कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपया करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आकाश से जासूसी करने के लिए जासूसी विमान हासिल कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे कितने जासूसी विमान हासिल किए गए हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) भारतीय वायुसेना की आकाश से जासूसी करने के लिए रूसी जासूसी वायुयान को हासिल करने की कोई योजना नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

एलाइंस एयर के विमानचालक और चालक दल के सदस्य

6978. **श्री इक्वान मोल्लाह** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एलाइंस के विमान चालक और चालक दल के सदस्य अनुबंध आधार पर कार्य करते हैं और इंडियन एयरलाइंस के विमान चालकों की तुलना में उन्हें कम वेतन दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इस भेदभाव के क्या कारण हैं; और

(ग) इस असमानता को मिटाने के लिए कौन से कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) जबकि एलाइंस एयर के विमानचालकों को ठेका आधार पर तथा इंडियन एयरलाइंस से प्रतिनियुक्ति आधार पर दोनों आधार पर लिया जाता है परन्तु कर्मीदल सदस्य केवल ठेका आधार पर ही होते हैं। इंडियन एयरलाइंस तथा एलाइंस एयर के विमानचालक तथा कर्मीदल सदस्य भिन्न-भिन्न नियमों तथा शर्तों और निबंधनों के अधीन आते हैं। इसलिए इनकी तुलना करना उपयुक्त नहीं होगा।

[हिन्दी]

पेड़ों को बेचना

6979. **श्री रघुवीर सिंह कौशल**: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने अपनी भूमि पर लगे पेड़ों को काटने तथा बेचने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इससे जोनवार होने वाली अनुमानित आय कितनी है;

(ग) अब तक जोन-वार कितने पेड़ काट दिए गए हैं तथा इससे अब तक कितनी आय हुई है;

(घ) क्या इन पेड़ों को काटने का निर्णय लेने से पूर्व पर्यावरणविदों से परामर्श किया गया था; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) परिपक्व/सूखे पेड़ों की कटाई/जुताई और प्राकृतिक उत्पादक जैसे घास/फल/मछली पकड़ने के अधिकार इत्यादि की बिक्री एक सतत प्रक्रिया है। परिपक्व पेड़ों की गणना आवधिक रूप से की जाती है

किन्तु परिपक्व पेड़ों की बिक्री से कुल आमदनी का पता लगाना कठिन है क्योंकि यह पेड़ की स्थिति और इसकी प्रजाति के आधार पर भिन्न-भिन्न होती है।

(ग) 1999-2000 के दौरान परिपक्व पेड़ों/घास/फल मछली पकड़ने के अधिकार इत्यादि की बिक्री से 4,22,87,019 रुपये की धनराशि अर्जित की गई है। राजस्व का क्षेत्रीय रेलवार ब्यौरा निम्नलिखित है :–

रेलवे	परिपक्व पेड़ों से आमदनी (1999-2000)
मध्य	10,92,796
पूर्व	20,70,366
उत्तर	1,59,53,600
पूर्वोत्तर	1,25,24,000
पू. सी. रेलवे	5,77,358
दक्षिण	75,24,000
दक्षिण-मध्य	10,23,870
दक्षिण-पूर्व	2,21,029
पश्चिम	13,00,000
कुल	4,22,87,019

(घ) और (ङ) रेलवे केवल उन्ही परिपक्व पेड़ों को काटती हैं, जिन्हें 4 दशक पूर्व लगाया गया था। इसके अलावा रेलवे जितने पेड़ों की कटाई करती है उससे कहीं ज्यादा पेड़ लगाती है और पेड़ों को लगाना एवं काटना एक सतत प्रक्रिया है। चूंकि केवल परिपक्व पेड़ों को ही काटा जाता है/काटने का प्रस्ताव है और उससे कहीं अधिक संख्या में पेड़ों को लगाया जाता है इसलिए वातावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशा नहीं है। इसके अलावा पेड़ों को वन विभाग के परामर्श से और आवश्यक मंजूरी मिल जाने के बाद ही काटा जाता है।

[अनुवाद]

सुपर बाजार के खिलाफ जनहित याचिकाएं

6980. श्री रामजी मांझी : क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली उच्च न्यायालय में सुपर बाजार, दिल्ली के खिलाफ अब तक कितनी जनहित याचिकाएं दायर की गई हैं और इस संबंध में आरम्भ किए गए मामलों का जनहित याचिकावार ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार इन जनहित याचिकाओं के शीघ्र निपटान में बाधा डाल रही है और केन्द्रीय पंजीयक सौंपे गए जांच कार्य को पूरा करने में विलम्ब कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं;

(घ) केन्द्रीय पंजीयक द्वारा जांच रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत किए जाने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है;

(ङ) क्या सुपर बाजार अपने संपूर्ण वित्त के दुरुपयोग के कारण बन्द होने के कगार पर है; और

(च) यदि हां, तो सुपर बाजार में चल रहे गलत कार्यों के सुधार हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) सुपर बाजार, दिल्ली ने सूचित किया है कि इस समय उनके खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में दो जनहित याचिकाएं दायर की गई हैं। इसके अलावा, उन दोनों याचिकाओं में कुछ शेयर होल्डरों ने सुपर बाजार में किए गए अवैध कार्यों और विशेष रूप से सुपर बाजार के पूर्व अध्यक्ष द्वारा राजेन्द्र प्लेस में बहुमंजिली इमारत के निर्माण के लिए ठेका देने तथा निदेशक मण्डल के चुनाव से संबंधित मामलों में बरती गई अनियमितताओं के सम्बन्ध में कुछ मुद्दे उठाए गए हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सुपर बाजार के प्रबंधकों को निदेशक मण्डल के चुनाव नियमों के अनुसार करवाने का निदेश दिया है।

(ख) से (घ) सहकारी समितियों के केन्द्रीय पंजीयक ने बहु-राज्यीय सहकारी समिति अधिनियम, 1984 की धारा 69 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए 1.7.99 को कोआपरेटिव स्टोर लि० (सुपर बाजार) के कार्यों में कथित अनियमितताओं की जांच करने के लिए बहु-राज्यीय सहकारी समिति अधिनियम, 1984 के उपबंधों के तहत जांच के आदेश दिए हैं। तथापि, गत 10 महीनों के दौरान प्रशासनिक कारणों से 3 जांच अधिकारियों को बदल दिया गया। जांच पूरी करने के लिए अंतिम जांच अधिकारी की नियुक्ति 31.1.2000 को की गई। जांच अधिकारी की रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है।

(ङ) और (च) सुपर बाजार इस समय भारी वित्तीय संकट से गुजर रहा है। सुपर बाजार में अनियमितताओं के कुछ मामले जांच के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो को भेजे गए हैं। उनकी जांच पूरी करने के लिए कोई तारीख निश्चित नहीं की गई है। सुपर बाजार का सतर्कता विभाग सुपर बाजार के कार्यकरण में अनियमितताओं के खिलाफ उचित कार्रवाई कर रहा है।

विमान टिकट के मूल्य में अंतर

6981. श्री ए०पी० अब्दुल्लाकुट्टी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खाड़ी देशों से समान दूरी के विभिन्न भारतीय विमानपत्तनों के लिए विमान टिकटों के मूल्य में अंतर पाया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) खाड़ी देशों से अन्य देशों के लिए चल रही कौन-कौन सी एयरलाइनें खाड़ी देशों से कलकत्ता क्षेत्र के लिए एयर इंडिया से कम मूल्य वसूल कर रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (घ) चूंकि बाजार किराए न केवल दूरी पर बल्कि प्रतिस्पर्धा, मार्ग पर उपलब्ध विमान सीट क्षमता, मौसमानुसार मांग आदि विभिन्न कारकों पर भी निर्भर करते हैं, उसी दूरी के लिए किरायों के स्तर में विभिन्नता हो सकती है।

आयुध कारखानों में भर्ती पर प्रतिबंध

6982. **श्री जितेन्द्र प्रसाद** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयुध कारखानों में भर्ती पर प्रतिबंध लगा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या आयुध कारखानों के वस्त्र आदि विभाग में कार्यरत कर्मचारियों के आकस्मिक निधन या फिर उनके सेवानिवृत्त होने से हुई रिक्तियों को भरा नहीं जाता है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और आज की तारीख में प्रत्येक आयुध फैक्ट्री में ऐसी कितनी रिक्तियां हैं;

(ङ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वस्त्र विभाग द्वारा बनाई जा रही वस्तुओं के कार्य को भी निजी क्षेत्र को सौंपा जा रहा है; और

(च) यदि हां, तो कार्यों को निजी क्षेत्र को सौंपने के कारण रिक्त हुए पदों को नहीं भरे जाने के क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक): (क) से (च) जनशक्ति की भर्ती करने पर कोई रोक नहीं है और सभी आयुध निर्माणियों में मौजूदा कार्यभार, भावी लक्ष्यों, अपव्यय आदि जैसे संगत कारकों पर विचार करने के बाद कार्यात्मक आवश्यकता के आधार पर रिक्तियों को भरा जा रहा है। सेवा के दौरान मृत्यु होने पर खाली हुए पदों को कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी मौजूदा सरकारी अनुदेशों के अनुसार अनुज्ञेय सीमा तक भरा जा रहा है। वस्त्र तथा उपस्कर समूह की पांच आयुध निर्माणियों में 1.4.2000 की स्थिति के अनुसार रिक्तियों की संख्या इस प्रकार है (औद्योगिक कर्मचारियों, गैर-औद्योगिक कर्मचारियों और अराजपत्रित कर्मचारियों सहित सभी वर्गों के लिए) :–

आयुध उपस्कर निर्माणी, कानपुर	-	2236
आयुध वस्त्र निर्माणी, शाहजहांपुर	-	3550
आयुध पैराशूट निर्माणी, कानपुर	-	1721
आयुध वस्त्र निर्माणी, आवडी	-	951
आयुध उपस्कर निर्माणी, हजरतपुर	-	33

वस्त्र संबंधी मदें निजी क्षेत्र को नहीं भेजी जा रही हैं।

एलाइंस एयर में विमान परिचारिकाओं की भर्ती में अनियमितताएं

6983. **श्री हसन खान**: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1996 के दौरान एलाइंस एयर में विमान परिचारिकाओं सहित कर्मचारियों की भर्ती में घोर अनियमितताएं की गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके पश्चात् हुई सतर्कता जांच से यह साबित हो गया है कि नियमों का घोर उल्लंघन हुआ है तथा एलाइंस एयर के अधिकारियों ने नियमों का घोर उल्लंघन किया है क्योंकि उन्होंने विवाहित महिलाओं को भी विमान परिचारिकाओं के रूप में भर्ती की थी; और

(ग) यदि हां, तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) मामले की जांच की जा रही है।

आयातित चावल को बेचा जाना

6984. **श्री ए० कृष्णास्वामी** : क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत बेचे जाने वाले चावल की अपेक्षा आयातित चावल खुले बाजार में सस्ते दामों में बेचे जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ऐसी परिस्थिति में कालाबाजारियों को खुले बाजार से आयातित चावल खरीदकर उसके भंडारण का प्रोत्साहन मिलता है जिससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली का चावल लोगों को महंगा मिलता है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि चावल खाने वाला तमिलनाडु राज्य इससे सबसे अधिक प्रभावित होगा; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) से (ग) भारत सरकार की वर्तमान आयात और निर्यात नीति में अनुबंधित शर्तों के अनुसार केवल 50 प्रतिशत या उससे अधिक टूटे हुए चावल का मुक्त आयात किया जा सकता है। तथापि, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जो चावल वितरित किया जाता है, उसमें टूटे की अधिकतम सीमा 25 प्रतिशत है इसलिए इन दो अलग किस्मों के चावलों की कीमतों की तुलना नहीं की जा सकती है।

(घ) प्राइवेट खाते पर चावल के आयात को नियंत्रित करने और इसे और महंगा बनाने के लिए सरकार ने भूसी रहित (भूरा) चावल और टूटे हुए चावल के आयात पर 80 प्रतिशत आयात शुल्क और

अर्द्ध कुटे और पूर्ण कुटे हुए चावल के आयात पर 70 प्रतिशत आयात शुल्क लगाया है।

[हिन्दी]

उपरि पुलों का निर्माण

6985. श्री सुरेश पासी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कौशाम्बी जिले में मनौरी, भरवारी और सिराधु रेलवे स्टेशनों पर उपरि पुल न होने के कारण लोगों को हो रही समस्याओं की जानकारी है;

(ख) क्या उपरि पुल न होने के कारण रेलवे लाइन पार करते समय इन रेलवे स्टेशनों पर प्राय: दुर्घटनायें होती हैं; और

(ग) यदि हां, तो इनका निर्माण कब तक कर दिया जायेगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) जी, नहीं। बहरहाल इन स्टेशनों पर प्लेटफार्मों को जोड़ने वाला ऊपरी पैदल पुल सदाशयी रेल यात्रियों के उपयोग के लिए मुहैया कराया गया है। मनौरी में ऊपरी पैदल पुल कुछ समय पहले एक मालडिब्बे के खुले दरवाजे से टक्कर की वजह से क्षतिग्रस्त हो गया था। इसकी मरम्मत के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

[अनुवाद]

उत्तर प्रदेश में विद्युत इकाइयों का निर्माण

6986. श्री अवतार सिंह भड़ाना: क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश में विद्युत इकाइयों के निर्माण की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो कितनी इकाइयों में व्यवस्थित तरीके से काम नहीं चल रहा है; और

(ग) स्थिति में सुधार के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम० कन्नप्पन): (क) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय उत्तर प्रदेश सहित समूचे देश में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों की समय-समय पर प्रगति की समीक्षा करता रहा है। मंत्रालय बायोगैस, उन्नत चूल्हा और सौर प्रकाशवोल्टीय कार्यक्रमों जैसे अपने प्रमुख कार्यक्रमों के अंतर्गत वार्षिक आधार पर राज्यवार वास्तविक लक्ष्यों का आबंटन करता है और प्राप्त की गई उपलब्धियों की समीक्षा करता है। उत्तर प्रदेश राज्य के लिए वर्ष 2000-01 हेतु 10,000 बायोगैस संयंत्रों, 100 सामुदायिक/संस्थागत/विष्ठा आधारित बायोगैस संयंत्र और 2.50 लाख उन्नत चूल्हों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 31.3.2000 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य में विभिन्न अपारंपरिक ऊर्जा कार्यक्रमों के अंतर्गत प्राप्त की गई वास्तविक उपलब्धियां संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) और (ग) विभिन्न निर्माणाधीन/कार्यान्वयनाधीन अपारंपरिक ऊर्जा परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं। इन परियोजनाओं पर योजनाबद्ध ढंग से कार्य चल रहा है और आशा की जाती है कि ये परियोजनाएं ज्यादातर अनुमोदित समयानुसूची के अनुसार स्थापित/चालू हो जाएंगी।

विवरण-I

31.3.2000 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य में विभिन्न अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत कार्यक्रमों के अंतर्गत प्राप्त की गई वास्तविक उपलब्धियां

क्रम सं०	कार्यक्रम/योजना	इकाई	संचयी उपलब्धियां (31.3.2000 के अनुसार)
1	2	3	4
1.	बायोगैस संयंत्र	संख्या	3,31,387
2.	सामुदायिक/संस्थागत/विष्ठा आधारित बायोगैस संयंत्र	संख्या	981
3.	उन्नत चूल्हा	संख्या लाख में	35.4
4.	एकीकृत ग्राम ऊर्जा कार्यक्रम	ब्लॉकों की सं०	115
5.	विशेष क्षेत्र प्रदर्शन कार्यक्रम	ऊर्जा पल्लों की सं०	5
6.	लघु जल विद्युत	मेवा०	31.39
7.	बायोमास विद्युत/सहउत्पादन	मैवा०	46.5
8.	सौर प्रकाशवोल्टीय विद्युत संयंत्र	किवा०	225

1	2	3	4
9.	बायोमास गैसीफायर	किवा०	511
10.	सौर प्रकाशवोल्टीय प्रणालियां		
	(i) सौर लालटेन	सं०	56,538
	(ii) घरेलू रोशनी प्रणालियां	सं०	56,279
	(iii) सड़क रोशनी प्रणालियां	सं०	708
	(iv) बिना ग्रिड वाले एसपीवी विद्युत संयंत्र	किवा०पी०	178.90 (39 सं.)
11.	एसपीवी पंप (इरेडा के माध्यम से प्रत्यक्ष बाजार प्रबंधन)	सं०	179
12.	सौर जल तापन प्रणालियां	वर्गमी० संग्राहक क्षेत्र	28,000
13.	सौर कुकर कार्यक्रम	सं०	39,873
14.	अपशिष्ट से ऊर्जा	मेवा०	1

मेवा०-मेगावाट, किवा०-किलोवाट, किवा० पी०-किलोवाट पीक, वर्गमी०-वर्गमीटर।

विवरण-II

उत्तर प्रदेश राज्य में निर्माणाधीन/कार्यान्वयनाधीन परियोजनाओं के ब्यौरे

क्रम सं०	निर्माणाधीन/कार्यान्वयनाधीन परियोजनाएं	समग्र क्षमता/सं०
1.	लघु जल विद्युत परियोजनाएं (राज्य सरकार)	41.58 मेवा०/23
2.	सौर विद्युत संयंत्र	100 किवा०पी०/1
3.	बायोमास सह-उत्पादन परियोजनाएं	21.50 मेवा०/21
4.	बायोमास गैसीफायर परियोजनाएं	1.2 मेवा०/14
5.	अपशिष्ट से ऊर्जा परियोजना	5.40 मेवा०/2

मेवा०-मेगावाट, किवा०पी०-किलोवाट पीक।

एयरबसों की आपूर्ति

6987. **श्री ई०एम० सुदर्शन नाच्चीयप्पन :**
श्री किरीट सोमैया :
श्री ए० वेंकटेश नायक :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1996 में विमान की आपूर्ति के लिए बड़ी विमान कम्पनियों बोइंग और एयर बस द्वारा जो बोली लगाई गई थी को सरकार द्वारा ठण्डे बस्ते में डाल दिया गया;

(ख). यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या अब इंडियन एयरलाइंस ने बोली खोलने का प्रस्ताव किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) इंडियन एयरलाइंस ने 1996 में विमान निर्माताओं से कोई बोलियां आमंत्रित नहीं की थी।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

इंदिरा आवास योजना

6988. **श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को आवास प्रदान करने के लिए इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत गैर-सरकारी क्षेत्र की भागीदारी का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) और (ख) मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार बिहार सहित गरीबी रेखा से नीचे के ग्रामीण परिवार इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं। दिशा-निर्देशों में भी विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि समूचा निर्माण कार्य लाभार्थियों द्वारा किया जाएगा जो आवास के निर्माण में प्रयुक्त किए जाने वाली प्रौद्योगिकी, डिजाइन तथा सामग्री का चयन करने के लिए स्वतंत्र हैं।

[अनुवाद]

देश में सूखा

6989. **श्री गिरधारी लाल भार्गव:** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्य-वार कितने जिले और जनसंख्या सूखे से गंभीर रूप से प्रभावित है;

(ख) केन्द्र सरकार ने उन्हें सहायता प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए हैं;

(ग) स्वतंत्रता प्राप्ति के पचास वर्ष बाद भी इन मूलभूत आवश्यकताओं को उपलब्ध न करने के क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) से (ग) गुजरात, राजस्थान और आंध्र प्रदेश ने सूखे की गंभीर स्थिति होने की सूचना दी है। सूखे से प्रभावित जिलों की संख्या और जनसंख्या निम्नानुसार है :–

गुजरात – 17 जिले जिनमें जनसंख्या लगभग 215 लाख है।

राजस्थान – 26 जिले जिनमें जनसंख्या लगभग 262 लाख है।

आंध्र प्रदेश – 18 जिले जिनमें जनसंख्या लगभग 415 लाख है।

प्रभावित राज्यों को उपलब्ध कराई गई सहायता निम्नानुसार है :-

(i) आपदा राहत निधि (सी०आर०एफ०) और आपदा राहत के लिए राष्ट्रीय निधि (एन०एफ०सी०आर०) के अंतर्गत :-

(करोड़ रुपये में)

राज्य	1999-2000		2000-2001
	सी०आर०एफ०	एन०एफ०सी०आर०	सी०आर०एफ०
गुजरात	121.05	54.58	131.14
राजस्थान	155.25	102.93	112.12
आंध्र प्रदेश	107.69	75.36	77.78

(ii) सूखा राहत के लिए खाद्यान्नों का विशेष आबंटन :

सरकार ने सूखा प्रभावित क्षेत्रों में (गरीबी रेखा से नीचे और गरीबी रेखा से ऊपर) के सभी परिवारों को तीन महीने की अवधि के लिए प्रतिमास 20 किलोग्राम प्रति परिवार की दर से गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के लिए निर्धारित मूल्य दरों पर खाद्यान्नों की आपूर्ति करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा सूखा प्रभावित क्षेत्रों में काम के बदले अनाज कार्यक्रम तथा निःशुल्क सामुदायिक रसोई चलाने के लिए गैर सरकारी संगठनों/स्थानीय निकायों को गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के लिए निर्धारित मूल्य दरों पर भी खाद्यान्न उपलब्ध कराए जाएंगे। इन श्रेणियों के तहत आबंटित खाद्यान्नों की कुल मात्रा निम्नानुसार है :–

(आबंटित खाद्यान्न की मात्रा टन में)

राज्य	चावल	गेहूं
गुजरात	1,47,682	2,71,523
राजस्थान	22,573	5,03,889
आंध्र प्रदेश	1,00,000	–

उपर्युक्त खाद्यान्न आबंटन में शामिल निवल उपभोक्ता आर्थिक सहायता निम्नानुसार है :–

(करोड़ रुपये में)

राज्य	चावल	गेहूं	योग
गुजरात	81.91	86.87	168.78
राजस्थान	12.42	176.89	189.31
आंध्र प्रदेश	59.00	–	59.00
योग	153.33	263.76	417.09

(iii) सूखा प्रभावित क्षेत्रों को उपर्युक्त प्रत्यक्ष सहायता के अलावा, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अपने विभिन्न गरीबी उपशमन और क्षेत्र विकास कार्यक्रमों के तहत केन्द्र के भाग के रूप में कुल 425.71 करोड़ रुपये की राशि जारी की है। राज्य-वार ब्यौरा निम्नलिखित है :–

(करोड़ रुपये में)

राज्य	जारी निधियां
गुजरात	128.09
राजस्थान	112.83
आंध्र प्रदेश	184.69
योग	425.71

[हिन्दी]

नेशनल लाइब्रेरी, कलकत्ता

6990. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्यों सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, 1954 के प्रावधानों के अनुसार प्रकाशक को भारत में प्रकाशित पुस्तकों की एक प्रति पुस्तकालयों के निदेशकों को भेजनी पड़ती है;

(ख) यदि हां, तो क्या नेशनल लाइब्रेरी, कलकत्ता सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 1954 के प्रावधानों का पालन न किए जाने के कारण 29.35 लाख की पुस्तकें और 8.36 लाख की विदेशी पत्रिकाएं प्राप्त करने में असफल रही है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है ?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) पुस्तक एवं समाचारपत्र वितरण (सार्वजनिक पुस्तकालय) अधिनियम, 1954 (न कि सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, 1954) के अन्तर्गत दिल्ली, मुम्बई और चेन्नई स्थिति तीन अन्य सार्वजनिक पुस्तकालयों के साथ-साथ राष्ट्रीय पुस्तकालय देश में कहीं पर भी किसी भी भाषा में निकाले गए प्रत्येक प्रकाशन की एक-एक प्रति प्राप्त करने का हकदार है।

(ख) राष्ट्रीय पुस्तकालय द्वारा प्राप्त न की जा रही पुस्तकों, पत्रिकाओं का मुद्रा के लिहाज से किसी प्रकार का अनुमान लगाना संभव नहीं है। उपर्युक्त अधिनियम के अन्तर्गत राष्ट्रीय पुस्तकालय को विदेशी पत्रिकाएं प्राप्त करने का हक नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम सभा का कार्यकरण

6991. **श्री शंकर सिंह वाघेला :**
श्री सुकदेव पासवान :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1999-2000 को ''ग्राम सभा वर्ष'' के रूप में घोषित किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस वर्ष कितनी नई योजनाएं शुरू की गई ?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा कृषि मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा): (क) और (ख) जी, हां। जबकि ग्राम सभा वर्ष के रूप में वर्ष 1999-2000 के संबंध में कोई योजना शुरू नहीं की गई थी, इस अवधि के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा कई कदम उठाये गये थे। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी गई थी कि ग्राम सभा की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार होनी चाहिए विशेषकर 26 जनवरी - गणतन्त्र दिवस और 2 अक्टूबर - गांधी जयन्ती के अवसर पर आयोजित की जाए। ग्राम सभा को शक्तिशाली तथा अधिकार सम्पन्न बनाने के लिए ग्राम पंचायतों के सभी अध्यक्षों से सम्मिलित प्रयास करने का अनुरोध किया गया था। ऑल इण्डिया रेडियो तथा दूरदर्शन और राष्ट्रीय समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से ग्राम सभा वर्ष को प्रचारित किया गया था। मुख्य मंत्रियों/प्रशासकों से निम्नलिखित उपाय शुरू करने का भी अनुरोध किया गया था :–

(1) पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार) अधिनियम, 1996 के प्रावधानों में परिकल्पित लाइनों की शक्तियां ग्राम सभा में निहित हों।

(2) एक जैसी पूर्व निर्धारित तिथियों को सम्पूर्ण देश में ग्राम सभा की बैठकें करने के लिए पंचायती राज अधिनियम में अनिवार्य प्रावधान करना।

(3) ग्राम सभा की बैठकों के लिए पंचायती राज अधिनियम में विशिष्ट कोरम का अनिवार्य प्रावधान करना।

(4) ग्राम सभा के सदस्यों को उनकी शक्तियों तथा उत्तरदायित्वों के बारे में जागरूकता करना ताकि लोगों की भागीदारी विशेषकर अनु० जातियों, अनु० जन जातियों तथा महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चत की जा सके।

(5) ग्रामीण विकास मंत्रालय के लाभोन्मुख विकास कार्यक्रमों की सामाजिक लेखा परीक्षा प्रभावी ढंग से पूरी करने हेतु ग्राम सभा के लिए निर्धारित प्रक्रिया है।

इस संबंध में उपाय किए गए थे कि इन्दिरा आवास योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना तथा स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थियों का चयन ग्राम सभा की बैठकों में किया जाये। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के अंतर्गत करवाये जाने वाले कार्यों के अनुमोदन के लिए भी ग्राम सभा को प्राधिकृत किया गया था। ग्राम सभा की कार्य प्रणाली पर एक राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद द्वारा आयोजित की गई थी। ग्राम सभाओं को शक्तिशाली बनाने के लिए इस कार्यशाला में विभिन्न तरीके तथा साधनों की सिफारिश की गई।

[अनुवाद]

वित्त आयोग की रिपोर्ट

6992. **श्री दह्याभाई वल्लभभाई पटेल :** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दमन और द्वीव संघ राज्य क्षेत्र वित्त आयोग ने दमन और दीव में जिला पंचायतों और नगरपालिकाओं के कार्यनिष्पादन का अध्ययन किया है और सरकार को अपनी अंतरिम और अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो इसमें की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा कृषि मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा) : (क) और (ख) संघ राज्य क्षेत्र के वित्त आयोगों ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। गृह मंत्रालय वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार कर रहा है। व्याख्यात्मक ज्ञापन के साथ-साथ आयोग की रिपोर्ट उस मंत्रालय द्वारा संसद के दोनों सदनों में रखी जाएगी।

खाद्य तेलों का आयात

6993. **श्री रतन लाल कटारिया :** क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रति वर्ष तिलहनों की मांग और उत्पादन के बीच का अंतर बढ़ता जा रहा है और इस कारण बड़ी मात्रा में तिलहनों के आयात की जरूरत महसूस की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्ष 1998-99 के दौरान सरसों के तेल में मिलावट के कारण खाद्य तेलों के मूल्य में भारी वृद्धि दर्ज की गई थी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी अद्यतन स्थिति क्या है;

(ङ) क्या खाद्य तेलों के आयात के कारण भारत में खाद्य तेलों की फसलों में गिरावट आयी है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों में तिलहनों के उत्पादन, खाद्य तेलों की निवल उपलब्धता और खाद्य तेलों की मांग का ब्यौरा नीचे दिया जाता है :–

(आंकड़े लाख टन में)

वर्ष	तिलहन	खाद्य तेलों की निवल उपलब्धता (आपूर्ति)	आयात	खपत
1997-98	213.24	62.00	20.83	82.83
1998-99	252.10	72.60	43.93	116.53
1999-2000	216.20*	84.78	36.00*	100.78

*मांग को अनुमानित खपत मान लिया गया है।

(ग) और (घ) 1998-99 में खाद्य तेलों में मिलावट के मामलों के कारण और उसके बाद खुले बाजार में सुरक्षित और गुणसम्पन्न खाद्य तेलों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों से बाजार में तेलों के वितरण पर अस्थायी रूप से प्रभाव पड़ा था जिसके परिणामस्वरूप मूल्यों में कुछ वृद्धि हुई थी। खाद्य तेलों के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि के मुख्य कारण घरेलू तिलहन उत्पादन के काफी कम होने के बारे में व्यापक रूप से रिपोर्टें प्रकाशित होना तथा अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में खाद्य तेलों के ऊंचे मूल्य होना थे। 1998-2000 तक पिछले 3 वर्षों में अप्रैल से मई के महीनों में अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में खाद्य तेलों के नीचे दिए गए मूल्यों से यह तथ्य स्पष्ट होगा :–

(जहाज तक निष्प्रभार, अमरीकी डालर में प्रति टन मूल्य)

वर्ष	आर०बी०डी० पामोलीन		सोयाबीन का तेल		सूरजमुखी का तेल	
	अप्रैल	मई	अप्रैल	मई	अप्रैल	मई
1998	686	709	638	651	671	737
1999	509	476	421	405	451	454
2000	365	327.5	395	395	425	400

(ङ) और (च) तिलहनों के कम उत्पादन होने का मुख्य कारण अन्य देशों की तुलना में हमारी तिलहन की खेती की कम उत्पादकता होना है, जैसाकि निम्नलिखित सारणी से विदित होगा :–

तिलहनों की उत्पादकता

(टन/हैक्टेयर)

तिलहन	भारत	विश्व की औसत	अधिकतम
1	2	3	4
सोयाबीन	0.96	2.25	3.05 (यूरोपीय संघ-15)
बिनौला	0.62	1.02	2.11 (आस्ट्रेलिया)
मूंगफली	0.74	0.99	3.00 (यूरोपीय संघ-15)
सूरजमुखी	0.62	1.28	2.25 (चाइल)
रेपसीड	0.90	1.50	3.01 (यूरोपीय संघ-15)

उत्पादन और प्रसंस्करण के संबंध में उन्नत प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए सरकार ने तिलहन और दाल संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन स्थापित किया है।

संयुक्त राज्य अमरीका की एफ०बी०आई० से सहायता

6994. **श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी :**
कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी फैडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टीगेशन ने इंडियन एयरलाइंस विमान अपहरण मामले की जांच में भारत की सहायता की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) फरवरी, 2000 में आतंकवाद के खिलाफ भारत-अमेरिकी संयुक्त कार्यदल की पहली बैठक दौरान, इंडियन एयरलाइंस के विमान अपहरण की घटना के संबंध में अमेरिकी पक्ष के साथ विस्तृत रूप से चर्चा की गई थी। दोनों पक्ष यह सुनिश्चित करने के लिए सहमत थे कि वे अपहरण करने वाले आतंकवादियों को न्यायाधीन लाने की दिशा में मिलकर कार्य करें।

विमान सेवाओं हेतु करार

6995. **श्री शिवाजी माने :**
श्री चन्द्रकांत खैरे :
श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और बहरीन ने किसी विमान सेवा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) भारत और बहरीन ने 5 अप्रैल, 2000 को एक विमान सेवा करार पर हस्ताक्षर किए हैं।

(ख) करार की मुख्य-मुख्य बातें निम्न प्रकार हैं :–

(1) दोनों देशों को सहमत सेवाओं के प्रचालन के लिए दो विमानकम्पनियों तक के नामन का अधिकार होगा।

(2) सेवाओं की आवृत्ति तथा क्षमता का निर्धारण समय-समय पर दोनों वैमानिकी प्राधिकारियों द्वारा किया जाएगा।

(3) भारत की नामित विमानकम्पनियां बहरीन के लिए तथा बहरीन से दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई तथा तिरूवनन्तपुरम के लिए प्रचालन कर सकती हैं।

राशन कार्ड रद्द किया जाना

6996. श्रीमती जयाबहन बी० ठक्कर : क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आयकर निर्धारितियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से चीनी लेने से रोकने का है;

(ख) यदि हां, तो आयकर निर्धारितियों की पहचान हेतु क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या ऐसा नियम है कि यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक वितरण प्रणाली से तीन महीने चीनी नहीं लेता है तो राशन कार्ड रद्द हो जाता है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार को यह जानकारी है कि राशन कार्ड व्यक्तियों के निवास तथा पहचान के लिए एक महत्वपूर्ण कागजात है और हरेक महत्वपूर्ण कार्यों में इसकी आवश्यकता होती है; और

(ङ) यदि हां, तो उक्त जटिल प्रक्रिया से बचने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद) : (क) सरकार ने पहली जुलाई, 2000 से आयकर निर्धारितियों और उनके परिवार के सदस्यों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली की चीनी न देने का निर्णय लिया है।

(ख) यदि कोई धारक अथवा उसके परिवार का कोई सदस्य आयकर निर्धारिती है तो कार्ड धारक और उसके परिवार के सदस्य पहली जुलाई, 2000 से सार्वजनिक वितरण प्रणाली की चीनी लेने के पात्र नहीं होंगे।

(ग) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से उपलब्ध सूचना से, यह प्रतीत होता है कि स्थिति ऐसी नहीं है।

(घ) और (ङ) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को निदेश दिए गए हैं कि वे संबंधित प्राधिकारियों को अनुदेश जारी करें कि वे पहचान के प्रयोजन से राशनकार्ड दिखाने पर जोर न दें और पहचान के प्रयोजनार्थ, निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए फोटो पहचान पत्र का उपयोग करें। कई राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों ने इस संबंध में पहले ही अनुदेश/आदेश जारी कर दिए हैं।

वातित शीतल पेय बोतलों पर अन्तर्वस्तु का संकेत

6997. श्री तिरुनावकरसू : क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि शीतल पेय कम्पनियों ने अपने उत्पादों पर अन्तर्वस्तु को नहीं दर्शाया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने कि सभी वातित शीतल पेय की बोतलों पर अन्तर्वस्तु को दर्शाया जाता है, के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद) : (क) और (ख) बाट तथा माप मानक (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 1977 के उपबंधों के तहत तोल अथवा माप की मानक इकाई के रूप में निवल मात्रा की घोषणा करना एक अनिवार्य अपेक्षा है। उक्त घोषणा न किए जाने पर दाण्डिक उपबंधों के तहत कार्रवाई की जाती है। उक्त नियमों के उपबंधों को लागू करना राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का काम है। उल्लंघन का पता चलने पर नियमों के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

केरल में रेल न्यायालय का कार्य करना

6998. श्री वी०एस० शिवकुमार : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में कितने रेलवे न्यायालय कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इन न्यायालयों में स्थायी पीठासीन अधिकारी/मजिस्ट्रेट नहीं हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) केरल में रेलवे न्यायालयों में स्थायी पीठासीन अधिकारियों/मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) इस समय केरल में कोल्लम, कालीकट और शोरूवण्णूर में तीन रेलवे मजिस्ट्रेट न्यायालय कार्यरत हैं।

(ख) से (घ) तीनों न्यायालयों में स्थायी रेलवे मजिस्ट्रेट कार्य कर रहे हैं।

[हिन्दी]

भारत और चीन के बीच सांस्कृतिक समझौता

6999. श्री रामपाल सिंह : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और चीन के बीच सांस्कृतिक सहयोग के संबंध में किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह समझौता किस तिथि से प्रभावी होगा ?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) से (ग) भारत और चीन के बीच एक सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम पर दिनांक 11 अप्रैल, 2000 को बीजिंग में हस्ताक्षर किए गए। कार्यक्रम वर्ष 2000-2002 के लिए प्रभावी होगा। कला एवं संस्कृति, शिक्षा, युवा कार्यक्रम एवं खेल, जन-प्रचार माध्यम और समाज विज्ञानों के क्षेत्रों में सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा, दोनों पक्षकार पारस्परिक परामर्श से किन्हीं अन्य अतिरिक्त प्रस्तावों पर कार्य प्रारंभ करने के लिए सहमत हुए हैं।

[अनुवाद]

प्रादेशिक सेना

7000. श्री के०पी० सिंह देव : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बदलते आंतरिक सुरक्षा परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए देश में प्रादेशिक सेनाओं की प्रशिक्षण पद्धति को नया रूप देने तथा इनके आधुनिकीकरण हेतु कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, हां।

(ख) निम्नलिखित उपाय पहले ही किए जा चुके हैं :–

(i) विद्रोहरोधी संक्रियाओं पर जोर देते हुए प्रशिक्षण कौशल को सरल और कारगर बनाने, मानकीकृत करने तथा प्रखर करने के लिए सभी प्रादेशिक सेना अधिकारियों के वास्ते केन्द्रीकृत व्यवस्था के अंतर्गत सामूहिक प्रशिक्षण;

(ii) नियमित सेना कार्मिकों के समतुल्य सेना प्रशिक्षण संस्थानों में पाठ्यक्रम;

(iii) प्रशिक्षण प्रयोजनों के लिए नियमित सेना के साथ लगाना;

(iv) सक्रिया उन्मुखी अभ्यासों की अवधि बढ़ाना; और

(v) प्रादेशिक सेना कार्मिकों को गहन विद्रोहरोधी परिवेश में एक परीक्षण उपाय के रूप में सेना/राष्ट्रीय राइफल यूनिटों के साथ लगाना।

इन्फैंट्री बटालियनों के आधारभूत भर्ती प्रशिक्षण की अवधि बढ़ाने, 5.56 मि०मी० 'इन्सास' राइफलों पर प्रादेशिक सेना कार्मिकों को प्रशिक्षित करने और उनका सूचना प्रौद्योगिकी कौशल बढ़ाने के लिए इन्फैंट्री बटालियनों द्वारा कंप्यूटरों का प्रयोग करने जैसे अन्य उपायों पर भी विचार किया जा रहा है।

[हिन्दी]

दिल्ली में ऐतिहासिक स्मारक

7001. श्री विजय गोयल : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा दिल्ली में कितने ऐतिहासिक स्मारकों का संरक्षण किया जा रहा है;

(ख) ऐसे ऐतिहासिक स्मारकों की संख्या कितनी है जो अभी भी असंरक्षित हैं; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान, वर्षवार ऐतिहासिक महत्व के इन स्मारकों के संरक्षण पर कितनी धनराशि व्यय की गई ?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) दिल्ली में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित 165 स्मारक हैं।

(ख) सरकार द्वारा ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(ग) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा दिल्ली में संरक्षित स्मारकों पर पिछले तीन वर्षों के दौरान किया गया व्यय निम्न प्रकार है :–

1997-98	2,11,50,000.00 रु०
1998-99	2,41,98,136.00 रु०
1999 2000	3,20,48,689.00 रु०

[अनुवाद]

साहसी पर्यटन

7002. श्री अनंत नायक : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में साहसी पर्यटन को बढ़ावा देने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) नौवीं योजना हेतु इस संबंध में क्या कार्यक्रम तैयार किया गया है ?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) देश में साहसिक पर्यटन के एक भाग के रूप में स्कीइंग/जलक्रीड़ा/पर्वतारोहण/ट्रैकिंग उपकरण और उनके पुर्जे प्राप्त करने के लिए, पर्यटन मंत्रालय प्रत्येक वर्ष राज्य/संघराज्य सरकारों को उनके परामर्श से प्राथमिकता प्रदत्त परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है। पर्यटन मंत्रालय ने देश में साहसिक पर्यटन के संवर्धन के लिए भारतीय वन्य जीवन और साहसिक क्रियाकलापों पर साहसिक क्रीड़ा पर्यटन डाइरेक्टरी और सी०डी० रोम तैयार किए हैं।

[हिन्दी]

गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को रोजगार

7003. श्री रामशकल : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले प्रत्येक परिवारों के कम से कम एक सदस्य को रोजगार या स्वरोजगार देने की योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है ?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा कृषि मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

परती और बंजरभूमि

7004. श्री तूफानी सरोज : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में कुल परती भूमि और बंजरभूमि के संबंध में कोई मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां तो वर्ष 1990 की तुलना में वर्ष 1999 के दौरान उक्त भूमि में किस सीमा तक वृद्धि हुई है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष इस संबंध में राज्य-वार कितना व्यय हुआ;

(घ) उक्त व्यय करके बजरभूमि और परती भूमि को कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित करने संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या राज्यों में ऐसी भूमि है जो उपजाऊ नहीं हो सकती; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) और (ख) देश में परती भूमि सहित बंजरभूमि के क्षेत्रफल का आकलन करने के लिए विगत में आवधिक रूप से वैज्ञानिक आधार पर कोई व्यवस्थित सर्वेक्षण नहीं किया गया है। तथापि, अंतरिक्ष विभाग (राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी, हैदराबाद) ने मार्च, 2000 में यह सूचना दी है कि देश में परती भूमि सहित बंजरभूमि का क्षेत्रफल 63.85 मिलियन हैक्टेयर है। अत: वर्ष 1990 की तुलना में वर्ष 1999 के दौरान ऐसी भूमि के क्षेत्रफल में हुई वृद्धि के संबंध में कोई स्पष्ट सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) से (च) परती भूमि सहित बंजरभूमि वह अवक्रमित भूमि है, जिसका अभी तक कम उपयोग किया गया है और जिसकी उर्वरता उपयुक्त जल तथा मृदा प्रबंधन के न होने के कारण या प्राकृतिक कारणों से ह्रासित हो रही है। अत: विकास के प्रथम चरण में ऐसी भूमि पर कृषि कार्य करना सामान्यतया व्यवहार्य नहीं है। तथापि, केन्द्रीय बंजरभूमि विकास क्षेत्र की योजना अर्थात् समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम के तहत 3.25 लाख हैक्टेयर बंजरभूमि/अवक्रमित भूमि को विकसित करने हेतु गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों को 196.43 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। योजना के अंतर्गत जारी निधियों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

विगत तीन वर्षों (1997-98 से 1999-2000) के दौरान समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम के तहत राज्य-वार जारी की गई निधियों को दिखाने वाला विवरण

क्रम सं०	राज्य	1997-98	1998-1999	1999-2000
1.	आंध्र प्रदेश	1075.31	981.22	949.08
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	9.00	—
3.	असम	36.78	24.52	197.69
4.	बिहार	—	—	37.63
5.	गुजरात	306.77	546.17	491.73
6.	हरियाणा	112.06	90.52	43.78
7.	हिमाचल प्रदेश	311.51	188.42	684.16
8.	जम्मू और कश्मीर	99.96	136.40	100.00
9.	कर्नाटक	434.33	513.41	707.33
10.	केरल	40.32	78.55	—
11.	महाराष्ट्र	69.96	242.53	347.93
12.	मणिपुर	135.10	285.52	167.55
13.	मेघालय	—	—	65.09
14.	मध्य प्रदेश	213.97	258.63	1011.12
15.	नागालैंड	120.00	465.81	264.12
16.	उड़ीसा	353.71	263.19	536.39
17.	पंजाब	—	6.60	7.70
18.	राजस्थान	416.16	292.55	487.17
19.	सिक्किम	194.32	176.10	261.56
20.	तमिलनाडु	282.07	176.26	484.93
21.	त्रिपुरा	70.00	—	—
22.	उत्तर प्रदेश	863.67	1464.51	1462.15
23.	पश्चिम बंगाल	—	—	—
	योग	5136.00	6199.90	8307.42

[अनुवाद]

भारतीय खाद्य निगम के समक्ष रेल वैगनों की कमी

7005. **श्री वाई०एस० विवेकानन्द रेड्डी** : क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम अपने गोदामों से चावल का परिवहन करने में रेल वैगनों की अत्यन्त कमी का सामना कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके परिणामस्वरूप देश में, विशेष रूप से पूर्व गोदावरी जिले में विभिन्न चावल मिलों में ढेर का ढेर इकट्ठा हो गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या भारतीय खाद्य निगम ने सात लाख टन लेवी चावल की खरीद के लक्ष्य की तुलना में केवल लगभग दो लाख टन चावल की ही खरीद की;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या राजामुन्दरी जिले की विभिन्न मिलों में लगभग 20,000 टन चावल का ढेर लग गया है; और

(च) यदि हां, तो भारतीय खाद्य निगम द्वारा आन्ध्र प्रदेश में कुल कितनी मात्रा में चावल की खरीद की गई ?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) भारतीय खाद्य निगम द्वारा कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं। तथापि, आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले के लिए 7 लाख टन के अनुमान के प्रति भारतीय खाद्य निगम ने 9.16 लाख टन लेवी चावल की वसूली की थी जो अनुमान से 2.16 लाख टन अधिक है।

(ङ) मिल-मालिकों से ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(च) वर्ष 1999-2000 के दौरान आंध्र प्रदेश में भारतीय खाद्य निगम द्वारा वसूल किया गया कुल चावल 38.97 लाख टन है।

[हिन्दी]

रेल मार्गों का विद्युतीकरण

7006. **श्रीमती जस कौर मीणा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में कितने लम्बे रेल मार्ग के विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) अब तक विद्युतीकरण हो चुके रेल मार्गों की कुल लंबाई कितनी है;. और

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान किन-किन रेल मार्गों का विद्युतीकरण किया जाएगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान रेलवे मार्गों के 300 मार्ग किलोमीटर का विद्युतीकरण किए जाने का लक्ष्य है और अभी तक रेलवे मार्गों के 1467 मार्ग किलोमीटर का विद्युतीकरण किया जा चुका है।

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान निम्न रेलवे मार्गों का विद्युतीकरण किये जाने की योजना है :–

क्रम सं०	खंड	रेलवे
1.	दानापुर-दिलदारनगर (सीतारामपुर-मुगलसराय परियोजना का शेष भाग)	पूर्व
2.	कुसुंदा-जमुनियाटांड (संपूर्ण परियोजना)	पूर्व
3.	कीटा-बॉडामुंडा (बोकारो/बरसुआ/कीरीबुरु परियोजना का शेष भाग)	दक्षिण पूर्व
4.	बाखड़ा-भुवनेश्वर-बरहामपुर (पूर्व तटीय लाइन का शेष भाग)	दक्षिण पूर्व
5.	तांबरम-चेंगलपट्टू एवं चेंगलपट्टू-अरकोणम (तांबरम-विणुपुरम परियोजना का भाग)	दक्षिण
6.	मुगलसराय-वाराणसी (मुगलसराय-आफराबाद परियोजना का भाग)	उत्तर
7.	रूपनगर-नांगलडैम (सरहिंद-नांगलडैम परियोजना का शेष भाग)	उत्तर
8.	चलथन-नवापुर (उधना-जलगांव परियोजना का नाम)	पश्चिम

[अनुवाद]

रूस से पट्टे पर 'अवाक' की खरीद

7007. **डा० रमेश चंद तोमर :**
डा० जसवंत सिंह यादव :
श्री दलपत सिंह परस्ते :
श्रीमती श्यामा सिंह :
श्री अजय सिंह चौटाला :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रूस से पट्टे पर तीन 'अवाक' (ए०डब्ल्यू०ए०सी०एस०) खरीदने का निर्णय लिया है जैसा कि 16 अप्रैल, 2000 के 'नवभारत टाइम्स' में छपा है या इनकी खरीद हेतु कोई समझौता किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए निर्धारित नियम-शर्तों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन 'अवाक' की मुख्य विशेषताएं क्या हैं तथा इनसे हमारी वायु सेना का स्तर कितना बढ़ जाने की संभावना है ?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) तीन रूसी 'अवाक' खरीदने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है। तथापि, भारतीय वायु सेना कार्मिकों को व्यावहारिक अनुभव प्रदान करने के लिए देश के भीतर प्रदर्शन करने हेतु एक रूसी 'अवाक्स' वायुयान को 30 दिन के लिए पट्टे पर लिया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

पायलट और विमान परिचारिकाओं की भर्ती

7008. श्री ए० नरेन्द्र : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इंडियन एयरलाइंस, एलाइंस एयर और एयर इंडिया द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान, वर्षवार कुल कितने पायलटों और विमान परिचारिकाओं का चयन और भर्ती की गई ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : जबकि इंडियन एयरलाइंस में पिछले तीन वर्षों के दौरान, पायलटों का कोई चयन/नियुक्ति नहीं की गई है, एअर इंडिया तथा एलाइंस एयर के संबंध में निम्न प्रकार है :—

एअर इंडिया	1997	1998	1999
चयन किए गए सह पायलटों/प्रशिक्षु पायलटों की संख्या	14	शून्य	01
भर्ती किए गए सह-पायलटों/प्रशिक्षु पायलटों की संख्या	39	23	13
एलाइंस एयर			
चयन किए गए पायलटों की संख्या	17	16	11
भर्ती किए गए पायलटों की संख्या	17	16	11

चयनित/भर्ती की गई विमान परिचारिकाओं के ब्यौरे निम्न प्रकार है :—

इंडियन एयरलाइंस			
चयनित विमान परिचारिकाओं की संख्या	शून्य	शून्य	76
नियुक्त विमान परिचारिकाओं की संख्या	03	शून्य	39
एलाइंस एयर			
चयनित विमान परिचारिकाओं की संख्या	123	19	44
नियुक्त विमान परिचारिकाओं की संख्या	123	19	44

पिछले तीन वर्षों के दौरान एअर इंडिया में विमान परिचारिकाओं की कोई भर्ती नहीं की गई है।

अजन्ता, एलोरा आने वाले पर्यटक

7009. डा० रामकृष्ण कुसमरिया : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने विदेशी पर्यटकों ने अजन्ता, एलोरा और खजुराहो का दौरा किया; और

(ख) इस अवधि के दौरान इन स्थानों के आसपास के क्षेत्रों के विकास तथा अधिक सुविधाएं प्रदान करने हेतु कितनी धनराशि आबंटित की गई ?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से प्राप्त सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान अजन्ता और एलोरा देखने आए पर्यटकों की संख्या इस प्रकार है :—

वर्ष	कुल पर्यटकों की संख्या	
	अजन्ता	एलोरा
1997	2,99,868	5,27,788
1998	2,72,007	5,04,984
1999	2,58,283	5,06,745

अजन्ता एलोरा देखने आए विदेशी पर्यटकों के पृथक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान खजुराहो देखने आए विदेशी पर्यटकों की संख्या इस प्रकार है :—

वर्ष	विदेशी पर्यटकों की संख्या
1997	61793
1998	60681
1999	61997

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में अजन्ता और एलोरा के आसपास तथा मध्य प्रदेश में खजुराहो के आसपास के क्षेत्र के विकास के लिए क्रमशः 155.11 लाख और 152.69 लाख रुपयों की राशि स्वीकृत की गयी है।

भारत सरकार ने महाराष्ट्र में अजन्ता और एलोरा के संरक्षण तथा विकास के लिए जापान के ओवरसीज इकोनोमिक कोआपरेशन फंड (ओ०ई०सी०एफ०) के साथ एक ऋण समझौता किया था। इस परियोजना की अनुमानित लागत 81.07 करोड़ रुपए है। परियोजना के मुख्य घटक वनरोपण, औरंगाबाद में एयरपोर्ट सुविधाओं में सुधार, सड़कों का सुदृढ़ीकरण और सुधार, जलापूर्ति एवं सीवेज प्रणाली में सुधार, विद्युत आपूर्ति में सुधार, स्मारकों का संरक्षण तथा यात्री प्रबंधन सुविधाएं हैं। इस परियोजना की अवधि मार्च, 2002 तक बढ़ा दी गयी है।

भारत और इटली के मध्य सांस्कृतिक समझौता

7010. डा० जसवंत सिंह यादव : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व संस्कृति के फलक पर भारत और इटली दो बड़े स्तम्भ हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या दोनों देशों के मध्य संस्कृति संबंधी समझौता हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इससे दोनों देशों के बीच कहां तक सहयोग सुदृढ़ होने की संभावना है ?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक करार पर नवम्बर, 1976 में हस्ताक्षर किये गये।

(ग) इस करार के अनुसरण में, दोनों पक्षकारों ने अब तक पांच तीन-वर्षीय सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया है। ऐसा अंतिम कार्यक्रम वर्ष 2000 के अंत तक वैध है। कार्यक्रम में शिक्षा, भाषा, कला और संस्कृति, पुरातत्व, अभिलेख, संग्रहालय विज्ञान, पुस्तकालय, जन प्रचार माध्यम और सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के क्षेत्रों में सहयोग और आदान-प्रदान की व्यवस्था है। कार्यक्रम में दोनों देशों के विश्वविद्यालयों, सांस्कृतिक और अकादमिक संस्थाओं के बीच सक्रिय सहयोग की परिकल्पना भी की गयी है।

(घ) पिछले वर्षों के दौरान सांस्कृतिक आदान-प्रदान, विशेषज्ञों, विद्वानों, छात्रों, लेखकों और शिक्षाविदों के आदान-प्रदान के क्षेत्रों में सहयोग में वृद्धि हुई है।

हुबली में आर्ट गैलरी और संग्रहालय स्थापित करना

7011. श्री कोलुर बसवनागौड : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हुबली, कर्नाटक में आर्ट गैलरी और संग्रहालय स्थापित करने के लिए अभी तक कोई धनराशि जारी की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जारी की गई धनराशि का उपयोग कर लिया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) आर्ट गैलरी और संग्रहालय का निर्माण कार्य कब तक शुरू होने की संभावना है; और

(च) वर्ष 2000-2001 तक कितनी राशि जारी किए जाने का प्रस्ताव है ?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (च) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

परती भूमि

7012. श्री ब्रजमोहन राम : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के किन-किन जिलों में परती भूमि है;

(ख) इस परती भूमि को जोत योग्य बनाने के लिए बिहार को कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई;

(ग) क्या राज्य सरकार ने पूरी धनराशि का उपयोग नहीं किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) बिहार के सभी जिलों में बंजरभूमि/परती भूमि किसी न किसी रूप में मौजूद है।

(ख) बंजरभूमि/परती भूमि वह अवक्रमित भूमि है जिसका अभी तक कम उपयोग किया गया है और जिसकी उर्वरता उपयुक्त जल तथा मृदा प्रबंधन के न होने के कारण या प्राकृतिक कारणों से ह्रास हो रही है। अत: विकास के प्रथम चरण में ऐसी भूमि पर कृषि कार्य करना सामान्यता व्यवहार्य नहीं है। तथापि, भूमि संसाधन विभाग बिहार में बंजरभूमि को विकसित करने हेतु दो मुख्य योजनाएं अर्थात् समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम और सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है। समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम की परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए बिहार को 12.46 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। इसके अलावा सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत वाटरशेड विकास परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए राज्य को 13.50 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

(ग) और (घ) उपरोक्त दो कार्यक्रमों के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाएं क्षेत्र स्तर पर अभी कार्यान्वित की जा रही हैं। निधियों के पूर्णतया उपयोग के संबंध में सूचना इनके पूरा होने के बाद ही उपलब्ध हो सकेगी।

भारतीय संस्कृति का प्रचार-प्रसार

7013. श्री पुन्नु लाल मोहले :
श्री ब्रह्मानंद मंडल :
श्री अशोक कुमार सिंह चंदेल :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में फैलती पश्चिमी संस्कृति को रोकने के लिए युवाओं को भारतीय संस्कृति के निकट लाने हेतु कोई विशेष प्रचार अभियान शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) से (ग) भारतीय कला एवं संस्कृति के प्रोन्नयन, परिरक्षण एवं संरक्षण संबंधी उद्देश्यों व नीतियों को संस्कृति विभाग द्वारा विभिन्न स्कीमों के माध्यम से और स्वायत्त संगठनों का वित्तपोषण करके, कार्यान्वित किया जाता है। ऐसी वित्तीय सहायता के लिए आवेदन करने की बाबत व्यक्तियों और संगठनों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उन्नत प्रशिक्षण के लिए छात्रवृत्तियां, भारतीय कला एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों में अनुप्रयोग व अकादेमिक उन्मुख शोध-कार्य के लिए शिक्षावृत्तियां, सृजनात्मक कलाओं को प्रोन्नत करने तथा गुरू-शिष्य परंपरा कायम रखने के लिए निर्माण एवं वेतन अनुदान, आदि प्रदान करने संबंधी विभाग की स्कीमों का अधिकतम संभव प्रचार किया जाता है। भारतीय कला एवं संस्कृति के ज्ञान को संवर्धित व प्रचारित करने के लिए अकादेमियों तथा राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संस्थानों सहित स्वायत्त संगठनों को निधियां प्रदान की जाती हैं। भारतीय कला एवं संस्कृति के बारे में छात्रों में समझ व जागृति पैदा करके और इस ज्ञान को शिक्षा के साथ एकीकृत करके शिक्षा प्रणाली को पुनरूज्जीवित करने के उद्देश्य से सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केन्द्र (सी०सी०आर०टी०) देशभर के सेवाकालीन शिक्षकों, शिक्षाविदों, प्रशासकों एवं छात्रों के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम व कार्यशालाएं आयोजित करते हैं। यह विभिन्न प्रकाशन भी निकालता है, जिनके माध्यम से भारतीय कला एवं संस्कृति के विभिन्न पहलुओं का अवबोधन व परिबोधन कराया जाता है।

उपभोक्ता न्यायालय

7014. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उपभोक्ता मामलों के निपटान हेतु दिल्ली के प्रत्येक उपभोक्ता न्यायालयों में नामित किए गए सदस्यों, इनकी योग्यता तथा अनुभव का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन उपभोक्ता न्यायालयों के रिक्त पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद) : (क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार दिल्ली के प्रत्येक उपभोक्ता न्यायालय में नामित सदस्यों के नाम, उनकी योग्यता और अनुभव का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार सदस्यों के दो पद अर्थात् एक जिला मंच दक्षिण और दूसरा मंच पूर्वोत्तर में खाली है। इन रिक्तियों को 15.2.2000 को प्रमुख समाचार पत्रों में अधिसूचित किया गया था। इस संबंध में आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 10(1क) के तहत निर्धारित चयन समिति द्वारा उनकी जांच की जा रही है।

विवरण

क्रम सं०	सदस्य का नाम	योग्यता और अनुभव
1	2	3
1.	श्री देशबन्धु, सदस्य राज्य आयोग	एम०ए०, एल०एल०बी०, दिल्ली नगर निगम से अतिरिक्त आयुक्त के पद से सेवानिवृत्त होने तक सार्वजनिक मामलों का कई वर्षों का अनुभव।
2.	श्रीमति रुमनिता मित्तल, सदस्य (महिला), राज्य आयोग	बी०ए०, एल०एल०बी०, अधिवक्ता के रूप में 20 वर्षों का अनुभव।
3.	श्री जी०आर० गुप्त, सदस्य, उत्तरी जिला मंच	बी०ए०, एल०एल०बी०, भारतीय पुलिस सेवा से सेवानिवृत्त होने तक कानून और सार्वजनिक मामलों से संबंधित समस्याओं के बारे में 20 वर्षों का अनुभव।
4.	श्रीमती संतोष खन्ना, सदस्य (महिला), उत्तरी जिला मंच	एम०ए०, एल०एल०बी०, लोक सभा सचिवालय में संपादक के पद पर कार्य करने के फलस्वरूप सार्वजनिक मामलों से संबंधित समस्याओं में कई वर्षों का अनुभव।
5.	श्रीमति नर्गिस राजकुमार, सदस्य (महिला), दक्षिण जिला मंच	बी०ए०, एल०एल०बी०, उच्चतम न्यायालय में अधिवक्ता। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की पूर्व सचिव।
6.	श्री आर० सी० निगम, सदस्य, पश्चिम जिला मंच	बी० कॉम, एल०एल०बी०, एफ०सी०ए०, एफ०सी०एस०, कम्पनी रजिस्ट्रार के रूप में कार्य किया तथा एकाधिकार एवं अवरोधक व्यापार व्यवहार (एम०आर०टी०पी०) आयोग दिल्ली में संयुक्त निदेशक (निरीक्षण) के रूप में कार्य किया।

1	2	3
7.	श्रीमति रवि प्रभा, सदस्य (महिला) पश्चिम जिला मंच	बी० कॉम (आनर्स) एल०एल०बी०, अधिवक्ता के रूप में चार वर्षों का अनुभव।
8.	श्री एस० गुप्ता, सदस्य पूर्वोत्तर जिला मंच	एम० कॉम, एकाधिकार एवं अवरोधक व्यापार व्यवहार आयोग (एम०आर०टी०पी०) आयोग में संयुक्त निदेशक (अन्वेषण व पंजीकरण) तथा महानिदेशक (अन्वेषण तथा पंजीकरण) के वरिष्ठ परामर्शदाता के रूप में कार्य किया।
9.	श्री आर०के० गोस्वामी, सदस्य उत्तर पश्चिमी जिला मंच	एम०ए०, भारतीय प्रशासनिक सेवा से सेवानिवृत्त होने तक लोक प्रशासन में अनुभव।
10.	श्रीमति उषा खन्ना, सदस्य (महिला) उत्तर पश्चिमी जिला मंच	एम०ए०, एल०एल०बी०, सिविल अधिवक्ता के रूप में कई वर्षों तक कार्य किया।
11.	श्री नन्द लाल, सदस्य नई दिल्ली जिला मंच	एम०ए०, एल०एल०बी०, भारत सरकार, कम्पनी कार्य विभाग में निदेशक के रूप में कार्य करने का 25 वर्षों का अनुभव।
12.	श्रीमति सुषमा यादव, सदस्य (महिला) जिला मंच, नई दिल्ली	एम०ए०, एल०एल०बी०, पी०एच०डी० शिक्षा अनुसंधान और समाज कल्याण में सामान्य प्रशासन का 33 वर्षों का अनुभव।
13.	श्री आर०एन० बंसल, सदस्य जिला मंच दक्षिण-पश्चिम	बी०ए०, एल०एल०बी०, भारतीय प्रशासनिक सेवा से सेवानिवृत्त होने तक लोक प्रशासन में 30 वर्षों का अनुभव।
14.	श्रीमती अंशुमाला वर्मा, सदस्य (महिला) जिला मंच दक्षिण पश्चिम	बी०ए० (आनर्स), एन०आई०आई०टी० से सिस्टम मैनेजमेंट में डिप्लोमा तथा उद्योग में कई वर्षों का अनुभव क्योंकि उन्होंने पोलर टक्नोलॉजी में निदेशक, बिजनेस डेवलपमेंट के रूप में कार्य किया।
15.	श्री एस०पी० वशिष्ठ, सदस्य जिला मंच - मध्य	एम० कॉम, एल०एल०बी०, कम्पनी कार्य विभाग में कार्य करने का 27 वर्षों का कानूनी अनुभव।
16.	श्रीमती आशा कुमार, सदस्य (महिला) जिला मंच - मध्य	एम०एस०सी०, सार्वजनिक मामलों में कई वर्षों का अनुभव और सदस्य, अवरोध सैल, जिला-गुडगांव तथा सदस्य प्रबंध समिति, जिला महिला कल्याण समिति के रूप में कार्य किया।
17.	श्री के० के० भसीन, सदस्य जिला मंच - पूर्व	एम०ए०, एल०एल०बी०, भारतीय प्रशासनिक सेवा से सेवानिवृत्त होने तक लोक प्रशासन में 30 साल का अनुभव।
18.	श्रीमती मोनिका तनेजा, सदस्य (महिला) जिला मंच - पूर्व	एम०ए०, एल०एल०बी०, दिल्ली बार काउंसिल की सदस्य हैं और उद्योग का कई वर्षों का अनुभव है क्योंकि उन्होंने निदेशक, मोनसन्स इण्डिया प्रा०लि० के रूप में कार्य किया।

अंडर ब्रिज का निर्माण

7015. श्री माणिकराव होडल्या गावित : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रामपुरा और केशवपुरम औद्योगिक क्षेत्र रेल फाटकों पर काफी पहले अंडर ब्रिज मंजूर किए गए थे लेकिन इनका निर्माण कार्य अभी शुरू नहीं हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उपरोक्त अन्डर ब्रिज का निर्माण कार्य कब से शुरू होने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

गोला-बारूद के भंडार 'सूची' को स्वचालित बनाना

7016. **श्री अजय सिंह चौटाला** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सेना अपने गोला-बारूद के भंडार 'सूची' को पूर्ण रूप से स्वचालित बनाने जा रही है जैसा कि दिनांक 9 अप्रैल, 2000 के 'द ट्रिबयून' में प्रकाशित हुआ था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कारगिल जैसी दुर्घटना का सामना करने के लिए सेना को इससे किस हद तक मदद मिलने की संभावना है ?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) सेना आयुध कोर की भंडार-सूची को स्वचालित किए जाने का प्रयोजन शेष भंडार में पारदर्शिता लाना, वितरण को सुविधाजनक बनाना और नियंत्रण को प्रभावी बनाना है। तदनुसार, एक व्यापक कार्य-सूची के अनुसार कार्य प्रारंभ करने के लिए दो कार्य दलों का गठन किया गया था। प्रारंभ किए जाने वाले कार्यों में ये कार्य शामिल हैं :-

(i) केन्द्रीय आयुध डिपो, दिल्ली छावनी और सेना मुख्यालय के आयुध सेवा महानिदेशालय (जिसमें रक्षा मंत्रालय के सबद्ध अनुभाग शामिल हैं) का स्वचालन; और

(ii) अन्य आयुध सोपानकों का नीचे डिवीजन तथा ब्रिगेड स्तर तक स्वचालन जिसमें व्यापक क्षेत्र नेटवर्क के जरिए संचार नेटवर्क को बढ़ाया जाना भी शामिल है।

(ग) यह परिकल्पना है कि सेना की आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान देते हुए सूचना प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से समग्र आयुध भंडार सूची स्वचालित कर दी जाएगी ताकि कारगिल जैसे किसी भी दुस्साहस का मुकाबला किया जा सके।

[हिन्दी]

रतलाम-डूंगरपुर रेल लाइन का सर्वेक्षण

7017. **श्री कान्तिलाल भूरिया** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रतलाम से बांसवाड़ा होकर डूंगरपुर और अहमदाबाद से डूंगरपुर होकर उदयपुर रेल लाइन बिछाने के लिए सर्वेक्षण कार्य पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उपर्युक्त कार्य के कब तक पूरा होने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) रतलाम-बांसवाड़ा-डूंगरपुर नई लाइन का निर्माण तथा अहमदाबाद-डूंगरपुर-उदयपुर मी० ला० के आमान परिवर्तन के लिए सर्वेक्षण कार्य 31.12.2000 तक पूरा हो जाने की प्रत्याशा है। इन परियोजनाओं पर आगे विचार करना सर्वेक्षण रिपोर्ट के उपलब्ध होने पर ही संभव होगा।

[अनुवाद]

तमिलनाडु आने वाले पर्यटक

7018. **श्री सी० श्रीनिवासन** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान विदेशी पर्यटकों सहित कितने पर्यटकों ने तमिलनाडु का दौरा किया; और

(ख) वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान तमिलनाडु में पर्यटन के विकास के लिए प्रदान की गई/की जाने वाली वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) राज्य सरकार से उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1997, 1998 तथा 1999 के दौरान तमिलनाडु भ्रमण करने वाले विदेशी पर्यटकों की कुल संख्या निम्न प्रकार है :-

वर्ष	पर्यटकों की कुल संख्या
1997	1,95,64,742
1998	2,10,49,593
1999	2,18,59,383

(ख) प्रत्येक वर्ष, उस वर्ष के लिए राज्य सरकारों के परामर्श से केन्द्रीय वित्तीय सहायता हेतु परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाती है। वर्ष 1999-2000 के लिए परियोजनाओं को प्राथमिकता देने के आधार पर मार्गस्थ सुविधाओं, हाई मास्ट लाइटिंग, स्मारकों के नवीकरण, आदि जैसी विभिन्न पर्यटन परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु तमिलनाडु राज्य सरकार के लिए 493.85 लाख रुपयों की राशि की 26 परियोजनाएं स्वीकृत की गई।

[हिन्दी]

धान को चावल में बदलना

7019. **डा० सुशील कुमार इन्दौरा** :
श्री नवल किशोर राय :

क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में औसत रूप से करीब 67 प्रतिशत धान चावल में परिवर्तित कर दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह औसत 72 प्रतिशत से 73 प्रतिशत है;

(ग) यदि नहीं, तो इससे संबंधित तथ्य क्या हैं;

(घ) इसमें इतने बड़े अन्तर के क्या कारण हैं;

(ङ) इसके परिणामस्वरूप प्रति क्विंटल अनुमानित हानि कितनी है; और

(च) परिवर्तन दर को 72 प्रतिशत तक लाने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का विचार है ?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) केन्द्रीय पूल के लिए वसूल किए गए चावल के संबंध में भारत सरकार ने रॉ चावल में 67 प्रतिशत और सेला चावल में 68 प्रतिशत का एकल आऊट टर्न (मिलिंग उपज) अनुपात निर्धारित किया है जो उस विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर आधारित है जिसने तीन वैज्ञानिक संस्थाओं द्वारा की गई धान की ट्रायल मिलिंग के निष्कर्षों की जांच की थी ।

(ख) से (घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार चावल उत्पादक कुछेक प्रमुख देशों, जो चावल मिलिंग की समुन्नत प्रौद्योगिकीयों का प्रयोग करते हैं, के संबंध में आऊट टर्न अनुपात निम्नानुसार है :–

(i)	इंडोनेशिया	–	68 प्रतिशत
(ii)	संयुक्त राज्य अमेरिका	–	70 प्रतिशत
(iii)	चीन	–	70 प्रतिशत
(iv)	आस्ट्रेलिया	–	72 प्रतिशत

(ङ) 72 प्रतिशत का अंतर्राष्ट्रीय आऊट टर्न अनुपात मानते हुए, चावल के संबंध अनुमानित हानि लगभग 70 प्रतिशत है ।

(च) धान की मिलिंग उपज में वृद्धि करने के लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं :–

(i) परम्परागत चावल मिलों का आधुनिकीकरण शुरू करने के लिए वर्ष 1970 में चावल मिलिंग उद्योग (विनियमन और लाइसेंसिंग) नियमावली में संशोधन किया गया था।

(ii) चावल मिलों के आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने और उत्पादों के उपयोग के लिए विभिन्न धान उत्पादक राज्यों में भारत सरकार के वित्तीय समर्थन से अभी तक लगभग 13 क्षेत्रीय विस्तार सेवा केन्द्र स्थापित किए गए हैं ।

(iii) देश में अच्छी किस्म के चावल के उत्पादन, मिल मशीनरी और सम्बद्ध उपकरणों को प्रोत्साहित करने के लिए देश के दक्षिणी, पूर्वी, उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्रों में चार परीक्षण केन्द्र स्थापित किए गए हैं । ये केन्द्र भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार चावल मिलिंग उपकरण का परीक्षण करते हैं।

(iv) हुलर मिलों के आधुनिकीकरण के लिए वर्ष 1983 में एक राजसहायता योजना शुरू की गई थी जिसमें लाभभोगी राजसहायता के रूप में आधुनिकीकरण के उपकरण की लागत का लगभग 50 प्रतिशत अर्थात् 15 हजार प्रति यूनिट, प्राप्त करने के पात्र हैं। अप्रैल, 1997 के बाद यह योजना बंद कर दी गई है ।

तथापि, कृषि मंत्रालय के अधीन तिलहन, दालों और मक्का संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन इसी प्रकार की योजना चला रहा है जिससे कि हुलर चावल मिलों का आधुनिकीकरण कर तेल के निस्कर्षण के लिए चावल भूसी (ब्रान) की उपलब्धता में वृद्धि की जा सके ।

[अनुवाद]

कोल्हापुर शहर को रत्नागिरी से जोड़ना

7020. श्रीमती निवेदिता माने :
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोंकण रेलवे पर कोल्हापुर शहर को रत्नागिरि से जोड़ने हेतु कोई सर्वेक्षण कराया है; और

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण के क्या परिणाम हैं और उक्त परियोजना के कार्यान्वयन के संबंध में सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) सर्वेक्षणों के परिणाम से पता चला है कि 211.45 किमी० लंबी लाइन की लागत ऋणात्मक प्रतिफल की दर सहित 1273.82 करोड़ रु० है। कुल मिलाकर लाइन की अलाभप्रद प्रकृति होने तथा इस समय रेलों के समक्ष संसाधनों की अत्यधिक तंगी के कारण परियोजना को शुरू करना संभव नहीं है।

[हिन्दी]

महाकौशल एक्सप्रेस को जम्मू तक बढ़ाया जाना

7021. श्रीमति ममता बैनर्जी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जबलपुर दिल्ली महाकौशल एक्सप्रेस को जम्मूतवी तक बढ़ाने और भोपाल-दुर्ग अमरकंटक एक्सप्रेस को जबलपुर से प्रतिदिन चलाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो कब तक इस बारे में अनुमोदन प्रदान कर दिया जाएगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सफाई कार्यक्रम

7022. श्री टी०एम० सेल्वागनपति : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष केन्द्रीय ग्रामीण सफाई कार्यक्रम से संबंधित राज्यवार कितनी परियोजनाएं शुरू की गई;

(ख) इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु उक्त अवधि के दौरान राज्य वार और वर्ष-वार राज्यों को कितनी धनराशि जारी की गई;

(ग) क्या उक्त कार्यक्रम के संबंध में राज्य सरकारों को कोई नए दिशानिर्देश जारी किए गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) विगत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत 51 नई परियोजनाएं मंजूर की गई थी, उनके ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) केन्द्र द्वारा प्रायोजित ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत विगत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार जारी की गई निधियों के ब्यौरे विवरण-II पर हैं।

(ग) और (घ) 1.4.99 से केन्द्र द्वारा प्रायोजित ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम को पुनर्गठित किया गया। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को नए दिशा-निर्देश भेज दिए गए हैं। पुनर्गठित कार्यक्रम पहले "मांग आधारित" दृष्टिकोण के लिए गरीबी मानदंड पर आधारित राज्यवार आबंटनों के सिद्धांत से अलग होगा। यह समुदाय और लोगों पर केन्द्रित है। आबंटन आधारित कार्यक्रम को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाएगा तथा इसके स्थान पर सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। तथा इसके स्थान पर सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। पुनर्गठित केन्द्र द्वारा प्रयोजित ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रौद्योगिक विकल्पों तथा आई०ई०सी० और स्कूल स्वच्छता के साथ ग्रामीण स्वच्छता हाटों के जरिए वैकल्पिक सुपुर्दगी प्रणाली सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के प्रमुख घटक हैं।

विवरण-I

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1997-98	1998-99	1999-2000
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	—	1	5
2.	अरूणाचल प्रदेश	—	—	2
3.	असम	—	—	3
4.	बिहार	—	—	2
5.	गुजरात	—	—	3
6.	हिमाचल प्रदेश	—	—	1
7.	कर्नाटक	—	—	3
8.	केरल	1	6	3
9.	महाराष्ट्र	—	—	4
10.	उड़ीसा	—	—	3
11.	राजस्थान	—	—	4
12.	सिक्किम	—	—	2
13.	तमिलनाडु	—	—	4
14.	उत्तर प्रदेश	—		4
	कुल	1	7	43

विवरण-II

विगत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार जारी की गई निधियां

(लाख रुपए में)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1997-98	1998-99	1999-2000
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	1021.32	1148.93	1074.91
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.00	0.00	40.48
3.	असम	0.00	0.00	133.22
4.	बिहार	0.00	0.00	729.75
5.	गोवा	3.75	0.00	0.00
6.	गुजरात	215.00	200.00	484.10
7.	हरियाणा	52.42	0.00	0.00
8.	हिमाचल प्रदेश	50.54	70.77	42.13
9.	जम्मू व कश्मीर	0.00	0.00	0.00
10.	कर्नाटक	1014.55	498.67	997.19
11.	केरल	531.47	731.37	253.03
12.	मध्य प्रदेश	506.86	525.49	438.11
13.	महाराष्ट्र	1285.38	575.28	1838.02
14.	मणिपुर	15.00	45.50	8.96
15.	मेघालय	15.91	35.00	0.00
16.	मिजोरम	4.68	21.00	1.89
17.	नागालैंड	0.00	0.00	0.00
18.	उड़ीसा	405.54	315.82	771.04
19.	पंजाब	0.00	53.35	0.00
20.	राजस्थान	193.76	193.76	556.80
21.	सिक्किम	23.13	28.00	25.43

1	2	3	4	5
22.	तमिलनाडु	925.93	496.39	1052.49
23.	त्रिपुरा	48.67	24.00	0.00
24.	उत्तर प्रदेश	2641.99	1116.49	737.77
25.	पश्चिम बंगाल	304.21	304.21	0.00
26.	अ व नि द्वीपसमूह	0.00	0.00	0.00
27.	दादर व नगर हवेली	0.00	0.00	0.00
28.	दमन व द्वीव	0.00	3.50	0.00
29.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00
30.	लक्षद्वीप	2.50	3.50	0.00
31.	पांडिचेरी	2.50	3.50	2.50
32.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00
	कुल	9265.11	6394.52	9187.82

शिलाओं और ताम्रपत्रों पर अभिलेख

7023. श्री पी०डी० एलानगोवन : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अब तक कितने शिलालेखों और ताम्रपत्र अभिलेखों की खोज की गई है;

(ख) अब तक पाए गए अभिलेखों का कालक्रम वर्गीकरण और अन्य ब्यौरा क्या है;

(ग) तमिलनाडु से अब तक लिखे गए और प्रकाशित शिलालेखों और ताम्रपत्र लिखित अभिलेखों की संख्या कितनी है;

(घ) तमिलनाडु में पाए गए इन अभिलेखों के कालक्रम वर्गीकरण का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा ऐतिहासिक और सामाजिक मूल्य के इन अभिलेखों को प्रकाशित करने हेतु कौन से विभिन्न कदम उठाए गए हैं ?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) और (ख) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को अब तक कुल 85,874 शिला तथा ताम्र पत्र लेख मिले हैं। कालक्रमानुसार ये ईशापूर्व तीसरी शताब्दी ई० से 19वीं शताब्दी ई० तक के हैं।

(ग) से (ङ) तमिलनाडु में, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को आज तक 27371 शिला तथा ताम्रपत्र लेख प्राप्त हुए हैं। ये उत्कीर्ण लेख छठी-सातवीं शताब्दी ई० से 19वीं शताब्दी ई० के हैं। इन उत्कीर्ण लेखों को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पुरालेखीय प्रकाशनों जैसे भारतीय पुरालेख पर वार्षिक रिपोर्टों, दक्षिण भारतीय उत्कीर्ण लेखों, कॉरपस इंसक्रिप्शनम इंडियाकैरम्, ऐपीग्राफिया इंडिका, तथा ऐपोग्राफिया इंडिका (अरबी तथा फारसी सम्पूरक) में रिपोर्ट किया गया है।

अहमदाबाद-दिल्ली रेल लाइन पर रेल सेवा

7024. श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अहमदाबाद-दिल्ली रेल मार्ग पर मीटर लाइन का बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन किए जाने से पूर्व कितनी ट्रेन सेवाएं रद्द कर दी गई हैं;

(ख) क्या उक्त रेल सेवाएं पुन: शुरू कर दी गई हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इन्हें कब तक शुरू किए जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) आमान परिवर्तन के कार्य के कारण दिल्ली और अहमदाबाद के बीच गाड़ी सेवाएं चरणों में कम कर दी गई थी।

आमान परिवर्तन से पहले अहमदाबाद और दिल्ली (मी०ला०) के बीच निम्नलिखित गाड़ियां उपलब्ध थीं।

1. 9903/9904 दिल्ली-अहमदाबाद एक्सप्रेस
2. 9931/9932 दिल्ली-अहमदाबाद अरावली एक्सप्रेस
3. 2905/2906 दिल्ली-अहमदाबाद आश्रम एक्सप्रेस
4. 9901/9902 दिल्ली-अहमदाबाद मेल

आमान परिवर्तन के कार्य के बाद बरास्ता जयपुर दिल्ली और अहमदाबाद के बीच ब०ला० निम्नलिखित गाड़ियां चलाई गई हैं।

1. 9263/9264 दिल्ली-सरायरोहिल्ला-पोरबंदर एक्सप्रेस (साप्ताहिक)
2. 9105/9106 दिल्ली-अहमदाबाद मेल
3. 2957/2958 नई दिल्ली-अहमदाबाद राजधानी एक्सप्रेस (सप्ताह में तीन बार)
4. 2915/2916 दिल्ली-अहमदाबाद आश्रम एक्सप्रेस
5. 4311/4312 दिल्ली-गांधीधाम एक्सप्रेस (सप्ताह में दो बार)

इसके अतिरिक्त 9943/9944 एक्सप्रेस भी दिल्ली-सरायरोहिल्ला और अहमदाबाद (मी०ला०) बरास्ता उदयपुर के बीच चल रही है।

जुलाई, 2000 की समय सारिणी में अहमदाबाद-जयपुर-दिल्ली के रास्ते ओखा और देहरादून के बीच एक साप्ताहिक गाड़ी चलाने और 9263/9264 दिल्ली सरायरोहिल्ला-पोरबंदर एक्सप्रेस के फेरों को सप्ताह में एक बार से दो बार बढ़ाने का प्रस्ताव भी है।

[हिन्दी]

विकलांगों के लिए रियायती टिकट

7025. **श्री मणिभाई रामचीभाई चौधरी :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विकलांगों को दिये गए रियायती किराए के टिकटों का दुरुपयोग हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) इंडियन एयरलाइंस द्वारा विकलांगों को दिए गए रियायती पासों के दुरुपयोग के किसी भी मामले की अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

लीकेज और अनियमितताओं को रोकना

7026. **श्री शीशराम सिंह रवि :**
श्री प्रभुनाथ सिंह :
प्रो० दुखा भगत :
डा० मदन प्रसाद जायसवाल :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के तहत सरकार द्वारा राज्यों को जारी की गई राजसहायता में होने वाले लीकेजिज और अनियमितताओं को पूर्णत: नहीं रोक पा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इन वर्षों में इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम और गरीबी उपशमन हेतु ऐसी अन्य योजनाओं के तहत राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई राजसहायता का ब्यौरा क्या है और इस उद्देश्य हेतु इस राजसहायता का किस सीमा तक उपयोग किया गया है ?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा कृषि मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा): (क) और (ख) ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन का दायित्व राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों का है। तथापि, कार्यक्रम का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए जिसमें लीकेज और अनियमितताएं भी शामिल हैं, केन्द्र सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए/सुझाए गए हैं :–

- कार्यक्रमों की योजना बनाने तथा इसके कार्यान्वयन में पंचायती राज संस्थाओं को शामिल करके पारदर्शिता पर बल देना।
- ग्राम सभा द्वारा कार्यों तथा लाभार्थियों का चयन।
- राज्य, जिला तथा ब्लाक स्तरों पर इस कार्यक्रमों के लिए सतर्कता तथा निगरानी समितियों का गठन करना। स्थानीय संसद सदस्य तथा विधायक, जिला तथा ब्लाक स्तर की समितियों के सदस्य होते हैं।
- निधियों के केन्द्रीय अंश की द्वितीय किस्त तभी रिलीज की जाती है जब स्वतंत्र लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित लेखा परीक्षा विवरण प्राप्त हो जाते हैं।
- क्षेत्र अधिकारी योजना के अंतर्गत मंत्रालय के अधिकारियों का कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के संबंध में क्षेत्र दौरा/कार्यों के चयनित नमूनों के आधार पर क्षेत्र अधिकारी क्षेत्र दौरा करते हैं तथा कार्य स्थल पर परिसम्पत्तियों का सत्यापन करते हैं।
- राज्य तथा जिला स्तर के अधिकारी भी नियमित क्षेत्र दौरा करते हैं तथा कार्य स्थल पर परिसम्पत्तियों का वास्तविक सत्यापन करते हैं।

(ग) वर्ष 1997-98 तथा 1998-99 के दौरान पिछले समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा वर्ष 1999-2000 के दौरान पुनर्गठित स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को रिलीज किए गए केन्द्रीय अंश के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :–

(रुपए करोड़ में)

क्रम सं०	वर्ष	समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम/ स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत जारी निधियां
1.	1997-98	545.02
2	1998-99	625.63
3.	1999-2000	932.23

श्री रूप लाल को पाकिस्तानी जेल से रिहायी

7027. **श्री नरेश पुगलिया :**
श्री सुशील कुमार शिंदे :
श्री माधवराव सिंधिया :
श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री रूप लाल सहारिया जिन्हें जासूसी करने के जुर्म में 1974 में पाकिस्तान में गिरफ्तार किया गया था तथा 2000 में रिहा किया गया एक रक्षा कर्मी थे जो देश के लिए काम कर रहे थे;

(ख) यदि हां, तो इन 26 वर्षों के दौरान उन्हें/उनके परिवार के सदस्यों को कितना मुआवजा दिया गया; और

(ग) अब जबकि उन्हें रिहा कर भारत भेज दिया गया है उन्हें कितना मुआवजा दिये जाने का विचार है ?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ग) श्री रूप लाल सहारिया, जो भारतीय सेना में राइफलमैन/धोबी के रूप में भर्ती हुए थे, ने वर्ष 1969 में अनुकंपा के आधार पर सेना से समय-पूर्व डिस्चार्ज ले लिया था। उसके बाद से वह भारतीय सेना के लिए कार्य नहीं कर रहे थे।

[हिन्दी]

वृहद् साहित्यिक और कलाकार मंथन योजना

7028. **श्री उत्तमराव पाटील** : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को "वृहद् साहित्यिक और कलाकार मंथन योजना" के अंतर्गत वार्षिक आय सीमा को 24,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए करने का कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस सीमा को तीन बार संशोधित किया जा चुका है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या कम वार्षिक आय सीमा रखने के कारण इस योजना के लाभ से अनेक कलाकार वंचित हैं;

(च) आय सीमा को कब तक बढ़ाए जाने की सम्भावना है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) से (छ) संस्कृति विभाग एक स्कीम संचालित करता है जिसके अंतर्गत साहित्य, कला और जीवन के ऐसे ही अन्य क्षेत्रों में अभावग्रस्त परिस्थितियों में रह रहे उत्कृष्ट व्यक्तियों एवं उनके आश्रितों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। सहायता राशि प्रति कलाकार 2000/- रुपये प्रतिमाह की दर से प्रदान की जाती है। पात्र होने के लिए, कलाकर की आयु 58 वर्ष होनी चाहिए और सभी स्रोतों से उसकी मासिक आय 2000/- रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। सरकार पहले ही दिनांक 1.10.98 से सहायता राशि को 1500/- रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 2000/- रुपये प्रतिमाह कर चुकी है। चूंकि सहायता राशि में संशोधन हाल ही में किया गया है, इसलिए इस राशि में और संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

जम्मू और कश्मीर में पर्यटकों का आगमन

7029. **प्रो० दुआ भगत** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों के कारण पर्यटकों के आगमन में कमी आ रही है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1999-2000 के दौरान जम्मू और कश्मीर में कितने पर्यटक आए; और

(ग) सरकार द्वारा राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) और (ख) वर्ष 1998 की तुलना में वर्ष 1999 के दौरान जम्मू और कश्मीर राज्य में पर्यटक आवागमन में 1.64 प्रतिशत की वृद्धि हुई । वर्ष 1999-2000 के दौरान जम्मू और कश्मीर राज्य का भ्रमण करने वाले पर्यटकों की कुल संख्या 4822966 है।

(ग) किसी भी राज्य में पर्यटन विकास कार्य की प्रारंभिक जिम्मेदारी राज्य/संघ राज्य प्रशासनों की है। तथापि, केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय उन्हें प्रत्येक वर्ष उनके साथ विचार-विमर्श करके प्राथमिकता के लिए निर्धारित विशिष्ट प्रस्तावों हेतु केन्द्रीय वित्तीय सहायता देता है। वर्ष 1999-2000 के दौरान जम्मू और कश्मीर राज्य में विभिन्न पर्यटन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 318.21 लाख रुपए राशि की 17 परियोजनाएं स्वीकृत हुई थीं। इन परियोजनाओं में पर्यटक परिसर का नवीकरण/उन्नयन, कैफेटेरिया का निर्माण तथा आइस हाकी उपकरण आदि की खरीद भी शामिल है।

[अनुवाद]

रूरल हाउसिंग एण्ड हैबीटेट डेवेलपमेंट कारपोरेशन

7030. **श्री प्रभुनाथ सिंह** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1998-99 के दौरान निजी क्षेत्र के सहयोग से ग्रामीण क्षेत्रों में 13 लाख मकान बनाने और ग्रामीण गरीबों को आवास सुनिश्चित करने के लिए एक रूरल हाउसिंग एंड हैबीटेट डेवेलपमेंट कारपोरेशन की स्थापना का निर्णय लिया; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा 1998-99 और 1999-2000 के दौरान राज्यवार क्या उपलब्धियां प्राप्त की गई ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) ग्रामीण क्षेत्र में अतिरिक्त 13 लाख आवासों के निर्माण की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए सरकार ने ग्रामीण आवास के लिए एक कार्य योजना बनाई है। इस कार्य योजना में इंदिरा आवास योजना, ग्रामीण आवास के लिए ऋण-सह-सबसिडी योजना, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा हुडको को इक्वीटी अंशदान को बढ़ाना शामिल है। ग्रामीण आवास एवं पर्यावास विकास निगम की स्थापना के बारे में सरकार द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत 1998-99 तथा 1999-2000 के लिए राज्यवार उपलब्धि संलग्न विवरण में दी गई है। ऋण-सह-सबसिडी योजना 1.33 लाख आवासों के लक्ष्य के साथ 1.4.1999 से शुरू की गई थी। इक्वीटी अंशदान के रूप में हुडको को वर्ष 1998-99 तथा 1999-2000 के दौरान क्रमश: 50 करोड़ तथा 150 करोड़ रुपये वितरित किए गए थे। हुडको से प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभ के लिए वर्ष 1998-99 तथा 1999-2000 के दौरान क्रमश: 13,04,072 तथा 10,06,253 आवास स्वीकृत किए गए थे।

विवरण

वर्ष 1998 और 1999-2000 के दौरान इन्दिरा आवास योजना के अंतर्गत उपलब्धियां

मकानों की संख्या

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1998-99	1999-2000#	
			निर्मित	निर्माणाधीन
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	61430	65938	23683
2.	अरुणाचल प्रदेश	470	1101	861
3.	असम	20937	20412	21222
4.	बिहार	125082	127313	201247
5.	गोवा	482	308	1709
6.	गुजरात	21820	14627	13084
7.	हरियाणा	10043	5711	1681
8.	हिमाचल प्रदेश	3874	2770	1867
9.	जम्मू व कश्मीर	5400	5077	7460
10.	कर्नाटक	37369	29685	17982
11.	केरल	9452	15280	16095
12.	मध्य प्रदेश	102901	58681	70889
13.	महाराष्ट्र	54532	42957	41598
14.	मणिपुर	1125	0	0
15.	मेघालय	734	356	108
16.	मिजोरम	519	1434	202
17.	नागालैंड	2290	5097	0
18.	उड़ीसा	50671	42942	391
19.	पंजाब	3831	2438	1625
20.	राजस्थान	32955	25158	19959
21.	सिक्किम	543	508	174
22.	तमिलनाडु	68207	47807	15904
23.	त्रिपुरा	3235	675	0
24.	उत्तर प्रदेश	181274	96235	21482
25.	पश्चिम बंगाल	36246	43017	18448
26.	अं० व ना० द्वीप समूह	6	6	1
27.	दा० व ना० हवेली	6	52	178
28.	दमन व दीव	0	3	0
29.	लक्षद्वीप	40	34	5
30.	पांडिचेरी	290	147	639
	जोड़ :	835764	655769	498494

#अनंतिम (उपलब्ध उद्यतन सूचनानुसार)

आई०आई०एस० एण्ड एम० में अनुसूचित जाति/जनजातियों के लिए आरक्षण

7031. **सरदार बूटा सिंह :** क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कीइंग एण्ड माउन्टेनियरिंग में डिप्लोमा, स्नातक-पूर्व, स्नातक, स्नातकोत्तर स्तर पर विभिन्न संकायों/क्षेत्रों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की कितनी सीटें आरक्षित हैं; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित जाति/जनजातियों के कितने छात्र दाखिल हुए और कुल स्थानों की तुलना में इनका कितना प्रतिशत है ?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) भारतीय स्कीइंग और पर्वतारोहण संस्थान ने स्कीइंग/पैराग्लाइडिंग पर 4 से 14 दिवसीय अल्पकालीन पाठ्यक्रमों का आयोजन किया। अल्पकालीन क्रियाकलापों में भागिता और पूर्णता प्रमाण-पत्र उन्हीं लोगों को दिया गया था जिन्होंने ऐसे क्रियाकलापों में भाग लिया था।

(ख) साहसिक क्रीड़ा क्रियाकलापों में सभी पुरुष एवं महिलाएं जो इनमें रुचि रखते हैं अपेक्षित शुल्क देकर भाग ले सकते/सकती हैं।

जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को आवंटित निधियां

7032. **श्रीमती रक्षमा सिंह :** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार देश में जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को सीधे निधियां दे रही है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को ऐसी निधियों के दुरुपयोग के बारे में सूचनाएं मिली हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में किस कार्रवाई पर विचार किया गया है ?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा कृषि मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा): (क) जी, हां।

(ख). 1999-2000 के दौरान प्रमुख ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत सीधे जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को प्रदान की गई निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

(ग) और (घ) निधियों के दुरुपयोग की कुछ रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं। सरकार को प्राप्त निधियों के दुरुपयोग की शिकायतों/रिपोर्टों को उचित कार्रवाई के लिए संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को भेजा जाता है, क्योंकि ये योजनाएं राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधिकारी भी ऐसी शिकायतों की जांच करने के लिए समय-समय पर राज्यों का दौरा करते हैं।

विवरण

(रुपये लाख में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	धनराशि 1999-2000
1	2
आन्ध्र प्रदेश	37919.05
अरुणाचल प्रदेश	5989.00
असम	22396.16
बिहार	96724.51
गोवा	323.33
गुजरात	18061.59
हरियाणा	8063.05
हिमाचल प्रदेश	4421.44
जम्मू व कश्मीर	5165.97
कर्नाटक	22668.89
केरल	12204.96
मध्य प्रदेश	68823.53
महाराष्ट्र	47892.38
मणिपुर	952.23
मेघालय	1262.81
मिजोरम	979.55
नागालैंड	1509.46
उड़ीसा	54625.14
पंजाब	3837.15
राजस्थान	26978.60
सिक्किम	627.28
तमिलनाडु	34784.71
त्रिपुरा	3219.59
उत्तर प्रदेश	108736.54
पश्चिम बंगाल	33540.26
अंडमान व निकोबर द्वीप समूह	152.63
दादर व नगर हवेली	143.67
दमन व द्वीव	51.73
लक्षद्वीप	77.67
पांडिचेरी	169.94
कुल	622303.27

चेन्नई-तिरुवल्लूर रेलमार्ग का निर्माण

7033. **श्री ए० कृष्णा स्वामी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे में चेन्नई से तिरुवल्लूर का 42 किलोमीटर लम्बा रेल मार्ग काम शुरू होने के छह वर्ष बाद भी पूरा नहीं हो पाया है;

(ख) यदि हां, तो विलंब के क्या कारण हैं; और

(ग) उपरोक्त परियोजना को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

उड़ीसा में पवनचक्कियों की स्थापना

7034. **श्री प्रभात सामन्तराय** : क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों में स्थापित की गई पवन चक्कियां चक्रवात के कारण बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थीं; और

(ख) यदि हां, तो इन्हें नई पवनचक्कियों से बदलने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम० कन्नप्पन): (क) पिछले वर्ष के चक्रवात के दौरान किसी भी पवन चक्की के क्षतिग्रस्त होने की रिपोर्ट नहीं मिली है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्थानों से ऋण

7035. **श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय का विचार अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्थानों से ऋण लेने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) रेलवे ने किन-किन परियोजनाओं के लिए ऋण लिए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) जी, हां। ब्यौरा नीचे दिया गया है :–

1. क्षमता संरक्षा के संवर्धन आदि के पहलुओं को शामिल करने वाली रेलवे क्षेत्र सुधार परियोजना के लिए कुल लगभग 3800 करोड़ रुपए का (सह वित्तपोषण सहित) के एशियाई विकास बैंक से ऋण।

2. रेल मंत्रालय का और महाराष्ट्र सरकार ने संयुक्त रूप से मुंबई शहरी परिवहन परियोजना के वित्त पोषण के लिए विश्व बैंक से संपर्क किया गया था। मुंबई शहरी परिवहन परियोजना के रेल घटकों की कुल लागत 5,000 करोड़ रुपए है। विश्व बैंक से 50%-60% की सीमा तक वित्तपोषण के लिए मोलभाव किया जा रहा है।

3. दिल्ली और कानपुर के बीच सिगनल व्यवस्था के आधुनिकीकरण की परियोजना के वित्तपोषण के लिए 185 मिलियन के ड्यूश मार्क के उदार ऋण हेतु क्रेडिटस्टाल्ट फर वैडेराफबाऊ (के०एफ०डब्ल्यू०) के साथ ऋण अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

4. मुंबई क्षेत्र के ई०एम०यू० के लिए 3 फेज एसी/डीसी कर्षण ड्राइव प्रणाली के प्रापण के वित्तपोषण के लिए फ्रेंच मिश्रित ऋण उपलब्ध कराने के लिए फ्रांस की सरकार के समक्ष एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

जिन परियोजनाओं के लिए रेलों ने ऋण लिया है, वे निम्न हैं:–

1. एशियाई विकास बैंक ऋण संख्या 1140 आई०एन०डी० के अंतर्गत वित्तपोषित परियोजनाएं–प्रौद्योगिकी हस्तांतरण सहित तीन फेज माल इंजनों का प्रापण, उत्तर और पूर्व रेलवे के गाजियाबाद-गोमोह खंड के बीच कर्षण उप-स्टेशनों की संस्थापना, बिजली और डीजल रेल इंजन सिमुलेटर का प्रापण।

2. एशियाई विकास बैंक ऋण संख्या 857 आई०एन०डी० के अंतर्गत वित्तपोषित परियोजनाएं - पूर्व रेलवे के पतरातू-सोननगर खंड का विद्युतीकरण, पूर्व रेल के सोननगर-मुगलसराय खंड के बीच तीसरी लाइन का निर्माण।

3. विगत में मेट्रो रेल कलकत्ता पर सतत् स्वचल गाड़ी नियंत्रण प्रणाली, कोरापुट-रायगडा रेलवे लाइन के निर्माण तथा यू०के०, जर्मनी, जापान एवं स्विटजरलैंड से निर्दिष्ट आयातों के लिए द्विपक्षीय बाहरी सहायता का लाभ उठाया गया है।

दक्षिण मध्य रेलवे द्वारा विज्ञापन

7036. श्री ए० ब्रह्मनैया : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण मध्य रेलवे प्रतिवर्ष प्रिन्ट मीडिया में अनेकों विज्ञापन जारी करती हैं;

(ख) यदि हां, तो इस वर्ष 1999-2000 में इन विज्ञापनों पर कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(ग) वर्ष 1999-2000 के दौरान प्रत्येक प्रकाशन को दिए गए विज्ञापनों का ब्यौरा क्या है और ये किन-किन स्थानों से प्रकाशित होते हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) 1999-2000 के दौरान टेंडर विज्ञापनों पर हुए खर्च 1.73 करोड़ रु० सहित प्रेस विज्ञापनों पर 2.07 करोड़ रु० (अनंतिम) खर्च किया गया।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

ब्यौरा निम्नलिखित है

क्रम सं०	प्रकाशन का नाम	प्रकाशन स्थल	विज्ञापनों की संख्या
1	2	3	4
1.	इंडियन एक्सप्रेस	दक्षिण संस्करण (9 केन्द्र)	1065
2.	दक्कन क्रॉनिकल	आंध्र प्रदेश संस्करण (4 केन्द्र)	120
3.	द हिन्दु	दक्षिण संस्करण (8 केन्द्र)	76
4.	इकोनॉमिक टाइम्स	हैदराबाद	100
5.	सिटिजन्स	हैदराबाद	52
6.	प्लेज	हैदराबाद, विजयवाड़ा	28
7.	स्काईलाइन	हैदराबाद	18
8.	तुडे फ्रीडम	हैदराबाद, विजयवाड़ा	22
9.	इम्प्लायमेंट इनफार्मेशन	हैदराबाद	14
10.	लोकमत टाइम्स	औरंगाबाद	36
11.	गोमान्तक टाइम्स	गोवा	38
12.	नव हिन्द टाइम्स	गोवा	42

1	2	3	4
13.	ओ हेरॉल्ड	गोवा	29
14.	दक्कन हेरॉल्ड	बैंगलोर	42
15.	ईनाडु	आंध्र प्रदेश संस्करण (12 केन्द्र)	12
16.	वार्ता	आंध्र प्रदेश संस्करण (11 केन्द्र)	533
17.	आंध्र ज्योति	आंध्र प्रदेश संस्करण	262
18.	आंध्र प्रभा	आंध्र प्रदेश संस्करण	134
19.	कृष्णा पत्रिका	हैदराबाद, विजयवाड़ा	29
20.	विशाल आंध्रा	विजयवाड़ा	18
21.	प्रजा शक्ति	विजयवाड़ा	18
22.	जनता	विजयवाड़ा	16
23.	स्टेट टाइम्स	इलूरू	14
24.	पोद्दू	हैदराबाद, विजयवाड़ा	16
25.	प्रजापोरातम	नलगोंडा	14
26.	विजयभानु	विशाखापत्तनम	16
27.	गुंतूर एक्सप्रेस	गुंतूर	12
28.	हिन्दी मिलाप	हैदराबाद	652
29.	अजंता	हैदराबाद	18
30.	प्रजासहायता	हैदराबाद	18
31.	नव दक्कन	हैदराबाद	18
32.	लोकमत समाचार	औरंगाबाद	7
33.	सियासत	हैदराबाद	130
34.	मुंसिफ	हैदराबाद	142
35.	रहनुमा-ए-दक्कन	हैदराबाद	42
36.	साज-ए-दक्कन	हैदराबाद	14
37.	भाग्यनगर टाइम्स	हैदराबाद	38
38.	महेसर	हैदराबाद	15
39.	मेहंगाही	हैदराबाद	8
40.	विसात-ए-आलम	हैदराबाद	12
41.	द अवाम	हैदराबाद	12
42.	सियानत-ए-जमूर	हैदराबाद	12
43.	औरंगाबाद टाइम्स	औरंगाबाद	22
44.	लोकमत	औरंगाबाद	67
45.	मराठवाड़ा	औरंगाबाद	9
46.	देवगिरी तरुण भारत	औरंगाबाद	13
47.	श्रमिक-एक-जुट	नांदेड़	8
48.	प्रजावाणी	नांदेड़	7
49.	गोदातिर समाचार	नांदेड़	7
50.	तरुण भारत	गोवा	27
51.	नव भारत	गोवा	7
52.	केसरी	सांगली	7
53.	सकाल	कोल्हापुर	12
54.	पुधारी	कोल्हापुर	12
55.	यशवंत	लातूर	9
56.	प्रजावाणी	बैंगलोर और हुबली	48
57.	संयुक्त कर्णाटक	बैंगलोर और हुबली	32
58.	कन्नण प्रभा	बैंगलोर	62
59.	विशाल कर्णाटक	हुबली	14
60.	विश्व वाणी	हुबली	16
61.	नव प्रभा	हुबली	8
62.	संचार	गोवा	4
63.	टाइम्स ऑफ इंडिया	मुम्बई	62
64.	हिन्दुस्तान टाइम्स	नई दिल्ली	48
65.	स्टेट्समेन	कलकत्ता	32
66.	टेलीग्राफ	कलकत्ता	52
67.	बाई एंड सेल	कलकत्ता	24
68.	इंडिया टैंडर जर्नल	नई दिल्ली	18
69.	फ्री प्रैस जर्नल	मुम्बई	24
70.	हिन्दुस्तान	नई दिल्ली	9
71.	इंडियन एक्सप्रेस	पश्चिमी और उत्तरी संस्करण	72
72.	हितवदा	नागपुर	13
73.	मलयाला मनोरमा	कोची	2

रेलवे पुलिस की कर्मचारी संख्या

7037. **श्री जी० पुट्टास्वामी गौडा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में चलने वाली प्रत्येक लंबी दूरी की गाड़ी को एस्कोर्ट-सुविधा प्रदान करने हेतु संपूर्ण कर्नाटक की रेलवे पुलिस के कर्मचारियों की मौजूदा संख्या पर्याप्त है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या इस उद्देश्य के लिए कर्नाटक में रेलवे पुलिस की संख्या बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) चालितगाड़ियों सहित भारतीय रेलों पर अपराध पर नियंत्रण तथा कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। रेलवे पुलिस की संख्या की पर्याप्तता का निर्णय राज्य सरकारों द्वारा तथा इस मामले में कर्नाटक सरकार द्वारा लिया जाना चाहिए।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

कारगिल युद्ध के समय सैनिकों का लापता होना

7038. **श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'कारगिल युद्ध' के समय कितने सैनिकों के लापता होने की रिपोर्ट मिली है और उनके पदनाम क्या हैं;

(ख) उनका पता लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) अब तक किए गए प्रयासों के क्या निष्कर्ष निकले ?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) हिमधाव के कारण

(i) अफसर	—	1
(ii) अन्य रैंक	—	8
शत्रु कार्रवाई के कारण		
जूनियर कमीशन प्राप्त अफसर (जे०सी०ओ०)	—	1
योग :		10

(ख) और (ग) हिमधाव के कारण लापता कार्मिकों का पता लगाने के लिए प्रयास जारी हैं। सैन्य संक्रिया महानिदेशक ने दुश्मन की कार्रवाई के कारण लापता हुए कार्मिकों का पता लगाने के लिए मामला पाकिस्तानी सैन्य संक्रिया महानिदेशक के साथ उठाया है।

उत्तर प्रदेश में होटलों का निर्माण

7039. **चौधरी तेजवीर सिंह** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार के पास उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य में नए होटलों, मोटलों और यात्री निवासों के निर्माण के प्रस्ताव लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन्हें कब तक स्वीकृति प्रदान कर दी जाएगी ?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) से (ग) वर्ष 1999-2000 के दौरान तपोवन में 332 शैय्याओं वाले पर्यटक रैस्ट हाउस के निर्माण के लिए 69.97 लाख रु०, चिपलाकोट और पंचेश्वर में एफ०आर०पी० कुटीरों के लिए 12.00 लाख रु० और उत्तर प्रदेश में केसरदेवी में पर्यटक गांव के विकास के लिए 25.00 लाख रु० की केन्द्रीय वित्तीय सहायता का अनुमोदन किया गया है। इन परियोजनाओं के लिए पहली किश्त शीघ्र रिलीज कर दी जाएगी। तथापि, चमोली में 100 शय्याओं वाले जनता यात्री निवास और मंजूरी में 20 शय्याओं वाली कुटीरों के निर्माण के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता, राज्य सरकार से स्पष्टीकरण/संबंधित कागजात प्राप्त न होने के कारण अनुमोदित/स्वीकृत नहीं की जा सकी।

रेलवे भूमि पर रहने वाले झुग्गी-वासियों को हटाना

7040. **श्री किरीट सोमैया** :
श्री प्रभुनाथ सिंह :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने उनके मंत्रालय को दिल्ली में रेल लाइनों के निकट रह रहे झुग्गी-वासियों को हटाने का निर्देश दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का पालन किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

निजी हवाई कंपनियों द्वारा उड़ानों का समय

7041. **श्री जार्ज ईडन** :
श्री रमेश चेन्नितला :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजी हवाई कंपनियों की उड़ानों के निर्धारित समय में हाल ही में किये गये परिवर्तनों के कारण इंडियन एयरलाइंस पर विपरीत प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय विमान सेवा को बचाने के लिए उड़ानों के समय को पुन: निर्धारित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया का प्रबंधन तंत्र

7042. **श्रीमती रेनु कुमारी** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया का प्रबंधन तंत्र बहुत बड़ा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस प्रबंधन तंत्र को किन स्तरों पर कम किये जाने की संभावना है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) दोनों एयरलाइनों में कर्मचारी/विमान अनुपात अन्तरराष्ट्रीय औसत से कहीं अधिक है। दोनों एयरलाइनों गैर-प्रचालनात्मक श्रेणियों में भर्ती पर रोक लगाकर, स्टाफ की पुन: तैनाती करके, सेवानिवृत्ति की आयु 60 से घटाकर 58 वर्ष करके स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति इत्यादि के द्वारा तंत्र आकार छोटा करने संबंधी कार्रवाई कर रही हैं।

[अनुवाद]

ब्रह्मपुत्र नौसैनिक जहाज का सेना में शामिल होना

7043. **श्री सुशील कुमार शिंदे** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में भारतीय नौसैनिक जहाज ब्रह्मपुत्र को इसके प्रमुख शस्त्र प्रणाली त्रिशूल के बिना ही सेना में शामिल किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या नौसेना द्वारा इस युद्धपोत को 'राइनों विदआउट ए होर्न' बिना सींग के गैंडे के रूप में वर्णित किया गया है; और

(घ) इस पर ससरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) भारतीय नौसेना पोत ब्रह्मपुत्र को त्रिशूल हथियार प्रणाली के बिना ही कमीशन किया गया है क्योंकि उक्त प्रणाली का अभी भी परीक्षण चल रहा है तथा इसका कार्य-निष्पादन अभी तक पूरी तरह से सिद्ध नहीं हुआ है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रतिनियुक्त करना

7044. **श्री शमशेर सिंह दूलो** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण विकास मंत्रालय और इसके संबद्ध संगठनों से 1 जनवरी, 1996 से आज तक संयुक्त राष्ट्र संगठन और इसके संबद्ध संगठनों/अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों में विभिन्न संवर्गों में कितने व्यक्तियों को प्रतिनियुक्त किया गया/प्रायोजित किया गया/भेजा गया और इनमें से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ी जातियों के व्यक्ति कितने थे और कुल व्यक्तियों में से इनका प्रतिशत कितना था; और

(ख) भेदभाव के क्या कारण हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा कृषि मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा) : (क) तीन। उनमें से कोई भी अनु० जाति/अनु० जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित नहीं है।

(ख) संगठन द्वारा इन अधिकारियों की सेवाएं उनके विषय विशेषीकरण को ध्यान में रखते हुए नाम द्वारा चाही गई थी।

इंदिरा आवास योजना का क्रियान्वयन

7045. **श्री मुद्दागाड्डा पद्मानाभम्** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत मकानों के आबंटन के लिए परिवारों के चयन हेतु क्या मानदंड अपनाये जा रहे हैं;

(ख) क्या इंदिरा आवास योजना के पूर्णत: केन्द्र सरकार की योजना होने के बाद भी चयन-प्रक्रिया में संसद सदस्यों की कोई भूमिका नहीं है और इस प्रकार इंदिरा आवास योजना के क्रियान्वयन के बारे में महत्वपूर्ण और शुरूआती फीडबैक से वंचित हो रही है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार सुनिश्चित रोजगार योजना की भांति "इंदिरा आवास योजना" से संबंधित समस्त निर्णयों में संसद सदस्यों को शामिल करना अनिवार्य बनाकर संबंधित अधिकारियों के लिए आवश्यक मार्गनिर्देश कब तक जारी करेगी ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) से (ग) इंदिरा आवास योजना के दिशा-निर्देशों में यह निर्धारित है कि किए गये आबंटनों और निर्धारित लक्ष्य के आधार पर जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों/जिला परिषदें किसी विशेष वित्तीय वर्ष के दौरान इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत बनाए जाने वाले आवासों की पंचायतवार संख्या निर्धारित करेगी तथा ग्राम पंचायतों को इसकी सूचना देंगी। इसके बाद ग्रामसभा इंदिरा आवास योजना के दिशा निर्देशों

तथा निर्धारित प्राथमिकताओं के अनुसार पात्र परिवारों की सूची से लाभार्थियों का चयन करेगी और संख्या आबंटित लक्ष्यों तक सीमित होगी। हालांकि पंचायत समिति का अनुमोदन आवश्यक नहीं है लेकिन उन्हें चयनित लाभार्थियों की सूची भेजनी होती है।

2. संसद सदस्य जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के शासी निकाय के सदस्य होते हैं तथा इंदिरा आवास योजना सहित ग्रामीण विकास परियोजनाओं के नीति निर्धारण तथा कार्यान्वयन में शामिल होते हैं। वे निगरानी तथा सतर्कता समितियों के भी सदस्य होते हैं।

[हिन्दी]

हवाई अड्डों पर सुरक्षा जांच के नये निर्देश

7046. डा० रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोर्डिंग कार्ड के साथ हवाई अड्डे और विमान में प्रवेश करते समय मशीन से तथा के०औ०सु०ब० के जवानों द्वारा दोबारा हाथ से संसद सदस्यों समेत सभी यात्रियों की सुरक्षा जांच के बारे में नए निर्देश जारी किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो मशीन द्वारा जांच के पश्चात् हाथ से जांच करने का औचित्य क्या है;

(ग) क्या पूर्व में संसद सदस्यों के इस प्रकार की जांच से छूट थी;

(घ) यदि हां, तो क्या संसद सदस्यों को सुरक्षा जांच से संबंधित निर्देशों की प्रति उपलब्ध करवाई जाएगी; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) हवाई अड्डों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने के लिए हाल ही में बहुत से उपाय किए गए हैं। सुरक्षा होल्ड और विमान के बीच यात्री को कोई हथियार अथवा विस्फोटक सामग्री के हस्तांतरण की संभावना समाप्त करने के लिए नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बी०सी०ए०एस०) ने यात्रियों की द्वैतियक लैडर प्वाइंट पर यात्रियों तथा उनके हैंड-बैग की जांच के लिए अनुदेश जारी किए हैं। सुरक्षा जांच में मशीनी और भौतिक जांच दोनों शामिल हैं।

(ग) से (ङ) सुरक्षा उपाय सभी यात्रियों के लिए एक समान रूप से लागू हैं।

[अनुवाद]

चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को टर्मिनल में बदलना

7047. श्री अजय चक्रवर्ती : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरह चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन से महत्वपूर्ण मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां शुरू किए जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को बड़े टर्मिनल में नहीं बदले जाने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) यातायात की आवश्यकताओं के अनुरूप चण्डीगढ़ में कोचिंग टर्मिनल सुविधाओं का विस्तार शुरू किया गया है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में जैव-ऊर्जा केन्द्र

7048. श्रीमती रीना चौधरी :
श्री रवि प्रकाश वर्मा :

क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में जिलावार कितने जैव ऊर्जा स्रोत केन्द्र चल रहे हैं;

(ख) क्या खेड़ी और मोहनलाल गंज (उ०प्र०) में सातवीं योजना के अनुच्छेद 6.200 तथा 6.223 के अनुसार जैव ऊर्जा केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो परियोजना की अद्यतन स्थिति क्या है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम० कन्नप्पन): (क) सरकार की, उत्तर प्रदेश राज्य या किसी अन्य राज्य के विभिन्न जिलों में बायोऊर्जा स्रोत केन्द्रों की स्थापना करने के लिए कोई योजना नहीं है।

(ख) सातवीं योजना के अनुच्छेद 6.200 और 6.223 भारवाही पशु विद्युत (डी०ए०पी०) से संबंधित है और उत्तर प्रदेश में खेड़ी तथा मोहनलाल गंज में भारवाही पशु विद्युत (डी०ए०पी०) या बायोऊर्जा केन्द्रों की स्थापना का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

उ०प्र० में समेकित परती भूमि विकास कार्यक्रम की उपयोगिता

7049. श्री रवि प्रकाश वर्मा : क्या ग्रामीण विकास मंत्री पनधारा योजना के बारे में 20 अप्रैल, 2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4232 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा उत्तर प्रदेश के खीरी जिले में समेकित परती भूमि विकास कार्यक्रम की उपयोगिता जानने के लिए कोई सर्वेक्षण किया था; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम के अंतर्गत उपरोक्त जिलों के अलावा अन्य जिलों/क्षेत्रों को किस सीमा तक सम्मिलित किया गया है तथा इन जिलों/क्षेत्रों के नाम क्या-क्या हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) भूमि संसाधन विभाग समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम को वाटरशेड आधार पर कार्यान्वित कर रहा है। संबंधित जिला ग्रामीण विकास एजेंसी द्वारा परियोजना प्रस्तावों को राज्य सरकारों के माध्यम से भारत सरकार के विचारार्थ और स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जाता है। परियोजना को स्वीकृत किये जाने और परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों का चयन किए जाने के बाद सर्वेक्षण संबंधित परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा किया जाता है और कार्यकलापों को क्षेत्र की आवश्यकता के अनुसार शुरू किया जाता है। उत्तर प्रदेश के खीरी जिले के लिए 24344 हैक्टेयर क्षेत्र को विकसित करने हेतु कार्यक्रम के अंतर्गत दो परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं।

(ख) समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम के तहत 2296258 हैक्टेयर क्षेत्र को शामिल करते हुए लखीमपुर खीरी सहित 220 जिलों में 320 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं।

इंदिरा गांधी नहर से पेयजल की आपूर्ति

7050. श्री शीशराम ओला : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजस्थान के झुंझनू जिले के अन्तर्गत माडवा क्षेत्र के 96 गांवों और बिसाऊ शहर के लोगों को इंदिरा गांधी नहर से पेयजल उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 1997 में 133 करोड़ रुपए मंजूर किए थे;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य को अब तक शुरू नहीं किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) इस कार्य के कब से शुरू होने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) 168 गांवों को साफ पीने का पानी मुहैया कराने के लिए भारत सरकार ने 9,829.00 लाख रुपए की अनुमानित लागत से वर्ष 1997 में उपमिशन के अंतर्गत चुरू-बिसाऊ परियोजना को अनुमोदित किया था जिसमें भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा 75:25 के आधार पर खर्च वहन किया जाना है। तदनुसार, परियोजना में केन्द्रीय अंश 7,371.75 लाख रुपये हैं। इसके अलावा, 2,076.00 लाख रुपए की राशि राज्य सरकार द्वारा अपने निजी स्रोतों से रास्ते में आने वाले नगरों अर्थात् चुरू, रतन नगर और बिसाऊ के लिए प्रदान की जाएगी।

(ख) और (ग) राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार कार्यान्वयन के लिए परियोजना को पहले ही शुरू कर दिया गया है। राज्य सरकार ने यह भी सूचित किया है कि दो मुख्य पम्पिंग स्टेशनों और 74.5 कि०मी० लम्बी 800 मि०मी० ट्रंक पाइप लाइन की इंजीनियरिंग का कार्य पूरा कर लिया गया है। ग्राम समूह वितरण नेटवर्क से संबंधित इंजीनियरिंग का कार्य चल रहा है। राज्य विद्युत बोर्ड ने झुंझनू, चुरू और सरदार सहर में 132 किलोवाट के सब स्टेशन पर 33 किलोवाट की डेडीकेटेड पावरलाइन और 33 किलोवाट के अतिरिक्त बेज का कार्य शुरू कर दिया है। भलावी में भवन ढांचागत विकास से संबंधित कार्य दे दिया गया है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

संदिग्धस्पद आई०एस०आई० एजेंट के पुत्र की सेना में भर्ती

7051. डा० एस० वेणुगोपाल : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 26 अप्रैल, 2000 के 'एशियन एज' में प्रकाशित समाचार के अनुसार किसी संदेहास्पद आई० एस० आई० के पुत्र की सेना में भर्ती की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस मामले में कोई छानबीन कराई गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी निष्कर्ष क्या निकले और इस पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई ?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (घ) इस मुद्दे के बारे में एक समाचार सरकार के देखने में आया था। इसके प्रभावों की संवेदनशीलता को देखते हुए, यह मामला तत्काल सेना मुख्यालय के साथ उठाया गया था। इस विषय पर आगे हुए पत्राचार के अनुसरण में सेना मुख्यालय को कुछ विशिष्ट पहलुओं की जांच करने के लिए कहा गया है।

सेना मुख्यालय के प्रत्युत्तर की प्रतीक्षा है। सेना मुख्यालय से आवश्यक सूचना प्राप्त होने पर, राष्ट्रीय सुरक्षा हितों की रक्षा हेतु इस मामले में समुचित अनुवर्ति कार्रवाई की जाएगी।

[हिन्दी]

निजी पत्तनों को रेल से जोड़ना

7052. श्री रामदास आठवले : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार निजी पत्तनों को रेल से जोड़ने में प्राथमिकता देने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में जनवरी, 2000 में किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) उन निजी पत्तनों के नाम क्या हैं जिन्हें रेल से जोड़ा जाता है; और

(ङ) इस पर कितना व्यय होने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ङ) रेलवे परियोजना के विकास और कार्यान्वयन में दावेदारों को शामिल करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा उपयोगकर्ता एजेंसियों यथा पत्तन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा राज्य सरकारों को भी सार्वजनिक-निजी भागीदारी के रूप में शामिल करने के प्रयास किए जा रहे है।

रेल मंत्रालय ने हाल ही में सुरेन्द्रनगर-पिपावाव के आमान परिवर्तन तथा पिपावाव पत्तन तक एक नई लाइन विस्तार के लिए एक विशेष प्रयोजन योजना तैयार करने हेतु मैसर्स गुजरात पिपावाव पत्तन लि० के साथ एक समझौता ज्ञापन किया है। यह विशेष प्रयोजन योजना सुरेन्द्रनगर और पिपावाव पत्तन के बीच बड़ी लाइन रेल संपर्क कार्यान्वित करने का कार्य निष्पादित करेगी। अनंतिम परियोजना लागत 270 करोड़ रुपए (दो सौ सत्तर करोड़ रुपए) है। इस परियोजना का वित्तपोषण निम्नलिखित पैटर्न से होगा :

इस परियोजना की 66/2/3 % लागत का वित्तपोषण इक्विटी के माध्यम से होगा।

इस परियोजना की 33/1/3 % लागत का वित्तपोषण ऋण के माध्यम से किया जाएगा।

1. रेल मंत्रालय और इसके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम : 50%
2. गुजरात पिपावाव पत्तन लिमिटेड एवं अन्य : 50%

भारतीय रेलों द्वारा प्रस्तावित बड़ी लाइन संपर्क पर पहले से ही खर्च की जा चुकी राशि रेल मंत्रालय की इक्विटी अंशदान के रूप में मानी जाएगी।

सरकार द्वारा लगभग 90 करोड़ रुपए का वहन किए जाने की संभावना है।

रेल मंत्रालय मुंद्रा पत्तन (गुजरात के कच्छ इलाके में) तथा धर्मा पत्तन (उड़ीसा के पूर्वी तट पर) के साथ इन पत्तनों के लिए संपर्क सुसाध्य बनाने के लिए अलग-अलग अनुबंध करने की व्यावहार्यता की जांच कर रहा है।

[अनुवाद]

रक्षा शिष्टमंडलों की विदेश यात्रा

7053. श्री प्रियरंजन दासमुंशी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1996-97, 1997-98 तथा 1998-99 के दौरान रक्षा संबंधी खरीद की वार्ता हेतु सेना कर्मियों या रक्षा मंत्रालय के सिविलियन के नेतृत्व में कितनी शिष्टमंडलों ने अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका तथा रूस का दौरा किया;

(ख) संबंधित वर्षों में संबंधित शिष्टमंडलों के प्रमुखों के नाम क्या थे; और

(ग) इनमें से प्रत्येक दौरे के क्या निष्कर्ष निकले?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ग) रक्षा खरीद संबंधी वार्ता के लिए भारत से दस रक्षा शिष्टमंडलों ने वर्ष 1996-97, 1997-98 और 1998-99 में जर्मनी, यूनाइटेड किंग्डम तथा रूस का दौरा किया। किसी भी शिष्टमंण्डल ने इस प्रयोजनार्थ संयुक्त राज्य अमरीका और दक्षिण अफ्रीका का दौरा नहीं किया था। इन दौरों के बारे में और अधिक ब्यौरे देना राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में नहीं होगा।

नई दिल्ली स्टेशन पर दुकानों का ढहाया जाना

7054. श्री रामजीलाल सुमन: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान नई दिल्ली स्टेशन पर कमीशन विक्रेताओं की मार्बल की पक्की बनी कितनी दुकानों ढहाई गई हैं;

(ख) क्या उनके स्थान पर माडयूलर दुकानें रखने संबंधी वर्ष, 1999 में शुरु की गई नीति लागू कर दी गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो प्रभावित कमीशन विक्रेताओं को सरकार द्वारा मुआवजा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) प्लेटफार्मों की भीड़-भाड़ को कम करने की दृष्टि से नई दिल्ली रेलवे का अध्ययन राष्ट्रीय अधिकल्प संस्थान अहमदाबाद द्वारा पायलट परियोजना के रूप में यात्रियों के निर्बाध प्रवाह के लिए स्थान बनाने और स्टालों के सुन्दर दिखाई देने के लिए किया गया था मोड्लर स्टाल पर एक नीति तब 1999 में तैयार की गई थी तब से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 18 विभागीय स्टालों को आशोधित कर दिया गया है।

स्टालों को रेलवे द्वारा बनाया जाता है, वेडरों द्वारा नहीं। इन्हें इन स्टालों के माध्यम से बिक्री हेतु विभिन्न वस्तुएं दी जाती हैं जिसके लिए उन्हें मासिक आधार पर कमीशन दिया जाता है। हाल ही में नई दिल्ली स्टेशन के कमीशन वेंडरों को कमीशन के भुगतान में वृद्धि हुई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

खाद्यान्न की डिलिवरी हेतु मंडी

7055. श्री भवन सिंह भौरा : क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम ने राज्य की एजेंसियों को उन केन्द्रों का ब्यौरा भेजा है जहां वे खाद्यान्नों की डिलिवरी हेतु मंडी चाहते हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त कहां-कहां स्थित हैं;

(ग) क्या राज्य की एजेंसियों के पास ऐसे स्टेशनों पर, जहां भारतीय खाद्य निगम खाद्यान्नों की डिलिवरी हेतु मंडी चाहते हैं, गेहूं के भण्डारण हेतु गोदाम/प्लिंथ स्थान हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या भारतीय खाद्य निगम के पास गेहूं/धान के बढ़े हुए उत्पादन और गेहूं और चावल के धीमे संचलन को देखते हुए खाद्यान्न के भंडारण हेतु नए गोदाम/प्लिंथ/सीलों का निर्माण करने की कोई दीर्घकालीन योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) और (ख) जी, नहीं।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा स्थानीय स्तर पर ब्यौरे तैयार किए जाते हैं।

राज्यवार स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) कुछ स्थानों पर राज्य एजेंसियों के उन स्थानों पर जहां पर भारतीय खाद्य निगम गेहूं की सीधे मंडी सुपुर्दगी चाहता है, अपने वसूल किए गए गेहूं के स्टाक को रखने के लिए अपने स्वयं के गोदाम/प्लिंथ अथवा किराए के गोदाम/प्लिंथ भी हैं। यदि राज्य एजेंसियां भारतीय खाद्य खाद्य निगम को सीधे सुपुर्दगी करने में असमर्थ रहती हैं और भारतीय खाद्य निगम के गोदाम खाली रहते हैं तो भारतीय खाद्य निगम स्टाक रखने के प्रभारों/प्रासंगिक खर्च को रोक सकता है। उत्तर प्रदेश में जहां विकेन्द्रीकृत वसूली योजना शुरू कर दी गई है, राज्य सरकार पूरे वर्ष के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन आगे जारी करने के लिए वसूल किए गए गेहूं को अपने गोदाम में रखेगी। राज्य सरकार को आवश्यकता से अधिक गेहूं के केवल अधिशेष स्टाक को केन्द्रीय पूल में भारतीय खाद्य निगम के सुपुर्द किया जाएगा।

(घ) और (ङ) भारतीय खाद्य निगम बजटीय आवंटन पर निर्भर करते हुए महत्वपूर्ण स्थानों पर अपने स्वयं के गोदामों का निर्माण करता है। चालू नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002) के दौरान फरवरी, 2000 तक 1.79 लाख टन की भंडारण क्षमता का पहले ही निर्माण कर लिया गया है। इसके अलावा, चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान भारतीय खाद्य निगम के इस्तेमाल के लिए केन्द्रीय भण्डारण निगम/अन्य एजेंसियों द्वारा 2.70 लाख टन क्षमता वाले गोदामों के निर्माण का भी अनुमोदन किया गया है। बढ़ी हुई वसूली के लिए भंडारण सुविधाओं को सामान्यतया केन्द्रीय भंडारण निगम, राज्य भंडागार निगम, राज्य सरकार और निजी पार्टियों से किराए पर ली गई भंडारण क्षमता द्वारा पूरा किया जाता है।

विवरण

1. **पंजाब** : रबी 2000-2001 के दौरान गेहूं की सीधी सुपुर्दगी के लिए अभी तक राज्य सरकार और इसकी एजेंसियों को सूचित नहीं किया गया है। स्थिति का जायजा लिया जा रहा है।

2. **हरियाणा** : भारतीय खाद्य निगम ने अपने जिला प्रबंधकों को संबंधित एजेंसियों के लिए उन केन्द्रों के ब्यौरों को सूचित करने के निदेश दिए हैं जहां भारतीय खाद्य निगम स्टाक की उपलब्धता के अनुसार स्थानीय मंडियों से राज्य एजेंसियों से सीधे सुपुर्दगी प्राप्त कर सकता है। ब्यौरे तैयार किए गए हैं और कार्रवाई की जा रही है। भारतीय खाद्य निगम आगामी रबी विपणन मौसम के दौरान राज्य एजेंसियों से लगभग 3 लाख टन गेहूं की सीधे सुपुर्दगी लेने का इच्छुक है।

3. **मध्य प्रदेश** : विकेन्द्रीकृत वसूली योजना के अधीन गेहूं की वसूली लागू करने के बाद राज्य एजेंसी (मध्य प्रदेश राज्य नागरिक पूर्ति निगम) सार्वजनिक वितरण प्रणाली की स्वयं की आवश्यकता रखेगी और अधिशेष गेहूं को केन्द्रीय पूल के अधीन भारतीय खाद्य निगम को जमा करवाएगी। मध्य प्रदेश राज्य नागरिक पूर्ति निगम एजेंसी ने सूचित किया है कि 1.55 लाख टन गेहूं का अधिशेष स्टाक भोपाल, विदिशा, इटारसी, इंदौर, उज्जैन और टीकमगढ़ में जमा किया जाएगा।

4. **उत्तर प्रदेश** : उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने विकेन्द्रीकृत वसूली योजना शुरू कर दी है। वहां पर गेहूं की खरीद करने के लिए अपने क्रय केन्द्रों को खोलने के लिए 7 विभिन्न राज्य वसूली एजेंसियां हैं। भारतीय खाद्य निगम ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में 41 क्रय केन्द्र भी खोले हैं।

5. **राजस्थान** : राजस्थान में, राज्य एजेंसियां नामत: राजस्थान राज्य भंडारण निगम और राजफेड भारतीय खाद्य निगम के उप एजेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं और दैनिक आधार पर भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में वसूल किए गए गेहूं की सुपुर्दगी करते हैं।

[हिन्दी]

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा की गई अनियमितताएं

7056. श्री अशोक अर्गल : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा खरीदों और अन्य मामलों में की गई अनियमितताओं की जांच की है; और

(ख) यदि हां, तो जांच समिति किन निष्कर्षों पर पहुंची और दोषी कार्मिकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, केन्द्रीय सतर्कता आयोग से कुछ पत्र प्राप्त हुए हैं तथा उन पर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

(ख) केन्द्रीय सतर्कता आयोग से प्राप्त पत्रों के संबंध में अब तक कोई अंतिम सिफारिशें नहीं की गई हैं/निर्णय नहीं लिया गया है।

नसीराबाद छावनी का विकास

7056. प्रो० रासा सिंह रावत : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष नसीराबाद छावनी क्षेत्र के विकास के लिए योजना-वार कितनी धनराशि व्यय की गई;

(ख) क्या नसीराबाद छावनी क्षेत्र के विकास की कुछ योजनाएं केन्द्र सरकार के पास लंबित हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लंबे समय से लंबित होने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार को नसीराबाद छावनी क्षेत्र में घपले और वित्तीय अनियमितता से संबंधित कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में कोई जांच कराई गई; और

(च) यदि हां, तो इसके निष्कर्ष क्या हैं और इस पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई ?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान नसीराबाद छावनी के विकास के लिए खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा नीचे दिए अनुसार है :–

आइटम	1997-98	98-99 (लाख रुपए में)	99-2000
भवन	21.96	17.76	26.30
सड़क	3.55	2.74	28.12
नाले	27.32	10.55	5.58
जलापूर्ति	10.54	—	—
विविध सार्वजनिक सुधार	0.56	10.00	36.67

(ख) और (ग) सामुदायिक हाल के निर्माण की योजना को छोड़कर नसीराबाद छावनी के विकास की सभी योजनाओं को स्वीकृति मिल गई है क्योंकि प्रस्तावित निर्माण उस भूमि पर किया जाना था जो बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में नहीं थी।

(घ) से (च) नसीराबाद छावनी में कुछ अनियमितताओं के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इन शिकायतों की जांच की गई थी तथा उन्हें सारहीन पाया गया था।

शेखपुरा में सांस्कृतिक केन्द्र

7058. **श्री राजो सिंह** : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बिहार के शेखपुरा जिले में सांस्कृतिक केन्द्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त केन्द्र कब तक स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा स्वर्ण आभूषणों पर प्रमाण चिह्न लगाना

7059. **श्री सुरेश रामराव जाधव** : क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय मानक ब्यूरो ने स्वर्ण आभूषणें पर प्रमाण चिह्न लगाने की योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में सभी आभूषण विक्रेताओं को स्वर्ण आभूषणों की बिक्री से पहले इनकी शुद्धता का प्रमाणन प्राप्त करने को अनिवार्य बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

उपभोक्ता मामलें और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) इस स्कीम में स्वर्ण आभूषणों की शुद्धता के प्रमाणन की संकल्पना की गई है। इस स्कीम के तहत भारतीय मानक ब्यूरो जौहरियों को प्रमाणित करेगा और एसेइंग तथा हालमार्क केन्द्रों को मान्यता देगा। हालमार्किंग में तीन अनिवार्य प्रतीक अर्थात् भारतीय मानक ब्यूरो चिह्न, सुन्दरता (कैरेट) और एसेइंग और हालमार्किंग केन्द्र के चिह्न होंगे। केवल भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रमाणित जौहरी ही संगत भारतीय मानकों के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो से मान्यता प्राप्त किसी एसेइंग और हालमार्किंग केन्द्र से अपने आभूषणों को एसेइंग या हालमार्क करवा सकते हैं।

(ग) यह स्कीम स्वैच्छिक स्वरूप की है और इसको अनिवार्य बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

हैवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन को आर्डर देना

7060. **श्री राजैया मल्याला** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारी उद्योग और सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम मंत्री ने रेलवे से रांची स्थित रुग्ण हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन को आदेश देने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) अनुरोध निविदाओं के तहत आदेश देने से संबंधित है। निविदा में लागू मूल्य/खरीद को तरजीह सहित निविदा के गुण-दोष के आधार पर अर्थात् दरें, निबंधन एवं शर्तों, विगत निष्पादन, गुणवत्ता आवश्यकताओं, नियम एवं विनियमों के आधार पर प्रत्येक निविदा तय की जाती है। निर्धारित मानदंडों के अनुपालन के अध्यधीन रेलें सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को आर्डर देते समय उच्च प्राथमिकता देती हैं।

एम०आर०टी०एस० के लिए माडल योजना

7061. **श्री साहिब सिंह :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने अधिकांश मेट्रोपोलिटन नगरों के लिए लागू मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम की एक "माडल योजना" तैयार की थी;

(ख) यदि हां, तो इसके भौतिक और वित्तीय आयाम क्या हैं;

(ग) क्या ऐसी योजना को शुरू करने के लिए "टास्क फोर्स" का गठन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

सी बर्ड नौसेना परियोजना

7062. **श्री जी०एस० बसवराज :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में कर्नाटक के मुख्य मंत्री आप से मिले थे तथा कारवार में 'सी बर्ड' परियोजना के त्वरित कार्यान्वयन के लिए आग्रह किया था;

(ख) क्या कारवार से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए अतिरिक्त धनराशि के लिए भी निवेदन किया गया था; और

(ग) यदि हां, तो इस पर क्या कार्रवाई की गई तथा इस परियोजना की स्थापना में की गई प्रगति की स्थिति संबंधी रिपोर्ट क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) हाल ही की एक बैठक में कर्नाटक के मुख्य मंत्री ने प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए अतिरिक्त धनराशि प्रदान किए जाने का अनुरोध किया था।

(ग) प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए अतिरिक्त धनराशि प्रदान किए जाने से संबंधित कर्नाटक सरकार के अनुरोध पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है। समुद्री निर्माण-कार्य 06 अक्तूबर, 1999 से शुरू हो गया है। फिलहाल निम्नलिखित बड़े निर्माण-कार्य चल रहे हैं :–

(i) पहुंच-मार्ग, इंजीनियर का कार्यालय और प्रयोगशाला का निर्माण।

(ii) खदान तक पहुंच-मार्ग का निर्माण तथा अल्गड्डा पहाड़ी पर खदान खोलने की तैयारी।

(iii) पानी को रोकने के लिए दीवार बनाने हेतु रेत में गड्ढे बनाने के वास्ते जमीन में छेद करने के लिए सर्वेक्षण करना।

(iv) संविदाकार के कार्यालय आदि का निर्माण तथा उपस्करों को मंगाना।

विमानपत्तनों पर उपयोग शुल्क

7063. **श्री टी० गोविन्दन :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन विमानपत्तनों पर यात्रियों से उपयोग शुल्क वसूल किया जा रहा है; और

(ख) इस संबंध में प्राप्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) सरकार ने केवल कालीकट हवाई अड्डे पर प्रति अंतरराष्ट्रीय यात्री से विमान पर चढ़ाने के लिए 500 रुपए का "प्रयोक्ता विकास अतिरिक्त शुल्क" लिया है। मालाबार हवाई अड्डा विकास कार्रवाई समिति ने इस शुल्क को प्रभारित करने के प्रति मामला उठाया था। केरल उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका भी दायर की गई है। इस समय मामला न्यायाधीन है।

आर्यनकावु रेलवे स्टेशन पर टर्मिनल का निर्माण

7064. **श्री कोडीकुनील सुरेश :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मदुरै मंडल में आर्यनकावु रेलवे स्टेशन टर्मिनल का निर्माण पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर कुल कितना व्यय किया गया;

(ग) यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) आर्यनकावु रेलवे स्टेशन में यात्रियों को क्या-क्या सुविधायें प्रदान की जा रही हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) सेनगोट्टै-कोल्लम मीटर लाइन पर आर्यनकाऊ स्टेशन इमारत की आर०सी०सी० से टाइल वाली छत का बदलाव कार्य पूरा हो गया है।

(ख) अब तक लगभग 4 लाख रुपये खर्च किए गए हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) यह एक "ई" श्रेणी का स्टेशन है।

39 वर्ग मीटर के प्रतीक्षालय, 208 वर्ग मीटर के प्लेटफार्म सायबान, 2 पानी की टोंटियां, 4 शौचालय तथा 58 शीटें उपलब्ध हैं तथा इन्हें यातायात के वर्तमान स्तर के लिए पर्याप्त समझा जाता है।

हैदराबाद को कुवैत, जेद्दा और क्वालालामपुर से जोड़ना

7065. **श्री सुल्तान सल्लाहुद्दीन ओवेसी :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार से कुवैत, जेद्दा और क्वालालामपुर के लिए हैदराबाद से विमान सेवा शुरू करने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) ये उड़ानें कब तक शुरू की जाएंगी ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) हैदराबाद और कुवैत, जेद्दाह तथा कुआलालामपुर के बीच विमान सेवा सम्पर्क प्रदान करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार से अनुरोध प्राप्त हुए हैं। इनमें से, इंडियन एयरलाइंस द्वारा कुवैत के लिए सेवाएं आरंभ कर दी गई हैं। अपर्याप्त यातायात संभाव्यता तथा/अथवा विमान क्षमता की कमी के कारण अन्य गंतव्य स्थानों को विमान सेवा से नहीं जोड़ा गया है। एअर इंडिया सुविधाजनक सम्पर्क के साथ मुम्बई होकर हैदराबाद से जेद्दाह के लिए तीन सामान्य "लेग" उड़ानों का प्रचालन करती है।

नागर विमानन क्षेत्र में अनुसूचित जातियों/जनजातियों/ पिछड़े वर्गों के लिए नौकरियां

7066. श्री अमर राय प्रधान : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालय/स्वायत निकायों और अधीनस्थ कार्यालयों में गत तीन वर्षों के दौरान श्रेणीवार कितने पद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षित थे और इनमें से कितने पद भरे गये;

(ख) उपरोक्त प्रत्येक कार्यालय में 31 मार्च, 2000 की तिथि के अनुसार अ०जा०/अ०ज०जा० और अन्य पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षित कितने पद रिक्त थे; और

(ग) उनके मंत्रालय द्वारा इन रिक्त पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जा रहे हैं ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षित पदों की संख्या के बारे में ब्यौरे और वर्ष 1997-98, 1998-99 तथा 1999-2000 (31.3.2000 तक) के दौरान उनमें से भरे गए पदों की संख्या और 31.3.2000 की स्थिति के अनुसार नागर विमानन मंत्रालय के अधीन रिक्त पदों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) नागर विमानन मंत्रालय के अधीन विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में मानव शक्ति की आवश्यकता की समीक्षा/और अगली भर्ती पर रोक है। तथापि, महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सीमित संख्या में भर्ती की जा रही है जहां प्रचालनात्मक कारणों से यह आवश्यक है। जब और जैसे ही ऐसे पदों को भरने की कार्रवाई शुरू की जाती है, इन आरक्षित रिक्तियों को भरने का प्रयास किया जाता है। विशेष भर्ती अभियान भर्ती एजेंसियां यथा संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग तथा स्थानीय रोजगार कार्यालयों के द्वारा तथा लोकप्रिय समाचार पत्र/रोजगार समाचार इत्यादि में विज्ञापनों के द्वारा इन आरक्षित रिक्तियों को भरे जाने का भी प्रयास किया जाता है।

विवरण

(क) *आरक्षित पदों की संख्या*

समूह	अनु० जाति				अनु० जनजाति				अन्य पिछड़ा वर्ग			
	क	ख	ग	घ	क	ख	ग	घ	क	ख	ग	घ
1997-98	112	72	173	83	65	82	114	61	110	125	418	231
1998-99	71	33	106	34	32	15	59	18	86	65	188	79
1999-2000 (31.3.2000 तक)	49	45	95	54	23	21	37	21	76	92	217	112

भरे गए पदों की संख्या

समूह	अनु० जाति				अनु० जनजाति				अन्य पिछड़ा वर्ग			
	क	ख	ग	घ	क	ख	ग	घ	क	ख	ग	घ
1997-98	54	62	168	203	16	67	87	60	37	97	186	135
1998-99	47	18	114	113	17	3	55	7	24	26	108	30
1999-2000 (31.3.2000 तक)	26	16	98	133	1	3	42	4	22	28	98	30

(ख) *31.3.2000 की स्थिति के अनुसार रिक्त पदों की संख्या*

समूह	अनु० जाति				अनु० जनजाति				अन्य पिछड़ा वर्ग			
	क	ख	ग	घ	क	ख	ग	घ	क	ख	ग	घ
	37	34	56	2	34	26	70	34	97	84	342	201

मर्धनों को रोजगार

7067. **श्री सुनील खां** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आई०आर०डी०पी०, डी०डब्ल्यू०सी०आर०ए० और लाइसेंस योजनाओं के अन्तर्गत निर्धन लोगों को किस प्रकार सुविधाएं दिए जाने की संभावना है; और

(ख) ग्रामीण विकास के जरिए रोजगारोन्मुखी प्रणाली किस प्रकार विकसित किए जाने की संभावना है ?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा कृषि मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा): (क) और (ख) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम (ट्राइसेम), ग्रामीण महिला और बाल विकास कार्यक्रम (डवाकरा), ग्रामीण कारीगरों को उन्नत औजार किटों की आपूर्ति, (सिट्रा), तथा गंगा कल्याण योजना और दस लाख कुओं की योजना को 1.4.99 से समाप्त कर दिया गया है। 1 अप्रैल, 1999 से स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना नामक एक नया कार्यक्रम शुरू किया गया है। स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना का उद्देश्य सहायता प्राप्त गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को बैंक ऋण तथा सरकारी सब्सिडी दोनों के जरिए आय सृजन गतिविधियां उपलब्ध कराकर गरीबी रेखा से ऊपर लाना है। इस कार्यक्रम में ग्रामीण गरीबों के स्व-सहायता समूहों का गठन, प्रशिक्षण, ऋण, प्रौद्योगिकी, आधारभूत ढांचे तथा विपणन जैसे स्वरोजगार के सभी पहलू शामिल हैं।

आई०आर०डी०पी० के तहत लाभान्वित गांव

7068. **श्री अशोक ना० मोहोल** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में आई०आर०डी०पी० के तहत कितने गांव लाभान्वित हुए;

(ख) क्या विकास की गति संतोषजनक है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उपरोक्त राज्य में उक्त योजना को उचित रूप से लागू करने को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा कृषि मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा): (क) से (ग) पूर्ववर्ती समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत लाभान्वित गांवों की संख्या की केन्द्र स्तर पर निगरानी नहीं की जाती थी। 1.4.1999 से समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा इससे संबद्ध कार्यक्रम बंद कर दिए गए हैं। स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना नामक एक नई स्व-रोजगार योजना 1 अप्रैल, 1999 से शुरू की गई है। एस०जी०एस०वाई० के अंतर्गत लाभान्वित गांवों की संख्या की भी केन्द्र स्तर पर निगरानी नहीं की जाती है। महाराष्ट्र में 1997-98 तथा 1998-99 के दौरान पूर्ववर्ती समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत लाभान्वित परिवारों की कुल संख्या तथा 1999-2000 के दौरान एस०जी०एस०वाई० के तहत सहायता प्राप्त कुल स्वरोजगारी क्रमश: 147640, 145667 तथा 48062 थे (फरवरी, 2000 तक) चूंकि 1999-2000 एस०जी०एस०वाई० का पहला वर्ष है इसलिए कार्यक्रम की गति धीमी है।

(घ) ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी उपशमन के क्षेत्र में अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने के लिए पूर्ववर्ती समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा इससे सम्बद्ध कार्यक्रमों की कमियों को ध्यान में रखते हुए स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस०जी०एस०वाई) शुरू की गई है। एस०जी०एस०वाई० की एक व्यापक कार्यक्रम के रूप में कल्पना की गई है जिसमें स्वरोजगार के सभी पहलू शामिल हैं, जैसे ग्रामीण गरीबों का स्व-सहायता समूहों में संगठन तथा उनकी क्षमता निर्माण, प्रमुख गतिविधियों की पहचान करना, ढांचागत निर्माण, प्रौद्योगिकी तथा विपणन।

जवाहर रोजगार योजना के तीसरे चरण की शुरूआत

7069. **श्री ए० वेंकटेश नायक** :
श्री रामशेठ ठाकुर :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जवाहर रोजगार योजना का तीसरा चरण किस तारीख को आरम्भ किया गया है;

(ख) इस चरण के अन्तर्गत अब तक कितने कार्यक्रमों/परियोजनाओं को आरम्भ किया गया है;

(ग) इस चरण के लिए महाराष्ट्र और कर्नाटक के कौन-कौन से जिलों का चयन किया गया है;

(घ) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इन राज्यों को कितना आबंटन किया गया;

(ङ) उक्त अवधि के दौरान इन राज्यों में कार्यक्रम क्रियान्वयन संबंधी निष्पादन क्या रहा; और

(च) 2000-2001 के लिए निर्धारित लक्ष्य का ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) और (ख) वर्ष 1993-94 से जवाहर रोजगार योजना के तीसरे चरण में विशेष एवं नयी परियोजनाएं शुरू की गई थीं। ऐसे कार्यक्रम/परियोजनाएं शुरू की गई थीं जिनका उद्देश्य मजदूरों के पलायन को रोकना, महिलाओं के लिए रोजगार बढ़ाना है तथा स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से विशेष कार्यक्रमों का उद्देश्य सूखे को रोकना तथा वाटरशेड विकास/बंजर भूमि विकास कार्य शुरू करना था।

(ग) से (ङ) विगत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र तथा कर्नाटक में, कर्नाटक के लिए बेलगाम जिले में केवल एक परियोजना मंजूर की गयी है और इस परियोजना के लिए 240.00 लाख रुपये के कुल अनुमोदित केन्द्रीय अंश में से मार्च 1999 में 80.00 लाख रुपये का केन्द्रीय अंश जारी किया गया था। राज्य सरकार/जिला परिषद से अब तक परियोजना की कोई प्रगति रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई हैं।

(च) जवाहर रोजगार योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत अभिनव और विशेष परियोजना को 1.4.99 से समाप्त कर दिया गया है।

[हिन्दी]

जनरेटर की खरीद

7070. श्री रघुवीर सिंह कौशल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे के कोटा डिवीजन पावर हाउस द्वारा 1984 में आकस्मिक स्थितियों से निबटने के लिए जनरेटर की खरीद की गई थी;

(ख) यदि हां, तो इसकी क्षमता और मूल्य का ब्यौरा क्या है और इसका उपयोग किन-किन तारीखों को किया गया और इसकी गारंटी अवधि आदि क्या है;

(ग) क्या यह ठीक तरह से काम कर रहा है;

(घ) यदि नहीं तो, इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) उक्त जनरेटर की मरम्मत पर वर्षवार कितना व्यय हुआ ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) एक 320 के०वी०ए० क्षमता वाला जनरेटर सेट 5,50,000/- रु० की लागत पर खरीदा गया था और 3.12.1984 को चालू किया गया था। फर्म ने आपूर्ति की तारीख से 18 महीने और चालू करने की तारीख से 12 महीने की गारंटी दी थी।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) नेची अनुरक्षण तथा लूब आयल, एयर फिल्टर, आयल फिल्टर आदि के बदलाव पर हुआ वर्ष-वार खर्च इस प्रकार है :—

वर्ष	राशि
1985	687/- रुपये
1986	650/- रुपये
1987	3300/- रुपये
1988	4364/- रुपये
1989	3000/- रुपये
1990	2500/- रुपये
1991	1137/- रुपये
1992	5283/- रुपये
1993	3725/- रुपये
1994	3743/- रुपये
1995	9881/- रुपये
1996	10081/- रुपये

एक्साइटर एसेम्बली और ऑटोमैटिक वोल्टेज रेग्युलेटर (ए०वी०आर०) में खराबी के कारण जनरेटर सेट ने 30.6.97 को कार्य करना बंद कर दिया था और मरम्मत के बाद 20.3.2000 को पुन: चालू किया गया है। 1999-2000 में इसकी मरम्मत, ओवर हॉलिंग और पुन: स्थापन पर 5,23,496/-रु० की राशि खर्च हुई है।

[अनुवाद]

गया स्टेशन के लिए आरक्षण कोटा

7071. श्री रामजी मांझी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गया रेलवे स्टेशन के लिए ट्रेन/श्रेणी-वार कितना आरक्षण कोटा निर्धारित किया गया है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि यह कोटा लोगों की आवश्यकता को पूरा नहीं करता; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) नई आरक्षण नीति को लागू करने के बाद गया स्टेशन से गुजरने वाली निम्नलिखित गाड़ियों में गाड़ी के प्रारंभिक स्टेशन पर उपलब्ध संपूर्ण आरक्षण कोटा सुविधा गया स्टेशन पर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर मुहैया करा दी गई है।

1.	2311	हवड़ा-कालका मेल
2.	3009	हवड़ा-देहरादून एक्सप्रेस
3.	3307	धनबाद-फिरोजपुर, गंगा सतलुज एक्सप्रेस
4.	3003	हवड़ा-मुंबई मेल

5.	3151	सियालदह जम्मू तवी एक्सप्रेस	10.	2312	कालका-हवड़ा मेल
6.	1159	हवड़ा-ग्वालियर, चंबल एक्सप्रेस	11.	2802	नई दिल्ली-पुरी, पुरुषोतम एक्सप्रेस
7.	1181	हवड़ा-आगरा, चंबल एक्सप्रेस	12.	2308	जोधपुर-हवड़ा एक्सप्रेस
8.	9308	हवड़ा-इंदौर, शिपरा एक्सप्रेस	13.	8623	पटना-हटिया एक्सप्रेस
9.	3348	पटना-बरकाकाना, पलामऊ एक्सप्रेस	14.	3330	पटना-धनबाद, गंगा दामोदर एक्सप्रेस

इसके अलावा, गया पर निम्नलिखित गाड़ियों में विशिष्ट कोटा भी उपलब्ध है

गाड़ी संख्या और गाड़ी का नाम	विभिन्न श्रेणियों के लिए कोटा			
	वातानुकूल-II टियर	प्रथम श्रेणी	वातानुकूल-3 टियर	स्लीपर श्रेणी
2381 हवड़ा-नई दिल्ली पूर्वा एक्सप्रेस	13	—	5	80
8475 पुरी-नई दिल्ली नीलांचल एक्सप्रेस	2	—	2	67
2815 पुरी-नई दिल्ली एक्सप्रेस	2	—	2	73
8605 हटिया-दिल्ली झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस	4	—	—	26
2801 पुरी-नई दिल्ली पुरुषोतम एक्सप्रेस	—	—	—	48
1452 गया-नागपुर दीक्षाभूमि एक्सप्रेस	—	—	54	327
2301 हवड़ा-नई दिल्ली, राजधानी एक्सप्रेस	2	—	4	—
2302 हवड़ा-नई दिल्ली, राजधानी एक्सप्रेस	2	—	4	—
2421 भुवनेश्वर-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस	2	—	4	—
2422 नई दिल्ली-भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस	2	—	4	—
2382 नई दिल्ली-हवड़ा, पूर्वा एक्सप्रेस	—	—	—	72
8476 नई दिल्ली-पुरी नीलांचल एक्सप्रेस	2	—	4	72
2816 नई दिल्ली-पुरी एक्सप्रेस	2	—	4	72
3010 देहरादून-हवड़ा, दून एक्सप्रेस	—	5	—	144
1182 आगरा-हवड़ा, चंबल एक्सप्रेस	—	—	—	72
9305 इंदौरा-हवड़ा, शिपरा एक्सप्रेस	—	—	—	52

(ख) और (ग) व्यस्त अवधियों, जब अधिकांशतया सभी स्टेशनों पर आरक्षण की काफी मांग होती है को छोड़कर, कुल मिलाकर ये आरक्षण गया से गाड़ी में चढ़ने के इच्छुक यात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। इसके अलावा, जिन गाड़ियों में विशिष्ट आरक्षण कोटा अलग से उपलब्ध है, काफी लोकप्रिय गाड़ियां हैं और विभिन्न स्टेशनों को आबंटित कोटे का पूरा उपयोग हो रहा है, इसलिए इस कोटों में बढ़ोतरी करना फिलहाल व्यावहारिक नहीं है।

[हिन्दी]

टिकट चेक करने वालों को मजदूरी का भुगतान

7072. **श्री रामानन्द सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के कोटा, भरतपुर, सवाई माधोपुर और गंगापुर सिटी में टिकट चेक करने वाले दैनिक मजदूरी पर काम कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इन टिकट चेक करने वालों को कितनी दैनिक मजदूरी दी जा रही है;

(ग) क्या सरकार को इन टिकट चेक करने वालों को विलम्ब से भुगतान दिये जाने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त टिकट चेक करने वालों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) राजस्थान के कोटा, भरतपुर, सवाई माधोपुर और गंगापुर सिटी

में दैनिक दिहाड़ी पर कोई टिकट जांचकर्ता नियोजित नहीं है। बहरहाल, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के आदेशों के अनुसार भरतपुर में 12 स्वयंसेवी टिकट जांचकर्ता कार्य कर रहे हैं। इन टिकट जांचकर्ताओं को प्रतिदिन 8 रु० जेबखर्च दिया जाता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पैंडरोल क्लिप्स की चोरी

7073. **डॉ० मन्दा जगन्नाथ** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पैंडरोल क्लिपों और टू-वेज कीज की लगातार चोरी होने के कारण मेरठ, गाजियाबाद, मुरादाबाद और रामपुर जिलों से होकर रेल यात्रा करना खतरनाक हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस प्रकार की घटनाएं रोकने के लिए क्या कार्रवाई की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

रोल-ऑन-रोल-ऑफ सेवा

7074. **प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेल ने कुछ रेल खंडों में रोल-ऑन-रोल-ऑफ सेवा शुरू करने की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे ने रोल-ऑन-रोल-ऑफ सेवा को स्वीकार्य बनाने के लिए पथ परिवहन उद्योग के साथ कोई चर्चा की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) रोल-ऑन-रोल-ऑफ सेवाओं के लिए पहचान किए गए रेलवे स्टेशनों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(च) रोल-ऑन-रोल-ऑफ सेवाओं से होने वाले फायदे को उजागर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) रोल-ऑन-रोल-ऑफ सेवाएं आरंभ करने के लिए कुछेक प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। हाल ही में कोंकण रेल निगम लि०, (को०रे०नि०) रेल मंत्रालय के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ने इसे आरंभ किया है।

(ख) रोल-ऑन-रोल-ऑफ सेवाओं के अंतर्गत लदे हुए ट्रक स्पाट माल डिब्बों "पर चढ़ाए" जाते और उनके गंतव्यों तक पहुंचाया जाता है जहां इन्हें माल डिब्बों से उतारा जाता है। इस योजना के अंतर्गत, ट्रक संचालकों आदि के साथ विपणन प्रोत्साहक द्वारा किया जाना है। रेलों को केवल ढुलाई सेवाएं मुहैया करानी है। चूंकि रेलों के पास इस सेवा के लिए कोई उपयुक्त मालडिब्बा उपलब्ध नहीं है, प्रोत्साहक को ऐसे माल डिब्बे खरीदने होंगे।

(ग) और (घ) इस सेवा की व्यावहारिकता के विभिन्न पहलुओं के बारे में दिलचस्पी रखने वाले प्रोत्साहकों के साथ विचार-विमर्श किया गया है। सपाट माल डिब्बों पर लदे ट्रकों का शिरोपरि बिजली के तारों के साथ रगड़ खाने की संभावना से कतिपय तकनीकी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। जिनके अध्ययन की आवश्यकता है।

(ङ) अभी तक साबरमती से लुधियाना तक एक पायलट सेवा की शुरूआत का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया है।

(च) विपणन और सेवा का प्रचार प्रोत्साहक द्वारा किया जाना है।

पवन चक्की द्वारा ऊर्जा

7075. **श्री चन्द्रभूषण सिंह** : क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पी०एच०डी० चैम्बर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री ने पवन-चक्की क्षेत्र को आबंटित ऋणों के संबंध में ब्याज दर को कम करने और ऋण-भुगतान अवधि को 4 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष कर बकाया ऋण की भुगतान अवधि का पुन: निर्धारण करने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) सरकार द्वारा पवन-चक्की क्षेत्र द्वारा ऊर्जा उत्पादन की क्षमता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम० कन्नप्पन) : (क) और (ख) जी, हां। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (इरेडा), पवन विद्युत परियोजनाओं सहित वाणिज्यिक अपारंपरिक ऊर्जा परियोजनाओं को वित्त उपलब्ध कराती है। इरेडा सहित वित्तीय संस्थाएं, समय-समय पर अपने वित्त-पोषण संबंधी दिशा-निर्देशों की समीक्षा करती हैं। विभिन्न संगठनों से प्राप्त अभिवेदनों के आधार पर, इरेडा ने अपने वित्त-पोषण संबंधी दिशा-निर्देशों को तैयार किया है जो 28 अप्रैल, 2000 से प्रभावी हैं। इरेडा द्वारा ऋण भुगतान अवधि संबंधी दिशा-निर्देशों को भी संशोधित किया गया है।

(ग) पवन विद्युत परियोजनाओं के लिए 13 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 192 संभाव्यता स्थलों की पहचान की गई है। वाणिज्यिक परियोजनाओं के लिए राजकोषीय और संवर्धनात्मक प्रोत्साहन उपलब्ध हैं। राज्य सरकारों ने पवन विद्युत परियोजनाओं से उत्पादित बिजली की व्हीलिंग, बैंकिंग और खरीद-वापसी के लिए आकर्षक नीतियों की घोषणा की है। पवन विद्युत परियोजनाओं के लिए भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (इरेडा) से उदार ऋण भी उपलब्ध हैं।

पंचायतों को शक्तियां दिया जाना

7076. **श्री दहयाभाई वल्लभभाई पटेल** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंचायतों को दी गई शक्तियां संवैधानिक उपबंधों की तुलना में विशेषकर संघ राज्य क्षेत्र दमन और दीव के संबंध में बहुत ही कम है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा पंचायतों को और अधिकार और शक्तियां देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा कृषि मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा): (क) और (ख) संविधान के अनुच्छेद 243(छ) के अनुसार राज्य विधायिकाओं को, पंचायतों को ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करने के लिए कानून बनाने की शक्तियां प्रदान की गई है जिससे वे स्व-शासन की संस्था के रूप में कार्य कर सकें। राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों ने पंचायतों को अलग-अलग सीमा तक अधिकार और कार्य सौंपे हैं।

पंचायतों को शक्तियां सौंपने का कार्य एक अनवरत प्रक्रिया है। जहां तक और कुछेक राज्यों ने पंचायतों को पर्याप्त शक्तियां और कार्य सौंपे हैं वहीं अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अभी इसका अनुकरण करना है। केन्द्र सरकार मुख्य मंत्रियों/प्रशासकों, राज्य मंत्रियों और पंचायती राज के प्रभारी राज्य सचिवों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठकों और पत्राचार के जरिए राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासकों से पंचायतों को और अधिक शक्तियां सौंपने का अनुरोध कर रही है। गृह मंत्रालय, जैसा कि उनके द्वारा बताया गया है, संघ राज्य क्षेत्रों के वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार कर रहा है और व्याख्यात्मक ज्ञापन के साथ आयोग की रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करेगा।

सुरक्षा प्रणाली

7077. **श्री चिंतामन वनगा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्रीय अथवा मंडल स्तर पर सुरक्षा प्रणाली की जांच-पड़ताल करने के लिए कोई आंतरिक प्रणाली होती है;

(ख) यदि हां, तो अलग-अलग स्तर-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (घ) संरक्षा संगठन की संरचना 3 टियर संगठन अर्थात् रेल मंत्रालय, क्षेत्रीय रेलवे और मंडल स्तर के रूप में है। एक तरह से यह संगठन गाड़ी परिचालनों में संरक्षा से संबंधित पहलुओं पर एक आंतरिक लेखा परीक्षा के सदृश भूमिका निष्पादित करता है।

यह संगठन संरक्षा कैंपों, पुनश्चर्या और पदोन्नतिपरक पाठ्यक्रमों के दौरान कर्मचारियों के प्रशिक्षण की निगरानी करता है। इसके अलावा, संरक्षा संगठन आवधिक संरक्षा बैठकें तथा संरक्षा संगोष्ठियां की व्यवस्था करता है। संरक्षा संगठन द्वारा संरक्षा परिपत्रों, बुलेटिनों तथा संरक्षा पोस्टरों के जरिए प्रचार का भी आयोजन किया जा रहा है।

दिल्ली में मालवाहक विमान केन्द्र

7078. **श्री राम मोहन गाड्डे** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का मालवाहक विमानों के लिए दिल्ली में विश्व स्तरीय यानांतरण केन्द्र बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे किस प्रकार प्रदान किया जाएगा ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) दिल्ली विमानपत्तन पर एक संयुक्त उद्यम सामान्तर कार्गो टर्मिनल की स्थापना के लिए रीतियों पर परामर्श देने तथा इस विमानपत्तन के एक बड़े ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में विकास के लिए, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा एक परामर्शदाता की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है।

मिसाइल-रोधी प्रणाली का इजराइल से अधिग्रहण

7079. **श्री विलास मुत्तेमवार** :
श्री सुरेश रामराव जाधव :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इजराइल के साथ पोत वाहक मिसाइल रोधी प्रणाली के अधिग्रहण के बारे में कोई सौदा तय हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उसका विवरण तथा प्रणाली की विशेषता क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

निजी विमान सेवा

7080. **श्री पी०आर० खुंटे** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कौन-कौन सी निजी विमान सेवाएं चल रही हैं; और

(ख) उन निजी विमान सेवाओं की संख्या कितनी है जिनके लाइसेंस प्राप्त करने हेतु आवेदन सरकार के पास विचाराधीन हैं ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) मैसर्स जेट एयरवेज तथा मैसर्स सहारा एयरलाइन्स दो निजी विमानकंपनियां हैं जो देश में अनुसूचित सेवाएं प्रचालित करती हैं।

(ख) एयरलाइन प्रचालनों को शुरू करने संबंधी प्रस्तावों पर विचार किया जाना एक सतत् प्रक्रिया है। इस समय, सूचना/स्पष्टीकरण के अभाव में चार आवेदन-पत्र लंबित हैं।

[अनुवाद]

हुडको द्वारा आवासीय कम्पलेक्स/आवासों का निर्माण

7081. **श्री सुबोध मोहिते** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे का विचार रेलवे स्टेशनों के आस-पास की अतिरिक्त भूमि पर हुडको के माध्यम से आवासीय कम्पलेक्स तथा आवासों का निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आवासीय गतिविधियों से कितना राजस्व प्राप्त होने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

यात्री निवास का निर्माण

7082. **श्री ए० नरेन्द्र :**
चौधरी तेजवीर सिंह :
डा० बलिराम :

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा पिछले दो वर्षों में विभिन्न राज्यों में यात्री निवास/होटल/मोटल और पर्यटन लॉज के निर्माण के कितने प्रस्ताव अनुमोदित किए गए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके लिए राज्यवार और स्थानवार कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है ?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) से (ग) पर्यटन मंत्रालय, राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों के साथ विचार-विमर्श करके उन्हें प्रत्येक वर्ष पर्यटन अवसंरचना में वृद्धि करने के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता मुहैया कराता है। पिछले दो वर्षों के दौरान, 48 परियोजनाएं मंजूर की गई तथा इन परियोजनाओं के लिए 1687.20 लाख रु० की राशि स्वीकृत की गई। वर्ष 1998-99 और 1999-2000 के दौरान विभिन्न राज्यों में अनुमोदित किए गए यात्री निवासों/मोटलों/पर्यटक लॉजों की परियोजनाओं की संख्या और, इन परियोजनाओं के लिए स्वीकृत राशि को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वर्ष 1998-99 और 1999-2000 के दौरान यात्री निवासों/पर्यटक लॉजों/मोटलों के निर्माण के लिए मुहैया की गई केन्द्रीय वित्तीय सहायता

(रुपए लाखों में)

क्रमांक	राज्य	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत राशि (रु० लाखों में)	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत राशि (रु० लाखों में)
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	—	—	—	—
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	3	49.48
3.	असम	3	88.00	1	18.00
4.	बिहार	1	19.39	1	41.65
5.	चण्डीगढ़	—	—	1	40.00
6	गोवा	—	—	—	—
7.	गुजरात	—	—	—	—
8.	हरियाणा	—	—	—	—
9.	हिमाचल प्रदेश	—	—	1	50.00
10.	जम्मू व कश्मीर	1	34.85	—	—
11.	कर्नाटक	—	—	3	134.27
12.	केरल	1	50.00	2	173.00
13.	मध्य प्रदेश	—	—	—	—
14.	मणिपुर	—	—	—	—
15.	मेघालय	2	85.00	—	—
16.	मिजोरम	—	—	9	208.56
17.	महाराष्ट्र	—	—	1	48.39
18.	नागालैण्ड	—	—	1	40.00
19.	उड़ीसा	—	—	3	136.95
20.	पांडिचेरी	—	—	1	10.50
21.	पंजाब	—	—	1	60.00
22.	राजस्थान	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6
23.	सिक्किम	—	—	—	—
24.	त्रिपुरा	1	15.00	—	—
25.	तमिलनाडु	—	—	2	63.10
26.	उत्तर प्रदेश	3	129.93	14	120.00
27.	पश्चिम बंगाल	—	—	2	71.13
28.	अण्डमान और निकोबार	—	—	—	—
29.	दादर नगर हवेली	—	—	—	—
30.	दिल्ली	—	—	—	—
31.	दमन और दीव	—	—	—	—
32.	लक्षद्वीप	—	—	—	—
	कुल योग	12	422.17	36	1265.03

साउथ एशियन ट्रेवल टूरिज्म एक्सचेंज, 2000 की बैठक

7083. डा० जसवंत सिंह यादव : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में राजस्थान में "साउथ एशियन ट्रेवल टूरिज्म एक्सचेंज", 2000 की कोई बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो उक्त बैठक में कितने देशों ने भाग लिया;

(ग) बैठक को आयोजित करने के क्या लक्ष्य और उद्देश्य हैं; और

(घ) उक्त बैठक के क्या परिणाम निकले ?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) 20 देश।

(ग) दक्षिण-एशियाई देशों के संयुक्त पर्यटन उत्पादों का प्रदर्शन करना।

(घ) ऐसी बैठकें नियमित संवर्धनात्मक अभ्यास हैं और इसके परिणाम तत्काल रूप से दिखाई नहीं पड़ते। तथापि, एस०ए०टी०टी०ई० ने दक्षिण एशियाई पड़ोसियों के बीच पारस्परिक प्रभाव और गन्तव्य स्थलों की बेहतर जानकारी सुजित करने के लिए एक सार्थक मंच (फोरम) प्रदान किया है।

कर्नाटक में सांस्कृतिक प्रेक्षागृह

7084. श्री कोलुर वसवनागौड : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने कर्नाटक सरकार को राज्य में प्रेक्षागृहों के निर्माण हेतु धनराशि उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो कर्नाटक में वर्ष 2000-2001 के दौरान कितने प्रेक्षागृहों के निर्माण का प्रस्ताव है; और

(ग) वर्ष 2000-2001 के दौरान उपरोक्त कार्य हेतु कितनी धनराशि दिए जाने का प्रस्ताव है ?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) जी, नहीं। तथापि, बेल्लारी में बहुउद्देशीय सांस्कृतिक परिसर की स्थापना के लिए 100 लाख रुपये की राशि और हसन में सांस्कृतिक परिसर की स्थापना के लिए 40 लाख रुपये निर्मुक्त किये गए हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

गेहूं के पुराने भंडार का निपटान

7085. श्री सुकदेव पासवान :
श्री शीशराम सिंह रवि :
श्री नरेश पुगलिया :
श्री शंकर सिंह वाघेला :

क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 2000 तक भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में कितनी मात्रा में गेहूं, चावल और चीनी के भंडार हैं और पिछले दो वर्षों और पांच वर्षों से अधिक के अंतराल में खरीदे गए खाद्यान्नों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इसके कारण कितना अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ा है;

(ग) क्या उक्त खाद्यान्न मनुष्यों के खाने लायक नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो इन खाद्यान्नों के पुराने भंडार के निपटान हेतु क्या नीति बनाई गई है ?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) 31 मार्च, 2000 को स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में रखे गेहूं, चावल और चीनी के स्टाक की स्थिति निम्नानुसार है :—

(आंकड़े लाख टन में)

मद	दो से पांच वर्ष	पांच वर्ष से ऊपर
गेहूं	2.44	0.57
चावल	4.21	2.03
चीनी	शून्य	शून्य

(ख) वर्ष 1999-2000 के लिए बफर स्टाक मानकों के अलावा अधिशेष स्टाक की अनुमानित रख-रखाव लागत 2100 करोड़ रुपए है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

स्थानीय गाड़ियों को चलाना

7086. श्री माणिकराव होडल्या गावित : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पड़ोसी शहरों जैसे अम्बाला, आगरा, अलवर, भिवानी और हिसार के लिए स्थानीय गाड़ियों को चलाने का विचार है ताकि इन्हें दिल्ली से जोड़ा जा सके;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई योजना बनाई गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) कब तक उक्त योजना के क्रियान्वित होने की सम्भावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (घ) अंबाला, आगरा, अलवर, भिवानी और हिसार सीधी रेल सेवा से पहले ही दिल्ली से जुड़े हुए हैं। बहरहाल, नई रेलगाड़ियों को शुरू करना एक सतत् प्रक्रिया है बशर्ते कि धन उपलब्ध हो, परिचालनिक व्यवहार्यता हो और यातायात औचित्य हो।

भूतपूर्व विधान सभा सदस्यों के लिए रेल कूपन की सुविधा

7087. श्री सुंदर लाल तिवारी :
श्री सत्यव्रत चौधरी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने भूतपूर्व विधान सभा सदस्यों के लिए मुफ्त रेल-कूपन की सुविधा बंद कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

बिजली के सामान पर बी०आई०एस० बैंचमार्क

7088. श्री अजय सिंह चौटाला :
श्री रामजी मांझी :
श्री राम टहल चौधरी :

क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 17 अप्रैल, 2000 के "द टाइम्स आफ इंडिया" में "मैनी इलैक्ट्रिकल आइटम्स डू नॉट कॉनफर्म टू बी०आई०एस० बैंचमार्क" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत पारित गुणवत्ता नियंत्रण आदेश, 1993 को कड़ाई से लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या बिजली के घटिया सामान के कारण कई बार आग लगने की दुर्घटनाएं हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष देश में बिजली का घटिया सामान बनाने और उसकी बिक्री करने वाले कितने यूनिटों को राज्यवार सील बन्द किया गया/छापे मारे गए ?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद) : (क) और (ख) प्रश्न के भाग (क) में जिस समाचार का जिक्र किया गया है वह विद्युत तार, केबल, उपकरण और कलपुर्जे (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 1993 के कार्यान्वयन तथा उपभोक्ता शिक्षा एवं अनुसंधान सोसायटी, अहमदाबाद द्वारा बिजली के सामानों के तुलनात्मक परीक्षण के बारे में है।

बिजली के सामानों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणन (आई०एस०आई० चिह्न) स्वैच्छिक है। तथापि, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त गुणता नियंत्रण आदेश उद्योग मंत्रालय के अधीन तत्कालीन औद्योगिक विकास विभाग (अब वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग) द्वारा 1993 में जारी किया गया था, जिसका उद्देश्य बाजार में बेचे जा रहे बिजली के सामानों की गुणवत्ता बनाए रखना था। इस आदेश में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी उपबंध दिया गया है कि निम्नलिखित वस्तुओं का विनिर्माण, बाजार में उनकी बिक्री अथवा वितरण तब तक नहीं किया जा सकता है जब तक कि वे विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप न हों और उन पर ब्यूरो का मानक (आई०एस०आई०) चिह्न न लगा हो :–

1. इलैक्ट्रिक इमर्सन इलैक्ट्रिक हीटर्स
2. विद्युत इस्त्री
3. विद्युत स्टोव
4. विद्युत रेगुलेटर
5. घरेलू और वैसे ही प्रयोजनों के लिए स्विच
6. घरेलू और वैसे ही प्रयोजनों के लिए 2 ए०एम०पी० स्विच
7. 3-पिन प्लग और साकेट आउटलेट

उपर्युक्त गुणवत्ता नियंत्रण आदेश के तहत विभिन्न राज्य सरकारों को ऐसे "उपयुक्त प्राधिकारी" नियुक्त करने की शक्तियां दी गई हैं, जिनके पास आदेश को लागू करने के लिए सूचना मांगने, बाजार से वस्तुओं के नमूने लेने, छापे मारने, विनिर्दिष्ट मानकों के प्रतिकूल मदों को जब्त करने आदि की शक्तियां होंगी।

भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा लाइसेंसधारियों के आई०एस०आई० चिह्न लगे उत्पादों की गुणवत्ता की भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 तथा उसके तहत जारी किए गए संगत विनियमों के तहत प्रमाणन चिह्नन स्कीम के जरिए निगरानी की जाती है। गैर-लाइसेंसधारियों द्वारा मानकों के दुरुपयोग की शिकायतों के मामले में ब्यूरो द्वारा तलाशी और जब्ती, अभियोजन आदि जैसी कार्रवाई भी की जाती है।

(ग) इस संबंध में न तो औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग के पास कोई विशेष सूचना है और न ही भारतीय मानक ब्यूरो के पास।

(घ) जहां तक उपर्युक्त गुणवत्ता नियंत्रण आदेश के तहत कार्रवाई का संबंध है, इसके लिए विभिन्न राज्य सरकारें प्रवर्तन प्राधिकरण हैं और औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा छापों आदि के बारे में केन्द्रीय रूप से कोई सूचना नहीं रखी जाती है।

गैर-लाइसेंसधारियों द्वारा बिजली के सामानों पर भारतीय मानक ब्यूरो के मानक चिह्न के कथित दुरुपयोग के खिलाफ भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 के तहत गत तीन वर्षों के दौरान निम्नलिखित तलाशियां और जब्तियां की गई :

1997-98	शून्य
1998-99	3 (कर्नाटक-2 और चंडीगढ़-1)
1999-2000	3 (महाराष्ट्र-1 और उत्तर प्रदेश-2)

[हिन्दी]

मकसी-दाहोद रेल लाइन हेतु सर्वेक्षण

7089. **श्री कान्तिलाल भूरिया** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मकसी-दाहोद रेलवे लाइन बिछाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इन्दौर-धार-झाबुआ रेल लाइन बिछाने के लिए कोई कार्य नहीं किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) गोधरा-दाहोद-झाबुआ-धार-इंदौर और देवास-मक्सी नई लाइन परियोजना स्वीकृत हो गई है और इसका निष्पादन चरणों में किया जा रहा है। देवास और मक्सी के बीच प्रथम चरण का कार्य पहले से ही प्रगति पर है, और संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार आगामी वर्षों में पूरा किया जाएगा।

गोधरा और इंदौर बरास्ता दाहोद-झाबुआ-धार के बीच दूसरे चरण का कार्य प्रथम चरण के कार्य के पूरा होने के बाद शुरू किया जाएगा। इंदौर और देवास के बीच एक बड़ी लाइन पहले ही विद्यमान है।

जर्मनी से रेल के डिब्बों का आयात

7090. **श्री विजय गोयल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जर्मनी से रेल यात्री डिब्बों का आयात किया है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक डिब्बे की लागत और क्षमता सहित इनकी संख्या का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन डिब्बों के स्वदेशी उत्पादन हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) सभी 24 अदद धातुयुक्त हल्के भार वाले उच्च गति के सवारी डिब्बों (द्वितीय श्रेणी वा०ता० कुर्सीयान-19 अदद। एग्जेक्यूटिव श्रेणी वा०ता० कुर्सीयान-2 अदद और जनरेटर एवं ब्रेक यान-3 अदद) की आपूर्ति के लिए अक्टूबर 1995 में मै० एल्सटॉम-एल०एच०बी०, जर्मनी को एक ठेका दिया गया था। कुल पोत पर्यन्त नि:शुल्क कीमत 52,663,500 ड्यूश मार्क है। द्वितीय वा०ता० कुर्सीयान सवारी डिब्बों में बैठने की क्षमता क्रमश: 78 और 56 सीट है।

(ग) भारतीय रेलों ने रेडिका, कपूरथला में इस अभिकल्प के सवारी डिब्बों के विनिर्माण करने के लिए मै० एल्सटॉम एल०एच०बी०, जर्मनी के साथ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण ठेका किया है। रेडिका, कपूरथला में इस अभिकल्प के सवारी डिब्बों के विनिर्माण के लिए सुविधाओं को स्थापित करने के लिए निवेश प्रस्ताव पहले ही स्वीकृत कर दिए गए हैं और उपरोक्त परियोजना पर कार्य शुरू कर दिया गया है।

दलहनों की मांग और आपूर्ति

7091. **श्री नवल किशोर राय** :
श्री रामजीलाल सुमन :

क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में दलहनों की उपलब्धता इसकी मांगों की अपेक्षा कम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस कारण इसका विक्रय मूल्य ज्यादा है;

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या इसकी मांग और आपूर्ति के बीच के अंतर को पूरा करने के लिए दलहनों का आयात किया जाता है;

(च) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कितनी मात्रा में दलहनों का आयात किया गया;

(छ) क्या इससे देश में दलहनों के मूल्य में कमी आयी है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद) : (क) से (ग) जी, हां। देश में दालों की मांग और आपूर्ति के बीच लगभग तीस लाख मी० टन का अन्तर है और मांग और आपूर्ति के बीच इस असमानता के कारण कम आपूर्ति के मौसम में दालों के मूल्यों पर दबाव पड़ता है।

(घ) से (च) सरकार ने देश में मांग और आपूर्ति के बीच के अंतर को समाप्त करने के लिए शून्य आयात शुल्क पर खुले सामान्य लाइसेंस के तहत दालों के आयात की अनुमति दी है। देश में दालों की उपलभ्यता में और अधिक वृद्धि करने के लिए सरकार ने 1999-2000 के दौरान सरकारी खाते में अलग-अलग किस्म की एक लाख मी० टन दालों पर आयात किया था। गत तीन वर्षों के दौरान दालों का आयात निम्नानुसार किया गया :–

वर्ष	मात्रा (लाख मी० टन में)
1997-98	10.84
1998-99	5.66
1999-2000	1.70 (जनवरी, 2000 तक)

(छ) और (ज) निजी व्यापारियों और सरकार द्वारा दालों के आयात से विभिन्न किस्म की दालों की मूल्य वृद्धि को रोकने और उन्हें उचित स्तरों पर लाने में सहायता मिली है। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में वांछित मात्रा में दालें उपलब्ध न होने और उनके ऊंचे अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के कारण गत दो वर्षों में आयात कम हुआ।

[अनुवाद]

तमिलनाडु में गुफा लेख तथा मंदिर

7092. **श्री पी०डी० एलानगोवन** : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा तमिलनाडु में गुफा लेखों के संरक्षण तथा इनको प्रकाशित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग (ए०एस०आई०) या भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद (आई०एच०सी०आर०) द्वारा तमिल ब्राह्मी लेख तथा आरंभिक पुरालिपिशास्त्र संबंधी कौन-कौन सी अनुसंधान परियोजनाएं आरंभ की गई हैं तथा चालू परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) ए०एस०आई० द्वारा तमिलनाडु में संरक्षित किए गए प्राचीन गुफा मंदिरों तथा स्मारकों का स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) तमिलनाडु में इन स्मारकों के मरम्मत, जीर्णोद्धार, सुरक्षा तथा संरक्षण हेतु स्मारक-वार कितनी राशि व्यय की गई; और

(ङ) तमिलनाडु में अब तक कितनी गुफा पेंटिंग पाई गई हैं, तथा तमिलनाडु में इन गुफा पेंटिंगों का स्थल-वार ब्यौरा देने संबंधी कोई रिपोर्ट है ?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) राष्ट्रीय महत्व के घोषित किए जाने वाले गुफा उत्कीर्ण लेखों का संरक्षण, प्रतिलिपि बनाने का कार्य तथा प्रकाशन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किया जाता है।

(ख) ऐसी कोई परियोजना भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा शुरू नहीं की गई है।

(ग) सूची संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(घ) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा इस सम्बन्ध में वर्ष 1999-2000 के दौरान हुए व्यय का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ङ) तमिलनाडु में 27 गुफा/शैल चित्र हैं जिनमें से 5 का संरक्षण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किया गया है। तीन गुफा चित्रों के सम्बन्ध में प्रकाशनों का ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

विवरण-I

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नियंत्रणाधीन तमिलनाडु स्थित गुफा मंदिरों की सूची

क्रम सं०	स्मारक का नाम	जिला
1	2	3
1.	कोटीकल मंडप, मामल्लपुरम	कांचीपुरम
2.	महिषामर्दिनी शैलकृत मंडप	-वही-
3.	शैलकृत वराह मंदिर, मामल्लपुरम	-वही-
4.	तृप्ले नामक शैलकृत मंदिर, मामल्लपुरम	-वही-
5.	कनेरीपैल्लम होज के उत्तर-पूर्व छोर पर स्थित दो शैलकृत गुफा मंदिर, मामल्लपुरम	-वही

1	2	3
6.	कृष्ण मंडप के उत्तर में स्थित अधूरा शैलकृत गुफा मंदिर	कांचीपुरम
7.	चीता शीर्ष वाला शैलकृत गुफा मंदिर, सलावंकुप्पम	-वही-
8.	तीन लिंगों वाला शैलकृत शिव मंदिर, सलावंकुप्पम	-वही-
9.	ओरूक्कल मंडप, तिरूक्कलुंकुंदरम	-वही-
10.	आलागरमलई कन्दराएं एवं आलागढ़ कोइल पांच पांडव विस्तर	मदुराई
11.	जैन प्रतिमाओं का शैलकृत उद्भृत एवं अभिलेख (कन्दराएं) कीलाकुइलकुडी	-वही-
12.	सिद्धमलाई स्थित गुफा, मेच्चुपट्टी	-वही-
13.	कन्दराएं एवं पंच पांडव विस्तर, तिरूपराकुंदरम	-वही-
14.	कंदराएं, शिलालेख एवं पंच पांडव विस्तर, कुल्लुथु	-वही-
15.	शैलकृत गुफा अभिलेख तथा पंच पांडव विस्तर, कुल्लुथु	-वही-
16.	नरसिम्हास्वामी मंदिर एवं रंगनाथस्वामी मंदिर, नमक्कल	नमक्कल
17.	दो जैन प्रतिमाओं वाली गुफा, अम्माचतरम	पुडुक्कोट्टई
18.	शैल कृत शिव मंदिर, देवरमलाई	-वही-
19.	कन्दराएं, कुदुमियानमलाई	-वही-
20.	मेलक्कोइल नामक शैल मंदिर, कुदुमियामलाई	-वही-
21.	आठ प्राकृतिक कन्दराएं, जैन प्रतिमाएं एवं अभिलेख, कुलाथुर	-वही-
22.	शैलकृत शिव गुफा मंदिर, मलायादीपट्टी	-वही-
23.	शैलकृत शिव मंदिर, मलायादीपट्टी	-वही-
24.	शैलकृत विष्णु मंदिर, मलायादीपट्टी	-वही-
25.	दो शैलकृत शिव मंदिर, मलायादीपट्टी	-वही-
26.	शैलकृत शिव मंदिर, नार्थमलाई	-वही-
27.	शैलकृत विष्णु मंदिर, नार्थमलाई	-वही-
28.	पुधवजेस्वर का शैलकृत मंदिर, पुवालाक्कुडी	-वही-
29.	आंदर मातम नामक प्राकृतिक कंदराएं, सेमअुती	-वही-
30.	शैल विस्तरों वाली प्राकृतिक क़ंदराएं एवं एलादीपत्तम नामक ब्रह्मी तथा पुराने तमिल अभिलेख, सित्तन्नावासल	-वही-
31.	शैलकृत जैन मंदिर, सित्तन्नावासल	-वही-
32.	शैलकृत शिव मंदिर, तिरूमयम	-वही-
33.	शैलकृत विष्णु मंदिर, तिरूमयम	-वही-
34.	पहाड़ी स्थित शैल विस्तर एवं ब्रह्मी अभिलेख और पहाड़ी पदतल के सामने स्थित शैलकृत मंदिर एवं अभिलेख, कुन्नाकुडी	शिवगंगा
35.	निचली एवं ऊपरी गुफा, तृची	तिरूची
36.	विरूपाक्षी गुफा एवं स्कन्दश्रम नाम से मशहूर प्राकृतिक कंदराएं	तिरूवन्नामलाई

1	2	3
37.	जैन मंदिर परिसर स्थित गुफा, तिरूमलाई	तिरूवन्नामलाई
38.	शैलकृत मंदिर, कोंरगनीलमुत्तम	-वही-
39.	शैलकृत गुफाएं, नरासमंगलम	-वही-
40.	शैलकृत मंदिर, सियामंगलम	-वही-
41.	शैलकृत मंदिर, महेन्द्रवाड़ी	वेल्लोर
42.	सुब्रमण्यस्वामी मंदिर, वल्लीमलाई	-वही-
43.	अभिलेख पहाड़ी स्थित जैन प्रतिमाओं वाली कंदराएं	-वही-
44.	शिला, मूर्तियां एवं गुफाएं, विलापक्कम	-वही-
45.	शैलकृत पल्लव मंदिर, दालावनुर	विल्लुपुरम
46.	पल्लव शैलकृत मंदिर, कीलमावीलंगाई	-वही-
47.	शैलकृत मंदिर, मंडगपट्टू	-वही-
48.	शैलकृत गुफा मंदिर	कन्याकुमारी
49.	दो शैलकृत गुफा मंदिर एवं अभिलेख, वरूणाचीमलाई	तिरूनेलवेली

विवरण-II

तमिलनाडु के गुफा मंदिरों पर किए गए व्यय का ब्यौरा

क्रम सं०	गुफा मंदिर का नाम	कुल राशि
1	2	3
1.	शैलकृत शिव मंदिर, कुन्नन्दरकोइल	1,96,894.00
2.	शैलकृत (पुष्पावनेश्वरा) मंदिर, पूवलाकुडी	5,19,987.00
3.	शैलकृत शिव मंदिर, तिरूपयम	5,77,589.00
4.	शैलकृत शिव मंदिर, तिरूमलाई	4,91,811.00
5.	शैलकृत पल्लव गुफा, मंडागापाट्टू	837.00
6.	शैलकृत पल्लव गुफा, दलावन्नूर	977.00
7.	शैलकृत सिंहासन, कीलमाबीलनगई	478.00
8.	शैलकृत गुफाएं, महेन्द्रापाड़ी	2,880.00
9.	शैलकृत गुफाएं, नारासमंगलम	1,902.00
10.	शैलकृत गुफाएं, मामन्दर	2,773.00
11.	शैलकृत सिंहासन, कोरंगनिलमुटरम	4,100.00
12.	शैलकृत शिव-विष्णु मंदिर, मलापडीपट्टी	2,724.00
13.	शैलकृत जैन मंदिर, सीतानवसल	4,330.00
14.	शैलकृत सिंह-मुखी गुफा, सलावनकुप्पम	686.00
15.	शैलकृत शिव मंदिर, सलावनकुप्पम	786.00
16.	ओरुकल मंडप, तिरुकलीकुन्दरम	249.00
17.	नरसिम्हास्वामी मंदिर, नमक्कल	53,136.00
18.	रंगनाथस्वामी मंदिर, नमक्कल	19,942.00
19.	निम्न शैलकृत गुफा, त्रिची	1,353.00
20.	शैलकृत शिव सिंहासन, देवरभलाई	759.00
21.	शैलकृत शिव सिंहासन, मलायकोईल	1,894.00
22.	विष्णु मंदिर, तिरूपयम	1,97,139.00
23.	अण्डारमडम नामक प्राकृतिक कन्दराएं, सेम्बुती	854.00
24.	पंचपाण्डव शयिकाएं तथा उत्कीर्ण लेख	229.00
25.	उत्कीर्ण लेखों के साथ जैन प्रतिभाओं के शैलकृत उद्भूत, कीलाकुईलकुडी	827.00
26.	शैलकृत जैन मूर्ति तथा उत्कीर्ण लेख, कल्लुतु	453.00
27.	सीतारमलई में गुफा, मेट्टूपट्टी	453.00
28.	कन्दरा तथा पंचपाण्डव शयिकाएं, तिरूप्परकुन्त्रम	18,372.00
29.	स्कन्द आश्रमम तथा विरमासि गुफा, तिरूवन्तमलाई	4,341.00

1	2	3
30.	जैन मूर्ति तथा उत्कीर्ण लेख, वल्लिमलई	1,936.00
31.	शैलकृत गुफा, विलपक्कम	951.00
32.	शैलकृत मन्दिर, सियामंगलम	5,102.00
33.	सुब्रमण्यस्वामी मंदिर, वल्लीमलई	4,746.00
34.	शैलकृत गुफा मंदिर, तिरूनंदीकराई, कन्याकुमारी	5,13,763.00
35.	दो शैलकृत गुफा मंदिर एवं अभिलेख, वरूणाचीमलाई	7,591.00

विवरण-III

प्रकाशित गुफा/शैलचित्रों का ब्यौरा

1. शैलकृत जैन मंदिर, सितन्नावसल, पुडिकोट्टई—प्रकाशक : जैना आर्ट एण्ड आर्चिटेक्चर (खण्ड-II), सम्पादक : ए० घोष, भारतीय ज्ञानपीठ, नई दिल्ली-1975
2. जैन मन्दिर परिसर में गुफा, तिरुमलय, जिला : तिरुवन्नमलय, प्रकाशक : जैना आर्ट एण्ड आर्चिटेक्चर (खण्ड-II) सम्पादक : ए० घोष, भारतीय ज्ञानपीठ, नई दिल्ली-1975
3. शैलकृत वाराह मंन्दिर, ममल्लापुरम् पल्लवों के गुफा मंदिर, के०आर० श्रीनिवासन, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, नई दिल्ली-1974

[हिन्दी]

कलकत्ता-रांची-पटना क्षेत्र पर उड़ानें

7093. **श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कलकत्ता-रांची-पटना विमान सेवा को दैनिक आधार पर शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) मार्ग संवितरण संबंधी उन मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुपालन के अधीन जिसमें मार्गों के विशिष्ट श्रेणी पर कुछ न्यूनतम प्रचालनों का अनुबंध है, एयरलाइनें अपने वाणिज्यिक निर्णय पर किसी भी मार्ग पर प्रचालन करने के लिए स्वतंत्र है। इंडियन एयरलाइन्स की इस मार्ग पर उन प्रचालनों को पुनः आरम्भ करने की कोई योजना नहीं है जिन्हें अपर्याप्त यात्री मार्ग के कारण दिसम्बर, 1998 में बन्द कर दिया गया था।

लिपिकों की वरिष्ठता सूची

7094. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलवे की प्रत्येक डिवीजन में बुकिंग, पार्सल, आरक्षण और सामान लिपिकों के लिए समवेत वरिष्ठता सूची है;

(ख) यदि हां, तो क्या उत्तर रेलवे प्रशासन ने दिल्ली डिवीजन में बुकिंग, पार्सल, सामान लिपिकों और अन्य वाणिज्यिक लिपिकों की समवेत वरिष्ठता सूची तैयार की है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) समवेत वरिष्ठता सूची को बनाये रखने और उसे कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) 1993 में मंत्रालय द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार सामान, बुकिंग और पार्सल लिपिकों के तीन ग्रेडों, जहां कहीं भी ये अलग-अलग थे, 1.11.93 से प्रारंभिक ग्रेड में वाणिज्यिक लिपिकों के मिश्रित संवर्ग में विलय करने का आदेश जारी कर दिया गया था और इसके साथ, 31.10.93 तक नियमित आधार पर प्रारम्भिक ग्रेड में नियुक्त मौजूदा कर्मचारियों को मिश्रित संवर्ग में आने का विकल्प दिया गया था। बहरहाल, किसी भी अलग संवर्ग में नियमित आधार पर उच्चतर ग्रेड में कार्यरत कर्मचारियों को संबंधित संवर्ग में प्रगति करने की अनुमति दी गई थी। आरक्षण लिपिक इस मिश्रित संवर्ग का भाग नहीं है।

(ख) से (घ) उत्तर रेलवे, जिसमें सामान, पार्सल और बुकिंग लिपिकों के अलग-अलग संवर्ग थे, 1.11.93 से प्रारम्भिक ग्रेड में इन संवर्गों को मिश्रित करके दिल्ली मंडल में मंत्रालय के अनुदेश कार्यान्वित कर चुका है और उस ग्रेड में मौजूदा कर्मचारियों को मिश्रित संवर्ग में आने का विकल्प दिया गया है तथा उच्चतर ग्रेडों के कर्मचारियों को संबंधित संवर्ग में प्रगति करने की अनुमति की गई है।

[अनुवाद]

शताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ियों में खान-पान सुविधाएं

7095. **श्री नरेश पुगलिया**
श्री प्रभात सामन्तराय :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ियों के डिब्बों में विशेष खान-पान संबंधी सुविधाएं प्रदान करने की व्यवस्था नये होटलों के प्रबंध मंडल को पट्टे पर सुपुर्द करने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली-मुम्बई क्षेत्र के लिए रियायती विमान भाड़ा

7096. श्री पी०एस० गढ़वी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले वर्ष निजी विमान सेवाओं से कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण इंडियन एयरलाइन्स/एलायंस एयर ने दिल्ली-मुम्बई क्षेत्र के लिए रियायती विमान भाड़ों की घोषणा की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ निजी विमान सेवाएं इस क्षेत्र के लिए अब भी रियायत दे रही हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या इंडियन एयरलाइन्स/एलायंस एयर इस वर्ष भी रियायत दे रहे हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) जी, हां।

(ख) इंडियन एयरलाइन्स ने दिल्ली-मुम्बई सैक्टर पर विशेष किराया आरंभ किया है जिससे इस सैक्टर पर प्रतियोगियों द्वारा आरंभ की गई प्रतिस्पर्धा का जवाब दिया जा सके।

(ग) दिल्ली-मुम्बई सैक्टर पर विमानकंपनियों द्वारा वसूले जा रहे किराये (रुपयों में) के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :–

	इंडियन एयरलाइन्स		जेट एयरवेज		सहारा एयरलाइन्स	
	दिन का किराया	रात्रि का किराया	दिन का किराया	रात्रि का किराया	दिन का किराया	रात्रि का किराया
इकानामी श्रेणी	5110	3615	5110	3865	4666	4666
बिजनेस श्रेणी	7605	7605	7855	5920	7605	7605

(घ) और (ङ) इस समय इंडियन एयरलाइन्स/एलाइन्स एयर द्वारा दिल्ली-मुम्बई सैक्टर पर किरायों में कमी करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, कुछ समय बाद यदि मांग उठती है तब इंडियन एयरलाइन्स को उस पर विचार करना पड़ सकता है।

बीमा लागत में वृद्धि का घरेलू एयरलाइनों पर प्रभाव

7097. श्री रामशेठ ठाकुर : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 27 मार्च, 2000 के 'फाइनेन्शियल एक्सप्रैस' में 'एयर इंडियाज रिइन्शयोरेन्स चार्ज टु गो अप बाई 30%' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने बीमा लागत में अचानक वृद्धि के घरेलू एयरलाइनों पर पड़ने वाले प्रभाव का विश्लेषण किया है; और

(घ) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) एयर इंडिया वर्ष 1999-2000 के लिए भुगतान किए गए 5.335 मिलियन अमेरिकी डालर की तुलना में वर्ष 2000-2001 के लिए प्रीमियम के रूप में 5.721 मिलियन अमेरिकी डालर का भुगतान कर रही है। डालर के अनुसार यह मात्र 7.24% की वृद्धि है। इंडियन एयरलाइन्स के मामले में, अगली नवीकरण पहली अक्तूबर, 2000 को ही देय है जबकि संभावित वृद्धि के बारे में कोई पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है, इंडियन एयरलाइन्स के बीमा प्रीमियम की राशि वस्तुत: कम हो रही है। भारत में एयरलाइन आपरेशन के संबंध में कुल लागत की प्रतिशतता के रूप में बीमा लागत आधे से एक प्रतिशत के बीच है।

[हिन्दी]

वाराणसी और सारनाथ के लिए उड़ानें

7098. श्री तूफानी सरोज : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पर्यटकों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए वाराणसी और सारनाथ के लिए उड़ानों की संख्या में वृद्धि करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) विमानकंपनी प्रचालक अपने वाणिज्यिक निर्णयानुसार किसी आवृत्ति सहित किसी भी मार्ग पर/किसी भी स्थान में प्रचालन करने के लिए स्वतंत्र है बशर्ते कि वह उन मार्ग संवितरण संबंधी मार्गदर्शी सिद्धान्तों का अनुपालन करें जिसमें मार्गों की विशिष्ट श्रेणी पर कतिपय न्यूनतम प्रचालन सेवाओं का अनुबंध है। इस समय, वाराणसी हवाई मार्ग से भली-भांति जुड़ा हुआ है। इंडियन एयरलाइन्स, एलाइंस एयर, जेट एयरवेज तथा सहारा एयरलाइन्स वाराणसी में/से नियमित उड़ानें प्रचालित कर रहीं हैं।

[अनुवाद]

हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा लड़ाकू विमान का निर्माण

7099. श्री एस०डी०एन०आर० वाडियार : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर स्थित हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कुछ लड़ाकू विमानों का निर्माण कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो एच०ए०एल० द्वारा इस समय बनाये जा रहे विमानों और अन्य चल रही मुख्य परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एच०ए०एल०, नागरिक, सैन्य और कार्गो परिवहन की अधिकतम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कोई विमान बना रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) जी, हां।

(ख) हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के उत्पादन रेंज में लड़ाकू विमानों में मिग-27 एम, जगुआर लड़ाकू विमान, किरण प्रशिक्षण वायुयान तथा चीता/चेतक हेलीकॉप्टर हैं। इस समय जिन मुख्य परियोजनाओं पर काम चल रहा है उनमें इंटरमीडिएट जेट ट्रेनर तथा उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर परियोजनाएं हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड सिविल तथा सैन्य परिवहन दोनों के लिए डोर्नियर-228 का निर्माण कर रहा है।

इंडियन एयरलाइन्स की उड़ानों में विलंब

7100. **श्री के० येरननायडू :**
डा० राजेश्वरम्मा चुक्कला :
श्री बी० वेंकटेस्वरलु :
श्री कृष्णमराजू :
श्री सी० कुप्पुसामी :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्च, 2000 के अंतिम सप्ताह के दौरान कलकत्ता और मुम्बई की ओर उड़ान भरने वाली इंडियन एयरलाइन्स की उड़ानों ने देर से उड़ान भरी थी;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं कि इस कारण इंडियन एयरलाइन्स के व्यापार में गिरावट न आए ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) जी, हां। मार्च, 2000 के अंतिम सप्ताह के दौरान, विलंब से हुई उड़ान संबंधी घटना औसत की अपेक्षा कहीं अधिक थी जिसकी वजह प्राविधिकता पर से हटते हुए इंजीनियरों द्वारा अपनाए गए "गुणवत्ता आश्वासन मानदंड" थे, चूंकि अखिल भारतीय वायुयान इंजीनियर एसोसिएशन द्वारा उच्च वेतन तथा अन्य सेवा शर्तों से संबंधित अपनी मांगों के संदर्भ में एक रणनीति अपनाई गई थी।

(ग) प्रबन्धन तथा इंजीनियर्स एसोसिएशन के बीच इस समय बातचीत चल रही है, प्रबंधन ने भी संभाव्य घटनाओं की पूर्ति के लिए एक आकस्मिकता अनुसूची तैयार कर ली है।

केरल में सी०एस०डी० कैंटीन

7101. **श्री वी०एस० शिवकुमार** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल सहित देश में राज्यवार व स्थानवार कार्यरत सी०एस०डी० कैंटीनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार देश में विशेषकर केरल में कुछ और सी०एस०डी० कैंटीनों को खोलने का है; और

(ग) यदि हां, तो स्थानवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) यूनिट संचालित कैंटीनों, जो सी०एस०डी० कैंटीनों के नाम से जानी जाती हैं, का केरल राज्य सहित राज्यवार, ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है। इन कैंटीनों की कुल संख्या तीन हजार चार सौ से अधिक है।

(ख) और (ग) यूनिट संचालित कैंटीनें खोलने की व्यवहार्यता पर निरंतर रूप से विचार होता रहा है। इस संबंध में संबंधित रक्षा मुख्यालयों द्वारा मौजूदा आधारभूत सुविधाओं, जनशक्ति, पात्र उपभोक्ताओं की संख्या और प्रस्ताव की आर्थिक व्यवहार्यता को ध्यान में रखते हुए जांच की जाती है। इसके अतिरिक्त यूनिट संचालित कैंटीनों की संख्या और स्थान प्रचालनात्मक और प्रशासनिक कारणों से परिवर्तित होते रहते हैं।

विवरण

दिनांक 03.05.2000 की स्थिति के अनुसार यूनिट संचालित कैंटीनों की राज्यवार सूची

क्र० सं०	राज्य	सेना	नौसेना	वायुसेना	अन्य	योग
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	101	34	7	—	142
2.	बंगाल	181	5	9	7	202
3.	बिहार	49	—	3	9	61
4.	दिल्ली	100	3	12	—	115
5.	गुजरात	68	7	10	2	87
6.	हरियाणा	194	—	14	24	232
7.	जम्मू-कश्मीर	434	—	10	107	551
8.	कर्नाटक	56	3	20	—	79
9.	केरल	21	3	2	1	27
10.	महाराष्ट्र	141	30	15	31	217
11.	मध्य प्रदेश	113	—	3	—	116
12.	पूर्वोत्तर क्षेत्र	238	—	16	114	368

1	2	3	4	5	6	7
13.	पोर्टब्लेयर	7	9	1	1	18
14.	पंजाब	407	—	8	16	431
15.	राजस्थान	249	—	10	2	261
16.	तमिलनाडु	44	10	6	—	60
17.	उत्तर प्रदेश	441	—	15	14	470
	कुल	2844	104	161	328**	3437

**अन्य : अर्ध-सैन्य बल, रक्षा लेखा नियंत्रक स्टॉफ/स्थापना, आयुध निर्माण स्थापनाएं।

[हिन्दी]

दिल्ली-दरभंगा मार्ग पर भारी यात्रियों की भारी भीड़

7102. श्रीमती सुशीला सरोज : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली दरभंगा मार्ग पर यात्रियों की भारी भीड़ है और लम्बी सूची के कारण यात्रियों को आरक्षण नहीं मिल रहा है;

(ख) यदि हां, तो दरभंगा से दिल्ली के लिए आरक्षण उपलब्धता को बेहतर बनाने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है;

(ग) क्या सरकार स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस और लिच्छवी एक्सप्रेस को दरभंगा तक बढ़ाने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) दिल्ली-दरभंगा मार्ग पर पर्याप्त यात्री यातायात है और कुछ यात्री प्रतीक्षा सूची में रहते हैं।

(ख) गर्मी के महीनों में यात्रियों की भीड़भाड़ को कम करने के लिए विशेष गाड़ियां चलाई जा रही हैं।

(ग) और (घ) गाड़ी संख्या 5213/5214 नई दिल्ली-मुजफ्फरपुर स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस (सप्ताह में दो बार) को 01/7/2000 से दरभंगा तक बढ़ाया जा रहा है। फिलहाल लिच्छवी एक्सप्रेस को दरभंगा तक बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

बंगलौर में राष्ट्रीय आधुनिक कला केन्द्र

7103. श्री जी० पुट्टास्वामी गौड़ा : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर में राष्ट्रीय आधुनिक कला केन्द्र खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस परियोजना पर किए जाने वाले शुरूआती निवेश का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रयोजनार्थ स्थल का चयन कर लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस परियोजना पर कार्य किस तिथि से शुरू हो जाएगा ?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) कर्नाटक राज्य सरकार ने राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय (एन०जी०एम०ए०) की शाखा स्थापित करने के लिए बंगलौर में पैलेस रोड़ स्थित "मणिक्यावेलु मैंशन" को 30 वर्षों की अवधि के लिए एक रुपए प्रतिवर्ष के नाममात्र किराए पर प्रदान करने की पेशकश की है। पट्टा विलेख करार को निष्पादित किया जा रहा है। उक्त भवन पर रिक्ति-कब्जा दिए जाने और उस पर विभाग द्वारा 85 लाख रु० की अनुमानित लागत पर आवश्यक पुनरोद्धार-कार्य किए जाने के पश्चात् ही दीर्घा को प्रारंभ किया जा सकता है। वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान, इस प्रयोजनार्थ 25.00 लाख रु० की राशि उद्दिष्ट की गयी है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री से उक्त भवन का रिक्ति-कब्जा देने संबंधी कार्य को शीघ्रता से संपन्न करने के लिए पुन: अनुरोध किया गया है।

सोलापुर स्टेशन पर आरक्षण कोटा

7104. श्री सुशील कुमार शिंदे : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सोलापुर स्टेशन के लिए कर्नाटक एक्सप्रेस रेलगाड़ी में आबंटित कोटा यात्रियों की आवश्यकता पूरा नहीं करता है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जाएगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) कुछेक यात्री प्रतीक्षा सूची में रहते हैं।

(ख) 2627/2628 नई दिल्ली-बैंगलूरू कर्नाटक लम्बी दूरी की लोकप्रिय गाड़ी है। विभिन्न स्टेशनों को आबंटित आरक्षण कोटों की आवधिक समीक्षा की जाती है। परिणामस्वरूप, 26.10.1999 से 2628 नई दिल्ली-बैंगलूरू कर्नाटक में सोलापुर स्टेशन पर तीन शयनयान शायिकाओं का अतिरिक्त कोटा आबंटित किया गया था। जहां तक 2627 बंगलूरू- नई दिल्ली कर्नाटक एक्सप्रेस का संबंध है, वर्तमान कोटा धारक स्टेशनों पर कोटे के पूर्ण उपयोग के कारण इस स्टेशन

पर 4 वातानुकूल 2 टियर और 26 शयनयान शायिकाओं के वर्तमान कोटे में वृद्धि करना व्यवहारिक नहीं पाया गया।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पद

7105. **श्री रामशेर सिंह दूलो :**
डा० बलिराम :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान श्रेणीवार उनके मंत्रालय/विभाग/स्वायत्त शासी निकाय और अधीनस्थ कार्यालयों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के कितने व्यक्तियों को नौकरी दी गई;

(ख) 31 मार्च, 2000 की स्थिति के अनुसार उक्त प्रत्येक कार्यालय में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कितने पद आरक्षित पड़े हैं; और

(ग) इन रिक्त पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा कृषि मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा): (क) से (ग) अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु खाद्यान्नों का निर्गम मूल्य

7106. **डा० रघुवंश प्रसाद सिंह :** क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गेहूं, चावल, चीनी और मिट्टी के तेल का बाजार मूल्य क्या है; और

(ख) गरीबी रेखा से नीचे और ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उक्त वस्तुओं का बाजार मूल्य तथा केन्द्रीय निर्गम मूल्य क्या हैं ?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) चार महानगरों अर्थात् दिल्ली, कलकत्ता मुम्बई और चेन्नई में गेहूं, चावल, चीनी और मिट्टी के तेल के बाजार मूल्यों का ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

(ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन गरीबी रेखा से नीचे और गरीबी रेखा से ऊपर की आबादी के लिए उचित दर दुकानों के संबंध में इन जिन्सों के जो केन्द्रीय निर्गम मूल्य और बाजार मूल्य निर्धारित किए गए हैं उनकी जानकारी क्रमशः विवरण-II और III में दी गई है।

विवरण-I

अप्रैल, 2000 को स्थिति के अनुसार चार महानगरों अर्थात्, दिल्ली, कलकत्ता, मुम्बई और चेन्नई में गेहूं, चावल, चीनी और मिट्टी के तेल का बाजार मूल्य

(रुपये प्रति किलोग्राम)

मद	दिल्ली	कलकत्ता	मुम्बई	चेन्नई
गेहूं	7.50	सू०न०	10.50	11.50
चावल	13.00	12.00	13.75	11.50
चीनी	17.00	16.50	16.75	16.00
मिट्टी का तेल* (रुपये प्रति लिटर)	14.00-16.00	13.00-14.00	11.00-13.00	13.00-14.00

सू०न० - सूचित नहीं।

* समानान्तर विपणन योजना, मिट्टी के तेल के बिक्री मूल्य में बाजार अर्थव्यवस्था के आधार पर उतार-चढ़ाव होता है।

विवरण-II

गेहूं, चावल, चीनी और मिट्टी के तेल के केन्द्रीय निर्गम मूल्य

(रुपये प्रति क्विंटल)

क्रम सं०	मद	गरीबी रेखा से नीचे	गरीबी रेखा से ऊपर
1.	गेहूं	450	900
2.	चावल		
	(i) साधारण	590	–
	(ii) ग्रेड 'ए'	590	1180
	(iii) गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए साधारण चावल जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर-पूर्वी राज्यों, सिक्किम और उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों के लिए लागू	–	1135
3.	चीनी		1300
4.	मिट्टी का तेल (रुपये प्रति लिटर)		4.50

विवरण-III

उचित दर दुकानों पर निर्गम मूल्य
(गेहूं और चावल)

(8.5.2000 को स्थिति के अनुसार)
(रुपये प्रति क्विंटल)

शहर	गरीबी रेखा से नीचे		गरीबी रेखा से ऊपर		
	गेहूं	चावल	गेहूं	साधारण चावल	ग्रेड "ए" चावल
दिल्ली	—	—	9.50	—	12.30
कलकत्ता	3.00	4.00	7.68	—	10.40
मुम्बई	2.00	2.00	8.10	—	10.85
चेन्नई	2.00	3.50	7.75	—	उ०न०

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली दिल्ली में नहीं शुरू की गई।
उ०न० - उपलब्ध नहीं।

उचित दर दुकानों पर चीनी और मिट्टी के तेल का निर्गम मूल्य

मद	दिल्ली	कलकत्ता	मुम्बई	चेन्नई
चीनी (रुपये प्रति किलोग्राम)	13.00	13.00	13.00	13.00
मिट्टी का तैल (रुपये प्रति लिटर)	5.55	5.87	5.57	5.64

[अनुवाद]

वृद्धावस्था पैंशन

7107. श्री चन्द्रकांत खैरे : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पात्र सभी वृद्ध लोगों को वृद्धावस्था पैंशन मिल रही है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) कौन सा विभाग और अधिकारी पैंशन की स्वीकृति हेतु सक्षम है;

(घ) ऐसी पैंशन की स्वीकृति हेतु क्या मानदंड बनाये गये हैं;

(ङ) क्या केवल अमीर और प्रभावशाली लोग ही आसानी से इस पैंशन को स्वीकृत करा लेते हैं और गरीब लोगों की अनदेखी की जाती है;

(च) क्या भू-स्वामी व्यक्ति भी इसके पात्र होते हैं; और

(छ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) जी, नहीं। सभी पात्र वृद्ध लोगों को राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिल रही है।

(ख) निधियों की कमी के कारण सभी पात्र लाभार्थियों को कवर नहीं किया जा रहा है।

(ग) राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार नोडल विभाग इस मामले में संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार के निर्णय के आधार पर प्रत्येक राज्य में अलग-अलग होते हैं। जिला स्तर पर जिला मजिस्ट्रेट/जिला कमिश्नर राज्य के नामित विभाग के जिला स्तरीय अधिकारियों की सहायता से योजना को कार्यान्वित करते हैं। तद्नुसार जिला मजिस्ट्रेट/जिला कमिश्नर पेंशन स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी हैं। किन्तु जिले में अन्य नामित अधिकारी भी जिला मजिस्ट्रेट/कमिश्नर द्वारा उसे सौंपे गए प्राधिकार के आधार पर पेंशन स्वीकृत कर सकता है।

(घ) राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन की स्वीकृति के मानदण्ड निम्नलिखित हैं :—

(i) आवेदक — पुरुष या महिला की उम्र 65 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए।

(ii) आवेदक को इस मायने में निराश्रित होना चाहिए कि उसके पास अपनी आय के स्रोतों से आजीविका का कोई साधन नहीं है या कोई नियमित साधन नहीं है या उसे अन्य स्रोतों से या परिवार के सदस्यों से कोई आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं है। निराश्रितता निर्धारित करने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार में वर्तमान में लागू मानदंडों, यदि कोई हो, को भी अपनाया जा सकता है।

(ङ) से (छ) जी, नहीं। राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन के लिए अमीर लोगों पर विचार नहीं किया जाता है। राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन केवल उन वृद्ध निराश्रितों को दी जाती है जो राष्ट्रीय वृद्धवस्था पेंशन योजना के दिशा-निर्देशों में निर्धारित मानदंडों को पूरा करते हैं।

[हिन्दी]

लाल किले के रख-रखाव हेतु सहायता

7108. श्रीमती जयाबहन बी० ठक्कर : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में लाल किले के रख-रखाव हेतु विभिन्न स्रोतों से कितनी सहायता उपलब्ध है;

(ख) क्या रख-रखाव हेतु प्रदान की गई सहायता पर्याप्त है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके लिए कितनी अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता है; और

(घ) सरकार द्वारा इसे दृश्यपरक बनाने हेतु क्या उपाय किए जाने का प्रस्ताव है ?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) से (घ) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण लालकिला के भागों का रख-रखाव करता है जो उसके नियंत्रण में हैं।

क्योंकि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के वित्तीय साधन सीमित हैं, अत: पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार से सहायता के लिए अनुरोध किया गया है।

निगमित क्षेत्र से सहायता लेने के प्रयास अभी तक सरकार नहीं हुए हैं।

[अनुवाद]

पद आधारित रोस्टर

7109. डा० बलिराम : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त शासी निकायों/सम्बद्ध/अधीनस्थ संगठनों में श्रेणीवार तथा ग्रेडवार कितने कर्मचारी हैं;

(ख) क्या "रिक्ति आधारित रोस्टर" के स्थान पर "पद आधारित रोस्टर" शुरू किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा कृषि मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा): (क) से (ग) अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

होटल प्रबन्धन और खानपान प्रौद्योगिकी

7110. सरदार बूटा सिंह : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सभी होटल प्रबंधनों में होटल प्रबंधन खानपान प्रौद्योगिकी डिप्लोमा में स्नातक-पूर्व स्नातकोत्तर स्तर पर विभिन्न संकायों/क्षेत्रों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए कितने स्थान आरक्षित हैं; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन समुदायों के कितने छात्र विभिन्न संकायों/पाठ्यक्रमों में दाखिल हुए और कुल स्थानों की तुलना में इनका प्रतिशत कितना है ?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) और (ख) मौजूदा मानदण्डों के अनुसार, होटल प्रबंध और खान-पान तकनालॉजी संस्थानों द्वारा चलाए जा रहे सभी पाठ्यक्रमों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के छात्रों के लिए प्रति वर्ष क्रमश: 15% और 7.5% सीटें आरक्षित की जाती हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान, विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति के छात्रों की संख्या नीचे दिए गए अनुसार है :–

I. 3-वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश

वर्ष	प्रवेश प्राप्त छात्रों की संख्या	प्रवेश प्राप्त अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन-जाति के छात्रों की संख्या	प्रवेश प्राप्त अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन-जाति के छात्रों का प्रतिशत
1997-98	2014	438	21.70%
1998-99	2185	460	21.05%
1999-2000	2245	424	18.90%
II. स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश			
1997-98	250	28	11.20%
1998-99	290	31	10.11%
1999-2000	274	18	6.50%
III. शिल्पकला स्तर और प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम में प्रवेश			
1997-98	539	89	16.50%
1998-99	553	76	13.74%
1999-2000	610	79	12.95%

इंडियन एयरलाइन्स में अभियन्ताओं की कमी

7111. कुमारी भावना घुंडलिकराव गवली : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभियन्ताओं की कमी के कारण इंडियन एयरलाइन्स की उड़ानों में विलम्ब होता है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) जी, नहीं। उच्च वेतन तथा अन्य सेवा शर्तों के संबंध में इंजीनियर्स एसोसिएशन द्वारा किए गए अघोषित आंदोलन के कारण, पिछले कुछ सप्ताह इंडियन इंडियन एयरलाइन्स की उड़ानों में विलम्ब हुआ है। समझौता किया जाना प्रगति पर है तथा आपात योजना तैयार कर ली गई है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश की ग्रामीण विकास योजनाएं

7112. श्रीमती रीना चौधरी :
श्री रवि प्रकाश वर्मा :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान कुछ ग्रामीण विकास योजनाएं मंजूरी हेतु प्रेषित की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इनमें से कितनी परियोजनाओं को अब तक, वर्षवार दी गई मंजूरी का ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा कृषि मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा): (क) से (ग) 1997-98 से 1999-2000 की अवधि के दौरान सरकार को ग्रामीण विकास योजनाओं का उत्तर प्रदेश सरकार से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन प्रस्तावों का संबंध ग्रामीण आवास तथा पर्यावरण विकास के लिए अभिनव योजना, समग्र आवास योजना, स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, समन्वित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम, केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम तथा त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम से है। इन प्रस्तावों में से स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या संलग्न विवरण में दर्शायी गई है।

विवरण

क्रम सं०	योजना का नाम	1997-98		1998-99		1999-2000	
		प्राप्त प्रस्ताव	स्वीकृत	प्राप्त प्रस्ताव	स्वीकृत	प्राप्त प्रस्ताव	स्वीकृत
1.	ग्रामीण आवास एवं पर्यावास के लिए अभिनव योजना	–	–	–	–	1	–
2.	समग्र आवास योजना	–	–	–	–	1	–
3.	स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना	–	–	–	–	6	3
4.	जवाहर ग्राम समृद्धि योजना	1	–	4	1	1	–
5.	समन्वित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम	79	8	68	7	44	9
6.	केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम	–	–	–	–	4	4
7.	त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम	–	–	–	–	5	5

पलियाकलां में हवाई अड्डे का निर्माण

7113. श्री रवि प्रकाश वर्मा : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के खीरी जिले के पलियाकलां में हवाई अड्डे के निर्माण का कार्य पूरा हो गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इस हवाई अड्डे के निर्माण कार्य के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) तथा (ख) खीरी जिला के पलियाकलां स्थित हवाई पट्टी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की इस हवाई अड्डे के स्तरोन्नयन संबंधी कोई योजना नहीं है।

[अनुवाद]

जम्मू और कश्मीर में पुल का निर्माण

7114. वैद्य विष्णु दत्त शर्मा : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जम्मू और कश्मीर राज्य के राजौरी जिले में सीमा सड़क सुन्दरबानी से चांगर के बीच का पुल भारी यातायात का बोझ सहने के लिये बहुत पुराना है और उस पुल से गुजरने वाली बसों को अपने यात्रियों को पहले उतारना पड़ता है जो आपात काल में खतरनाक है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार का विचार इस सीमावर्ती सड़क पर एक नये पुल के निर्माण का है; और

(ग) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) बेरीपट्टन में मौजूदा बेली झूला पुल का भारवहन वर्गीकरण 18 आर है। अत: इस पुल को पार करने वाली बसों को अपने यात्रियों को पुल से पहले उतारना तथा पुल पार करने के बाद उन्हें पुन: बिठाना पड़ता है। तथापि, इस सड़क पर यातायात बहुत कम है। इस सड़क के निकट ही एक वैकल्पिक मार्ग भी है जो सियट-नियारा होकर जाता है।

(ख) और (ग) मौजूदा झूला पुल के स्थान पर एक स्थायी पुल बनवाये जाने का प्रस्ताव है। स्थायी पुल के निर्माण के लिए जमीन की स्थिति का परीक्षण वर्ष 2000-2001 में किए जाने की योजना है। जमीन की स्थिति के परीक्षण का कार्य पूरा हो जाने के बाद प्रस्ताव की तकनीकी तथा आर्थिक-व्यवहार्यता का अध्ययन किया जाएगा तथा पुल का निर्माण करने अथवा न करने के बारे में निर्णय लिया जाएगा।

मुंबई में रक्षा भूमि का मुंबई नगर निगम को हस्तांतरण

7115. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा भूमि को रक्षा मंत्रालय की मंजूरी के बिना किसी अधीनस्थ प्राधिकरण द्वारा किसी अन्य एजेन्सी को हस्तांतरित किया जा सकता है;

(ख) यदि नहीं, तो पश्चिमी नौसेना कमांड मुख्यालय द्वारा मुंबई में 15000 वर्ग मीटर भूमि को मुंबई नगर निगम को हस्तांतरित करने का आदेश दिये जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या उक्त मामले में कोई जांच की गयी है;

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला और इस पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गयी; और

(ङ) भविष्य में रक्षा भूमि के इस प्रकार के अप्राधिकृत हस्तांतरण को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, नहीं। मौजूदा अनुदेशों के अनुसार सरकार की पूर्व अनुमति के बिना रक्षा भूमि का अंतरण/हस्तांतरण नहीं किया जा सकता है।

(ख) पश्चिम नौसेना कमान मुख्यालय ने मुंबई नगर निगम को कोई रक्षा भूमि हस्तांतरित नहीं की है। तथापि, निगम को मुख्य नगर से जुड़ी 15 मीटर चौड़ी रक्षा भूमि जो पवई स्थित रक्षा सिविलियन हाउसिंग कॉलोनी तक जाती है, पर तारकोल बिछाने की अनुमति दे दी गई है।

(ग) से (ङ) इस मामले का उल्लेख नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक की 31 मार्च, 1998 को समाप्त हुए वर्ष की रिपोर्ट की लेखापरीक्षा में किया गया है तथा यह सरकार के विचाराधीन है।

[हिन्दी]

छावनी क्षेत्रों में पथकर समाप्त करना

7116. **प्रो० रासा सिंह रावत** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई राज्य सरकारों ने अपने-अपने राज्यों में पथकर समाप्त कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इन राज्यों के छावनी-क्षेत्रों में उपरोक्त कर को जारी रखने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का छावनी-क्षेत्रों से गुजरने वाले वाहनों से पथकर संग्रह को रोकने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो इसे कब तक प्रभावशील कर दिया जाएगा; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, हां।

(ख) इनमें से कुछ राज्यों के छावनी बोर्ड छावनी क्षेत्रों में पथकर की उगाही जारी रखे हुए हैं क्योंकि यह उनके राजस्व का विधिसम्मत और महत्वपूर्ण स्रोत है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

धान से चावल निकालने की प्रक्रिया

7117. **श्री सुरेश रामराव जाधव** : क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार धान से चावल निकालने की प्रक्रिया के अध्ययन हेतु चावल मिल मालिकों के शिष्टमंडल को विदेशों में भेजने का है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है; और

(ग) धान से चावल को बेहतर ढंग निकालने के लिए मशीनों को तैयार करने हेतु क्या नए कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है ?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) से (ग) हमारे देश में धान से चावल की औसत वसूली 67 प्रतिशत होती है जबकि विकसित देशों में इस वसूली का प्रतिशत 70 से 72 प्रतिशत के बीच है। अत: इस स्थिति के मद्देनजर विकसित देशों की तुलना में हमारे देश में धान से चावल की वसूली कम होती है। भारत सरकार देश से एक शिष्टमंडल को अध्ययन दौरे पर कोरिया, थाईलैंड और वियतनाम भेजने संबंधी प्रस्ताव तैयार कर रही है और इस दौरे का प्रयोजन देश में चावल मिलों का आधुनिकीकरण करने के लिए ब्ल्यू प्रिंट तैयार करना है। उक्त शिष्टमंडल में सरकारी अधिकारियों, चावल प्रौद्योगिकीविद और प्रमुख चावल मिल मालिकों को शामिल किया जाएगा। यह प्रस्ताव प्रारम्भिक अवस्था में है और अभी विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इसकी जांच की जानी है।

[हिन्दी]

रेल टर्मिनलों के समीप भंडारण सुविधायें

7118. **श्री रामदास आठवले** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजी कंपनियों को रेल टर्मिनलों के समीप भंडारण सुविधायें शुरू करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए कोई कार्य-योजना बनाई गई है/बनाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जनवरी, 2000 के दौरान भारतीय उद्योग परिसंघ के सम्मेलन में वरिष्ठ रेल अधिकारियों ने भाग लिया था; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्मेलन में प्राप्त सुझावों और किये गये निर्णयों का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) निर्धारित रेल टर्मिनलों पर ग्राहकों को वेयर हाऊसिंग सुविधाएं

मुहैया कराने के लिए निर्णय लिया गया है। कुछ जगहों पर ऐसी सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए मैसर्स सैन्ट्रल वेयर हाऊसिंग कॉरपोरेशन (सी०डब्ल्यू०सी०) के साथ बात-चीत की गई है। रेलें नियमानुसार निजी कम्पनियों से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करने के लिए मुक्त है।

(ग) और (घ) जी, हां। भारतीय उद्योग संघों द्वारा जनवरी, 2000 के दौरान आयोजित सम्मेलन में रेलों के उच्चाधिकारियों ने भाग लिया था। रेलवे टर्मिनलों के समीप भण्डारण प्रारंभ करने हेतु प्रस्ताव पर सम्मेलन में चर्चा हुई थी और प्रतिनिधियों ने इस उद्यम के लिए निजी भागीदारी को उत्साहित करने का सुझाव दिया था।

[अनुवाद]

पैंटिंग की विशेष दीर्घा

7119. **श्री प्रियरंजन दासमुंशी** : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार शांतिनिकेतन कला भवन के प्रमुख कलाकारों द्वारा बनाई गई पैंटिंग की विशेष दीर्घा के संरक्षण पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

आंध्र प्रदेश में भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्नों का प्रापण

7120. **श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी** : क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक के दौरान और मार्च, 2000 तक धान, चावल और अन्य खाद्यान्नों के प्रापण संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कितने प्रापण केन्द्र खोले गए, विस्तारित किए गए और उन पर कितना व्यय हुआ;

(ग) वर्तमान में कितने अतिरिक्त खाद्यान्नों का राज्य में प्रापण नहीं किया जा सका और इसके मूल कारण क्या हैं; और

(घ) सरकार द्वारा राज्य में भविष्य में खाद्यान्नों के प्रापण के लिय क्या योजनाएं/कार्यनीति तैयार की गई है ?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान और मार्च, 2000 तक आंध्र प्रदेश में हुई धान, चावल और मोटे अनाज की वसूली के ब्यौरे निम्नानुसार है :–

(लाख टन में)

विपणन मौसम	चावल	धान	मोटे अनाज
1996-97	45.04	0.32	–
1997-98	38.55	–	0.02
1998-99	50.52	0.16	–
1999-2000 (31.3.2000 तक)	34.56	–	–

(ख) मिल लेवी चावल की सुपुर्दगी मिल-मालिकों द्वारा भारतीय खाद्य निगम के नामित डिपुओं पर की जाती है। धान अथवा मोटे अनाजों की वसूली के लिए वसूली केन्द्र केवल उन्हीं स्थानों पर खोले/स्थापित किए जाते हैं जहां प्रचलित बाजार मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम होते हैं। किसानों द्वारा मजबूरन बिक्री को रोकने के लिए ऐसा राज्य सरकार के परामर्श से किया जाता है। वसूली केन्द्र और उन पर वहन खर्च के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) भारतीय खाद्य निगम आंध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए लेवी आदेशों में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार लेवी चावल की वसूली कर रहा है। भारतीय खाद्य निगम ने लगातार पिछले चार वर्षों के दौरान राज्य सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों से अधिक मात्रा की वसूली की है। मिलों द्वारा केवल उचित औसत किस्म के मानक का चावल ही स्वीकार किया जा रहा है।

विवरण

वर्ष	गोदाम स्थल		गोदाम स्थलों के अलावा		कुल		वहन किया गया खर्च
	खरीफ	रबी	खरीफ	रबी	खरीफ	रबी	(रुपयें में)
1996-97	93	93	34	52	127	145	5,45,040
1997-98	95	62	82	–	177	62	64,15,020
1998-99	97	98	42	75	139	173	36,28,643
1999-2000	81	81	–	–	81	81	*

*इस खाते का लेखा परीक्षण अभी किया जाना है।

चिकित्सा आधार पर स्क्वैड्रन लीडर की बर्खास्तगी

7121. **श्री सुनील खां** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या करगिल में सफल अभियान के पश्चात् भारतीय वायु सेना के एक स्क्वैड्रन लीडर को चिकित्सा आधार पर हाल ही में उसकी सेवाओं से बर्खास्त/सेवा मुक्त कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या एक अन्य अति अर्हित चिकित्सक द्वारा किये गये रोग निदान के अनुसार उसकी मानसिक परेशानियों का कारण उसको दी गयी दवा थी;

(ग) क्या किसी चिकित्सक बोर्ड द्वारा उसकी मानसिक परेशानियों के कारण की जांच की गयी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, हां।

(ख) इस अधिकारी की जांच और उसकी बीमारी का उपचार सशस्त्र बलों के अर्हता-प्राप्त विशेषज्ञ ने किया था और रोग के अनुरूप दवाइयां दी गई थीं।

(ग) और (घ) इस अधिकारी को विधिवत् गठित अधिकारियों के चिकित्सा बोर्ड ने निशक्तता के आधार पर सेवा-मुक्त कर दिया था।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

महाप्रबंधक द्वारा दौरा

7122. **श्री रघुवीर सिंह कौशल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक ने गत दो वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कितनी बार सैलून में आगरा का निरीक्षण दौरा किया है;

(ख) रेलवे सैलून में ऐसे दौरों के क्या मानदण्ड हैं;

(ग) किसी महाप्रबंधक द्वारा सामान्य तौर पर एक वर्ष में किसी स्थान विशेष पर कितनी बार निरीक्षण दौरा किया जाता है; और

(घ) क्या महाप्रबंधक द्वारा आगरा के दौरे नियमों के अनुसार न्यायसंगत और अनुमति प्राप्त है;

(ङ) यदि नहीं, तो अत्यधिक दौरों के क्या कारण हैं; और

(च) इन दौरों पर रेलवे द्वारा कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) महाप्रबंधक ने 1998-2000 के दौरान आगरा में 3 निरीक्षण किए जो निम्नलिखित हैं :–

(i) महाप्रबंधक का 24.2.1998 को जमुना पुल/आगरा फोर्ट का वार्षिक निरीक्षण और आगरा फोर्ट-गंगापुर सिटी-सवाई माधोपुर का ट्रैलिंग विन्डो निरीक्षण आगमन 08.10 बजे तथा प्रस्थान 09.00 बजे।

(ii) महाप्रबंधक का 5.3.2000 का आगरा फोर्ट-बयाना-सवाई माधोपुर पर कोटा मंडल का वार्षिक निरीक्षण आगमन 10.00 बजे तथा प्रस्थान 11.00 बजे।

(iii) महाप्रबंधक का 2.8.1999 को जमुना पुल/आगरा फोर्ट का निरीक्षण और आगरा फोर्ट-गंगापुर सिटी खण्ड पर ट्रैलिंग विन्डो निरीक्षण आगमन: आगरा फोर्ट 8.00 बजे और प्रस्थान 16.00 बजे।

(ग) इस संबंध में कोई मानक निर्धारित नहीं है।

(घ) जी, हां।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) निरीक्षण का अलग से लेखा जोखा नहीं रखा जाता है।

रेलवे विभाग के अधिकारियों द्वारा यादृच्छिक जांच

7123. **श्री राजो सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई रेलवे अधिकारी टिकट आरक्षित करवाये बिना किसी भी रेलगाड़ी के किसी भी उच्च श्रेणी के डिब्बे में यात्रा कर सकता है और इस ढंग से यात्रा करते समय टिकटों की यादृच्छिक जांच कर सकता है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ऐसे अधिकारियों को दिए गए निर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार को 7 अप्रैल, 2000 को काशी विश्वनाथ एक्सप्रैस में आरक्षण के बिना रेलवे अधिकारियों द्वारा रेलगाड़ी में चढ़ने और टिकटों की यादृच्छिक जांच करने के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस पर क्या कार्रवाई की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) उपयुक्त यात्रा प्राधिकार वाले रेल अधिकारी विभिन्न श्रेणियों में यात्रा कर सकते हैं। अनुदेश विद्यमान हैं; कि अधिकारी अपनी यात्रा के दौरान रेलवे कार्य प्रणाली के विभिन्न पहलुओं की जांच करें। विद्यमान परिपाटी के अनुसार रेलवे अधिकारी ड्यूटी के समय टिकट जांच का पर्यवेक्षण कर सकते हैं।

(ग) और (घ) एक शिकायत प्राप्त हुई थी जिनकी जांच की जा रही है।

और अधिक डिब्बे जोड़ना

7124. **श्री रामानन्द सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सभी ट्रेनों में सामान्य डिब्बों की संख्या बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ट्रेन-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सामान्य डिब्बों से अत्यधिक भीड़ को किस तरह से कम करने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (घ) यातायात की मांग, सवारी डिब्बों की उपलब्धता तथा परिचालनिक व्यवहार्यता को ध्यान में रखकर सामान्य द्वितीय श्रेणी के सवारी डिब्बों सहित गाड़ियों में वृद्धि करना एक सतत् प्रक्रिया है।

[अनुवाद]

इंडियन एयरलाइन्स की अन्तरराष्ट्रीय उड़ानें

7125. **श्री ए० वेंकटेश नायक :**
श्री विलास मुत्तेमवार :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स की अन्तरराष्ट्रीय उड़ानों में विलंब हुआ है और मार्च, 2000 के दौरान इसके इंजीनियरों द्वारा काम धीमें करने की नीति अपनाने के कारण निर्धारित उड़ानें अवरूद्ध हुई थीं;

(ख) यदि हां, तो इस कारण इंडियन एयरलाइन्स को हुए घाटों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इंडियन एयरलाइन्स के इंजीनियरों द्वारा ऐसा रवैया अपनाये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) मार्च, 2000 के अंतिम सप्ताह के दौरान, विलंब से हुई उड़ान संबंधी घटना औसत की अपेक्षा कहीं अधिक थी जिसकी वजह प्राविधिकता पर से हटते हुए इंजीनियरों द्वारा अपनाए गए "गुणवत्ता आश्वासन मानदंड" थे, चूंकि अखिल भारतीय वायुयान इंजीनियर एसोसिएशन द्वारा उच्च वेतन तथा अन्य सेवा शर्तों से संबंधित अपनी मांगों के संदर्भ में एक रणनीति अपनाई गई थी। इंडियन एयरलाइन्स की सीटों के उपयोग में कोई सुस्पष्ट कमी नहीं थी।

(घ) प्रबंधन तथा इंजीनियर्स एसोसिएशन के बीच इस समय बातचीत चल रही है, प्रबंधन ने भी संभाव्य घटनाओं की पूर्ति के लिए एक आकस्मिकता अनुसूची तैयार कर ली है।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अधिकारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप

7126. **डा० मन्दा जगन्नाथ :**
श्री पी०एस० गड्डी :
डा० एस० वेणुगोपाल :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण लिमिटेड (ए०ए०आई०) के पूर्व कार्यकारी निदेशक (परामर्शदात्री तथा समन्वय) श्री के० टेकचन्दानी के विरुद्ध अनुशासनात्मक जांच तथा अनेक भ्रष्टाचार संबंधी आरोप लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वह ए०ए०आई० लि० में किसी पद पर हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में कार्यकारी निदेशक श्री के० टेकचन्दानी के संबंध में सतर्कता क्लीयरेंस की स्वीकृति के एक प्रस्ताव पर भारतीय सीमेन्ट निगम लिमिटेड में अध्यक्ष व प्रबन्ध निदेशक की नियुक्ति के लिए केन्द्रीय सतर्कता आयोग में विचार किया जा रहा है।

(ग) और (घ) इस समय वे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में कार्यकारी निदेशक (परामर्श तथा समन्वय) के पर पर हैं।

सहारा एयरलाइंस से वसूली

7127. **श्री चिंतामन वनगा** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार एवं भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को सहारा एयरलाइन्स से काफी धन वसूल करना है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक मामले में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार बकाया धनराशि शीघ्र वसूल करने के लिए क्या कदम उठाने पर विचार कर रही है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) जबकि अंतर्देशीय यात्रा कर (आई०ए०टी०टी०) के संबंध में मैसर्स सहारा एयरलाइन्स द्वारा किए जाने के लिए कोई बकाया देय/भुगतान नहीं हैं, इस एयरलाइन्स की ओर से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को 2.08 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाना है।

(ग) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने एयरलाइन्स की प्रदान की गई उधार सुविधा को वापस ले लिया है तथा 'कैश एण्ड कैरी' प्रणाली आरंभ कर दी है। वर्तमान प्रतिभूति जमा को भुना लिया गया है और इसे देयों को तहत सामंजित कर दिया गया है तथा इस एयरलाइन्स के लिए सुरक्षा प्रतिभूति की राशि को भी बढ़ा दिया गया है।

[हिन्दी]

नसीराबाद छावनी को स्थापित करने के लिए अधिग्रहण की गई भूमि के लिए मुआवजा

7128. **प्रो० रासा सिंह रावत** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नसीराबाद छावनी किस तिथि को स्थापित की गई थी और इसके लिए कितनी भूमि अधिग्रहित की गई थी;

(ख) क्या इस छावनी को स्थापित करने के समय उन गांवों के साथ जिनकी भूमि अधिग्रहित की गई थी, कोई निबंधन व शर्तें निर्धारित की गई थी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या छावनी बोर्ड की ओर से दिलताड़ा ग्राम पंचायत के गांवों को उनके द्वारा कुओं, कृषि योग्य भूमि आदि का उपयोग करने के बदले में धन की वसूली करने के नाम से हाल ही में नोटिस जारी किए गए हैं;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसका क्या आधार है; और

(च) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि उक्त छावनी की स्थापना से पूर्व जो ग्रामवासी वहां बसे हुए थे उन्हें इस अर्थदण्ड से छूट प्रदान की जाए ?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) नसीराबाद छावनी सन् 1818 में स्थापित की गई थी और इस समय इसका क्षेत्र 5665 एकड़ है।

(ख) और (ग) ग्रामीणों के साथ समझौते के निबंधन और शर्तों का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

(घ) और (ङ) नसीराबाद छावनी के अंदर की 1129.52 एकड़ रक्षा भूमि खेतीबाड़ी के प्रयोजन के लिए 152 पट्टेधारियों को पट्टे पर दी गई थी। ये पट्टे मई, 1964 से समाप्त हो चुके हैं। तब से इन पट्टों का न तो नवीकरण किया गया है और न ही कृषक पट्टा-किराया अदा कर रहे हैं। अत: उस भूमि पर उनका कब्जा अप्राधिकृत है। जयपुर स्थित रक्षा संपदा अधिकारी ने 1964 से उस भूमि पर खेतीबाड़ी करने के लिए बकाया देय राशि की वसूली करने के वास्ते ऐसे सभी पूर्व पट्टाधारियों को नोटिस जारी किए हैं।

(च) इस भूमि पर अप्राधिकृत कब्जा है इसलिए देय बकाया राशि का भुगतान करने से छूट नहीं दी जा सकती।

[अनुवाद]

विमानपत्तनों को अन्तरराष्ट्रीय दर्जा

7129. **श्री राम मोहन गाड्डे :**
श्री विलास मुत्तेमवार :
श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति :
श्री आर०एस० पाटिल :
श्री माणिकराव झेडल्या गावित :
श्री शिवाजी माने :
श्री अनन्त नायक :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने अंतत: छ: विमानपत्तनों को अंतरराष्ट्रीय दर्जा देने का निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो विमानपत्तन-वार कुल कितनी धनराशि व्यय की जाएगी; और

(ग) यह कार्य कब तक प्रारम्भ किया जाएगा ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) सरकार ने मौजूदा सात घरेलू विमानपत्तनों अर्थात् बेंगलूर, हैदराबाद, अहमदाबाद, गोवा, अमृतसर, गुवाहाटी और नेदुम्बसेरी स्थित नए कोचीन विमानपत्तन को अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन घोषित किया है। इन विमानपत्तनों पर पहले से ही मध्यम क्षमता वाले लम्बी दूरी (एम०सी०एल०आर०) और कम क्षमता वाली लम्बी दूरी (एस०सी०एल०आर०) वाले विमानों के प्रचालन की सुविधा उपलब्ध है जो अधिकतर विदेशी एयरलाइनों द्वारा प्रयोग किया जाता है।

(ख) और (ग) इस बारे में ब्यौरों का पता लगाया जा रहा है।

सेवानिवृत्त रेल कर्मियों को सुविधाएं

7130. **प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेवानिवृत्त रेल कर्मियों को उनकी यात्रा श्रेणी में कुछ निश्चित नि:शुल्क यात्राओं की अनुमति है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के सेवानिवृत्त रेल कर्मियों को यात्रा के दौरान एक साथी रखने की अनुमति है;

(ग) यदि हां, तो क्या वे भी सेवानिवृत्त व्यक्ति की श्रेणी में यात्रा करने के पात्र हैं; और

(घ) यदि हां, तो परिचायक अथवा साथी के प्रति भेदभाव करने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) प्रथम श्रेणी/प्रथम श्रेणी "ए" के सेवानिवृत्त के उपरान्त मानार्थ पास रखने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारी दूसरे/शयनयान दर्जा में एक "परिचर" (अर्थात् एक व्यक्ति जो केवल सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी की व्यक्तिगत सेवाओं में वेतन के आधार पर कार्यरत हो) ले जाने के हकदार हैं। बहरहाल बुजुर्ग सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी जो 65 वर्ष की आयु से अधिक हैं और प्रथम श्रेणी/प्रथम श्रेणी "ए" के सेवानिवृत्त के उपरान्त मानार्थ पास के हकदार हैं, को विकल्प के रूप में अनुमति दी गई है बशर्ते कि वे एक "साथी" (अर्थात् कोई भी व्यक्ति, आवश्यक नहीं कि वह सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारी की व्यक्तिगत सेवा में वेतन पर कार्यरत हो) दूसरे/शयनयान दर्जा में ले जाने की कतिपय शर्तें पूरी करते हों तथा वे स्वयं दूसरे/शयनयान दर्जे में यात्रा कर रहे हों।

(घ) परिचर या साथी "और" सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी से सम्बद्ध दो पृथक कोटियों के बीच कोई भेदभाव नहीं है और इनकी तुलना नहीं की जा सकती है।

नौसेना द्वारा प्रक्षेपास्त्र विनाशकों का निर्माण

7131. **श्री विलास मुत्तेमवार :**
श्री किरीट सोमैया :
श्री वाई०एस० विवेकानन्द रेड्डी :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौसेना ने और अधिक निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विनाशकों के निर्माण का निर्णय लिया है;

(ख) क्या इस संबंध में कोई ठोस योजना तैयार की जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो जिन परियोजनाओं पर विचार किया जा रहा है उनका ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ग) अपेक्षित बल स्तर प्राप्त करने के उद्देश्य से युद्धपोतों के श्रृंखलाबद्ध उत्पादन पर विचार किया जा रहा है। दिल्ली श्रेणी के उसी तरह के तीन और युद्धपोतों के निर्माण का एक प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन है।

महिलाओं के लिए कम्प्यूटर और व्यावसायिक शिक्षा

7132. **श्री सुबोध मोहिते** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय निर्माण प्रबन्धन और अनुसंधान संस्थान ने ग्रामीण महिलाओं को कम्प्यूटर और अन्य व्यावसायिक शिक्षा में प्रशिक्षित करने हेतु कोई कार्यक्रम शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एन०आई०सी०एम०ए०आर० नलसाजी, वायरिंग, सफेदी और पलस्तर आदि करने में भी महिलाओं को कुशल बनाने के लिए प्रशिक्षण दे रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन प्रशिक्षित महिलाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा कृषि मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा): (क) से (ङ) राष्ट्रीय निर्माण प्रबन्धन और अनुसंधान संस्थान के जरिए इस मंत्रालय द्वारा ऐसा कोई भी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया है।

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों हेतु निधियों का आवंटन

7133. **श्री सुन्दर लाल तिवारी** :
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :
श्री तरूण गोगोई :

क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के उपयोग हेतु विभिन्न प्रणालियों/तंत्रों के लिए राज्यस्तरीय प्रमुख अभिकरणों और राज्य सरकारों के लिए वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करता है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान मध्य प्रदेश के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए और कितनी धनराशि आवंटित की गई; और

(ग) सरकार द्वारा गांवों में इसे लोकप्रिय बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम० कन्नप्पन) : (क) और (ख) मंत्रालय द्वारा अपने प्रमुख अपारंपरिक ऊर्जा कार्यक्रमों के अंतर्गत बायोगैस, उन्नत चूल्हा और सौर प्रकाशवोल्टीय कार्यक्रमों को छोड़कर राज्यवार लक्ष्यों का आवंटन नहीं किया जाता है। मध्य प्रदेश राज्य में बायोगैस, उन्नत चूल्हा और सौर प्रकाशवोल्टीय कार्यक्रमों के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के लिए निर्धारित लक्ष्यों और रिलीज की गई निधियों तथा वर्ष 2000-2001 के लिए निर्धारित लक्ष्य संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) मंत्रालय देश के ग्रामीण क्षेत्रों में अपारंपरिक ऊर्जा को लोकप्रिय बनाने के लिए विभिन्न राजकोषीय और वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करके राष्ट्रीय बायोगैस विकास परियोजना, राष्ट्रीय उन्नत चूल्हा कार्यक्रम, एकीकृत ग्राम ऊर्जा कार्यक्रम, विशेष क्षेत्र प्रदर्शन कार्यक्रम, राष्ट्रीय बायोमास गैसीफायर कार्यक्रम, लघु पन बिजली और सौर प्रकाशवोल्टीय जैसे विभिन्न कार्यक्रमों/परियोजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है। ये कार्यक्रम देश में ग्रामीण लोगों की खाना पकाने, रोशनी और विद्युत आवश्यकताओं की आंशिक पूर्ति कर रहे हैं।

विवरण

मध्य प्रदेश राज्य में पिछले तीन वर्षों (1997-98, 1998-99 और 1999-2000) के दौरान निर्धारित लक्ष्यों/प्राप्त उपलब्धियों और आवंटित निधियों और वर्ष 2000-2001 के लिए निर्धारित लक्ष्यों के विवरण

क्रम सं०	कार्यक्रम का नाम	निर्धारित लक्ष्य और पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राप्त उपलब्धियां						रिलीज की गई निधियां (रु० करोड़ में)			वर्ष 2000-2001 के दौरान निर्धारित लक्ष्य (सं०)
		1997-98		1998-99		1999-2000		1997-98	1998-99	1999-2000	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	बायोगैस (सं०)	18000	16033	13000	14137	15000	14434	4.23	3.74	5.97	16,000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	एन०पी०आई०सी० (सं० लाख में)	2.50	2.57	0.96	1.00	2.50	0.48	1.10	0.82	0.75	50,000
3.	सौर प्रकाशवोल्टीय										
								0.60	0.93	0.25	
	(i) सौर लालटेन (सं०)	2000	0	2000	513	2100	740				
	(ii) घरेलू रोशनी प्रणालियां (सं०)	2100	0	2000	0	50	49				
	(iii) सड़क रोशनी प्रणालियां (सं०)	208	50	200	0	100	77				

*वर्ष 2000-2001 के लिए लक्ष्यों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

[हिन्दी]

गेहूं की खरीद के लिए व्यवस्था

7134. **श्री नवल किशोर राय :**
श्री प्रभात सामन्तराय :
श्री अरुण कुमार :

क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विशेषकर गेहूं उत्पादक राज्यों में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद हेतु प्रबन्ध किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो नई फसल की अवधि के दौरान राज्यवार निर्धारित लक्ष्य क्या हैं और गेहूं की कितनी खरीद का अनुमान है ?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) जी, हां।

(ख) चूंकि वसूली प्रचालन स्वैच्छिक स्वरूप के होते हैं और किसानों के लिए यह विकल्प होता है कि वे अपने उत्पाद की बिक्री राज्य सरकारों/भारतीय खाद्य निगम को करें अथवा खुले बाजार में करें जो भी उनके लिए लाभकारी हो। इसलिए गेहूं की वसूली के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं। तथापि, अनुमानित उत्पादन और गेहूं की उपलब्धता के आधार पर राज्य सरकारें प्रत्येक विपणन मौसम शुरू होने से पूर्व वसूली के अनुमान देती हैं। चालू रबी विपणन मौसम 2000-2001 के दौरान विभिन्न वसूली राज्यों में गेहूं की वसूली निम्नानुसार अनुमानित है :–

(लाख टन में)

राज्य	अनुमानित वसूली
1	2
पंजाब	90
हरियाणा	30
मध्य प्रदेश	0
राजस्थान	5
उत्तर प्रदेश	20
जोड़	151

यात्री सुविधाओं पर खर्च की गई धन-राशि

7135. **श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1999-2000 के दौरान रेल गाड़ियों में यात्री सुविधाओं को प्रदान करने हेतु कितनी धनराशि खर्च की गई और वर्ष 2000-2001 के दौरान इस संबंध में कितनी धनराशि खर्च किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या सरकार का विचार दूसरे दर्जे के यात्रियों हेतु अधिक सुविधाएं प्रदान करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) गाड़ियों में यात्री सुविधाएं सवारी डिब्बों की लागत का एक भाग हैं। अत: गाड़ियों में ये अलग से उपलब्ध नहीं कराई जाती। बहरहाल, 1999-2000 के दौरान समग्र यात्री सुविधाओं पर रेलवे द्वारा (आंकड़े अनंतिम हैं चूंकि 1999-2000 के लेखे अभी बंद किए जाने हैं) 122.51 करोड़ रु० खर्च किए गए हैं। यात्री सुविधाएं और कंप्यूटरीकरण शीर्ष के अंतर्गत 2000-2001 के दौरान 205.97 करोड़ रु० खर्च किए जाने की संभावना है।

(ख) और (ग) द्वितीय श्रेणी के यात्रियों सहित, यात्रियों के लिए विभिन्न सुविधाओं की व्यवस्था करना/उसमें विस्तार करना तथा द्वितीय

श्रेणी के शयनयान कोचों के अभिकल्प में सुधार करना आदि एक सतत् प्रक्रिया है।

[अनुवाद]

अंतरराष्ट्रीय एयरलाइनों की अतिरिक्त उड़ानें

7136. **श्री जी०एस० बसवराज** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अन्तरराष्ट्रीय एयरलाइनों को अतिरिक्त उड़ानें भरने की सुविधा प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) चालू यातायात संबंधी मांगों की पूर्ति के दृष्टिगत, सरकार ने 15 मार्च से 15 अप्रैल, 2000 तक अपनी यातायात संबंधी हकदारियों के बाहर अतिरिक्त उड़ानों अथवा वृहदाकार विमानों को लाने हेतु विदेशी विमानकम्पीनयों को अनुमति दी थी। इससे यात्रियों को वांछित राहत दिलाने में सहायता मिली।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

नागर विमानन क्षेत्र में समझौता

7137. **श्री एस०डी०एन०आर० वाडियार** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का किसी देश के साथ नागर विमानन क्षेत्र में समझौता हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) भारत अन्तरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन का सक्रिय सदस्य रहा है तथा वह कार्यकारी परिषद 1944 में अस्तित्व में आने के समय से ही इसका सदस्य रहा है। आज तक की स्थिति के अनुसार भारत ने 96 राष्ट्रों के साथ द्विपक्षीय विमान सेवा करार कर लिए हैं।

दक्षिण-मध्य रेलवे के अन्तर्गत रेलवे स्टेशनों में जल-प्रदूषण

7138. **श्री ए० बह्मनैया** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण मध्य रेलवे के अन्तर्गत आने वाले रेलवे-स्टेशनों पर अस्वच्छता के कारण भूमिगत-जल प्रदूषित हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या दक्षिण-मध्य रेलवे के चिकित्साधिकारियों ने रेलवे स्टेशनों पर अशुद्ध जल के स्रोतों की पहचान की है;

(ग) यदि हां, तो किन-किन रेलवे स्टेशनों पर ऐसे निरीक्षण और परीक्षण किए गए हैं; और

(घ) दक्षिण-मध्य जोन के क्षेत्रों में स्वच्छता और शुद्धता अभियान शुरू करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) दक्षिण मध्य रेल दिन-प्रतिदिन स्टेशन की सफाई के अलावा विशेष सफाई अभियान और स्वास्थ्य शिक्षा अभियान पहले से ही चला रही है।

नयी चोटियों की पहचान

7139. **श्री सुशील कुमार शिंदे** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने किन्हीं बीस ऐसी चोटियों की पहचान की है जिन पर अभी तक कोई नहीं चढ़ा है तथा उन्हें पर्वतारोहियों के लिए खोल दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संदर्भ में पर्वतारोहण को प्रोत्साहन देने के लिए क्या प्रबंध किये गये हैं/किये जा रहे हैं ?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) और (ख) पर्वतारोहण अभियानों के संवर्धक इंडियन माउन्टेनियरिंग फाउन्डेशन (आई०एम०एफ०) द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, पर्वतारोहियों के चढ़ने के लिए खुले क्षेत्र में 18 ऐसी चोटियां हैं जिन पर अभी तक कोई नहीं चढ़ा है।

(ग) भारतीय हिमालय में पर्वतारोहण के संवर्धन के लिए, भारतीय पर्वतारोहण फाउन्डेशन द्वारा उठाए गए कदमों में, वेबसाइट पर पर्वतारोहण संबंधी सूचना उपलब्ध कराना, हिमाचल में पर्वतारोहण अभियानों पर जाने वाले तथा पर्वतारोहण पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों को अनुदान/छात्रवृत्ति प्रदान करना, हिमालय में क्या करें तथा क्या न करें सहित पर्वतारोहण संबंधी प्रचार सामग्री का निर्माण, भारत में पर्वतारोहण के संवर्धन हेतु अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेना, किराया आधार पर पर्वतारोहण उपकरण प्रदान करना और पूरे विश्व में परिचालित करने वाले इंडियन माउन्टेनियर जर्नल का प्रकाशन सम्मिलित है।

समस्याओं का समाधान

7140. **श्री ए० कृष्णास्वामी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाप्रबंधक, दक्षिण रेलवे या मण्डल रेल प्रबंधक, चेन्नई द्वारा संसद सदस्यों को प्रत्येक तीन माह में आमंत्रित कर उनके क्षेत्र की रेलवे से संबंधित विभिन्न समस्याओं पर विचार-विमर्श कर उनका समाधान करने संबंधी प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त के पालन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

पर्यटन परियोजनाओं हेतु राज्यों को वित्तीय सहायता

7141. श्री रामशेठ ठाकुर : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों की पर्यटन से संबंधित परियोजनाओं को वित्तीय सहायता देने के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या राज्य सरकारों ने नौवीं योजना के दौरान केन्द्र द्वारा आबंटित की जाने वाली राशि को बढ़ाने की मांग की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौर क्या है और उक्त अवधि के लिए राज्यवार कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है ?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) से (ग) पर्यटन मंत्रालय राज्य/संघ राज्य सरकारों को उनके साथ विचार-विमर्श करके प्रतिवर्ष प्राथमिकता के लिए निर्धारित पर्यटक अवसंरचनात्मक विकास परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता देता है। यह सहायता किसी राज्य विशेष में गंतव्य स्थलों/परिपथों की संख्या, पर्यटक यातायात की मात्रा तथा सहायता राशि को उपयोग में लाने की क्षमता के आधार पर दी जाती है।

राज्य/संघ राज्यों के लिए फंड का आबंटन उनके साथ विचार-विमर्श करके प्राथमिकता के लिए निर्धारित परियोजनाओं के लिए किया जाता है। नौवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकारों/संघ राज्यों की 1009 परियोजनाओं के लिए 228.14 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गयी थी। विभिन्न राज्यों/संघ राज्यों के लिए स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या तथा उनके लिए स्वीकृत राशि के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। पर्यटन मंत्रालय का योजनागत आबंटन कम है जबकि राज्य सरकारों की मांगों सहित योजनागत फंड की आवश्यकता अधिक है।

विवरण

वर्ष 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 के दौरान स्वीकृत परियोजनाएं तथा स्वीकृत धनराशि (मेलों तथा उत्सवों सहित) के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण-पत्र

(रु० लाखों में)

क्रम सं०	राज्य	1997-98		1998-99		1999-2000	
		स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत राशि	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत राशि	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	12	206.70	12	304.08	14	222.22
2.	असम	12	288.88	8	166.64	17	357.35
3.	अरुणाचल प्रदेश	9	271.00	4	178.30	11	239.28
4.	बिहार	11	233.07	10	237.29	4	209.71
5.	गोवा	8	144.62	15	333.98	14	309.23
6.	गुजरात	7	111.84	15	449.57	26	533.77
7.	हरियाणा	6	108.24	12	333.93	10	225.22
8.	हिमाचल प्रदेश	5	119.00	10	318.00	12	645.29
9.	जम्मू व कश्मीर	10	293.35	6	192.85	16	342.08
10.	कर्नाटक	10	130.78	12	389.82	38	856.40
11.	केरल	11	282.00	13	653.05	21	870.01
12.	मध्य प्रदेश	9	119.31	19	454.39	16	402.85
13.	महाराष्ट्र	12	169.84	17	493.77	29	954.43

1	2	3	4	5	6	7	8
14.	मणिपुर	5	186.11	9	99.48	10	229.00
15.	मेघालय	5	85.70	7	121.99	5	30.72
16.	मिजोरम	6	142.45	9	175.16	13	292.17
17.	नागालैण्ड	4	116.90	11	223.64	16	291.80
18.	उड़ीसा	28	557.05	6	178.60	20	346.90
19.	पंजाब	6	52.87	7	242.14	8	175.00
20.	राजस्थान	13	107.33	23	445.48	12	131.12
21.	सिक्किम	10	65.20	19	238.58	13	118.98
22.	तमिलनाडु	7	59.74	17	316.20	26	493.85
23.	त्रिपुरा	8	126.68	8	81.25	7	340.76
24.	उत्तर प्रदेश	13	221.10	32	869.85	36	755.45
25.	पश्चिम बंगाल	6	157.76	11	211.13	6	194.01
26.	अण्डमान व निकोबार	1	60.00	4	162.50	1	32.37
27.	चण्डीगढ़	1	3.00	3	55.18	4	69.59
28.	दादरा नागर हवेली	1	5.20	2	20.00	—	—
29.	दिल्ली	7	229.43	13	223.89	5	24.50
30.	दमन और दीव	4	60.17	—	—	—	—
31.	लक्षद्वीप	1	5.00	1	—	—	—
32.	पांडिचेरी	4	35.64	2	15.00	10	178.74
	जोड़	252	4755.96	337	8185.74	420	9872.80

नागर विमानन क्षेत्र में विदेशी भागीदार

7142. **श्री जी० पुट्टास्वामी गौड़ा** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश के विमानन उप-क्षेत्रों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को अनुमति देने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय वाणिज्य मंडल ने विदेशी भागीदारों के लिए 25 प्रतिशत से अधिक भागीदारी की अनुमति देने के विचार का कड़ा विरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (घ) तैयार की जा रही नागर विमानन नीति में अन्य बातों के साथ-साथ निजी सेक्टर भागीदारों के लिए नीति फ्रेमवर्क की स्थापना का उल्लेख किया गया है। अंतिम रूप दिए जाने से पूर्व प्रारूप को विचारों/टिप्पणियों के लिए व्यापक रूप से परिचालित किया गया है। यह प्रारूप मंत्रालय के वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान को सुझाव

7143. **श्री चन्द्रकांत खैरे** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान द्वारा प्रकाशित इसके प्रथम प्रतिवेदन के सुझावों को देख लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इनमें से कुछ सुझावों को महाराष्ट्र में लागू करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा कृषि मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा) : (क) जी, हां।

(ख) रिपोर्ट में दिए गए महत्वपूर्ण सुझाव नीचे दिए गए हैं :–

(i) सिंचाई सुविधाओं, भूमि की उत्पादकता तथा कृषि मजदूरी में सुधार से ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा। गरीबी कम करने का राज कृषि उपज, सामाजिक तथा अन्य ढांचा तथा मानव पूंजी के निर्माण के प्रयासों में छिपा हुआ है।

(ii) गरीबी को कम करने में सामाजिक विकास तथा ढांचा विकास से मदद मिलती है, अत: इन क्षेत्रों में निवेश बढ़ाया जाना चाहिए।

(iii) पर्यावरण में गिरावट से गरीबी बढ़ती है अत: पारिस्थितिक संतुलन के लिए पर्यावरण के प्रबंधन में लोगों की भागीदारी आवश्यक है।

(iv) ग्रामीण विकास के लिए भारत सरकार का आबंटन सालों साल धीरे-धीरे बढ रहा है और ग्रामीण विकास में केन्द्र ने नेतृत्व की भूमिका निभाई है जबकि राज्य बजटों में निवेश में गिरावट दर्शाई गई है।

(v) कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की क्षमता को बढ़ाने के लिए, विकास प्रणाली को विकेन्द्रीकृत करने की जरूरत है और साथ ही पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत बनाया जाना चाहिए।

(vi) गरीबी उन्मूलन के लिए केन्द्रियकृत प्रयास के प्रयोजनार्थ ग्रामीण विकास मंत्रालय के मौजूदा कार्यक्रमों को पुनर्गठित करने की आवश्यकता है।

(ग) और (घ) ग्रामीण विकास मंत्रालय ने महाराष्ट्र सहित सभी राज्यों में गरीबी उन्मूलन के लिए पहले ही उपाय किए हैं। गरीबी उन्मूलन के लिए उठाए गए उपचारिक कदमों के रूप में, सरकार ने पहले ही कई पुनर्गठित कार्यक्रमों को शुरू कर दिया है। इनमें से कुछ कार्यक्रम नीचे दिए गये हैं :–

(1) पुनर्गठित स्वरोजगार कार्यक्रम-स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना

(2) सुनिश्चित रोजगार योजना

(3) जवाहर रोजगार योजना

(4) प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना

(5) राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम इत्यादि

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

स्टाफ की कमी/अतिरिक्त स्टाफ

7144. **डा० बलिराम** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "रिक्ति आधारित रोस्टर" के स्थान पर "पद आधारित रोस्टर" लाते समय उनके मंत्रालय और सभी स्वायत्तशासी/वैधानिक संगठनों, संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों और सरकारी उपक्रमों में वर्ग I, II, III और IV श्रेणियों में अतिरिक्त स्टाफ/स्टाफ की कमी की पहचान संबंधी प्रक्रिया अपनाई गई थी; और

(ख) यदि हां, तो 21 जुलाई, 1997 की स्थिति के अनुसार उपरोक्त सभी श्रेणियों में कितना अतिरिक्त स्टाफ था/स्टाफ की कितनी कमी थी ?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा कृषि मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा): (क) और (ख) अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पाक कला संस्थानों में अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए आरक्षण

7145. **सरदार बूटा सिंह** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष उनके मंत्रालय के अधीन कार्यरत सभी पाक कला संस्थानों में डिप्लोमा, स्नातक-पूर्व, स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर विभिन्न संकायों/क्षेत्रों में अनुसूचित जाति/जनजाति के उम्मीदवारों के लिए कितने स्थान आरक्षित हैं; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित जाति/जनजातियों के कितने छात्र उपरोक्त पाठ्यक्रमों में दाखिल हुए और कुल स्थानों की तुलना में इनका प्रतिशत कितना है ?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) और (ख) फिलहाल पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन कोई भी भोजनकला संस्थान नहीं है। सभी भोजनकला संस्थान संबंधित राज्य सरकारों को हस्तांतरित कर दिए गए हैं। अत:, प्रवेश तथा आरक्षण नीति संबंधित राज्य सरकार के मानदण्डों के अनुसार क्रियान्वित की जाती है।

ईंधन के मूल्य में कमी लाना

7146. **कुमारी भावना पुण्डलिकराव गवली** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या घरेलू विमान कम्पनियों ने सरकार को ईंधन मूल्य कम करने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) जी, हां। निर्देशित मूल्य तंत्र को चरणबद्ध ढंग से विखंडित करने संबंधी कार्यक्रम के विषय में सरकार के निर्णय के अनुसरण में, विमानन टरबाइन ईंधन (ए०टी०एफ०) का मूल्य निर्धारण एवं 2000-01 में विनियमित किया जाना है।

छोटे-छोटे और गैर-महानगरीय नगरों को हवाई सेवा से जोड़ने के लिए छोटे टर्बो-प्रॉप विमानों के प्रचालनों को और आगे प्रोत्साहित करने हेतु, यह भी निर्णय किया गया है कि ऐसे विमान प्रचालक को अंतरराष्ट्रीय मूल्यों पर ए०टी०एफ० मुहैया किया जाए तथा 40% के हिसाब से बिक्री कर को सीमित करते हुए केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के अधीन ''ज्ञापित माल'' के रूप में ए०टी०एफ० को अधिसूचित किया जाए।

विशाखापत्तनम नौ-सेना अड्डे में व्यायामशाला का उपयोगिता-परिवर्तन

7147. **श्री प्रभुनाथ सिंह** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी नौसेना कमान मुख्यालय ने विशाखापत्तनम स्थित नौ-सेना अड्डे पर नौसेना के नाविकों और अधिकारियों के लिए एक अतिरिक्त व्यायामशाला के निर्माण हेतु 66.80 लाख रु० की राशि स्वीकृत की थी; किन्तु पूर्वी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ ने निजी पार्टियों द्वारा किराये पर रेस्त्रां, बैंक, आइसक्रीम पार्लर, ब्यूटीपार्लर, हेल्थ क्लब, टेलीफोन बूथ इत्यादि चलाने के लिए इस स्थल में उपयोगिकता-परिवर्तन एक ''एकीकृत कल्याण परिसर, का रूप दिया;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) जिम्मेवार पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ग) मुख्यालय पूर्वी नौसेना कमान ने प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत फरवरी 1996 में नौसेना के नाविकों और अफसरों के लिए 66.80 लाख रु० की अनुमानित लागत से नौसेनाबाग, विशाखापट्टनम में एक व्यायामशाला के निर्माण के लिए प्रशासनिक स्वीकृत दी थी। विशाखापट्टनम में एक व्यायामशाला मौजूद थी परंतु इसे नाविकों और अफसरों की नफरी को देखते हुए पर्याप्त नहीं पाया गया था। मुख्य अभियंता (नौसेना), विशाखापट्टनम ने अगस्त 1996 में 69.23 लाख रुपए की लागत से व्यायामशाला के निर्माण के लिए संविदा की थी। अक्तूबर 1997 में कुल 73.29 लाख रुपए की लागत से यह कार्य पूरा हो गया था।

फ्लैग अफसर कमांडिंग-इन-चीफ, पूर्वी नौसेना कमान ने अक्तूबर 1997 में इस व्यायामशाला को ''अवन्तिका'' नाम शैली के रूप में ''एकीकृत कल्याण परिसर'' घोषित करने संबंधी आदेश जारी किए थे। इस परिसर का उपयोग अधिकतर निजी पार्टियों के माध्यम से, उनसे किराया लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रेस्टोरेंट, बैंक, टेलीफोन बूथ, हैल्थ क्लब (पुरुष एवं महिलाएं), ब्यूटी पार्लर, आईसक्रीम पार्लर, क्रेच, सैलून जैसी मनोरंजन सुविधाएं आदि प्रदान करने के लिए किया जा रहा है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने वर्ष 1997-98 की अपनी रिपोर्ट में टिप्पणी की है कि व्यायामशाला के रूप में इस्तेमाल के लिए बनाई गई सुविधाओं का इस्तेमाल इच्छित प्रयोजनों के लिए नहीं किया जा रहा है। इस मामले की जांच की जा रही है।

[हिन्दी]

नसीराबाद छावनी में जलापूर्ति

7148. **प्रो० रासासिंह रावत** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नसीराबाद छावनी के एम०ई०एस० (जलापूर्ति) द्वारा बिसलपुर से कितना पेयजल खरीदा जा रहा है और उसकी दर क्या है;

(ख) नसीराबाद के सिविलियनों को कितने जल की आपूर्ति की जा रही है तथा उसकी दर कितनी है और उनके लिए इन दरों में वृद्धि करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या राजस्थान के जल स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग ने इस जलापूर्ति कार्य को अपने हाथ में लेने हेतु कोई प्रस्ताव किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर क्या कार्रवाई की जा रही है ?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) सैन्य इंजीनियरी सेवा (एम०ई०एस०) बिसलपुर जलापूर्ति योजना से प्रतिदिन 12.15 लाख गैलन जल प्राप्त करती है जिसके लिए यह पहले 6 लाख गैलनों के लिए 6.54 रुपए प्रति किलोलीटर और 6 लाख गैलन से अधिक जल के लिए 6.98 रुपए प्रति किलोलीटर के हिसाब से भुगतान करती है।

(ख) नसीराबाद के सिविलियनों को जलापूर्ति छावनी बोर्ड द्वारा की जा रही है जो कि थोक में जल सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरी विभाग, राजस्थान सरकार से प्राप्त करता है। छावनी बोर्ड सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरी विभाग को 5.58 रुपए प्रति किलोलीटर के हिसाब से भुगतान करता है और व्यक्तिगत उपभोक्ताओं से प्रति कनेक्शन के लिए प्रति माह 15 रुपए की समान दर से प्रभार लेता है।

(ग) सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरी विभाग, राजस्थान सरकार से छावनी में जलापूर्ति अपने हाथ में लेने का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

रेलवे स्टेशनों पर लाउन्ज जैसी सुविधा की व्यवस्था

7149. **श्री रामदास आठवले** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रेलवे स्टेशनों पर लाउन्ज जैसी सुविधा उपलब्ध कराने का है;

(ख) यदि हां, तो स्टेशनवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर कितना व्यय होने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) भारतीय रेलों पर अधिकांश स्टेशनों पर प्रतीक्षालयों की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त, महत्वपूर्ण स्टेशनों पर प्रतीक्षालयों और विश्रामालयों की सुविधा भी उपलब्ध है। बहरहाल, रेलवे स्टेशनों पर लॉज किस्म की सुविधा की व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

[अनुवाद]

विभिन्न नाट्य विभागों का एकीकरण

7150. श्री प्रियरंजन दासमुंशी : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नाटकों के गहन अनुसंधान और प्रस्तुति के लिए राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, रवीन्द्र भारती विश्वविद्यालय, कलकत्ता का नाट्य विभाग और शांति निकेतन नाट्य विभाग (विश्व भारती विश्वविद्यालय) को एक संगठन के अंतर्गत एकीकृत करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

कपार्ट से पंजीकृत संस्थाएं

7151. श्री रघुवीर सिंह कौशल : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सहायता प्राप्त करने हेतु राज्य-वार कितनी संस्थाएं "कपार्ट" (काउंसिल फार एडवांसमेंट आफ पीपुल्स एक्शन एण्ड रूरल टेक्नॉलोजी) से पंजीकृत है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन संस्थाओं को राज्यवार कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई;

(ग) किन संस्थाओं की लेखा परीक्षा नहीं की गई है;

(घ) क्या कुछ संस्थाओं द्वारा वित्तीय सहायता की धनराशि का उचित उपयोग नहीं किया गया; और

(ङ) यदि हां, तो किन संस्थाओं के विरुद्ध कार्रवाई की गई है ?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा कृषि मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा): (क) से (ङ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

टिकट चेकरों को नियमित करना

7152. श्री रामानन्द सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सर्वोच्च न्यायालय ने दैनिक-मजदूरी पर काम करने वाले टिकट चेकरों को 120 दिन के पश्चात् नियमित करने का आदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने ऐसे टिकट चेकरों को नियमित कर दिया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार का इन टिकट चेकरों को कब तक नियमित करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (घ) रेलों से सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

नौसेना द्वारा स्टेल्थ वारशीप बनाना

7153. श्री अशोक ना० मोहोल :
श्री वाई०एस० विवेकानन्द रेड्डी :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौसेना देश में अदृश्य युद्धपोत बनाने की महत्वाकांक्षी परियोजना पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य विशेषताओं सहित ब्यौरा क्या है;

(ग) इन पोतों को नौसेना के बेड़े में कब तक शामिल किया जाएगा; और

(घ) इससे नौसेना को किस सीमा तक सुदृढ़ किया जा सकेगा ?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (घ) सरकार ने अदृश्य विशेषताओं वाले तीन फ्रिगेटों का निर्माण किए जाने के लिए मंजूरी दे दी है। इन फ्रिगेटों को दुश्मन के युद्धपोतों, पनडुब्बियों और वायुयानों के विरुद्ध आक्रामक कार्रवाई और रक्षात्मक कार्रवाई करने के लिए शस्त्रों से सुसज्जित किया जाएगा और इनमें त्रि-आयामी युद्धक क्षमता होगी।

इन पोतों को वर्ष 2006-07 तक नौसेना बेड़े में शामिल कर लिए जाने की सम्भावना है।

द्विपक्षीय विमान सेवा समझौता

7154. श्री राम मोहन गाड्डे :
श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति :
श्री आर०एस० पाटिल :
श्री अजय सिंह चौटाला :
श्री शिवाजी माने :
श्रीमती श्यामा सिंह :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंगापुर इंटरनेशनल एयरलाइन ने और विमान चलाने तथा हैदराबाद, बंगलौर एवं कोची तक सेवा विस्तार करने हेतु भारत एवं सिंगापुर के बीच द्विपक्षीय विमान सेवा समझौते में संशोधन की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या महानगरों में कार्गो हाउस बनाने तथा कार्गो सेवा मुहैया कराने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ संयुक्त उद्यम स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सिंगापुर इंटरनेशनल एयरलाइन (एस०आई०ए०) भारतीय बाजार में प्रवेश के इच्छुक तो हैं किन्तु एस०आई०ए०-टाटा घरेलू विमान सेवा की असफलता के उपरांत थोड़ा झिझकता है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) जुलाई, 1997 में अंत: सरकारी वार्ताओं के अंतिम दौर में सिंगापुर की सरकार ने अपनी नामित विमानकम्पनियों के लिए तिरूवनंतपुरम, बंगलौर और हैदराबाद को नये अवतरण स्थल के रूप में स्वीकृत किए जाने का अनुरोध किया था। वार्ताओं के दौरान सहमत पैकेज के एक भाग के रूप में, सिंगापुर की नामित विमानकंपनी को तिरूवनन्तपुरम को एक अतिरिक्त स्थल के रूप में स्वीकृत किया गया था।

(ग) और (घ) दिल्ली विमानपत्तन पर एक संयुक्त उद्यम सामान्तर कार्गो टर्मिनल की स्थापना के लिए रीतियों पर परामर्श देने तथा इस विमानपत्तन का एक बड़े ट्रांशिपमेंट हब के रूप में विकास के लिए, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की एक परामर्शदाता को नियुक्त करने की योजनाएं हैं।

(ङ) और (च) सरकार को एस०आई०ए० कारोबार रणनीति की कोई सूचना नहीं है।

खुले गोदामों में अनाज का भंडारण

7155. **प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु :**
श्री चन्द्रनाथ सिंह :

क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम खुले गोदामों और परित्यक्त हवाई अड्डों में काफी बड़ी मात्रा में अनाज का भंडारण करता है; और

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) और (ख) जी, हां। केवल गेहूं और धान का स्टाक अस्थायी रूप से ढके क्षेत्र और प्लिंथ (कैप) स्टोरेज में रखा जाता है। भारतीय खाद्य निगम के पास कुल 254.08 लाख टन भंडारण क्षमता (अपनी और किराये की/ढकी हुई और कैप) है जिसमें राज्य/रक्षा प्राधिकारियों से किराये पर ली गई परित्यक्त हवाई-पट्टियों सहित 45.54 लाख टन कैप (खुली) क्षमता शामिल है।

1.4.2000 को स्थिति के अनुसार राज्य-वार कैप (खुली) भंडारण क्षमता (अपनी और किराये की) तथा रखा हुआ स्टाक दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

1.4.2000 को स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम के पास उपलब्ध राज्य-वार ढका क्षेत्र और प्लिंथ (खुली), भंडारण क्षमता (अपनी और किराये की) तथा रखा हुआ स्टाक दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कैप (खुली) क्षमता			कुल स्टाक
		अपनी	किराये की	जोड़	
1.	बिहार	0.40	—	0.40	0.02
2.	दिल्ली	0.34	—	0.34	0.22
3.	हरियाणा	2.78	0.09	2.87	0.36
4.	पंजाब	4.67	16.58	21.25	9.26
5.	चण्डीगढ़	0.08	0.29	0.37	0.02
6.	राजस्थान	1.54	0.92	2.46	1.44
7.	उत्तर प्रदेश	3.30	0.49	3.79	1.40
8.	आंध्र प्रदेश	2.51	1.20*	3.71	3.61
9.	केरल	0.13	—	0.13	0.19
10.	कर्नाटक	1.25	0.04	1.29	1.17
11.	तमिलनाडु	0.69	—	0.69	0.52
12.	पांडिचेरी	—	0.57*	0.57	0.57
13.	गुजरात	1.95	1.57	3.52	3.40
14.	महाराष्ट्र	1.14	0.57	1.71	1.24
15.	मध्य प्रदेश	0.96	1.48	2.44	1.70
	जोड़	21.74	23.80	45.54	25.12

*हवाई पट्टी 1. ताड़ेपल्लीगुड़म — 1,20,000 टन
2. उलुनदुपेट — 57,110 टन

विमान यात्रियों को उतारना

7156. **श्री ए० वेंकटेश नायक :**
श्री रामशेठ ठाकुर :
श्री किरीट सोमैया :

क्या नागर विमानन मंत्री 27 अप्रैल, 2000 को दिए गए अतारांकित प्रश्न सं० 5054 के उत्तर के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विमान सेवा के कर्मचारियों द्वारा स्थान से अधिक सीटें बुक करने के कारण क्या हैं;

(ख) क्या यात्रियों के पास खास उड़ान की सुनिश्चित टिकट होने पर भी सीटें नहीं मिलने पर उन्हें क्षतिपूर्ति दी जाएगी; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) नो-शो यात्रियों का प्रावधान करने के लिए कुछ ओवर-बुकिंग एक औद्योगिक प्रक्रिया है और इस तरह से सीट क्षमता की उपयोगिता को बढ़ाया जाता है।

(ख) और (ग) उतारे गए यात्रियों को इसके ठीक बाद वाली उड़ान में यात्रा करने के पास दिए जाते हैं और उनके निवास-स्थानों तक एअर इंडिया के खर्चे पर टैक्सी का प्रबन्ध किया जाता है। उन्हें एस०टी०डी०/आई०एस०डी०/स्थानीय टेलिफोन करने की भी अनुमति दी जाती है। नगदी प्रतिपूर्ति का कोई प्रावधान नहीं है।

खाद्यान्नों का भंडारण

7157. श्री सुल्तान सल्लाहुद्दीन ओवैसी : क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान भारतीय खाद्य निगम और केन्द्रीय भंडागार निगम के गोदामों में भंडारण के दौरान चीनी और खाद्यान्न की कितनी मात्रा को अच्छी गुणवत्ता से निकृष्ट गुणवत्ता वाले खाते में स्थानान्तरित किया गया;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान देश में चक्रवात और वर्षा के कारण कितना खाद्यान्न भण्डार प्रभावित हुआ; और

(ग) सरकार द्वारा खाद्यान्न भंडार के उचित रख-रखाव के लिए क्या कदम उठाये गये अथवा उठाये जाने का प्रस्ताव है ?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय खाद्य निगम में भण्डारण (भारतीय खाद्य निगम के खाते पर केन्द्रीय भंडारण निगम के पास भण्डारित स्टाक सहित) के दौरान ठोस से क्षतिग्रस्त खाते में अन्तरित चीनी और खाद्यान्नों की स्थिति निम्नानुसार है :–

(आंकड़े लाख टन में)

(अनंतिम)

	1996-97	1997-98	1998-99
खाद्यान्न	0.648	0.757	1.476
चीनी	0.045	0.037	0.048

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान चक्रवात और वर्षा के कारण प्रभावित हुए खाद्यान्नों की मात्रा 0.162 लाख टन है।

(ग) भारतीय खाद्य निगम में ढके और कैप काम्पलेक्सों दोनों में भण्डारण के दौरान खाद्यान्नों के स्टाक का परिरक्षण करने के लिए पर्याप्त उपाय किए जाते हैं जो नीचे दर्शाए गए हैं :–

(i) रिसाव और अधिक पानी आने के कारण होने वाली क्षति से बचने के लिए गोदामों का आवधिक रख-रखाव करना।

(ii) कैप भण्डारण में प्रत्येक चट्टे को ढकने के लिए प्रयोग किए जा रहे एल०डी०पी०ई० कवरों की रक्षा करने के लिए मोनोफिलामेंट जाल, कवर टॉप, नायलॉन रस्सियों आदि का उपयोग करना।

(iii) स्टाक का आवधिक कारोबार करना खाद्यान्नों के प्रभावित स्टाक को समय से अलग करना/सुधार करना तथा खाद्यान्नों के स्टाक को दोबारा दुरूस्त करना इस प्रकार खाद्यान्नों में और क्षति/खराब होने से बचना।

अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 का उल्लंघन

7158. श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने कितनी वस्तुओं के व्यापार की अनुमति दी है; और

(ख) अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 का उल्लंघन करने वालों को सजा देने हेतु क्या उपाय किए गए हैं ?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद) : (क) निम्नलिखित वस्तुओं के भावी सौदा व्यापार की अनुमति है :-

1. काली मिर्च (घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों)
2. हल्दी
3. एरण्ड बीज
4. एरण्ड तेल (अंतर्राष्ट्रीय)
5. गुड़
6. आलू
7. हैसियन
8. टाट
9. कपास
10. काफी
11. सोयाबीन
12. सोया तेल
13. सोयाबीन की खली

इसके अलावा, सरकार ने हाल ही में निम्नलिखित वस्तुओं के भावी सौदा व्यापार की भी अनुमति दी है :–

1. चावल की भूसी, उसका तेल और तेल की खली
2. रेपसीड/सरसों, सरसों का तेल और तेल की खली
3. मूंगफली, उसका तेल और तेल की खली
4. बिनौला, उसका तेल और तेल की खली
5. सूरजमुखी, उसका तेल और तेल की खली
6. कुसुम के बीच, उसका तेल और तेल की खली
7. कोपरा/नारियल, उसका तेल और तेल की खली
8. तिल, उसका तेल और तेल की खली
9. आर०बी०डी० पामोलीन

(ख) अनधिकृत/अवैध भावी सौदा व्यापार को रोकने के लिए राज्य पुलिस प्राधिकारियों के माध्यम से उपाय किए गए हैं, जिनको अधिनियम के तहत तलाशी और जब्ती तथा प्रवर्तन कार्रवाई करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। वायदा बाजार आयोग औचक जांच छापे मार कर अनधिकृत/अवैध व्यापार को रोकने में ऐसे प्राधिकारियों की सहायता करता है।

हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स एअरपोर्ट को बंद करना

7159. श्री एस०डी०एन०आर० वाडियार : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने कर्नाटक के देवनहल्ली में हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स एअरपोर्ट को बंद करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) सरकार ने बंगलौर में निजी क्षेत्रों की भगीदारी से विकसित किए जाने वाले देवनहल्ली में एक नए विमानपत्तन के लिए अनुमोदन दे दिया है। इसके आंरभ हो जाने पर, बंगलौर में मौजूदा एच०ए०एल० विमानपत्तन को सिविलियन प्रचालनों के लिए बंद कर दिया जाएगा। तकनिकी-आर्थिक अध्ययन से पता चलता है कि वर्तमान एच०ए०एल० विमानपत्तन भविष्य में यातायात मांगों को पूरा नहीं कर पाएगा तथा दो विमानपत्तनों का इतनी कम दूरी पर होना व्यवहार्य नहीं हो सकता।

ग्वालियर और इंदौर के बीच इंटर-सिटी रेलगाड़ी शुरू करना

7160. श्री सुशील कुमार शिंदे :
श्री माधवराव सिंधिया :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्वालियर और इंदौर के बीच जुलाई, 1999 से इंटर-सिटी रेलगाड़ी सं० 1141-1142 शुरू करने का निर्णय लिया गया था;

(ख) यदि हां, तो पिछले वर्ष करगिल युद्ध के संबंध में अतिरिक्त रैकों, इंजनों और सेवाओं की आवश्यकता के परिणामस्वरूप इस निर्णय को स्थगित कर दिया गया था; और

(ग) यदि हां, तो यह निर्णय कब तक क्रियान्वित हो जाएगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) 1999-2000 के दौरान 1141/1142 इंदौर-ग्वालियर (सप्ताह में तीन बार) गाड़ी शुरू करने का प्रस्ताव था, चूंकि इस गाड़ी के समय में परिवर्तन संबंधी मामला मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, ग्वालियर पीठ में अधिनिर्णयाधीन है। इसलिए यह गाड़ी अभी तक शुरू नहीं की गई।

ग्रीष्मकालीन विशेष रेलगाड़ी का रद्द किया जाना

7161. श्री जी० पुट्टास्वामी गौड़ा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर और नई दिल्ली के बीच ग्रीष्मकालीन विशेष रेलगाड़ी को अचानक रद्द कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या मंत्रालय बंगलौर के लिए ग्रीष्मकालीन भीड़ से निपटने हेतु कोई विशेष प्रयास करेगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) गर्मियों की भीड़ को क्लीयर करने के लिए 3.5.2000 से 15.7.2000 तक 413/414 निजामुद्दीन-बेंगलूरु एक्सप्रेस (साप्ताहिक) चलाई जा रही है तथा 10.4.2000 से 2.7.2000 तक 2429/2430 निजामुद्दीन-बेंगलूरु राजधानी एक्सप्रेस में एक वा०ता० 3-टियर सवारी डिब्बा लगा कर वृद्धि की गई है। बेंगलूरु में 2-3 मई, 2000 को मेडीकल/इंजीनियरिंग की परीक्षा देने जा रहे विद्यार्थियों की अतिरिक्त भीड़ को क्लीयर करने के लिए निजामुद्दीन-बेंगलूरु के बीच एक विशेष गाड़ी भी चलाई गई थी।

होटल प्रबंधन संस्थान में अनुसूचित जाति/जनजातियों के लिए आरक्षण

7162. सरदार बूटा सिंह : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उनके मंत्रालय के अधीन कार्यरत सभी होटल प्रबंधन संस्थानों में डिप्लोमा, स्नातक-पूर्व, स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर विभिन्न संकायों/क्षेत्रों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए कितने स्थान आरक्षित हैं; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन समुदायों के कितने छात्र विभिन्न संकायों/पाठ्यक्रमों में दाखिल हुए और कुल स्थानों की तुलना में इनका प्रतिशत कितना है ?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) और (ख) मौजूदा मानदण्डों के अनुसार, होटल प्रबंध और खान-पान तकनालॉजी संस्थानों द्वारा चलाए जा रहे सभी पाठ्यक्रमों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए प्रति वर्ष क्रमश: 15% और 7.5% सीटें आरक्षित की जाती हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान, विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों की संख्या नीचे दिए गए अनुसार है :–

I. 3-वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश

वर्ष	प्रवेश प्राप्त छात्रों की संख्या	प्रवेश प्राप्त अनुसूचित जाति/ अनूसूचित जन-जाति के छात्रों की संख्या	प्रवेश प्राप्त अनुसूचित जाति/ अनूसूचित जन-जाति के छात्रों का प्रतिशत
1997-98	2014	438	21.70%
1998-99	2185	460	21.05%
1999-2000	2245	424	18.90%
II. स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश			
1997-98	250	28	11.20%
1998-99	290	31	10.11%
1999-2000	274	18	6.50%
III. शिल्पकला स्तर और प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रमों में प्रवेश			
1997-98 .	539	89	16.50%
1998-99	553	76	13.74%
1999-2000	610	79	12.95%

आगरा हवाई अड्डे का उन्नयन

7163. श्री चिंतामन वनगा : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु आगरा हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में विकसित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, इसके लिए क्या समय सीमा, यदि कोई हो तो, निर्धारित की गई है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) इस समय कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सेना में एड्स फैलना

7164. श्री रामदास आठवले : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय सेना में एड्स के कथित प्रसार की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) आज की तारीख में भारतीय सेना में कितने कर्मी इससे ग्रस्त हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) सरकार को सेना में एड्स के कुछ मामलों की जानकारी है।

(ख) सैन्य कार्मियों में एच.आई.वी./एड्स संक्रमण की रोकथाम और उसके नियंत्रण के लिए सशस्त्र सेनाओं में इस विषय पर राष्ट्रीय नीति के अनुरूप एक सुनिर्धारित नीति का अनुपालन किया जा रहा है।

(ग) कोई भी सेवारत सैन्य कार्मिक एड्स के पीड़ित नहीं है। तथापि, 1990-1999 की अवधि के दौरान एच.आई.वी. संक्रमण से प्रभावित पाए गए सैन्य कार्मिकों की कुल संख्या 2527 थी। इनमें से 233 सैन्य कार्मिक एड्स से पीड़ित पाए गए और उन्हें चिकित्सा आधार पर सेवामुक्त कर दिया गया।

खाद्यान्नों का आयात

7165. श्री प्रियरंजन दासमुंशी : क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1998-99 और 1999-2000 के दौरान बाजार मूल्य को कम करने के लिए बड़े पैमाने पर चीनी, गेहू, चावल और पाम ऑयल का आयात किया गया;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त वस्तुओं पर कोई शुल्क लगाने हेतु मंत्रालय ने मंत्रिमंडल से सिफारिश की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) वर्ष 1998-99 और 1999-2000 के दौरान चीनी, गेहूं, चावल और पाम आयल की निम्न मात्राएं आयात की गई थी :–

(मात्रा टनों में)

मद	1998-1999	1999-2000 (फरवरी, 2000 तक)
चीनी	901169	1083367
गेहूं	1803699	689756
चावल	6636	22904
पाम आयल	1608057	उपलब्ध नहीं

स्रोत : डी०जी०सी०आई० एण्ड एस०, कलकत्ता।

(ख) और (ग) सरकार ने गेहूं के आयात पर 1.12.1999 से 50 प्रतिशत शुल्क और 9.2.2000 से चीनी के आयात पर 60 प्रतिशत शुल्क सहित 850 रुपये प्रति टन के हिसाब से प्रतिशुल्क लगाया है। इसकी अलावा सरकार ने 5.4.2000 से चावल के आयात पर निम्नलिखित शुल्क लगाया है :–

(i) छिल्लकायुक्त चावल (धान या रफ) - 80 प्रतिशत

(ii) छिल्का रहित (भूरा) चावल - 80 प्रतिशत

(iii) अर्द्ध कुटा या पूर्ण कुटा चावल (पालिश या बिना पालिश)- 70 प्रतिशत

(iv) टूटा हुआ चावल - 80 प्रतिशत

30.12.1999 से रिफाइन्ड तेलों पर लगने वाले कुल 16.5 प्रतिशत के आयात शुल्क को बढ़ाकर 32 प्रतिशत कर दिया गया है। तथापि, कच्चे तेल पर लगने वाले 16.5 प्रतिशत के आयात शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

भारत-मलेशियाई रक्षा-पैनल की बैठक

7166. **श्री राम मोहन गाड्डे :**
श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति :
श्री शिवाजी माने :
श्री जी०जे० जावीया :
श्री अनन्त नायक :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-मलेशियाई, रक्षा पैनल की तीसरी बैठक अप्रैल, 2000 में हुई थी;

(ख) यदि हां, तो उसमें किन मुख्य मुद्दों पर चर्चा की गई;

(ग) मलेशिया किस सीमा तक भारत में संयुक्त परियोजनायें स्थापित करने के लिए सहमत हुआ है;

(घ) क्या इस संबंध में कोई समझौता किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

मोटे अनाज का भंडारण

7167. **प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश के विभिन्न भागों में मोटे अनाज का भारी मात्रा में भंडारण करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार एवं मात्रा-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे अनाज के लिए कोई निर्यात बाजार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) और (ख) जी, नहीं। वर्तमान में केन्द्रीय पूल में मोटे अनाजों का कोई स्टाक नहीं है।

(ग) जी, हां।

(घ) पिछले तीन सालों के दौरान निर्यात किए गए मोटे आनाजों की कुल मात्रा और मूल्यों की जानकारी संलग्न विवरण में दर्शाई गई है।

विवरण

पिछले तीन सालों के दौरान निर्यात किए गए मोटे अनाजों की कुल मात्रा और मूल्य का विवरण

क्रम सं०	वर्ष	मात्रा (टन)	कीमत (करोड़ रुपये)
1.	1997-98	15350	12.59
2.	1998-99	15094	15.54
3.	अप्रैल-दिसम्बर, 1998	7720	6.87
4.	अप्रैल-दिसम्बर, 1999	5464	5.56

जेट एयरवेज के लिए नए वायु मार्ग लिंक

7168. **श्री ए० वेंकटेश नायक : क्या नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जेट एयरवेज ने गर्मियों में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए प्रतिदिन 24,000 सीटों की क्षमता वाली उड़ानों की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किन देशों में जेट एयरवेज द्वारा वायु लिंक प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) जेट एयरवेज की पेशकश को सरकार द्वारा कब तक मंजूरी प्रदान किए जाने की संभावना है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) मैसर्स जेट एयरवेज अपने वर्तमान 25 बोइंग 737 विमानों तथा 4 एटीआर 72-500 विमानों की सहायता से औसतन रोजाना 23,300 सीटों की व्यवस्था करती है। शीघ्र ही अपने विमान-बेड़े में 5वें एटीआर-72-500 विमान को शामिल करने के पश्चात्, जेट एयरवेज रोजाना लगभग 24,000 सीटों की व्यवस्था कर सकेगी।

(ग) और (घ) मैसर्स एयरवेज ने अप्रैल, 2000 से निम्नलिखित नए हवाई संपर्कों की व्यवस्था की है :–

- बंगलौर-कोचीन-बंगलौर
- बंगलौर-गोवा-बंगलौर
- बंगलौर-कोयम्बतूर-बंगलौर
- बंगलौर-मुम्बई-बंगलौर (अतिरिक्त आवृत्ति)
- मुम्बई-बंगलौर-मुम्बई

5वें एटीआर-72-500 विमान के विमान-बेड़े में शामिल करने के बाद निम्नलिखित सेवाओं का प्रचालन किया जाएगा :–

- चेन्नई-हैदराबाद-विशाखापट्टनम-हैदराबाद-चेन्नई
- चेन्नई-बंगलौर-चेन्नई (अतिरिक्त आवृत्ति)
- हैदराबाद-तिरूपति-हैदराबाद

ये उड़ान अनुसूचियां पहले ही नागर विमानन महानिदेशक द्वारा अनुमोदित कर दी गई हैं।

नागर विमानन क्षेत्र में विदेशों के साथ सहयोग

7169. **श्री एस०डी०एन०आर० चाडियार :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नागर विमानन क्षेत्र में विदेशों के साथ और सहयोग किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) भारत अन्तरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन का सक्रिय सदस्य रहा है तथा वह कार्यकारी परिषद 1944 में अस्तित्व में आने के समय से ही इसका सदस्य रहा है। आज तक की स्थिति के अनुसार भारत ने 96 राष्ट्रों के साथ द्विपक्षीय विमान सेवा करार कर लिए हैं।

संयुक्त राष्ट्र संघ और इसके संगठनों के अंतर्गत तैनात अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित अधिकारी

7170. **सरदार बूटा सिंह :** क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1 जनवरी, 1996 और 1 जनवरी, 2000 की स्थिति के अनुसार उनके मंत्रालय से भारत में और विदेशों में संयुक्त राष्ट्र संघ और इसके सम्बद्ध संगठनों के अंतर्गत कितने अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति/तैनाती की गई थी और उनमें से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित कितने व्यक्ति थे और कुल पदों की तुलना में श्रेणीवार उनकी प्रतिशतता कितनी थी?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : 1.1.1996 से 1.1.2000 तक की अवधि में पर्यटन मंत्रालय का कोई भी कर्मचारी संयुक्त राष्ट्र संघ और इसके सम्बद्ध संगठनों तथा विदेश में तैनात/प्रतिनियुक्त नहीं किया गया है। अत: ऐसे व्यक्तियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की संख्या और प्रतिशतता का प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

ऊर्जा स्रोतों का दोहन

7171. **डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :** क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ऊर्जा संकट को ध्यान में रखते हुए वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के दोहन का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आगामी पंचवर्षीय योजना में इस उद्देश्य हेतु कितनी धनराशि निर्धारित की गई है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम० कन्नप्पन): (क) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय देश भर में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के प्रोत्साहन और उपयोग के लिए बायोगैस, उन्नत चूल्हा, एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम, विदेश क्षेत्र प्रदर्शन कार्यक्रम, लघु पनबिजली, बायोमास गैसीफायर, पवन विद्युत, सौर विद्युत, बायोमास/सहउत्पादन विद्युत, सौर प्रकाशवोल्टीय, सौर तापीय तथा सौर कुकरों, सौर प्रकाशवोल्टीय पंप, पवन मिल तथा शहरी और औद्योगिक अपशिष्ट आदि जैसे बहुत से कार्यक्रमों/योजनाओं का कार्यान्वयन कर रहा है।

(ख) और (ग) अगली पंचवर्षीय योजना के लिए वास्तविक एवं वित्तीय लक्ष्यों सहित कार्यक्रम/योजनाएं अभी तक निर्धारित नहीं किए गए हैं। वर्तमान पंचवर्षीय योजना में, मंत्रालय ने विभिन्न अपारंपरिक ऊर्जा कार्यक्रमों के लिए 3800.14 करोड़ रु० के परिव्यय को उद्दिष्ट किया है जिसमें सकल बजटीय सहायता के रूप में 2122.14 करोड़ रु० तथा आंतरिक एवं अतिरिक्त बजटीय संसाधन (आई ई बी आर) के रूप में 1678 करोड़ रु० शामिल हैं। विभिन्न कार्यक्रमों के लिए वास्तविक और वित्तीय आबंटनों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

9वीं योजना अवधि के दौरान कार्यक्रमवार आवंटन तथा वास्तविक लक्ष्य

क्रम सं०	कार्यक्रम/योजना	(वित्तीय) (रु० करोड़ में) 9वीं योजना आवंटन	(वास्तविक) इकाई	9वीं योजना वास्तविक लक्ष्य
1	2	3	4	5
1	बायोगैस (एन०पी०बी०डी०)	286.00	सं० लाख में	10

1	2	3	4	5
2.	सी०बी०पी०/आई०बी०पी०/एन०बी०पी०	30.00	सं०	800
3.	उन्नत चूल्हा	84.00	सं० लाख में	150
4.	बायोमास/गैसीफायर	25.00	मे०वा०	40
5.	एकीकृत ग्राम ऊर्जा कार्यक्रम	53.00	ब्लॉक सं०	660 (पुराने) 220 (नए)
6.	ऊर्जाग्राम	1.00		
7.	विशेष क्षेत्र प्रदर्शन कार्यक्रम	8.00	सं० (ऊर्जापार्क)	200
8.	पशु ऊर्जा कार्यक्रम	2.14		
9.	सौर प्रकाशवोल्टीय प्रदर्शन	219.00		
	एस०पी०वी० घरेलू रोशनी		सं०	2,00,000
	एस०पी०वी० लालटेन		सं०	3,00,000
	एस०पी०वी० विद्युत संयंत्र		मे०वा०	1.6
10.	सौर प्रकाशवोल्टीय पंप	46.50	सं०	4000
11.	एस०पी०वी० अनुसंधान एवं विकास	25.00		
12.	सौर तापीय ऊर्जा	34.00		
	सौर जल तापन प्रणालियां		वर्गमी० संग्राहक क्षेत्र	1,50,000
	सौर कुकर		सं०	1,50,000
13.	सौर ऊर्जा केन्द्र	24.00		
14.	पवन पंप एवं हाइब्रिड प्रणाली	8.00	सं०	1000
			कि०वा०	250
15.	पवन विद्युत	63.00	मे०वा०	1000
16.	लघु पनबिजली	187.00		
	(एस०एच०पी०)		मे०वा०	130
	(पनचक्की)		सं०	700
	(नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण)		मे०वा०	65
17.	बायोमास विद्युत	226.00	मे०वा०	314
18.	एस०टी० विद्युत/एस०पी०वी० विद्युत	63.00		
	एस०टी० विद्युत		मे०वा०	140
	एस०पी०वी० विद्युत		मे०वा०	1.5
19.	यू० एंड आई० एवं एन०बी०बी०	62.00	मे०वा०	42
20.	नई प्रौद्योगिकी			
	क. रसायनिक स्रोत	7.00		
	ख. हाइड्रोजन ऊर्जा	4.50		
	ग. वैकल्पिक ईंधन	7.50		

1	2	3	4	5
	च. महासागरीय ऊर्जा	3.00		
	छ. भूतापीय ऊर्जा	3.00		
21.	सूचना एवं प्रचार	15.00		
22.	अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	9.00		
23.	परियोजना तैयारी सहायता	2.00		
24.	ट्राईफैक	6.00		
25.	सेमिनार	2.50		
26.	क्षेत्रीय कार्यालय	4.00		
27.	एन०आई०आर०ई०	20.00		
28.	राज्य नोडल एजेंसियां	15.00		
29.	ग्रामीण ऊर्जा उद्यमिता/संस्थागत विकास	5.00		
30.	बाजार विकास/निर्यात संवर्धन	5.00		
31.	महिला एवं अक्षय ऊर्जा विकास	1.00		
32.	मानव संसाधन विकास एवं प्रशिक्षण	6.00		
33.	इरेडा			
	क. इक्विटी	250.00		
	ख. प्रौद्योगिकी वाणिज्यिक निधि	10.00		
	कुल (डी०बी०एस०)	1822.14		
34.	इरेडा को प्रतिरूप निधियन (ई०ए०पी०)	300.00		
	कुल (जी०बी०एस०)	2122.14		
35.	आई०ई०बी०आर०	1678.00		
	कुल परिव्यय	3800.14		

: वास्तविक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उपरोक्त आवंटन के अलावा एन०पी०बी०डी० में 65.50 करोड़ रु० और एन०पी०आई०सी० कार्यक्रम में 23.00 करोड़ रु० की आवश्यकता होगी। इसे 9वीं योजना की बची हुई अवधि के दौरान बचत के द्वारा पूर्ण किया जाएगा।

उ०प्र० में गेहूं खरीद योजना हेतु नकदी का अभाव

7172. श्री चन्द्रनाथ सिंह : क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 20 अप्रैल, 2000 के "इंडियन एक्सप्रेस" में "कैश क्रन्च ईट्स अप यू०पी० गवर्नमेन्ट्स व्हीट प्रोक्योरमेन्ट स्कीम" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार गेहूं के सरकारी मूल्य 580 रु० प्रति क्विंटल की तुलना में प्रति क्विंटल 500 रु० से अधिक नहीं प्रदान कर रही है तथा 100 रु० प्रति क्विंटल के लाभ पर उसे असम, गुजरात और कुछ दक्षिणी राज्यों को भेज रही है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) से (ग) जी, हां।

उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के अनुसार उन्होंने चालू विपणन मौसम के दौरान गेहूं की वसूली के लिए पर्याप्त मुद्रा/रोकड़ रिलीज की है।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसानों को उनके उत्पाद के लिए लाभकारी मूल्य प्राप्त हो, राज्य सरकारें/एजेन्सियां नकद भुगतान

के आधार पर 580/- रुपये प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों द्वारा बिक्री के लिए पेश की गई उस गेहूं की समस्त मात्रा वसूल कर रही है जो उचित औसत किस्म संबंधी विनिर्दिष्टियों के अनुरूप होता है।

राज्य सरकार 100/- रुपये प्रति क्विंटल के लाभ पर असम, गुजरात और कुछ दक्षिणी राज्यों को गेहूं नहीं भेज रही है।

ग्रामीण विकास कार्यक्रम की निगरानी

7173. श्री चन्द्रकांत खैरे : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों के साथ-साथ अनेक एजेंसियां समुचित निगरानी और आपसी समन्वय के अभाव में ग्रामीण विकास कार्यक्रम को क्रियान्वित नहीं कर पा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा कृषि मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा): (क) से (ग) जी, नहीं। प्रमुख ग्रामीण विकास योजनाएं केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं हैं जो जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों/पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं। योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए निधियां मुख्यत: केन्द्र तथा राज्यों के बीच वहन की जाती है तथा केन्द्र सरकार तथा संबंधित राज्य सरकार के सक्रिय सहयोग से योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। मंत्रालय ने कार्यक्रम/योजनाओं की प्रभावी निगरानी के लिए एक व्यापक निगरा ी तंत्र भी बनाया है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में राज्य/जिला/ब्लॉक स्तर पर चयनित प्रतिनिधियों, राजनैतिक पार्टियों, राज्य सरकार, केन्द्र सरकार तथा गैर-सरकारी संगठनों, अन्य लोगों के प्रतिनिधित्व से सतर्कता एवं निगरानी समितियां भी गठित की गई हैं।

हिन्दुस्तान वेजिटेबल ऑयल्स कारपोरेशन लिमिटेड, अमृतसर को पुन: चालू करना

7174. श्री रामजीवन सिंह : क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान वेजिटेबल ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड, अमृतसर वर्ष 1992-93 से बंद पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो इस इकाई को पुन: चालू करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस इकाई के कर्मचारियों के पुनर्वास के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद) : (क) जी, नहीं। यद्यपि, वर्तमान में हिन्दुस्तान वेजिटेबल ऑयल्स कारपोरेशन की अमृतसर यूनिट में कोई उत्पादन नहीं हो रहा है।

(ख) और (ग) औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ने हिन्दुस्तान वेजिटेबल ऑयल्स कारपोरेशन को "रुग्ण" उद्योग घोषित कर दिया है। हिन्दुस्तान वेजिटेबल ऑयल्स कारपोरेशन के संबंध में विनिवेश आयोग की सिफारिशें भी प्रक्रियाधीन हैं।

विदेशी संस्थानों में प्रशिक्षण

7175. डा० बलिराम : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार राजकीय खर्च पर और प्रयोजन के माध्यम से व्यक्तियों को विभिन्न क्षेत्रों और विषयों जैसे शैक्षिक, प्रबंधकीय, तकनीकी और प्रशासनिक कार्यकुशलता में सुधार हेतु प्रतिष्ठित विदेशी संस्थानों में प्रशिक्षण के लिए नामित करती है;

(ख) यदि हां, तो गत पांच वर्षों के दौरान ग्रामीण विकास मंत्रालय से दीर्घकालिक और अल्पकालिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों हेतु कितने व्यक्तियों को विदेश भेजा गया;

(ग) इनमें से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की संख्या कितनी थी और भेजे गये व्यक्तियों में उनका प्रतिशत कितना था; और

(घ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों को पर्याप्त संख्या में उक्त प्रशिक्षण हेतु नामित न किये जाने के क्या कारण हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा कृषि मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा): (क) जी, हां।

(ख) अप्रैल, 1995 से अप्रैल, 2000 की अवधि के दौरान आठ अधिकारी सार्वजनिक राजकोष की लागत पर लघु अवधि के प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए विदेश भेजे गए हैं। इस मंत्रालय/राज्य सरकारों द्वारा केवल 1/4 महंगाई भत्ते का नाममात्र का खर्च वहन किया गया था। शेष खर्च प्रयोजक संगठनों और मेजबान देशों द्वारा वहन किया गया था। इसमें विदेशी एजेंसियों द्वारा प्रयोजित वे अधिकारी शामिल नहीं हैं जिनका अंतिम चयन इस उद्देश्य के लिए नॉडल विभागों, आर्थिक कार्य और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभागों द्वारा किया जाता है।

(ग) दो अधिकारी अनुसूचित जाति श्रेणी से संबंधित हैं। इनका प्रतिशत 25 है।

(घ) यह सुनिश्चित करने का प्रयास करते समय कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों को उचित प्रतिनिधित्व दिया गया है, विभिन्न कार्यक्रमों के लिए निर्धारित आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा गया है।

सशस्त्र बलों की संख्या

7176. श्री प्रियरंजन दासमुंशी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में वायु सेना, थल सेना और जल सेना के कार्मिकों की पृथक-पृथक संख्या कितनी है;

(ख) उपरोक्त तीनों सेनाओं में से प्रत्येक में कमीशन अधिकारियों की संख्या कितनी-कितनी है;

(ग) प्रत्येक वर्ष औसतन कितने जवान सेना से निकल जाते हैं; और

(घ) थल सेना चिकित्सा कोर में 31 मार्च, 2000 की तिथि के अनुसार चिकित्सकों की संख्या कितनी है ?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) दिनांक 31 दिसंबर, 1999 की स्थिति के अनुसार सेना में कार्मिकों की कुल संख्या 10,66,171 है, जिसमें राष्ट्रीय राइफल तथा सेना से बाहर जैसे एन०एस०सी०, एन०सी०सी०, असम राइफल्स आदि में, कार्यरत कार्मिक भी शामिल हैं। वायुसेना में 1,33,038 और नौसेना में 46,585 कार्मिक कार्यरत हैं।

(ख) सेना में 38,171, वायुसेना में 10,252 और नौसेना में 6,683 कमीशन-प्राप्त अधिकारी हैं।

(ग) प्रति वर्ष औसतन लगभग 54,446 जवान/वायुसैनिक/नाविक सेवामुक्त होते हैं।

(घ) सेना चिकित्सा कोर में मार्च 31, 2000 की स्थिति के अनुसार चिकित्सकों की संख्या 5,278 थी जिसमें नौसेना और वायुसेना में तैनात चिकित्सक भी शामिल हैं।

राजधानी एक्सप्रैस का किराया ढांचा

7177. **श्री सुन्दर लाल तिवारी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी एक्सप्रैस रेलगाड़ियों का किराया ढांचा समान क्षेत्र में चलने वाली अन्य रेलगाड़ियों की तुलना में इनकी तेज गति और अन्य सुविधाओं की उपलब्धता को ध्यान में रखकर मनाया गया है,

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे राजधानी एक्सप्रैस रेलगाड़ियों के देरी से चलने के बाद अपनी निर्धारित गति से न जाने और समान क्षेत्र में चलने वाली रेलगाड़ियों से अधिक समय लेने के मामलों में किराए में अन्तर की राशि वापस करती है; और

(ग) यदि नहीं, तो किराए में अंतर की राशि वापस न करने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) राजधानी एक्सप्रेस गाड़ियों के किराए उच्च गति कम यात्रा समय और गाड़ी में ही खान-पान सेवाओं सहित सुविधाओं को ध्यान में रखकर निर्धारित किए जाते हैं।

(ख) और (ग) पूरे किराए की वापसी अनुमेय है जब राजधानी गाड़ी तीन घंटे से अधिक विलंब से होती है बशर्ते यात्री यात्रा नहीं करता और गाड़ी के वास्तविक प्रस्थान से पूर्व अपना टिकट वापिस कर देता है।

पनवेल और मुंबई के बीच हाल्ट स्टेशन का निर्माण

7178. **श्री रामशेठ ठाकुर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पनवेल और मुंबई सी०एस०टी० हार्बर लाइन के बीच चलने वाली स्थानीय रेलगाड़ियों के लिए एक हाल्ट स्टेशन की आवश्यकता की जानकारी है;

(ख) क्या सरकार को स्थानीय जनता, संसद सदस्यों और अन्य संगठनों से पनवेल और खंडेश्वर के बीच न्यू पनवेल नाम के नये रेलवे स्टेशन के निर्माण के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त नये स्टेशन की व्यावहारिकता का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया था;

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला; और

(ङ) इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय ले लिये जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ङ) पनवेल और खाण्डेश्वर स्टेशनों के बीच "न्यू पनवेल हाल्ट स्टेशन" खोलने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। प्रस्ताव की जांच की गई परन्तु परिचालनिक रूप से व्यवहार्य नहीं पाया गया है।

बी०ई०एम०एल० की विविधिकरण योजना

7179. **श्री कृष्णमराजू** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (बी०ई०एम०एल०) के कार्यों में विविधिकरण लाने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सॉफ्टवेयर सेवा शुरू करने के लिए एक पूर्ण विकसित आई०टी० कम्पनी खोलने की भी कोई योजना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इन नये उद्यमों के लिए वित्त परियोजना और पूंजी की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वित्तीय संस्थानों के साथ समझौता कर लिया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) जी, हां।

(ख) भारत अर्थमूवर्स लि० की पत्तन उपस्करों, सड़क निर्माण मशीनरी, भूतल खनिकों तथा कुछ रक्षा उत्पादों के क्षेत्र में विविधिकरण की योजनाएं हैं।

(ग) से (च) प्रारंभिक आंतरिक कार्रवाइयां की गई हैं परंतु कोई औपचारिक योजना विद्यमान नहीं है।

[हिन्दी]

फ्लाइंग क्लबों को राजसहायता

7180. **श्री अशोक अर्गल** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उन विद्यार्थियों को जो पायलट बनना चाहते हैं प्रशिक्षण देने हेतु फ्लाइंग क्लबों को राजसहायता प्रदान की है;

(ख). यदि हां, तो क्या राजसहायता बंद किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) उड़ान क्लबों को राजसहायता, विद्यार्थियों के उड़ान कार्यकलापों की सहायता के लिए प्रदान की जा रही थी तथा दरों का निर्धारण प्रशिक्षण विमान की प्रचालन लागत को ध्यान में रखकर किया गया था। 1994 में, प्रशिक्षण लागत में विद्यार्थियों के हिस्सेदारी में वृद्धि करने तथा राजसहायता को धीरे-धीरे कम करने का निर्णय लिया गया था। तद्नुसार, राजसहायता योजना 01.4.2001 तक समाप्त हो जाएगी।

[अनुवाद]

सूखा ग्रस्त क्षेत्र

7181. **श्री राजो सिंह** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान देश के विशेषकर बिहार के प्रत्येक जिलों में सूखा प्रभावित क्षेत्रों का कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) प्रो० सी०एच० हनुमंत राव, भूतपूर्व सदस्य, योजना आयोग की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा वर्ष 1994 में सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम की इस कार्यक्रम के तहत शामिल करने हेतु सूखा प्रवण क्षेत्रों को अभिज्ञात करने सहित विस्तृत रूप से समीक्षा की गई थी। समिति की सिफारिशों के आधार पर बिहार के 16 जिलों (जो अब हजारीबाग और साहिबगंज जिले के विभाजन के बाद 18 हो गए हैं) के 121 खंडों को कार्यक्रम के अंतर्गत कवर करने हेतु शामिल किया गया है। इसके अलावा, समिति की सिफारिशों के आधार पर मंत्रालय द्वारा कार्यक्रम के तहत वाटरशेड विकास हेतु विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धांत अक्तूबर, 1994 में जारी किए गए थे, जो एक अप्रैल, 1995 से लागू हुए थे। इसके बाद सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए ऐसा कोई और सर्वेक्षण पुनः नहीं किया गया है।

जम्मू-कश्मीर के बाहु फोर्ट का रख-रखाव

7182. **वैद्य विष्णु दत्त शर्मा** : क्या रक्षा मंत्री किलों के रख-रखाव के बारे में 20.4.2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4161 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाकाली मंदिर बाहु फोर्ट, जम्मू के पुजारियों ने बाहु फोर्ट के सभी कमरों को ध्वस्त कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्रवाई की गई;

(ग) क्या केन्द्र सरकार जम्मू-कश्मीर राज्य के किलों, विशेषकर बाहु फोर्ट को ए०एस०आई० से वापिस लेकर इसमें सुधार करेगी क्योंकि ए०एस०आई० बाहु फोर्ट का सुधार/संरक्षण/मरम्मत करने में असमर्थ है; और

(घ) जम्मू के बाहु फोर्ट के भीतर तथा बाहर से अनधिकृत अतिक्रमणों को हटाने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (घ) जम्मू का बाहु फोर्ट जम्मू और कश्मीर की राज्य सरकार के नियंत्रण/अधिकार में है। यह फोर्ट रक्षा मंत्रालय अथवा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नियंत्रणाधीन नहीं है। इसलिए फोर्ट के अनधिकृत अतिक्रमणों को हटाने, उसमें सुधार करने और फोर्ट की मरम्मत तथा उसके संरक्षण के संबंध में कार्रवाई जम्मू और कश्मीर की राज्य सरकार द्वारा की जानी है।

अध्यक्ष महोदय : सभा अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.08 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

लोक सभा अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

अध्यक्ष महोदय : सभा-पटल पर रखे जाने वाले पत्र

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) (एक) नेशनल काउंसिल आफ साइंस म्यूजियम्स, कलकत्ता के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल काउंसिल आफ साइंस म्यूजियम्स, कलकत्ता के वर्ष 1996-97 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल काउंसिल आफ साइंस म्यूजियम्स, कलकत्ता के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 1901/2000]

(3) (एक) नेशनल काउंसिल आफ साइंस म्यूजियम्स, कलकत्ता के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल काउंसिल आफ साइंस म्यूजियम्स, कलकत्ता के वर्ष 1997-98 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल काउंसिल आफ साइंस म्यूजियम्स, कलकत्ता के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 1902/2000]

(5) भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड और पर्यटन मंत्रालय के बीच वर्ष 2000-2001 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 1903/2000]

[हिन्दी]

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : अध्यक्ष महोदय, कुमारी ममता बनर्जी की ओर से, मैं कन्टेनर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड और रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2000-2001 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 1904/2000]

[अनुवाद]

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : महोदय, श्री जार्ज फर्नान्डीज की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) गोवा शिपयार्ड लिमिटेड और रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग के बीच वर्ष 2000-2001 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 1905/2000]

(2) भारत डायनामिक्स लिमिटेड और रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग के बीच वर्ष 2000-2001 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 1906/2000]

(3) भारत इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड और रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग के बीच वर्ष 2000-2001 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 1907/2000]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : महोदय, श्री शरद यादव की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) इंडियन एयरलाइंस लिमिटेड नागर विमानन मंत्रालय के बीच वर्ष 2000-2001 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 1908/2000]

(2) (एक) भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 की धारा 28 की उपधारा (4) के अधीन भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 1909/2000]

(4) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

[श्री संतोष कुमार गंगवार]

(एक) वायुदूत लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) वायुदूत लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 1910/2000]

(6) भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 की धारा 43 के अधीन भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण (कारबार का संव्यवहार) विनियम, 1995 जो 19 अप्रैल, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 348(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 1911/2000]

अपराह्न 2.01 बजे

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना सभा को देनी है :—

मुझे लोक सभा को यह सूचना देने का निर्देश हुआ है कि राज्य सभा ने 10 मई, 2000 को हुई अपनी बैठक में केन्द्रीय सतर्कता आयोग विधेयक, 1999 संबंधी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति के लिए राज्य सभा के सदस्यों को नियुक्त करने के संबंध में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत किया है :—

"कि यह सभा केन्द्रीय सरकार के किसी केन्द्रीय अधिनियम द्वारा उसके अधीन स्थापित निगमों, स्थानीय प्राधिकरण के केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके नियंत्रणाधीन सरकारी कंपनियों, सोसाइटियों और लोकसेवकों के कतिपय प्रवर्गों द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1998 के अधीन कारित, अभिकथित अपराधों की जांच करने या जांच कराने के लिए एक केन्द्रीय सतर्कता आयोग का गठन करने और उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक संबंधी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति के लिए 2 अप्रैल, 2000 को सर्वश्री हंसराज भारद्वाज और संजय निरुपम की राज्य सभा की सदस्यता से निवृत्ति के कारण रिक्त हुए स्थान पर राज्य सभा के दो सदस्य नियुक्त करने की लोक सभा की सिफारिश से सहमत है और संकल्प करती है कि 3 अप्रैल, 2000 को राज्य सभा के लिए निर्वाचित सर्वश्री हंसराज भारद्वाज और संजय निरुपम को इन रिक्तियों को भरने के लिए उक्त संयुक्त समिति के लिए नियुक्त किया गया है।"

(व्यवधान)

अपराह्न 2.01½ बजे

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति

पहला प्रतिवेदन

[अनुवाद]

डा० एस० वेणुगोपाल (आदिलाबाद) : महोदय, मैं सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति का पहला प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

(व्यवधान)

अपराह्न 2.01¼ बजे

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण विधेयक के संबंध में संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने का समय बढ़ाए जाने के बारे में प्रस्ताव

[अनुवाद]

श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील (इन्दोल) : महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं :—

"कि यह सभा पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण विधेयक, 1999 संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय मानसून सत्र 2000 के अन्तिम सप्ताह के अंतिम दिन तक बढ़ाती है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण विधेयक, 1999 संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय मानसून सत्र 2000 के अन्तिम सप्ताह के अंतिम दिन तक बढ़ाती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 2.02 बजे

(इस समय कुंवर अखिलेश सिंह, श्री रामदास आठवले तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा-पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।)

अपराह्न 2.02 बजे

(इस समय श्री सुनील खां और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा-पटल के निकट फर्श पर खड़ हो गए।)

अपराह्न 2.02 बजे

(इस समय श्री श्रीप्रकाश जायसवाल तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा-पटल के निकट फर्श पर खड़ हो गए।)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थानों पर जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थानों पर वापस जाइए।

(व्यवधान)

अपराह्न 2.03 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 4 बजकर 30 मिनट तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 4.31 बजे

लोक सभा अपराह्न 4 बजकर 31 मिनट पर पुनः समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

(व्यवधान)

अपराह्न 4.31 बजे

(इस समय श्री सुनील खां और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा-पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, कृपया अपने स्थानों पर वापस जाइये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थानों पर वापस जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, हमारे पास आज एक महत्वपूर्ण कार्य है। कृपया समझिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय प्रधान मंत्री जी सभा में एक महत्वपूर्ण वक्तव्य देने वाले हैं। कृपया अपने स्थानों पर वापस जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, कृपया समझिए। कृपया अपने स्थानों पर वापस जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सभा कल 12 मई, 2000 के पूर्वाह्न ग्यारह बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 4.33 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 12 मई, 2000/22 वैशाख, 1922 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

© 2000 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत

और इंडियन प्रेस, नई दिल्ली-110033 द्वारा मुद्रित।